राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक: 04]　　पन्द्रहवीं विधान सभा के चौथे सत्र का बत्तीसवां दिवस　　[संख्या: 12

सोमवार,

24 फरवरी 2020

(राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे

राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।)

(श्री सी.पी. जोशी, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, श्री बलवान पूनियां।

भादरा में रीको औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना

158. श्री बलवान पूनियां (भादरा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार भादरा में औद्योगिक विकास के लिये रीको औद्योगिक क्षेत्र बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां व कितनी भूमि पर व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): भादरा में राज्य सरकार द्वारा रीको का हस्तांतरित औद्योगिक क्षेत्र है। उक्त औद्योगिक क्षेत्र 23.65 एकड़ भूमि पर स्थापित है। इसमें 10 भूखण्ड नियोजित हैं, जो 10 औद्योगिक इकाइयों को आबंटित हैं।

औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार एवं नवीन औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना हेतु उपयुक्त सरकारी भूमि चिह्नित करने बाबत राजस्व विभाग को पत्र लिखा गया है। औद्योगिक क्षेत्र के लिये उपयुक्त राजकीय भूमि के चिह्नीकरण की कार्यवाही की जा रही है।

इस हेतु उपयुक्त भूमि प्राप्त होने पर रीको द्वारा औद्योगिक क्षेत्र विकसित किये जाने की कार्यवाही की जा सकेगी।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): अध्यक्ष जी, मैं मंत्री महोदय से एक छोटा-सा विनम्र निवेदन करना चाहूंगा। यह बात तो सही है, इन्होंने बताया है कि 10 भूखण्ड नियोजित हैं, पर आज मौके पर वहां कोई यूनिट काम नहीं कर रही है। वह जमीन दूसरे प्रयोजन में काम ली जा रही है। इसलिये एक

(श्री बलवान पूनियां)

बार जांच करा करके, अगर औद्योगिक यूनिट के रूप में कोई काम ले, तो ही उसको भूखण्ड रखें जाएं, अन्यथा वे कैंसिल कर दूसरों को अलाट किये जाएं ताकि हमारे क्षेत्र में औद्योगिक विकास हो सके।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जैसे कहा कि वहां कोई इकाई कार्यरत नहीं है, मैंने आपको 9 उद्योगों की यह एक सूची दी है। अगर यह कार्यरत नहीं है तो इसकी जांच करवा लेंगे। आपने जो सूची मांगी, साथ में वह सूची आपको दी है। आज भी ये वहां पर कार्यरत हैं। वहां पर इकाइयां काम कर रही हैं। अगर आपकी यह शिकायत है कि ये काम नहीं कर रही हैं तो जांच करवा लेंगे।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): महोदय, सूची है। इसमें जो नाम हैं, एक भी यूनिट काम नहीं कर रही है।

श्री अध्यक्ष: जांच कराएंगे। धन्यवाद।

अगला प्रश्न। श्री पानाचन्द मेघवाल।

बारां में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लम्बित प्रकरण

159. श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा वृद्धावस्था, विकलांग, निःशक्त पेंशन के नियमों में कोई बदलाव किया गया है? यदि हां, तो क्या?

(2) क्या यह भी सही है कि प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को प्रतिमाह पेंशन का भुगतान समय पर नहीं हो पा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(3) वर्तमान में बारां जिले में पेंशन के कितने प्रकरण कब से लम्बित हैं तथा उक्त पेंशन प्रकरणों के निस्तारण में विलम्ब के क्या कारण रहे हैं तथा उक्त का निस्तारण अब कब तक कर दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त जिले में सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लिए विशेष शिविर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार द्वारा सामाजिक सुरक्षा पेंशन में वृद्धि कर दी है?

(श्री पानाचन्द मेघवाल)

यदि हां, तो अब तक पेंशनधारियों को बढ़ी हुई पेंशन की राशि का भुगतान नहीं करने के क्या कारण रहे हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) जी हां। सामाजिक सुरक्षा (वृद्धावस्था एवं विशेष योग्यजन) पेंशन के नियमों में बदलाव किये गये हैं।

उक्त योजनाओं के नियम एवं परिवर्तित प्रावधानों/आदेशों की संशोधित प्रति परिशिष्ट-1 से 2 पर संलग्न है।

(2) जी नहीं। सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में स्वीकृत सभी पात्र पेंशनधारियों को सामान्यत: प्रतिमाह पेंशन का भुगतान किया जा रहा है।

वर्तमान में अधिकांश पेंशन राशि का भुगतान ई.सी.एस. (Electronic Clearing Service) के माध्यम से पेंशनर्स के बैंक खातों अथवा पोस्ट आफिस खातों में किया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ पेंशनर्स के बैंक खातों की संख्या गलत होने या बैंक शाखा का आई.एफ.एस.सी. कोड गलत होने के कारण आर.बी.आई. पोर्टल द्वारा भुगतान अस्वीकृत कर दिया जाता है। पेंशनर द्वारा राजस्थान जन आधार पोर्टल में बैंक खाता संख्या एवं आई.एफ.एस.सी. कोड सही करवाकर सम्बन्धित कोष/उप कोष कार्यालय में प्रस्तुत करने पर उस पेंशनर की पेंशन का भुगतान उसके सही खाते में ई.सी.एस. (Electronic Clearing Service) द्वारा कर दिया जाता है।

(3) वर्तमान में बारां जिले में सामाजिक सुरक्षा योजनान्तर्गत पेंशन की विभिन्न श्रेणियों में पेंशन राशि के भुगतान की स्थिति निम्नानुसार है:

कुल पेंशनर्स	**पेंशनर्स, जिनको पेंशन का भुगतान किया गया**	**बकाया पेंशनर्स की संख्या**
1,46,451	1,43,404	3,048

शेष पेंशनर्स के भुगतान नहीं होने के कारण:

-गलत बैंक खाता अंकित किये जाने के कारण लौटाये गये - 1,646

-नई पेंशन स्वीकृत होने के कारण आगामी माह में भुगतान के कारण लम्बित-1,402

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

पेंशनर्स द्वारा बैंक खाते से सम्बन्धित विवरण सही करवाये जाने पर भुगतान कर दिया जाएगा।

(4) जी नहीं। नियमों में जांच/सत्यापन हेतु 30 दिवस एवं स्वीकृति हेतु 15 दिवस की समय सीमा निर्धारित कर दी गई है, जिसके पश्चात् स्वत: (Auto) सत्यापन एवं स्वत: स्वीकृति का प्रावधान है। अत: पेंशन स्वीकृति हेतु विशेष शिविर आयोजित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

ग्राम पंचायत स्तर पर स्थित राजीव गांधी सेवा केन्द्रों पर पेंशन भुगतान हेतु मासिक शिविर आयोजित किये जाने हेतु सभी जिला कलेक्टर्स को निर्देशित कर दिया गया है। अत: इस हेतु भी विशेष शिविर आयोजित किये जाने की आवश्यकता नहीं है।

(5) जी हां। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत मात्र पेंशनर्स को नियमानुसार बढ़ी हुई पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है। पेंशन राशि में वृद्धि के आदेशों की प्रति परिशिष्ट 3 से 5 पर संलग्न है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गई)

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने खंड तीन में पूछा था, बारां जिले में कितने प्रकरण लम्बित हैं और किस कारण से हैं? उसमें जवाब भुगतान वालों का दिया है। मतलब, हमारे मंत्री महोदय इतने गम्भीर हैं और अधिकारी प्रश्न की अहमियत को नहीं समझ पा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछिये।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): दूसरा, जो संशोधन किया है, सर, हम गांवों में जाते हैं, एक मापदण्ड लगा रखा है कि जिनके पुत्र सरकारी सेवा में है, उनको पेंशन नहीं देंगे। वह बुजुर्ग कोई 70 साल का है, 75 साल का है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): मेरा माननीय मंत्री महोदय से निवेदन है कि जो सरकारी कर्मचारी की बाध्यता की गई है, क्या उनको हटाने का प्रयास करेंगे?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिनके परिवार में सरकारी कर्मचारी हैं उनको पेंशन नहीं मिलती। अगर आप कह रहे हैं कि गलत पेंशन सरकारी कर्मचारियों को दे

(मास्टर भंवरलाल मेघवाल)

दी गई है, जांच करा लेंगे। आप हमें दे दीजिये, जांच करा लेंगे और उनकी निरस्त कर देंगे। लेकिन सरकारी कर्मचारी अगर परिवार में है तो उसको पेंशन नहीं दी जा सकती है।

श्री पानाचन्द मेघवाल (बारां-अटरू): सर, मेरा कहना जांच का नहीं है, मेरा कहना यह है कि क्या आप उस बाध्यता को हटाने का प्रयास करेंगे?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): नहीं। यह बाध्यता नहीं हट सकती है क्योंकि सरकारी कर्मचारी की वजह से हम उनको पेंशन नहीं दे सकते।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्री चन्द्रभान सिंह।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: नहीं, माननीय सदस्य, बैठें, प्लीज, आप प्रश्न लिखते। श्री चन्द्रभान सिंह।

चित्तौड़गढ़ में संचालित चिकित्सालयों में रिक्त पद

160. श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) वर्तमान में जिला चित्तौड़गढ़ में कितने राजकीय चिकित्सालय किस-किस स्तर के कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सालयों में चिकित्सकों एवं चिकित्साकर्मियों के कितने-कितने पद कहां-कहां पर सृजित हैं? उनमें से कितने पद प्रतिनियुक्ति पर हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार चित्तौड़गढ़ जिला मुख्यालय पर पुराने महिला एवं बाल चिकित्सालय के रिक्त भवन में सैटेलाइट चिकित्सालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): (1) जिला चित्तौड़गढ़ में संचालित राजकीय चिकित्सा संस्थानों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) जिला चित्तौड़गढ़ में संचालित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

के स्वीकृत, कार्यरत व रिक्त पदों का संस्थानवार विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

राज्य सरकार के आदेश दिनांक 07.08.2019 एवं 04.02.2020 द्वारा कार्य व्यवस्था/प्रतिनियुक्ति पर कार्यरत समस्त कार्मिकों के कार्य व्यवस्था/ प्रतिनियुक्ति आदेश निरस्त कर दिये गये हैं।

जिला चित्तौड़गढ़ में नर्सिंग/पैरामेडिकल/अराजपत्रित संवर्ग के चिकित्सा कर्मियों के चिकित्सा संस्थानवार स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(3) जी हां। चिकित्सकों के पदोन्नति के रिक्त पदों को डी.ए.सी.पी. के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पी.जी. पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर में प्रक्रियाधीन भर्ती पूर्ण होने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी (दंत) के रिक्त पदों को स्थानान्तरण से भरे जाने के प्रयास किये जाएंगे।

विभाग में नर्स श्रेणी द्वितीय, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता, फार्मासिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट एवं प्रयोगशाला सहायक के पदों पर भर्ती कार्यवाही प्रक्रियाधीन है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर जिला चित्तौड़गढ़ के रिक्त पदों को शीघ्र भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

अराजपत्रित संवर्ग के पदोन्नति के रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरांत भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(4) चित्तौड़गढ़ शहर में 01 जिला चिकित्सालय, 01 टी.बी. क्लीनिक, 01 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 02 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 02 सिटी डिस्पेंसरी एवं राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित 02 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों के द्वारा आमजन को चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं।

अत: वर्तमान में पुराने महिला एवं बाल चिकित्सालय में सैटेलाइट चिकित्सालय खोला जाना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, नीरोगी राजस्थान की अपन बात कर रहे हैं। पिछले लम्बे टाइम से चित्तौड़गढ़ जिले में नई पोस्ट्स क्रियेट नहीं हुई, पर 349 डाक्टर्स की पोस्ट्स में 148 अभी हैं और 201 खाली हैं। नर्सिंग स्टाफ 1179 हैं, 590 खाली हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं कह रहा हूं कि अभी अपन ने ट्रांसफर कर दिये, हटा दिये, पर अब मेरे वहां काफी पोस्ट्स खाली हैं, जिला हैडक्वार्टर का बहुत बड़ा हास्पिटल है। वहां डाक्टरों की इतनी दिक्कत हो रही है कि वहां ....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्रश्न पूछें।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): अब जितने भी कर्मचारियों की, डाक्टर्स वगैरह की और नर्सिंग की जो भी खाली पोस्ट्स हैं, उनको मंत्री महोदय, कब तक भर देंगे? नम्बर एक। आप उसकी सफाई दे दें।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने अभी निवेदन किया कि 737 डाक्टर्स की भर्ती की प्रक्रिया अभी चल रही है जो अंतिम दौर में है। उनके पदस्थापन की कार्यवाही हम अब शीघ्र ही करने वाले हैं तो जब यह डाक्टर्स हमको मिल जाएंगे तो इनके यहां जो भी खाली पद हैं, इनके यहां पर वास्तव में खाली पद ज्यादा हैं, वह जरूर भरेंगे। माननीय सदस्य जैसे-जैसे कहेंगे, वैसे कर देंगे और नर्सिंग स्टाफ के भी जो पद खाली हैं, वह भर देंगे।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): समय सीमा बता दें। समय बता दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्रीजी ने कह दिया है।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): एक वहां पर पुराना हास्पिटल खाली हो रहा है और वह शहर के बीचों-बीच है, वह खंडहर है, उसको सैटेलाइट या पुराना कोई हास्पिटल ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उसका यह जवाब दे चुके हैं कि नहीं हो सकता। अगला प्रश्न।

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक सैकण्ड। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप प्लीज, बैठें। इन्होंने लिख दिया

(श्री अध्यक्ष)

कि नहीं हो सकता। अगला प्रश्न। आपने लिख दिया कि नहीं हो सकता, जवाब दे दिया इसमें। श्री कान्ति प्रसाद।

भर्तृहरि (थानागाजी) में ट्रस्ट बनाने की योजना

161. श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार थानागाजी क्षेत्र के धार्मिक स्थल भर्तृहरि में ट्रस्ट बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

पर्यटन मंत्री (श्री विश्वेन्द्र सिंह): जी नहीं। धार्मिक स्थल भर्तृहरि में पहले से ही एक ट्रस्ट गठित है। उक्त ट्रस्ट स्थान समाधि 1008 भर्तृहरि जी महाराज, अलवर के नाम से राजस्थान सार्वजनिक प्रन्यास अधिनियम, 1959 के तहत पंजीकृत प्रन्यास है, जिसके पंजीयन क्रमांक 169/85, दिनांक 30.07.1985 है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह जानना चाहूंगा कि इस ट्रस्ट के मैम्बर कौन-कौन हैं, इसका लेखा-जोखा किसके पास रहता है और उस ट्रस्ट के माध्यम से भर्तृहरि के स्थान पर आज तक क्या-क्या काम करवाये गये हैं?

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसमें ट्रस्ट के जो मैम्बर्स हैं उनकी डिटेल तो आपने मांगी नहीं है, मैं आपको डिटेल भिजवा दूंगा।

दूसरी बात, मैं आपको खुद ही स्वत: ही बताना चाहूंगा कि आपने शिकायत लिखी थी कि इसमें गंदगी रहती है। उसके लिए 13 जनवरी, 2020 को एक इंस्पैक्शन हो चुका है और 18 फरवरी, 2020 को आपके प्रश्न के लगने के बाद हमने इंस्पैक्टर को भेजकर बीच-बीच में फिर इंस्पैक्शन करवाया है और इसमें परमानेंट जो निर्माण है उस पर ए.डी.जे. कोर्ट, अलवर-फर्स्ट का बैन लगा हुआ है, जिसके खिलाफ ग्राम पंचायत अपील में हाई कोर्ट में गयी है और आपने नाम मांगे थे, वह ट्रस्ट के नाम भी आ गये हैं। श्री मनोहरनाथ, श्री मदननाथ, श्री पदमनाथ, श्री गुल्लानाथ, श्री लक्ष्मणनाथ, श्री मातादीननाथ, श्री लल्लूनाथ, श्री कैलाशचंद।

श्री कान्ति प्रसाद (थानागाजी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी से मैं यह जानना चाहूंगा कि सरकारी आदमी भी इस ट्रस्ट में कोई है या नहीं है? जो यह पैसा आता है, इतना चंदा आता है, जिसका हिसाब-किताब कोई हो और वहां पर खर्च किया जाए।

श्री विश्वेन्द्र सिंह (पर्यटन मंत्री): इसमें अगर आप चाहें तो स्पेशल आडिट करा लेंगे।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल।

बूंदी व कोटा में दायीं व बायीं मुख्य नहरों व माइनरों को पक्का करने की कार्ययोजना

162. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): क्या सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बूंदी व कोटा जिले में स्थित दायीं व बायीं मुख्य नहरों के साथ-साथ माइनरों तक को पक्का करने का कार्य किया जा रहा है? यदि हां, तो उक्त कार्य हेतु वर्तमान में कितना बजट उपलब्ध है व कितना स्वीकृत था तथा कितना व्यय कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विभाग शेष सम्पूर्ण नहरों को पक्का करने हेतु समय सीमा में कार्य पूर्ण कराने की योजना बना रहा है? यदि हां, तो इसकी निविदा प्रक्रिया कब पूर्ण होगी? क्या उक्त कार्य को छोटे-छोटे टुकड़ों में अनेक संवेदकों को देने का विचार है जिससे समय पर कार्य पूर्ण हो सके? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री (श्री हरीश चौधरी): (1) जी हां। चम्बल परियोजना क्षेत्र में बूंदी, बारां व कोटा जिले में स्थित दायीं व बायीं मुख्य नहरों के साथ-साथ माइनरों तक को पक्का करने के लिए नाबार्ड वित्त पोषित चम्बल रिवेम्पिंग परियोजना, मध्यप्रदेश राजस्थान साझा योजना एवं विश्व बैंक पोषित आर.ए.सी.पी. योजना के तहत कार्य करवाये जा रहे हैं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में उपलब्ध बजट एवं व्यय की स्थिति निम्नानुसार हैः-

बजट प्रावधान- 9153.60 लाख

प्रस्तावित संशोधित बजट प्रावधान-5964.72 लाख

व्यय-जनवरी 2020 तक-5048.65 लाख

(सिंचित क्षेत्र विकास मंत्री)

(2) जी हां। चम्बल सिंचित क्षेत्र में नहरों की कुल लम्बाई 2609 किलोमीटर है जिसमें से चम्बल रिवेम्पिंग परियोजना के तहत 1115 किलोमीटर नहरों को पक्का करने का कार्य प्रगतिरत है। शेष रही नहरों को वित्त पोषण उपलब्ध होने पर पक्का कराये जाने की कार्यवाही की जानी प्रस्तावित है। रिवेम्पिंग परियोजनान्तर्गत 15 कार्यों के कार्यादेश जारी किये गये थे, परन्तु 8 कार्यों में संवेदकों द्वारा कार्य पूर्ण नहीं किये जाने के कारण उनके विरुद्ध अनुबन्ध की धारा 2 व 3 के तहत कार्यवाही की जाकर पुराने संवेदकों की जोखिम एवं लागत पर पुनः निविदाएं आमंत्रित की जा चुकी हैं जो कि दिनांक 03.03.2020 को एक कार्य की, 12.03.2020 को 5 कार्यों की एवं 13.03.2020 को 2 कार्यों की निविदा खोली जानी प्रस्तावित है। चूंकि, उक्त कार्यों की निविदाएं पूर्व संवेदकों की जोखिम एवं लागत पर पुनः आमंत्रित की गई हैं, अतः उन्हें छोटे-छोटे टुकड़ों में बांटा जाना संभव नहीं है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस प्रश्न में मैं आपका संरक्षण चाहूंगी क्योंकि पिछले सत्र में भी मैंने इसी प्रश्न को उठाया था और उसमें सम्माननीय मंत्री महोदय द्वारा जवाब दिया गया था कि 1275 करोड़ रुपये जो पिछले कई वर्षों से पड़े हुए थे, उनको अधिकारियों द्वारा और विभाग द्वारा खर्च नहीं किया गया था। बहुत सारे पैसे, कम से कम आठ से नौ करोड़ रुपये ऐसे थे जिनको सरकारी वाहन खरीद में खुर्दबुर्द किया गया। मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहूंगी कि क्या हमने वह पैसा जो खर्च हुआ, जो कहीं बिल्डिंग के लिए, मरम्मत के लिए खर्च किया, उसकी आपने जांच करवाई क्या? दूसरा, इतने वर्षों से पैसा हमारे पास, विभाग के पास करोड़ों रुपये पड़ा हुआ है लेकिन उसके बाद भी हम यह बोल रहे हैं कि दुबारा 03.03.2020 को एक कार्य का, फिर 12.03.2020 को पांच कार्य का और फिर 13.03.2020 को दो कार्य की निविदाएं खोली जाना प्रस्तावित हैं। मुझे यह लगता है कि इतना विलम्ब... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्रश्न पूछें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): 13.03.2020 को यह करेंगे तो इतना समय बीच में निकालना यह किसान के साथ, मैं यह कहूंगी कि यह बहुत बड़ा धोखा है। किसान बरबाद हो रहा है, हम सब यह देख रहे हैं। दूसरा, मैं मंत्रीजी से ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, पूछ रहे हैं या बात बोल रहे हैं?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): प्रश्न, बिलकुल प्रश्न पूछ रही हूं।

श्री अध्यक्ष: आप कहां प्रश्न पूछ रहे हैं?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): साहब, मैं यह प्रश्न पूछ रही हूं कि सम्माननीय मंत्री महोदय मुझे यह बताने का कष्ट करें कि कापरेन ब्रांच के चैनल संख्या 1622 के पास जो ढगारिया डिस्ट्रीब्यूटरी हमारी पड़ती है, उसके आगे और पीछे की तरफ कापरेन ब्रांच में जो लाइनिंग का कार्य हुआ है, उस लाइनिंग के काम में मेन ब्रांच है, उस ब्रांच में किस तरह से टैक्निकल काम हुआ? लेकिन, कल ही मैंने मौके पर जाकर देखा कि पूरे पानी का इतना ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, प्रश्न पूछें। नहीं, प्लीज, प्रश्न पूछें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): नहीं, उसी का बता रही हूं, साहब। जो ढलान दे दिया ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपका प्रश्न क्या है?

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मेरा प्रश्न यह है कि टैक्निकल जो गलत काम हुआ है, जिसकी वजह से पूरी ब्रांच में पानी बहता हुआ जा रहा है, पूरी माइनर, जो ढगारिया माइनर है, वह सूखी पड़ी है।

श्री अध्यक्ष: आगे प्रश्न पूछो न।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): वहां तक पानी पहुंचाने के लिए मंत्रीजी क्या करेंगे? किस अधिकारी की वजह से यह गलत काम हुआ है? क्या उनके खिलाफ कोई कार्यवाही करने का मुझे आश्वासन देंगे?

दूसरा मेरा प्रश्न, साथ ही साथ यह मैं पूछना चाह रही हूं कि इसी तरह से गणेशगंज माइनर जिसका घटिया काम था, अभी जल वितरण समिति के अध्यक्ष ने उसको बंद करवा रखा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप प्रश्न पूछें।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मैं प्रश्न ही पूछ रही हूं, साहब।

श्री अध्यक्ष: नहीं, अब अगला प्रश्न। नहीं, आप प्रश्न पूछ ही नहीं रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): मैं प्रश्न ही पूछ रही हूं

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

कि उसकी भी जांच करवाएंगे क्या? साथ ही साथ, अरनिया वाली जो ब्रांच है, इन सारी ब्रांचों के नाम इसलिए बोल रही हूं कि बिलकुल ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, आप प्रश्न पूछें। इसका कोई अंत नहीं है, यह डिबेट नहीं है।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): हां, इनके बारे में आप बताएं, इनका उत्तर दें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं माननीय सदस्या को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने इस बात के लिए प्रश्न के माध्यम से चिंता जाहिर की। आज यह नहर के कार्यों के अंदर राजस्थान के साथ जो हो रहा है या पूरे देश के साथ हो रहा है, मैं सदन के मार्फत आपको बताना चाहता हूं।

70 के दशक से पूरे देश के अंदर और राजस्थान के अंदर सी.ए.डी.डब्ल्यू.एम. के मार्फत से नहर के कार्य हुआ करते थे, जो माइनर के कार्य हैं, वह हुआ करते थे और कमांड एरिया के कार्य हुआ करते थे। 1.4.2017 को, जो यह कार्य हुआ करते थे वह केन्द्र सरकार का और राजस्थान का या जिस किसी भी राज्य का था, दोनों का हिस्सा हुआ करता था। 1.4.2017 को केन्द्र सरकार द्वारा यह फैसला लिया गया कि तमाम योजना जो 1970 से लेकर 1.4.2017 तक चलती आ रही थी, उस योजना को बंद कर दिया जाए, नई योजना हम लोग लेकर आएंगे। फिर नई योजना भी लेकर आए हिजबिक के नाम पर और आज तीन वर्ष हो गये, दो वर्ष यह पहले की श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया जी की सरकार और अब हम लोगों की सरकार के अंदर एक साल, यह दोनों, तीन वर्ष होने के बावजूद भी प्रस्ताव मांगे गये, जो प्रस्ताव लगभग 10 लाख हैक्टेयर राजस्थान के किसानों के जो इंतजार कर रहे हैं, अपनी पक्की नहरों के लिए। छह हजार करोड़ रुपये में तीन वर्ष से इंतजार हो रहा है। मैंने, मेरे मित्र, जो आज केन्द्र के अंदर मंत्री हैं, उनको भी चिट्ठी लिखी। एक बार ही नहीं, मैंने उनको दो-दो बार चिट्ठी लिखी कि राजस्थान के किसानों के साथ यह जो अन्याय हो रहा है, आपके बैठे हुए यह अन्याय नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप भी राजस्थान का प्रतिनिधित्व करते हैं। (व्यवधान) मेरी पूरी बात हो जाने दें। आपने भी चिंता जाहिर की।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, बैठे-बैठे नहीं।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): आपने यह कहा कि किसानों के साथ

(श्री हरीश चौधरी)

अन्याय हो रहा है, किसानों के साथ धोखा हो रहा है। मैं आपके किसानों की चिंता, अन्याय, धोखे के संदर्भ में आपको बता रहा हूं, हो रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी टू द पाइंट। जो उन्होंने स्पेसिफिक प्रश्न पूछा है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): उसका अभी जवाब दे दिया। उसके कारण अध्यक्ष महोदय, चंबल के कार्य और दूसरे कार्य भी, जो होने थे, वह नहीं हो पा रहे हैं। फिर आपने यह स्पेसिफिक कार्य बोले कि इसमें वापस क्यों संविदा लगायी गयी। अब इसलिए संविदा लग गयी कि जिनको पहले संविदा मिली हुई थी, वह कार्य नहीं कर पा रहे थे। कार्य नहीं कर पा रहे थे इसलिए धारा 2 और 3 के अन्तर्गत रिस्क और कास्ट के ऊपर आठ-के-आठ लोगों की वापस संविदा लगाकर कार्य कराने के प्रयास किये जा रहे हैं। जब तक इस बारे में फैसला नहीं होगा तब तक छोटे करके नहीं करेंगे। फिर आपकी बात थी कि इन कार्यों के अंदर गुणवत्ता ठीक नहीं है और टैक्निकल तौर पर वह ठीक नहीं है, उन दोनों के लिये आप जो-जो बात कहोगे, उसके लिये बिलकुल जांच कराएंगे।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोवरायपाटन): दूसरा मेरा प्रश्न यह है, माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके मार्फत मंत्री महोदय से कि जहां पर सी.सी. रोड माइनरों के अंदर करना था, वहां पर टाइल्स लगायी जा रही हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय, आप सब लिखकर दे दें, मंत्रीजी जांच कराएंगे। बात हो गयी।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोवरायपाटन): यह क्या मतलब हुआ साहब?

श्री अध्यक्ष: मतलब क्या, जांच नहीं चाहते? अगला प्रश्न। बैठिये आप, प्लीज। मुरारी लाल, अगला प्रश्न।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोवरायपाटन): मुझे मेरे प्रश्न का जवाब तो मिले।

श्री अध्यक्ष: नीचे बैठें आप। आप सुनना ही नहीं चाहते, बैठें। उन्होंने कह दिया कि जांच कराएंगे। आप सुनना ही नहीं चाहते। आप बैठिए प्लीज। (व्यवधान) जांच कराने के लिये कह दिया। आप सुनना ही नहीं चाहते। (व्यवधान) रिकार्ड नहीं होगा कुछ भी। मुरारी लाल जी, बोलिये आप।

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोवरायपाटन): 000

श्री अध्यक्ष: प्रश्न का जवाब दे दिया। जांच करवाएंगे, फिर भी बोल रहे हैं आप।

आश्रम छात्रावासों का एन.जी.ओ. के माध्यम से संचालन

163. श्री मुरारी लाल (दौसा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में माडा व बिखरी योजनान्तर्गत संचालित आश्रम छात्रावासों का संचालन एन.जी.ओ. के माध्यम से कराने का निर्णय लिया गया है? यदि हां, तो किस-किस एन.जी.ओ. से कौन-कौनसे आश्रम छात्रावासों के संचालन कराने का निर्णय लिया गया है? जिलेवार सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त एन.जी.ओ. के विरुद्ध किसी प्रकार की जांच लंबित है? यदि हां, तो किस-किस स्तर की जांच कहां-कहां पर? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास (श्री अर्जुन सिंह बामनिया): (1) यह सही नहीं है कि प्रदेश में माडा व बिखरी क्षेत्र में संचालित आश्रम छात्रावासों का संचालन एन.जी.ओ. के माध्यम से कराये जाने का निर्णय लिया गया है।

माडा एवं बिखरी क्षेत्र हेतु सैनिटेशन वाटर एण्ड कम्युनिटी हैल्थ (स्वच्छ प्रोजेक्ट) उदयपुर, जो कि राजस्थान संस्था रजिस्ट्रीकरण अधिनियम, 1958 के अन्तर्गत पंजीकृत पूर्णत: सरकारी सोसायटी है तथा वित्त (जी एण्ड टी) विभाग के नोटिफिकेशन 4 सितम्बर, 2013 को आर.टी.पी.पी. एक्ट, 2012 (एक्ट नंबर 21 आफ 2012) के क्रम संख्या 46 पर सरकार द्वारा बिना निविदा के कार्य करवाने हेतु अनुमोदित राजकीय संस्था है। इसके माध्यम से आश्रम छात्रावासों के संचालन का निर्णय किया गया है। सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कुछ शिकायतों पर स्वच्छ परियोजना से प्रकरण से संबंधित दस्तावेज आदि चाहे गये हैं, जो उपलब्ध कराये गये हैं।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री मुरारी लाल (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, खण्ड-2 में माननीय मंत्री महोदय जी ने यह स्वीकार किया है कि भ्रष्टाचार निरोधक विभाग ने स्वच्छ संस्था परियोजना की शिकायतों से संबंधित कुछ दस्तावेज उपलब्ध कराये हैं, अत: किन-किन प्रकरणों में कौन-कौनसी शिकायतों के क्या-क्या दस्तावेज उपलब्ध कराये हैं? यह बताने की कृपा करें। दूसरा, ऐसी संस्था, जिस पर पहले से ही अनियमितताओं के आरोपों की भ्रष्टाचार निरोधक विभाग में जांच चल रही है, उसके हाथों में आदिवासी छात्र-छात्राओं के हास्टल के संचालन की जिम्मेदारी क्यों दी गयी है? कारण बताएं, जबकि छात्रावासों का संचालन पहले ही जिला परिषद् ठीक से कर रही थी।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, समस्त छात्रावास, जो माडा और बिखरी क्षेत्र में जिला परिषदों की देखरेख में संचालित होते थे और अभी भी उनको पूर्ण अधिकार है कि उसकी जांच करे, उसका सुपरविजन करे। सिर्फ हमने कार्य संचालन की व्यवस्था के लिये इस स्वच्छ संस्था को रखा है। उसके पीछे माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी हमारे पास में कई तरह के ज्ञापन भी आये, शिकायतें भी आयीं कि सात-सात महीनों तक रसोइये और दूसरे काम वालों को भुगतान नहीं हुआ। दीपावली पर हमने स्वच्छ संस्था के माध्यम से उनका भुगतान करके सिर्फ उसके संचालन की प्रक्रिया की देखरेख के लिये किया।

श्री मुरारी लाल (दौसा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहा है कि जिसके खिलाफ भ्रष्टाचार विभाग में पहले से ही शिकायतें दर्ज हैं और आपने इस बात को स्वीकार भी किया है और आपने यह भी कहा है कि कुछ दस्तावेज भी प्राप्त हुए हैं कि यह-यह शिकायतें हैं तो उनके बारे में जानकारी दे दें और जब पहले ही उनके बारे में शिकायत है... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, प्रश्न पूछें।

श्री मुरारी लाल (दौसा): उसके बारे में पहले ही जब यह पता है कि वह भ्रष्टाचार में लिप्त है, उसकी जांच चल रही है तो उसको इन छात्रावासों का संचालन क्यों दिया गया? हम यह कैसे मान लें कि ट्राइबल ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप प्रश्न पूछें, आपका प्रश्न क्या है? क्यों दिया गया, बस यह काफी है। बताइए माननीय मंत्रीजी। वह कह रहे हैं कि जो संस्था भ्रष्टाचार में पहले आरोपित है, उसको क्यों दिया गया?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास):

(श्री अर्जुन सिंह बामनिया)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पूरी लिस्ट है मेरे पास में, कि इन हास्टल व्यवस्थाओं में हमने उस संस्था को क्यों दिया। सिर्फ उसका सुपरविजन करने के लिये दिया है। न कोई वार्डन हटा रहे हैं, न कोई कार्यकर्ता हटा रहे हैं, कुछ भी नहीं है। यह इसलिए कि सात महीने तक रसोइयों का भुगतान नहीं हुआ तो उस समय रसोइए हास्टल छोड़कर जाने की स्थिति में थे तो हमने स्वच्छ संस्था के माध्यम से उनको भुगतान कराया जबकि जिला परिषदों में, तमाम जिला परिषदों के पास में पैसा भी था, फिर भी उनका भुगतान समय पर नहीं हुआ। इस वजह से हमने उसको संचालन के लिये देखरेख में रखा।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी धन्यवाद। वह यह कह रहे हैं और आप खुद मान रहे हो कि एन.जी.ओ. के खिलाफ भ्रष्टाचार की शिकायत है। आप खुद भाग संख्या-2 में मान रहे हो। उनके बारे में पूछ रहे हैं वह कि उसी संस्था को, जिस पर भ्रष्टाचार के आरोप लगे हुए हैं, उन्हीं से क्यों काम करा रहे हैं। इसके बारे में शिकायत प्राप्त हुई है क्या?

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने निवेदन किया कि जिला परिषदों में उसके माध्यम से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: भ्रष्टाचार के बारे में लिख रहे हैं कि भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो द्वारा कुछ शिकायतें प्राप्त हुई हैं। आप स्वयं मान रहे हैं। ऐसी शिकायतें जब एन.जी.ओ. के खिलाफ आयीं तो उनको क्यों रखा? यह प्रश्न है उनका।

श्री अर्जुन सिंह बामनिया (राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास): इसको दुबारा दिखवा लेंगे, ऐसी कोई चीज है तो।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्रीमती संतोष।

अनूपगढ़ के सेठ बिहारीलाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय में रिक्त पद

164. श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) सेठ बिहारीलाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय अनूपगढ़ में कितने पद स्वीकृत हैं तथा उनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? सरकार द्वारा उक्त रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती संतोष)

(2) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय में नवीन विषय एवं नवीन संकाय प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौनसे व कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा (श्री भंवर सिंह भाटी): (1) सेठ बिहारीलाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय अनूपगढ़ में शैक्षणिक व अशैक्षणिक वर्ग के स्वीकृत व रिक्त (कब से) पदों का विवरण क्रमश: परिशिष्ट-01 व 02 पर संलग्न है। उक्त रिक्त पदों को नियमानुसार चयनित अभ्यर्थी उपलब्ध होने पर भरा जा सकेगा।

(2) संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर यथासमय उक्त महाविद्यालय में नवीन विषय एवं नवीन संकाय प्रारम्भ करने पर विचार किया जा सकेगा।

(3) संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर यथासमय उक्त महाविद्यालय को स्नातकोत्तर में क्रमोन्नत करने पर विचार किया जा सकेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, सेठ बिहारीलाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय, जो अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में एकमात्र राजकीय महाविद्यालय है और 2004 से शैक्षणिक व अशैक्षणिक पद रिक्त हैं। एक निश्चित समय सीमा बताएं कि इन रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, वर्तमान में सेठ बिहारीलाल छाबड़ा राजकीय महाविद्यालय में स्वीकृत पद 10 हैं, उनमें से 5 पद वर्तमान में भरे गये हैं और रिक्त पदों को, जैसा मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया कि आर.पी.एस.सी. को 920 रिक्त पदों को भरने की अभ्यर्थना राज्य सरकार के द्वारा भिजवायी जा चुकी है। अतिशीघ्र आर.पी.एस.सी. के द्वारा इन पदों को भरने की कार्यवाही की जाएगी और आर.पी.एस.सी. से नव-चयनित शिक्षक प्राप्त होने पर इन तमाम रिक्त पदों को भरा जाएगा।

श्रीमती संतोष (अनूपगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, उक्त महाविद्‌यालय में एक ही संकाय कला वर्ग होने के कारण हम क्वालिटी की शिक्षा नहीं दे पा रहे हैं। कुल छात्र-छात्राएं 532 हैं। क्या यह इन छात्र-छात्राओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं हो रहा है? दूसरे संकाय खोले जाने की मांग काफी लम्बे समय से की जा रही है। मैं मंत्रीजी से आपके माध्यम से निवेदन करूंगी कि उसकी पूर्ति कब तक करेंगे?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मैंने प्रश्न के जवाब में माननीय विधायक महोदय को पूर्व में अवगत करवाया है कि समय-समय पर नये संकाय और विषय आदि खोले जाने का कार्य सरकार के द्‌वारा किया जाता है। आगामी समय में माननीय सदस्या के द्‌वारा जो बिन्दु उठाये गये हैं, जो नये विषय और नये संकाय खोलने की मांग रखी गयी है, उसमें अनूपगढ़ के राजकीय महाविद्‌यालय को भी ध्यान में रखा जाकर आगे खोले जाने की कार्यवाही की जाएगी और जहां तक छात्र-छात्राओं के भविष्य की बात है, निश्चित रूप से अनूपगढ़ में आर्ट्स के अलावा जो दूसरे संकाय हैं उनके लिए निजी क्षेत्र में 14 महाविद्‌यालय अनूपगढ़ विधान सभा क्षेत्र में संचालित हैं, वहां उन महाविद्‌यालयों में हमारे जो संकाय या जो विषय राजकीय महाविद्‌यालय, अनूपगढ़ में नहीं है वह वहां अध्ययन करवाये जा रहे हैं, पढ़ाये जा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि मंत्री महोदय, आपने कुल जो पद सृजित कर रखे हैं, राजकीय महाविद्‌यालय है, इसमें शिक्षकों के 10 पद हैं उनमें से पांच खाली हैं और 5 में भी 3,2014 से खाली हैं और अशैक्षणिक में जो कुल ही 11 पोस्ट हैं उसमें से दो भरी हुई हैं और 9 खाली हैं। यह राजकीय विद्‌यालय इन 7 लोगों से कैसे चल रहा होगा और राजकीय महाविद्‌यालय है तो क्या हम राजकीय महाविद्‌यालय को कमजोर करके निजी शिक्षण संस्थाओं को बढ़ावा देना चाह रहे हैं?

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में करीब 2600 रिक्त पद शैक्षणिक श्रेणी में पिछले एक साल से ज्यादा समय से रिक्त हैं और इन पदों को भरने के लिए जैसे मैंने आपके

(श्री भंवर सिंह भाटी)

माध्यम से निवेदन किया कि आर.पी.एस.सी. को 925 पदों की अभ्यर्थना हमने भिजवाई है। इस महाविद्यालय में 10 में से 5 पद भरे गए हैं।

यदि हम अशैक्षणिक वर्ग की बात करें, कालेज शिक्षा में अशैक्षणिक वर्ग में 4746 पद स्वीकृत हैं जिनमें से 3035 रिक्त हैं, 1711 पद भरे हुए हैं। अशैक्षणिक वर्ग में कनिष्ठ सहायक के 282 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से दिनांक 28.01.2017 की अभ्यर्थना राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को प्रेषित की गई है। बोर्ड द्वारा टंकण परीक्षा का परिणाम 25.01.2019 को जारी कर उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन की कार्यवाही बोर्ड के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। शीघ्रलिपिक के 42 रिक्त पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को दिनांक 10.09.2018 को प्रेषित की गई है, भर्ती की कार्यवाही बोर्ड के स्तर पर प्रक्रियाधीन है। प्रयोगशाला सहायक के 362 रिक्त पदों को भरने हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर को भिजवाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

अध्यक्ष महोदय, इस तरह से लंबे समय से शैक्षणिक और अशैक्षणिक दोनों ही तरह के पद रिक्त होने की वजह से समस्या आ रही है लेकिन विभाग के स्तर पर सरकार के द्वारा इन पदों को भरने के लिए प्रक्रिया की जा रही है और आने वाले समय में जल्दी से जल्दी इन पदों को भरा जाएगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, जो डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के कालेज हैं उनमें यदि 5 इकोनोमिक्स के टीचर हैं तो पांचों भरे हुए हैं और जो बाकी कॉलेज में नहीं भरे हुए हैं, क्या सरकार रेशनलाइज करके जिन जगहों पर एक ही सब्जैक्ट में टीचर नहीं है उनको रेशनलाइज करके टीचर, लैक्चरर्स की ट्रांसफर, पोस्टिंग करने का काम करेंगे।

श्री भंवर सिंह भाटी (राज्य मंत्री, उच्च शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, जिला मुख्यालय पर जो...

श्री अध्यक्ष: 90 परसेंट जिला मुख्यालय पर लैक्चरर के पद भरे हुए हैं और 70 परसेंट ग्रामीण इलाके में एक-एक टीचर भी नहीं है, लैक्चरर नहीं है। मेरा आपसे निवेदन है, आपने स्वयं ने स्वीकार किया है इतने पद खाली हैं, जो हमारा मैन पावर अवेलेबल है उसको हम इस तरह से रेशनलाइज करें कि कम से कम 500 बच्चे हैं, तीन सब्जैक्ट के टीचर नहीं हैं तो पढ़ाई भी क्या होगी, कष्ट करके आप इस बारे में सोचें कि यदि रेशनलाइज करके हम

(श्री अध्यक्ष)

लैक्चरर उपलब्ध करवा सकें तो उन कालेजों में जहां बिलकुल, एक भी टीचर नहीं है और वहां जहां पांच टीचर हैं उनमें से एक को भेजकर उसको ठीक करने का काम करें।

अगला प्रश्न। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

पोलीटैक्निक महाविद्यालयों में उद्योग संस्थान अन्योन्य अधिगमन प्रकोष्ठ की स्थापना

165. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में कितने पोलीटैक्निक महाविद्यालयों में उद्योग संस्थान अन्योन्य अधिगमन प्रकोष्ठ (Industry Institute Interaction Cell) स्थापित किए जा चुके हैं? उक्त प्रकोष्ठों का मुख्य ध्येय क्या है?

(2) उक्त प्रकोष्ठों के माध्यम से वर्तमान एवं विगत चार वर्षों में कितने विद्यार्थियों को प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक इकाइयों में भेजा गया?

(3) वर्तमान एवं विगत चार वर्षों में कितने प्रकोष्ठों ने कितने परिसर साक्षात्कार शिविर आयोजित किए एवं कितने विद्यार्थियों को इस माध्यम से रोजगार मिला? कितने प्रकोष्ठों ने उक्त अवधि में उक्त शिविर आयोजित नहीं किए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) वर्तमान एवं विगत चार वर्षों में कितने प्रकोष्ठों ने पाठ्यक्रम को उद्योगों के आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने के सुझाव दिये एवं इस आधार पर कौन-कौनसे पाठ्यक्रम परिवर्तित किए गए अथवा नये पाठ्यक्रम चालू किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा (डा. सुभाष गर्ग): (1) राजस्थान में तकनीकी शिक्षा विभाग के अन्तर्गत संचालित समस्त 44 राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालयों में उद्योग संस्थान अन्योन्य अधिगमन प्रकोष्ठ (Industry Institute Interaction Cell) स्थापित किए जा चुके हैं।

इनका मुख्य उद्देश्य उद्योग और शैक्षणिक संस्थान के बीच एक सेतु का कार्य करना है। ये प्रकोष्ठ औद्योगिक आवश्यकताओं के अनुरूप शिक्षा की गुणवत्ता सुधार के साथ उसको व्यावहारिक व रोजगारपरक बनाने का काम करते हैं। संस्थान और उद्योग के बीच अनुभव और विशेषज्ञता को साझा करता है।

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

इन प्रकोष्ठों के माध्यम से उद्योग की आवश्यकता के अनुरूप पाठ्यक्रम, संकाय व बुनियादी ढांचे में सुधार करना, उद्योग विशेषज्ञों द्वारा व्याख्यान, शिक्षा सत्र के दौरान औद्योगिक प्रशिक्षण, सेमीनार, कार्यशालाओं व तकनीकी वार्ता आदि का आयोजन किया जाता है। शिक्षा पूर्ण होने के पूर्व ही उद्योगों से समन्वय स्थापित कर शिक्षित विद्यार्थियों को रोजगार प्रदान करने में कैम्पस साक्षात्कार आयोजित कर ये प्रकोष्ठ महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(2) इन प्रकोष्ठों के माध्यम से वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2019-20 हेतु द्वितीय वर्ष में अध्ययनरत विद्यार्थियों को सैद्धान्तिक परीक्षा उपरान्त माह मई-जून में औद्योगिक प्रशिक्षण हेतु भेजा जा सकेगा। विगत 4 शैक्षणिक सत्र 2015-16 से 2018-19 की अवधि में उक्त राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालयों द्वारा 16761 विद्यार्थियों को औद्योगिक प्रशिक्षण के लिए औद्योगिक इकाइयों में भेजा गया।

(3) राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालयों के उक्त प्रकोष्ठों के माध्यम से वर्तमान शैक्षणिक सत्र 2019-20 में अब तक 111 परिसर साक्षात्कार आयोजित हो चुके हैं व 452 विद्यार्थियों को रोजगार मिल चुका है एवं वर्तमान में प्रक्रिया जारी है। विगत 4 शैक्षणिक सत्रों 2015-16 से 2018-19 की अवधि में 849 परिसर साक्षात्कार आयोजित हुए हैं व 4334 विद्यार्थियों को रोजगार मिला है।

वर्तमान व विगत 4 शैक्षणिक सत्रों में परिसर साक्षात्कार व रोजगार का विवरण निम्नानुसार है:-

2019-20*		2015-16		2016-17		2017-18		2018-19	
साक्षात्कार संख्या	रोजगार	साक्षात्कार संख्या	रोजगार	साक्षात्कार संख्या	रोजगार	साक्षात्कार संख्या	रोजगार	साक्षात्कार संख्या	रोजगार
111	452	204	1045	197	1043	224	1125	224	1121

* प्रक्रिया जारी है।

राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालय, उदयपुर एवं केलवाड़ा में क्रमश: सत्र 2018-19 एवं 2019-20 से प्रारम्भ किये जाने के कारण परिसर साक्षात्कार आयोजित नहीं किये गये।

(4) शैक्षणिक सत्र 2015-16 से सत्र 2019-20 की अवधि में 11 प्रकोष्ठों द्वारा पाठ्यक्रम को उद्योगों की आवश्यकतानुसार परिवर्तित करने के सुझाव दिये गये। विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा)

उक्त सुझावों के दृष्टिगत नान इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की 6 ब्रांचों के प्रथम वर्ष के पाठ्यक्रम परिवर्तित कर दिये गये हैं व द्वितीय एवं तृतीय वर्ष के पाठ्यक्रम परिवर्तन करने की प्रक्रिया जारी है। विवरण परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

इंजीनियरिंग पाठ्यक्रमों की 15 ब्रांचों के पाठ्यक्रम परिवर्तित करने की प्रक्रिया जारी है एवं एक नया पाठ्यक्रम पैट्रोलियम इंजीनियरिंग राजकीय पोलीटैक्निक महाविद्यालय, जोधपुर में प्रारम्भ किया गया है। विवरण परिशिष्ट-3 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्ष जी, इन्होंने खण्ड 3 में माना है कि 2019-20 में साक्षात्कार संख्या 111 और रोजगार मात्र 452 को दिए हैं। मेरा प्रश्न यह है कि राज्य में कुल 44 पोलीटैक्निक कालेजेज हैं, आपने दिया है कि उनमें से 11 में आईआईआई सैल है लेकिन उनके द्वारा पाठ्यक्रम को उद्योगों की आवश्यकता अनुसार परिवर्तित करने के सुझाव दिए हैं। क्या राजस्थान में जो शेष 33 पोलीटैक्निक कालेजेज हैं उनमें भी यह आईआईआई सैल का गठन हुआ है? अगर हां, तो आईआईआई सैल के गठन के बाद उनकी मीटिंग्स कब हुई है, कौन-कौन सी डेट को हुई है? जरा इसको सदन की मेज पर रखें ताकि हमें जानकारी मिले।

अध्यक्ष महोदय, आप कहें तो मैं दो प्रश्न और पूछ लूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, एक मिनट, प्रश्न पूछ लें माननीय सदस्य।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): तीनों प्रश्न एक साथ पूछ लेती हूं।

मेरा दूसरा प्रश्न यह है, मैं यह जानना चाहूंगी कि राजकीय पोलीटैक्निक कालेजेज का पूरा जयपुर के अन्दर एक सेंट्रल प्लेसमेंट सैल सीईजी में बना हुआ है, क्या वह आज भी कार्य कर रहा है और अगर कर रहा है तो वर्ष 2019-20 में उसमें से कितने लोगों को रोजगार दिया है? यह मेरा दूसरा प्रश्न है।

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा तीसरा प्रश्न है कि यह आईआईआई सैल का कालेजेज में क्या डेडिकेटेड आफिसेज हैं? अगर है, तो वह भी बताएं और उसमें से आईआईआई सैल का इवैल्यूएशन या रिव्यू मीटिंग होती है तो थोड़ा उसके बारे में भी स्पष्ट करें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): माननीय अध्यक्ष महोदय, पहले तो माननीय सदस्या ने जो पूछा है उसको करेक्ट करें, केवल 11 में नहीं, सारे 44 राजकीय पोलीटैक्निक कालेजों में आईआईआई सैल काम कर रहे हैं और यह मैंने आपके उसमें भी दिया है और इसकी सूची आपको उपलब्ध करा दी जाएगी।

मैं बताना चाहूंगा कि यह जो आईआई.आई. सैल की स्कीम है यह कोई ए.आई.सी.टी.ई. की बाध्यता नहीं है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): मैं बीच में बोलूंगी, उन्होंने कहा कि दिया है, तो आपके पास में मिला है तो आप पूछ सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, वह 44 की लिस्ट नहीं है। माननीय सदस्या यह पूछना चाह रही हैं।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): लिस्ट मैं दे दूंगा। लिस्ट है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इन्होंने कहा दे दी, इसलिए मैंने बोला है।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): इसमें लिस्ट है। यह 1990-91 से आईआईआई सैल की स्थापना की गई। सबसे पहले गवर्नमेंट पोलीटैक्निक कालेज, अजमेर में की गई, जिसकी सूची भी चाहेंगी तो मैं आपको दे दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, टू दी पाइंट।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): दूसरा आपने कहा सीईजी सैल, सीईजी सैल की जो प्लेसमेंट के लिए स्थापना की गई है, वह मैं आपको बता दूं कि इंजीनियरिंग कालेजों के साथ-साथ पोलीटैक्निक कालेजों के लिए भी प्लेसमेंट की कार्यवाही करता है। मुझे खुशी है, इसकी संख्या की लिस्ट मैं आपको दे दूंगा। गत वर्ष के मुकाबले 10 परसेंट प्लेसमेंट सीईजी के माध्यम से बढ़े हैं।

तीसरा प्रश्न जो आपने पूछा है कि यह जो सैल हैं, आईआईआई सैल हैं, इसकी भी सूची मेरे पास है। वह आपको दे दी जाएगी। सब जगह एटीपीओ और अशैक्षणिक अधिकारी की स्वीकृति के आदेश मेरे पास हैं। मैं आपको कापी दे दूंगा। करीब 47 में से 37 में एटीपीओ का पद जो कि इस काम को करता है, वह है। इसके अलावा प्रभारी के रूप में नियुक्त किए गए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, देखिए, यह बहुत ही वेग इन्होंने रिप्लाई दिया है। आप भी इस बात को जानते हैं। मैंने इनको यह पूछा था कि 44 में से शेष रहे 33 पोलीटैक्निक कालेजों में आईआईआई सैल का अगर गठन है तो उसकी मीटिंग कब-कब हुई? यह मेरा प्रश्न था। उसका आपने उत्तर नहीं दिया। मैंने आपसे पूछा कि सेन्ट्रल प्लेसमेंट सैल ने कितने लोगों को रोजगार दिया? कितने लोगों को नौकरियां दीं? आपने कहा कि 10 परसेंट और बढ़ा है, What is the 10 percent? आप संख्या बताइए।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, आईआईआई सैल की एक अनवरत प्रक्रिया है। इसके लिए किसी मीटिंग्स की डेट उस तरह से फिक्स नहीं होती। कैम्पस प्लेसमेंट, इंटरव्यू एंड इंटर्नशिप (ट्रेनिंग), यह 3 काम इसमें होते हैं। यह तीनों काम सत्र के दौरान सतत चलते रहते हैं।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): अध्यक्ष महोदय, मैंने सिर्फ 2019 का पूछा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, मंत्री का उत्तर तो सुनने दें, फिर आप खड़ी हों।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): हां, बिलकुल। सिर्फ एक साल का बता दें।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं पूरी लिस्ट आपको उपलब्ध करा दूंगा। सारी लिस्टें मैं आपको अवेलेबल करा दूंगा। यह इतनी डिटेल्ड इंफोर्मेशन है, जिसको कम्पायलेशन करना, क्योंकि इसमें नोन पोलीटैक्निक कालेज जो गवर्नमेंट सैक्टर हैं, वह भी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि यह जो आईआईआई सैल हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): आपने जो खंड 3 में जवाब दिया है, वहां परिसर साक्षात्कार जो हुए हैं, उनमें 2015-16 में 1045 लोगों को रोजगार मिला, 2016-17 में 1043, 2017-18 में 1125, 2018-19 में 1121, यह क्या कारण है कि 2019-20 में यह 452 ही क्यों हो पाया? प्लेसमेंट घट रहा है, यह बढ़ना चाहिए। आप क्या समझते हो?

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 2019-20 में यह करेंट सैशन है। करेंट सैशन में जब सैकण्ड ईयर में बच्चा आता है, तब प्लेसमेंट और ट्रेनिंग की कार्यवाही शुरू होती है। इंटर्नशिप की कार्यवाही शुरू होती है। यह जून, जुलाई तक कार्यक्रम चलता है। जून के एंड में संख्या बढ़कर के उतनी ही हो जाएगी, जितनी कि और वर्षों में है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 2019 का भी तो जून गया। उसमें क्या हुआ?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): उसका कोई ईयर होता होगा? जब बाकी सालों में जो आप संख्या दे रहे हो वह एक हजार से अधिक है। इस साल में एक महीना ही आपका बाकी है। अगर आप जुलाई से मानते हो तो जुलाई से उसको अलग कर लीजिए। लेकिन यह जो प्लेसमेंट है, यह इस बात को शो कर रहा है कि इस साल, 2019-20 में जितने लोगों को रोजगार मिलना चाहिए था, उतना नहीं मिला है। यह आपका आंकड़ा बताता है।

डा. सुभाष गर्ग (राज्य मंत्री, तकनीकी शिक्षा): अध्यक्ष महोदय, या तो प्लेसमेंट की प्रोसेस समझ में नहीं आ रही।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, इस पर चर्चा नहीं होगी। प्रश्न पर इतना डिटेल नहीं होगा। हो गया। अगला प्रश्न।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): सही जवाब नहीं आया।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, आप इसको दूसरे तरीके से उठाएं। अगला प्रश्न। श्री संदीप कुमार।

तिजारा के औद्योगिक क्षेत्रों में अपरिशोधित पानी से फसलों को नुकसान

166. श्री संदीप कुमार (तिजारा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी व चौपानकी में स्थित किन-किन इकाइयों के द्वारा अपरिशोधित पानी छोड़ा जाता है? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त अपरिशोधित पानी से किसानों की फसल को हो रही क्षति को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(श्री संदीप कुमार)

(3) क्या ऐसे उद्योगों के विरुद्ध समय-समय पर कोई ठोस कार्यवाही की जाती है? यदि हां, तो विगत दो वर्षों में किन-किन के विरुद्ध क्या-क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ऐसी समस्त इकाइयों के विरुद्ध कोई कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उद्योग मंत्री (श्री परसादी लाल): (1) विधान सभा क्षेत्र तिजारा के औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी व चौपानकी में स्थित अपरिशोधित पानी छोड़ने वाली इकाइयों की सूची परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में एक संयुक्त उपचार संयंत्र लाभान्वित इकाइयों द्वारा गठित एसपीवी द्वारा स्थापित एवं संचालित है। सम्मति में अधिरोपित शर्तों यथा दूषित पानी के पूर्ण उपचार का पालन एसपीवी द्वारा किया जाता है एवं इसकी जांच राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा की जाती है।

औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में कार्यरत औद्योगिक इकाइयों से निकलने वाले दूषित जल के पूर्ण उपचार (परिशोधन) के पश्चात् औद्योगिक इकाइयों द्वारा ही पुन: उपयोग सुनिश्चित करने के उद्देश्य की पूर्ति हेतु एक कार्य योजना भारत सरकार के वित्तीय सहयोग से बनाई गयी है। इस योजना के तहत भिवाड़ी में वर्तमान में कार्यरत संयुक्त उपचार संयंत्र को उन्नयन करने, दूषित जल के परिवहन के लिए भूमिगत पाइप लाइन एवं उपचारित जल के पुन: उपयोग के लिए पाइप लाइन का कार्य करवाया जाएगा।

उक्त कार्य योजना के लिए रीको द्वारा प्रोजेक्ट मैनेजमैंट कन्सल्टैन्ट की नियुक्ति की जा चुकी है तथा वर्तमान में कार्यरत संयुक्त उपचार संयंत्र को उन्नयन करने, दूषित जल के परिवहन के लिए भूमिगत पाइप लाइन एवं उपचारित जल के पुन: उपयोग के लिए पाइप लाइन के कार्य पर्यावरणीय स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् प्रारम्भ किये जाएंगे। पर्यावरणीय स्वीकृति औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी में कार्यरत लाभान्वित पाइप लाइन द्वारा गठित एसपीवी द्वारा प्राप्त की जाएगी। उन्नयन के पश्चात् संयुक्त उपचार संयंत्र के संचालन का कार्य एसपीवी द्वारा लाभान्वित इकाइयों से प्राप्त वित्तीय सहयोग से किया जाएगा।

(3) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर

(उद्योग मंत्री)

उद्योगों का निरीक्षण किया जाता है तथा निरीक्षण के दौरान उद्योगों द्वारा सम्मति शर्तों/पर्यावरण नियमों की अवहेलना पाये जाने पर दोषी उद्योगों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की विभिन्न धाराओं के अन्तर्गत कार्यवाही की जाती है। विगत दो वर्षों में राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा सम्मति शर्तों/पर्यावरण नियमों की अवहेलना पाये जाने पर दोषी उद्योगों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का विवरण परिशिष्ट ''अ'' पर संलग्न है।

(4) राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल द्वारा समय-समय पर उद्योगों का निरीक्षण किया जाता है। निरीक्षण के दौरान उद्योगों द्वारा सम्मति शर्तों/पर्यावरण नियमों की अवहेलना पाये जाने पर दोषी उद्योगों के विरुद्ध जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974 की विभिन्न धाराओं के अंतर्गत कार्यवाही की जाती है। यह एक सतत प्रक्रिया है जो कि निरन्तर जारी रहती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री संदीप कुमार (तिजारा): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है कि भिवाड़ी, खुशखेड़ा और चौपानकी यह 3 औद्योगिक क्षेत्र मेरे विधान सभा क्षेत्र में हैं। इसमें करीब 4 से 5 हजार औद्योगिक इकाइयां हैं। भिवाड़ी में सीईटीपी प्लांट चल रहा है जबकि चौपानकी और खुशखेड़ा में पानी को ट्रीट करने के लिए ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है। वह सारा पानी ग्रामीणों के खेतों में भरा हुआ है, जिसमें साड़ौद गांव में 50-60 बीघा जमीन में पानी भरा हुआ है। खुशखेड़ा गांव में भी पानी भरा हुआ है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न, माननीय सदस्य, प्रश्न।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): मेरे स्वयं के गांव में भी पानी भरा हुआ है। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन यह है कि इस समस्या का कोई स्थाई समाधान हो। जब से औद्योगिक क्षेत्र विकसित हुआ है, तब से इस पानी की निकासी कहां होगी, जो फैक्ट्रियां पानी छोड़ रही हैं, पानी तो फैक्ट्रियों का ही आ रहा है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न पूछें।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): मेरा निवेदन है कि इनके खिलाफ कार्यवाही हो। क्या सरकार किसानों को उचित मुआवजा देने का विचार रखती है? अध्यक्ष महोदय, यह हमारे यहां लंबे समय से समस्या है। उसका उचित

(श्री संदीप कुमार)

निवारण होना चाहिए। सीईटीपी की कैपेसिटी कम है। कई बार वह पानी भिवाड़ी शहर में छोड़ देते हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, निवेदन नहीं करें। प्रश्न क्या है सरकार से?

श्री संदीप कुमार (तिजारा): मेरा प्रश्न यह है कि यह जो पानी छोड़ा जा रहा है, इन इकाइयों के खिलाफ कार्यवाही होनी चाहिए। सीईटीपी की कैपेसिटी को बढ़ाया जाए। जिस तरह से भिवाड़ी में सीईटीपी चल रही है, इसी तरह से खुशखेड़ा और चौपानकी में भी क्या सरकार नया संयंत्र लगाने का विचार रखती है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने कहा कि चौपानकी, कैरानी, पथरीड़ी औद्योगिक क्षेत्रों में, यह सही बात है कि वहां अभी संयंत्र नहीं लगा है। अभी 5 एमएलडी का एक संयुक्त संयंत्र वहां पर लगाने के लिए भूमि का चिह्नीकरण कर लिया गया है। जल्दी ही इसका काम करके इसको शुरू करेंगे। इसका गठन भी हो गया है। हम बहुत जल्दी ही इस पर कार्यवाही करेंगे।

अभी जो नई पालिसी आई है रिप्स की, उसमें भी अभी माननीय मुख्य मंत्रीजी ने इसके लिए अनुदान राशि को बहुत ज्यादा बढ़ाई है। पर्सनल ईटीपी भी जो लगाना चाहे, उनको भी बहुत बड़ी सब्सिडी देने का माननीय मुख्य मंत्री जी ने ऐलान किया है। हम इसको जीरो लेवल करने की कोशिश करेंगे। माननीय सदस्य की चिंता की हमें जानकारी है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री संदीप कुमार (तिजारा): धन्यवाद मंत्री महोदय। इन सब पर कार्यवाही हो जाए, बस यही मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): खण्ड 1 में आपने जो उत्तर दिया है, इनका प्रश्न था विधान सभा क्षेत्र तिजारा में औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी और चौपानकी में स्थित किन-किन इकाइयों के द्वारा अपरिशोधित पानी छोड़ा जाता है? सूची सदन के पटल पर रखें। आपने इसमें सूची पांच की दी और पांचों को ही डिसकनेक्ट कर दिया तो क्या पांच के अलावा कोई इकाई नहीं है वहां? यह आपने जो सूची दी उसमें पांच इकाइयों की दी और पांचों को बंद कर दिया। समझ में आ गया तो इस प्रश्न का यह मतलब समझा जाए कि वहां पर ऐसी कोई इकाई नहीं है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रश्न के खण्ड-1 में केवल भिवाड़ी का पूछा था, भिवाड़ी में केवल पांच इकाई है, बाकी वहां पर जो सीईटीपी चल रही है उससे वहां पर पानी को शुद्ध किया जा रहा है और अभी वहां पर बहुत बड़े प्रोजेक्ट की भारत सरकार ने 146 करोड़ की स्वीकृति दी है और उसको हम जीरो लेवल पर करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय मंत्रीजी, जो प्रश्न का जवाब आपने दिया वह भी आपने दोनों एरिया का दिया है, विधान सभा क्षेत्र तिजारा में औद्योगिक क्षेत्र भिवाड़ी और चौपानकी स्थित अपरिशोधित पानी छोड़ने वाली इकाइयों की सूची परिशिष्ट-अ पर है। तो मैं यह देख रहा हूं इसमें पांच इकाइयां हैं और पांचों ही आपने इनको डिस्कनेक्ट कर दी तो क्या और कोई इकाई इस एरिये में नहीं है क्या, यह मैं जानना चाहता हूं।

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने कहा कि अभी चौपानकी में इस तरह का हमारा कोई संयंत्र है नहीं जो पानी का शुद्ध कर सके, इसके लिए मैंने कहा कि कार्ययोजना बनाई है, जमीन का चिन्हीकरण कर लिया गया है, दो-तीन जगह नये एरिया हैं, वहां पर शीघ्र ही इसकी कार्ययोजना बनाकर बहुत जल्दी कार्य करेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी, इनका प्रश्न यह है कि इन पांच इकाइयों को बंद कर दिया वहां, और कोई इकाई नहीं है क्या वहां जिससे प्रदूषण हो रहा है या नहीं हो रहा है?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, बाकी इकाइयां हैं, भिवाड़ी की इकाइयां हैं, बाकी में तो वह चल रहा है हमारा सीईटीपी वाला प्लांट।

श्री अध्यक्ष: इस क्षेत्र में, भिवाड़ी और चौपानकी क्षेत्र में पांच औद्योगिक इकाइयों के अलावा अन्य चल रही हैं क्या?

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, चौपानकी में तो अभी हमने शुरू ही नहीं किया है।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न। माननीय सदस्य।

ओलावृष्टि से प्रभावित किसानों को सहायता

167. श्री सतीश पूनियां (आमेर): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री सतीश पूनियां)

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में माह दिसम्बर, 2019 में तेज सर्दी के कारण व ओलावृष्टि से किसानों की फसलों को काफी नुकसान हुआ है? यदि हां, तो क्या सरकार द्वारा उन प्रभावित किसानों का सर्वे करवाकर नुकसान का आकलन करवाया गया है? यदि हां, तो प्रभावित किसानों का जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा प्रभावित किसानों को किसी प्रकार की राहत पहुंचाई गई है? यदि हां, तो क्या व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सभी जिलों के किसानों को मौसम की सही जानकारी उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई विशेष कार्ययोजना बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

आपदा प्रबंधन एवं सहायता मंत्री (मास्टर भंवरलाल मेघवाल): (1) प्रारम्भिक आकलन में दिसम्बर, 2019 में हुई ओलावृष्टि से 07 जिलों में किसानों की फसलों को नुकसान होने की सूचना प्राप्त हुई है, जिनमें विशेष गिरदावरी भी करवायी गई है। जिला जोधपुर से प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट (प्रपत्र 7डी) के आधार पर 13 गांवों के 2246 काश्तकार प्रभावित हुए हैं। अन्य 06 जिलों में एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार 33 प्रतिशत से कम फसल खराबा हुआ है। रबी फसल की नियमित गिरदावरी का कार्य प्रक्रियाधीन है। गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही वास्तविक आकलन की स्थिति ज्ञात हो पायेगी।

(2) प्रभावित किसानों की सूचियां डीएमआईएस पोर्टल पर जिले द्वारा अपलोड करने के पश्चात् कृषि आदान अनुदान भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।

(3) मौसम विभाग द्वारा प्रसारित मौसम की चेतावनी को जिलों को प्रेषित किया जाता है, जो प्रेस मीडिया एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया के माध्यम से किसानों की जानकारी में लाई जाती है।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, 12 दिसम्बर, 2019 को बड़ी त्रासदी हुई और लगभग बीस जिले प्रभावित हुए। आपने सात जिलों का ही आकलन किया और उसमें एक जिले को ही किया तो मैं पूछना चाह रहा हूं कि नुकसान के प्रारम्भिक आकलन से लेकर विशेष गिरदावरी और

(श्री सतीश पूनियां)
अंतिम रिपोर्ट और पोर्टल पर अपलोड होने में और उसके बाद किसान की जेब तक वह पैसा पहुंचने में कितना समय लगता है?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जिला कलेक्टरों को इस बात के निर्देश दिए गए और 7.1.2020 को जब निर्देश दिये कि आपके जिले में कहां-कहां ओलावृष्टि हुई है, उन्होंने गिरदावरी करायी और गिरदावरी में 33 प्रतिशत से नीचे जितने जिले थे, आपकी जानकारी के लिए कहना चाहूंगा कि उन जिलों में 33 प्रतिशत से नीचे के थे वहां एसडीआरएफ नोर्म्स के मुताबिक उनको पैसा नहीं मिलता है। सिर्फ जोधपुर जिले के छह गांव हैं, इन छह गांवों के अलावा दूसरे उस कैटेगरी में नहीं आने की वजह से उनको नहीं मिला। इसलिये वह गिरदावरी का, अब गिरदावरी चल रही है, यह गिरदावरी जैसा मैंने कहा कि आगे 5 मार्च तक गिरदावरी का समय है और 5 मार्च तक अगर गिरदावरी के समय में जिला कलेक्टर के द्वारा 33 प्रतिशत से अबव जो भी गांव आयेंगे और जो भी किसान आयेंगे उनको कृषि आदान के जरिये राशि प्रदान कर दी जायेगी।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाह रहा था कि उनको कब तक भुगतान हो जाएगा? किसानों को जो गिरदावरी रिपोर्ट आपकी हो गयी उसके बाद उनको, जोधपुर के किसान हैं, एक जिला ही मान लीजिये उसके छह गांव मान लीजिये, उनको कब तक भुगतान हो जायेगा?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसकी प्रक्रिया है। जिला कलेक्टर द्वारा किसानों के नाम जैसा मैंने कहा कि 2246 कृषक प्रभावित हुए हैं तो आजकल यह तय है कि पहले किसान अपना खाता खोलेगा, अपने खाते का नम्बर कलेक्टर को देगा और वह हमारे विभाग में आयेगा तो तत्काल हम दूसरे-तीसरे दिन ही उसको खातों में राशि उपलब्ध करवा देते हैं। अभी तक हमारे पास आया नहीं है इन छह गांवों का, आते ही हम उनके खातों में पैसा जमा करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह करना चाह रहा था...

श्री अध्यक्ष: सतीशजी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं जो समझा इस प्रश्न के उत्तर से, वह यह है कि केवल और केवल दिसम्बर, 2019 में जो ओलावृष्टि या जो नुकसान हुआ है वह केवल जोधपुर जिले के 2246 काश्तकारों का ही हुआ, बाकी राजस्थान में...

श्री अध्यक्ष: तेरह गांव में, तेरह गांव में।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): फिर भी जो रिपोर्ट आपकी आ रही है वह कह रही है कि बाकी किसी भी जिले में, मतलब सात जिले तो कुल ही बताये हैं, एक का आपने हिसाब दे दिया, छह का हिसाब दिया नहीं। उसमें आपने यह लिख दिया कि 33 प्रतिशत से अधिक खराबा इनमें कहीं नहीं हुआ तो क्या राजस्थान के 2019-20 के खराबे में राजस्थान के केवल ये 2246 काश्तकार ही हकदार हैं, बाकी कोई किसान हकदार नहीं है?

श्री अध्यक्ष: ओलावृष्टि से?

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): हां, यह बात सही है। ओलावृष्टि के आधार पर जोधपुर जिले के छह गांवों के 2246 काश्तकार ही इसके हकदार हैं, बाकी सात जिलों में जो गिरदावरी करवायी गयी, उन गांवों की संख्या 139 है और वह 33 प्रतिशत से कम खराबे की रिपोर्ट जिला कलेक्टर देते हैं तो उनको पैसा, अब यह तो आपको मालूम है ही, आप भी इसके मंत्री रहे हैं, 33 प्रतिशत से कम खराबा हुआ है तो उनका मैं क्या कर सकता हूं?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मैं बहस नहीं करना चाहता, मैं इतना जरूर चाहता हूं कि इससे पहले के आये हुए प्रश्नों के जवाब में राजस्थान में यह फसल खराबा आपने स्वयं ने माना है। मेरे पास अभी प्रश्न का उत्तर नहीं है और उससे बिलकुल उलटा उत्तर ये यहां दे रहे हैं, मैं दोनों आपके पास लाकर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: इसको अलग तरह से उठाएं। अगला प्रश्न।

पिण्डवाड़ा तहसील में संचालित आयुर्वेद औषधालयों में रिक्त पद

168. श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि पिण्डवाड़ा तहसील में संचालित आयुर्वेद

(श्री समाराम गरासिया)

औषधालयों में पिण्डवाड़ा, अजारी, सरूपगंज एवं अन्य औषधालयों में चिकित्सक एवं स्टाफ नहीं होने से उक्त औषधालय बन्द हैं? यदि हां, तो उक्त औषधालयों में पर्याप्त स्टाफ कब तक लगा दिया जायेगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री (श्री रघु शर्मा): जी नहीं। पिण्डवाड़ा तहसील में संचालित आयुर्वेद औषधालयों में कोई भी आयुर्वेद औषधालय स्टाफ के अभाव में बन्द नहीं है। विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना चाह रहा हूं, इन्होंने इसमें जवाब दिया है कि पदोन्नति से रिक्त है, स्थानांतरण से रिक्त है और सेवानिवृत्ति से रिक्त है। क्या वह रिक्त जगह नहीं है? यह बिलकुल सब जगह रिक्त है और मंत्रीजी कब तक आयुर्वेदिक औषधालयों में रिक्त पद भरने का प्रयास करेंगे?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने यह कहा है कि कोई भी औषधालय पिण्डवाड़ा तहसील में बंद नहीं है। अब ये तीन तरह के पद हैं, चिकित्सक होता है, कम्पाउण्डर होता है, परिचारक होता है, कोई न कोई आदमी, हर इनके औषधालय में लगा हुआ है। अब जो आप खाली पदों की बात कर रहे हो, जैसे ही कोई विभागीय पद स्वीकृत होंगे वित्त विभाग से, हम उसकी भर्ती का काम करेंगे। अभी हमने 397 पदों पर भर्ती की है कम्पाउण्डर के पदों पर, उनको हमने लगा दिया है तो पूरे राजस्थान में सिर्फ 41 औषधालय ऐसे हैं जहां पर एक भी व्यक्ति कार्यरत नहीं है, क्योंकि यह बैकलाग लम्बे समय से चला आ रहा है। इस बात पर हम विशेष ध्यान रखेंगे कि आपका आदिवासी इलाका है, आपके यहां जो खाली पद हैं, निश्चित रूप से हम उनको भरेंगे।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): बावनपाडा जो आपका चिकित्सालय है, बामनवाड़जी, इसमें तीनों पर ही पोस्टें खाली हैं, रिक्त, रिक्त, रिक्त, अगर ये रिक्त हैं तो यह बंद है कि खुला है? पद रिक्त हैं तो इनको खोलता कौन है?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): कौनसा?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर ये तीनों ही खाली हैं, तो इनको चलाता कौन है? (व्यवधान)

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): ताले लगे हुए हैं सब जगह, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्रीजी सही जवाब दें। (व्यवधान) बिलकुल ताले लगे हुए हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, उत्तर सुन लें। नहीं सुनना है उत्तर?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बामनवाड़ में श्री यशवन्त कुमार व्यास चिकित्सक के रूप में कार्यरत हैं। शंकरलाल नर्स कम्पाउण्डर के रूप में कार्यरत हैं। आप आगे भी पढ़िए थोड़ा।

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त हुआ।

(12.00 बजे)

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है:

(1) श्री छगनसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र आहोर के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में मूलभूत सुविधाओं के अभाव से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(2) श्री जोराराम कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सुमेरपुर में जवाई बांध से सिन्दरू बांध के लिए जाने वाली नहर के फीडर के कच्चा होने के कारण किसानों की खातेदारी जमीनों का कटाव होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(3) श्री सुमित गोदारा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लूणकरणसर के प्रमुख धार्मिक स्थल कतरियासर जाने वाले दोनों मार्ग कच्चे होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(4) श्रीमती किरण माहेश्वरी, सदस्य की ओर से प्रदेश में हो रहे बजरी के अवैध खनन से सड़कों के टूटने तथा जल स्तर कम होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से पाली जिले की पंचायत समिति रोहट के गांव भाकरीवाला में पंचायत समिति के अधिकारियों द्वारा बिना सड़क का निर्माण किये 11 लाख रुपये का बिल पारित किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(6) श्री रूपाराम (मकराना), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मकराना में होने वाले उद्घाटन/शिलान्यास समारोहों में स्थानीय विधायक की उपेक्षा किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(7) श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन की पेयजल योजनाओं में परिवर्तन किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(8) श्री शंकर सिंह रावत, सदस्य की ओर से अप्रधान खनिज फैल्सपार के बाहर जाने पर रोक होने के बावजूद भी राज्य से बाहर ले जाने से करोड़ों रुपये की राजस्व हानि से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री पुष्पेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से बीकानेर जिले में जिप्सम तथा रेत के रायल्टी ठेके में हुई अनियमितताओं से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(10) श्री बलवान पूनियां, सदस्य की ओर से प्रदेश में पंचायत सहायकों का स्थायीकरण करने तथा कम्प्यूटर आपरेटर्स को संविदा के आधार पर रखने के सम्बन्ध में।

(11) श्री राजेन्द्र राठौड़, सदस्य की ओर से चम्बल नदी में लगातार हो रहे बजरी खनन से घड़ियालों के लुप्त होने की समस्या से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्री चन्द्रभान सिंह आक्या, सदस्य की ओर से प्रदेश के अफीम उत्पादक कृषकों के डोडा चूरे को सरकार द्वारा नष्ट करने से हो रहे नुकसान के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाये, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

(13) श्री राजकुमार रोत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र डूंगरपुर में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के प्रावधानों के अन्तर्गत जिला प्रशासन की लापरवाही से पैण्डिंग पड़े कार्यों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(14) श्री धर्मेन्द्र कुमार एवं सात अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र पीलीबंगा के रावतसर कस्बे में दिनांक 05 फरवरी, 2020 को हुई सड़क दुर्घटना में दो लोगों की जलने से हुई मौत से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

(15) श्री नारायण बेनीवाल एवं एक अन्य सदस्य की ओर से नागौर जिले के पांचौड़ी थाना क्षेत्र में घटित घटना की जांच करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में।

(16) श्री खुशवीरसिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र मारवाड़ जंक्शन की तीन ग्राम पंचायतों को नि:शुल्क पेयजल की घोषणा से वंचित रखे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोककर इन पर विचार किया जाए, अत: अनुमति देने में असमर्थ हूं। फिर भी माननीय सदस्य श्री राजकुमार रोत, श्री धर्मेन्द्र कुमार, श्री नारायण बेनीवाल एवं श्री खुशवीरसिंह को उनके प्रस्ताव की विषयवस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

(1) श्री अशोक लाहोटी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सांगानेर की कालोनियों में व्याप्त पेयजल संकट का समाधान करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(2) श्री ओम प्रकाश हुड़ला, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र महुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को 100 बैड में क्रमोन्नत किये जाने के सम्बन्ध में।

(3) श्रीमती इन्द्रा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र बामनवास में नंदीशाला खोले जाने के सम्बन्ध में।

(4) श्री वासुदेव देवनानी, सदस्य की ओर से अजमेर शहर में साइन्स पार्क का शिलान्यास हुए 17 माह बीत जाने के उपरांत भी निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(5) श्री बाबूलाल (कठूमर), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र कठूमर में आवारा गायों से फसल को बचाने हेतु आवश्यक कदम उठाये जाने के सम्बन्ध में।

(6) श्रीमती कल्पना देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा में नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहीत जमीन का मुआवजा डी.एल.सी. दर

(श्री अध्यक्ष)

से चार गुना नहीं दिये जाने से ग्रामीणों के धरने पर बैठे जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(7) श्री प्रताप लाल भील (गमेती), सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में चरागाह भूमि पर बसे कतिपय गांव, ढाणी, मजरे में सरकार द्वारा आवासीय पट्टे जारी नहीं किये जाने से स्थानीय निवासियों को हो रही परेशानी के सम्बन्ध में।

(8) श्री हमीरसिंह भायल, सदस्य की ओर से ऐसे अभियंता जिनके विरुद्ध न्यायालय में भ्रष्टाचार के मुकदमे चल रहे हैं, उन्हें जयपुर, जोधपुर एवं अजमेर डिस्काम में लगाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(9) श्री संजय शर्मा, सदस्य की ओर से अलवर शहर में आवारा पशुओं की वजह से प्रतिदिन हो रहे हादसों से निजात दिलवाये जाने के सम्बन्ध में।

(10) श्री भरत सिंह कुन्दनपुर, सदस्य की ओर से प्रदेश के सरकारी विभागों में बढ़ रहे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाये जाने के सम्बन्ध में।

(11) श्री अविनाश, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जैतारण के अधिकांश राजकीय विद्यालयों के भवनों के जर्जर अवस्था में होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

(12) श्रीमती मंजु देवी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र जायल में दीनदयाल उपाध्याय योजना के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन से वंचित परिवारों को कनेक्शन दिये जाने के सम्बन्ध में।

(13) श्री पदमाराम, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौहटन में नर्मदा नहर के सिंचित क्षेत्र को बढ़ाकर सिंचाई से वंचित 16 पंचायतों को शामिल किये जाने के सम्बन्ध में।

(14) श्री ज्ञानचंद पारख, सदस्य की ओर से पाली शहर के मध्य से गुजर रही जवाई नहर की मरम्मत करवाये जाने के सम्बन्ध में।

(15) श्री अमृतलाल मीणा, सदस्य की ओर से सलूम्बर तथा उदयपुर ग्रामीण में पैंथर के हमले से घायल तथा मृतकों को सरकार द्वारा मुआवजा राशि देने तथा वन क्षेत्र में दीवार बनवाये जाने के सम्बन्ध में।

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गयी सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

(श्री अध्यक्ष)

पर्ची

क्र. सं.	नाम मा. विधायक	विषय
1.	श्रीमती अनिता भदेल	सरकार द्वारा शराब के ठेकेदारों को कथित रूप से गुपचुप तरीके से राहत प्रदान किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
2.	श्री रामलाल शर्मा	प्रदेश में हो रहे दलितों पर अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
3.	श्री बलजीत यादव	राज्य में सरकारी कर्मचारियों द्वारा किये जा रहे आन्दोलन से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।
4.	श्री समाराम गरासिया	पिंडवाड़ा तहसील में वन क्षेत्र के जनजाति परिवारों को अभी तक सड़क से नहीं जोड़े जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

माननीय श्री राजकुमार रोत।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट। माननीय कटारिया जी।

सूचना

सिविल लाइन्स स्थित मैरिज गार्डन (राजस्थान पत्रिका परिसर) में पुलिस का अवैध प्रवेश

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में यह जानना चाहता हूं कि सिविल लाइन्स में लगभग 3-4 मैरिज गार्डन्स हैं। सभी मैरिज गार्डन्स में पिछले कई वर्षों से कार्यक्रम चल रहे हैं। ऐसी क्या आफत आयी थी कि केवल एक छोटे-से बच्चे का जन्मदिन मनाने के लिये एक कैम्पस में कार्यक्रम हो रहा था और उस कैम्पस में अगर मान लें कोई आडियो तय समय के अलावा भी दस बजे बाद बज रहा था तो उसे दो आदमी जाकर के भी बंद करा सकते थे। कमिश्नर से लेकर के सारे अधिकारियों की फौज को वहां जाने की क्या आवश्यकता पड़ गयी?

दूसरा, यह है कि अगर मान लें, वे इसी तरह की सर्च पूरे जयपुर में कर रहे थे तो बाकी बचे हुए तीन कैम्पस, जहां शादियां हो रही थीं और जहां

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

इसी प्रकार के कार्यक्रम हो रहे थे, वहां आपकी पुलिस क्यों नहीं एन्टर हुई? केवल और केवल राजस्थान पत्रिका के कैम्पस में एन्टर हुई। वह एक छोटा-सा कार्यक्रम था। वे तो कह रहे हैं कि साढ़े नौ बजे बंद कर दिया था, फिर भी मान लें कि अगर आडियो बज भी रहा था कि वह दस बजे बजा या बच्चों के जन्मदिन का कोई गाना चला तो कोई दिक्कत नहीं, बंद करा देते। उसके बाद भी बिना किसी सर्च वारंट के सभी कमरों में जाकर सर्च करने का औचित्य क्या था? ऐसी कौन-सी सूचना मिल गयी? क्या वहां कोई तस्करी का माल पड़ा था या कोई इल्लीगल चीज पड़ी थी? एक-एक फ्रिज को खोलकर देखने के बाद भी वहां आपकी पुलिस ने कैसी ऐसी संदिग्ध चीजें उपलब्ध करा दीं कि बिना आपकी महिला पुलिस के होते हुए भी... लगता यह है कि आप पत्रिका से चिढ़े हुए हैं, क्योंकि अभी वह लगातार एक सीरीज चला रहा है। उससे घायल होकर के...(व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, अगर यह आधार नहीं था तो जो बाकी के तीन मैरिज गार्डन्स और बच गये थे, उनमें भी कम से कम प्रवेश तो करते भगवान के लिए और वापस आ जाते कि सब कुछ अच्छा मिला।

केवल एक ही जगह जाना इस संदेह को पैदा करता है कि आपने इन्टेन्शनली ऐसा किया। कमिश्नर स्वयं मौजूद थे। आज दिन तक जयपुर की किस ऐसी जगह पर कमिश्नर ने जाकर आडियो को बंद करवाया? कमिश्नर एक घटना बता दें कि मैं यहां जाकर के बंद कराकर आया हूं। केवल और केवल मुख्य मंत्री निवास के पास है, इसलिए आपको बुरा लगता है। जनता को तकलीफ होती है, वह आपको बुरा नहीं लगता है।

मैं निवेदन यह कर रहा हूं कि केवल और केवल इस छोटे से कार्यक्रम में जाने का औचित्य क्या था और 20-22 अधिकारियों का कमिश्नर सहित जाने का औचित्य क्या था? यह थोड़ा-सा बताएं।

श्री अध्यक्ष: श्री राजेन्द्र राठौड़। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष की बात को आगे बढ़ाते हुए एक मिनट में अपनी बात समाप्त करूंगा। मंत्री महोदय, राजस्थान पत्रिका का यह गैस्ट हाउस जिसमें ए.यू. फाइनेंस....

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं दे रहा हूं न जवाब साहब।

श्री अध्यक्ष: एक मिनट बैठिये। मंत्री जी, एक मिनट बैठें आप। मंत्री जी, बैठें एक मिनट।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुझे अलाउ किया है। मेरा सीधा सटीक सवाल यह है कि आपने सर्च वारंट सक्षम न्यायालय से क्यों नहीं लिया? क्या यह सही है कि 50-60 महिलाओं को जब एक कोने में जाकर खड़े होने का हुक्म आपकी पुलिस दे रही थी तो क्या उसमें महिला कांस्टेबल थीं? क्या यह सही है कि जिस समय यह सारी कार्यवाही हो रही थी उस समय 100 मीटर के दायरे में दो जगह और इसी प्रकार का कार्यक्रम चल रहा था? आपने राजस्थान पत्रिका पर, लोकतंत्र के चौथे स्तम्भ पर जान-बूझकर हमला किया है, क्योंकि पत्रिका आपकी बखिया उधेड़ रहा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी। (व्यवधान) मैं आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। अंकित नहीं होगा। आप लीडर के बाद भी बोल रहे हो, अजीब स्थिति बनी हुई है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रतिपक्ष के नेता के द्वारा जो यह मामला उठाया गया, जहां तक इस दैनिक समाचार पत्र का सवाल है, यह राजस्थान का सबसे प्रतिष्ठित समाचार पत्र है और इनके खिलाफ कोई भी इस तरीके की कार्यवाही इस सरकार से तो सम्भव ही नहीं है। यह मानसिकता तो तत्कालीन उस वक्त की सरकार की थी कि इन्होंने इसका.... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अलाउ नहीं करूंगा। आपने मामला उठाया है। आई विल नाट अलाउ। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मैं आपके बीच में बोला नहीं हूं। (व्यवधान) आपके बीच में मैं बोला नहीं हूं, कृपया सुनने का माद्दा रखो। जहां तक सवाल इस बात का है कि पिछली सरकार के खिलाफ पत्रिका को कितना दण्डित किया गया, उनके सारे के सारे विज्ञापन बन्द कर दिये गये। गुलाब जी कोठारी ने बाकायदा पत्र लिखा, यह सब कुछ हुआ। जहां तक इस बात का सवाल है, मैं इस बात के लिए एग्री करता हूं कि कमिश्नर वगैरह जो भी वहां पर गये हैं वे किसलिए गये हैं, किसलिए नहीं गये हैं, इसकी मैं जांच कमिश्नर से ऊंचे पुलिस अफसर से करवाने का आपको निवेदन करना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। राजकुमार रोत। (व्यवधान) प्लीज बैठें। आई विल नाट अलाउ यू। प्लीज, बैठें। आई विल नेम यू। (व्यवधान) बहुत गलत परम्परा डाल रखी है, लीडर को लीडर नहीं मानते आप। किसी चीज की गरिमा को नहीं समझते, गम्भीरता को नहीं समझते। राजकुमार रोत।

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

डूंगरपुर में वन अधिकार अधिनियम, 2006 के अन्तर्गत लम्बित प्रकरण

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): अध्यक्ष महोदय, नियम 50 के अन्तर्गत मुझे बोलने का अवसर दिया इसके लिए धन्यवाद। वन अधिकार अधिनियम, 2006 के तहत जो वन विभाग में वन क्षेत्र में निवासरत लोग हैं उनको व्यक्तिगत व कई गांवों को जोड़ने के लिए सामुदायिक वन पत्र जारी किया जाता है, लेकिन उस अधिनियम के तहत डूंगरपुर जिले की जो आज तक स्थिति बनी हुई है, उस स्थिति से मैं आपको अवगत कराना चाह रहा हूं। उस पूरे जिले में 91 वन खण्ड टोटल हैं और अब तक जो सरकारी आंकड़ा आया है, उसमें दो से तीन हजार लोगों ने व्यक्तिगत वन पत्र देने के लिए दावा पेश किया है। पूरे जिले में कई ऐसे राजस्व गांव हैं जो एक ही पंचायत के हैं लेकिन उनको पंचायत मुख्यालय तक जाने के लिए 5 से 6 किलोमीटर घूमकर जाना पड़ता है। कारण यह है कि बीच में वन विभाग है लेकिन प्रशासन की लापरवाही की वजह से आज तक सामुदायिक वन पत्र तक नहीं दिया गया है, क्योंकि सालभर की जो स्थिति रही है कि उसमें अधिकारी लोग जिम्मेदारी नहीं ले रहे हैं और न ही उनको डर है। डर इसलिए नहीं है और जिम्मेदारी इसलिए नहीं ले रहे हैं क्योंकि हर 2-3 महीने में एक ट्रांसफर हो रहा है और अब तक 4 कलेक्टर के ट्रांसफर हुए हैं। एसडीएम की बात करें तो एक एसडीएम कार्यालय में वहां 3-3, 4-4 एसडीएम अब तक परिवर्तित हो गये हैं। इससे यह सुनिश्चित नहीं हो पा रहा है कि इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। जो क्वेश्चन लगाया, उसमें जवाब आया कि 2800 दावे पत्र प्राप्त हुए जिनमें निरस्त तो एक भी नहीं किया गया पर पट्टा भी एक नहीं दिया गया है। पूर्व में जो क्वेश्चन लगाया, था उसमें मंत्री जी ने जवाब दिया था जो एक बरौठी गांव और मालवाता गांव का जवाब था, जिसमें बताया गया था कि जो लोग थे, 1877 बीघा जो जमीन थी उसका भी अब तक कोई निस्तारण नहीं हुआ। उस समय आपके द्वारा ही कहा गया था कि जल्दी से जल्दी उनका निस्तारण किया जाएगा और उनको वन पत्र दिया जाएगा, लेकिन अब तक उनको नहीं दिया गया है। आज भी वही स्थिति बनी हुई है और पूरे डूंगरपुर जिले में 3 से 4 सामुदायिक दावे प्राप्त हुए हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री राजकुमार रोत (चौरासी): ऐसी ही स्थिति पूरे जिले में है कि कम से कम 30 से 40 सामुदायिक दावे अब तक पंचायत स्तर, खण्ड स्तर, जिला स्तर पर पैण्डिंग हैं, उनका निस्तारण नहीं हुआ है। मैं आपके माध्यम से सदन को और माननीय मंत्री महोदय को अवगत कराना चाह रहा हूं कि जल्दी से जल्दी प्रशासन को यहां से डायरेक्शन दें और जल्दी से जल्दी उनको व्यक्तिगत और सामुदायिक वन पत्र दिये जाएं। धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री धर्मेन्द्र कुमार।

पीलीबंगा में सड़क दुर्घटना में जलने से दो व्यक्तियों की मृत्यु

श्री धर्मेन्द्र कुमार (पीलीबंगा): अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने नियम 50 के तहत मुझे बोलने का मौका दिया। मैं आपका ध्यान हाल ही में रावतसर के पास दो जने ट्रक में जिन्दा जल गये, उनकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। यह 5 फरवरी, 2020 की बात है कि ट्रक और ट्रोला जा रहे थे और वे आपस में भिड़ गये। काफी लोगों ने उनको निकालने का प्रयत्न किया पर गाड़ी में आग लग गई। रावतसर वहां से मात्र 4 किलोमीटर दूर था पर वहां पर दमकल की व्यवस्था नहीं थी। नोहर वहां से 40 किलोमीटर दूर था, हनुमानगढ़ 40 किलोमीटर दूर था, पीलीबंगा 40 किलोमीटर दूर था और जब तक दमकल आई तब तक दोनों आदमी जल गये थे और उनको बचाने वाला कोई नहीं था। प्रशासन के पास कोई व्यवस्था नहीं थी जिसके कारण उनको बचाया जा सके। अध्यक्ष महोदय, दुर्घटना का कारण मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज से 10-11 साल पहले हमारे वहां मेगा हाईवे बना था जिस पर डिवाइडर भी शहर के बीच में से खतम हो गया और सड़क इतनी टूटी-फूटी हो गई जिसके कारण से यह दुर्घटना होती है। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में गोलूवाड़ा हाईवे रोड के नजदीक है और रावतसर भी हाईवे के ऊपर है। इसी तरह से डबली मण्डी भी हाईवे पर है और तीनों ही कृषि जिन्स मण्डियां हैं और आगजनी की घटना घटित होती रहती है।

मेरा आपके माध्यम से सरकार से आग्रह है कि इन तीनों मण्डियों में फायर ब्रिगेड, दमकल की व्यवस्था की जाए और क्षतिग्रस्त सड़क को सही किया जाए ताकि जलने की ऐसी पुनरावृत्ति न हो तथा सरकार इस पर ध्यान देकर प्रशासन को सचेत करे जिससे ऐसी घटना को रोका जाए। मेरा आपसे निवेदन है कि तीनों मण्डियों में दमकल की व्यवस्था की जाए। आपने समय दिया, इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री नारायण बेनीवाल।

पांचौड़ी थाना क्षेत्र (नागौर) में घटित दलित उत्पीड़न की जांच

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय अध्यक्ष महोदय, विधान सभा कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद।

मैं आज आपके माध्यम से सदन का ध्यान एक ऐसी घटना की तरफ आकर्षित कराना चाहता हूं जिसकी जितनी निन्दा की जाए उतनी कम है। इस घटना के बाद ऐसा लग रहा है कि संवेदनशील और जवाबदेही प्रशासन की बातें करने वाले सत्ता में बैठे लोग हैं और उनके नाक और आंखों का काम जो जिले के प्रशासनिक अधिकारी करते हैं उन पर कहीं न कहीं ज्यादा भरोसा करके सरकार ऐसी घटनाएं करा रही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, दलित उत्पीड़न का पांचौड़ी थाना क्षेत्र का जो मामला है, उस मामले में 16 तारीख को इसके साथ बर्बरतापूर्वक कार्यवाही होती है, काफी ज्यादा लोग मिलकर इसके साथ बहुत अमानवीय बर्ताव करते हैं, उसके गुप्तांगों में पैट्रोल तक डालते हैं। वीडियो 18 तारीख को वायरल होता है और उसके बाद 19 तारीख को पुलिस उनको बुलाकर समझौते का प्रयास करती है। उसके सात घंटे के बाद सामान्य मारपीट की धाराओं में उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज होता है। एक तरफ आप 72 साल के बाद दलित उत्पीड़न और ऐसी ठोस कार्ययोजना की बात करते हैं और दूसरी तरफ ऐसे निरंकुश और बदमाश प्रवृत्ति के अफसरों को बचाने के लिए आप अपने हथियार काम में लेकर विपक्ष की आवाज दबाने का प्रयास करते हैं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन करूंगा कि जिन दलित परिवार के बच्चों के साथ यह घटना हुई और आपके संज्ञान में हम उस दिन भी मामला लाये थे। उसके बाद राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के तीनों विधायक और कुछ हमारे भारतीय जनता पार्टी के विधायकगण थे, वे भी धरने पर बैठे लेकिन सरकार की संवेदनशीलता कहां मर गई, यह मुझे समझ में नहीं आ रहा है। सारे के सारे विधायक और मंत्री हमारे पास से निकलकर गये तो क्या इतना पूछने का भी उनका राजधर्म नहीं है? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि नागौर के एसपी को तुरन्त एपीओ करके उन दोनों बच्चों को थानागाजी प्रकरण की तरह, इस घटना को सामूहिक बलात्कार से कम नहीं कह सकते, इतनी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि तत्काल इस पर कहीं न कहीं सरकार का जवाब भी

(श्री नारायण बेनीवाल)

आए और इस मामले को यहां सदन में चर्चा के लिए भी रखे, यह मैं आपसे निवेदन करूंगा। सर, वरना हम धरने पर बैठेंगे इस मामले में, अध्यक्ष महोदय, हम धरने पर बैठेंगे।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बैठें, प्लीज बैठें। श्री पुखराज।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय, कार्य संचालन और प्रक्रिया के नियम 50 के तहत स्थगन प्रस्ताव।

श्री अध्यक्ष: उसी पर बोल रहे हैं।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): नागौर के पांचौड़ी थाने में गठित घटना की जांच करके दोषियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही करने और देरी से एफआईआर दर्ज करने वाले अधिकारियों के निलम्बन के संबंध में। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहूंगा कि जब यह प्रकरण 16 तारीख को घटित हो गया और 16 तारीख को ही पुलिस के संज्ञान में आ गया था लेकिन 16 से 19 तक पुलिस प्रशासन उस दलित और पीड़ित परिवार को बुलाकर, उस पर प्रेशर डाला गया, दबाव डाला कि आप उनसे राजीनामा कर लें, सामने वाले बड़े आदमी हैं, आप छोटे हो, आप तीस-चालीस हजार रुपये लेकर इनसे काम्प्रोमाइज कर लो।

अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से यह बताना चाहूंगा कि जो प्रकरण 19 तारीख को दर्ज हुआ, उस प्रकरण को हल्की धारा में दर्ज करना और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के विधायकों द्वारा यहां प्रदर्शन करने के बाद धारा 300 जोड़ना और उस परिवार के ऊपर झूठा चोरी का मुकदमा दर्ज करना, ये सारे तथ्य पुलिस ने गलत तरीके से किया है और नागौर एसपी की निगरानी में किया है। इसलिए हमारी आपके माध्यम से सरकार से मांग है कि उन दोषी पुलिसकर्मियों को सस्पैंड करें और नागौर एसपी को एपीओ कर, सरकार इसके बारे में वक्तव्य दे, अन्यथा हम धरना देंगे।

श्री अध्यक्ष: कटारिया जी।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, जिसने भी वह वीडियो देखा, उसको देखने के बाद मैं सोचता हूं कि स्वयं को भी अपने आप बहुत शर्म महसूस हुई कि इस प्रकार का अमानवीय कृत्य भी कोई हो सकता है और ये पुलिस के ध्यान में जब आ गया। उसके बाद भी इस पर सख्त कार्यवाही नहीं होना, क्या उस पीड़ित व्यक्ति के प्रति हम सम्मान कर रहे हैं या उसकी इज्जत कर रहे हैं? मैं सोचता हूं कि वह चूंकि एक गरीब

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

परिवार का है, शिड्यूल्ड कास्ट का है और इसलिए अपराध करने वाला कोई बड़ा व्यक्ति है, इतनी बड़ी घटना हो जाने के बाद पुलिस की यह हिम्मत कैसे हुई कि उनके संबंधित धाराएं नहीं लगाकर उस केस को और इधर-उधर कम करने का प्रयास क्यों किया? वह व्यक्ति तो पहली दृष्टि में दण्ड के योग्य है। जिसके सामने जिस प्रकार का घटनाक्रम पैरों पर आदमी खड़े हैं, हाथों पर आदमी खड़े हैं और फिर उसके गुप्तांग में जो है, पैट्रोल डाला जा रहा है, देखकर के दिल दहल जाता है। उसके बाद जानकारी में आने के बाद पुलिस ने हल्की धाराएं लगाकर मुकदमा क्यों बनाया और डीजी को धाराएं क्यों बदलनी पड़ी, इसके बारे में स्पष्ट करिए। तब लगेगा कि वास्तव में उस पीड़ित व्यक्ति के प्रति आपमें कोई मानवीयता है, बाकी केवल ढकोसले हैं और यह कहना कि फ्री-फ्री-फ्री एफआईआर दर्ज होती है, फ्री का एक नमूना पेश हुआ है। इससे बड़ा नमूना ओर राजस्थान में नहीं हो सकता। कृपा करके, अपराध करने वाला न आपका होता है, न मेरा होता है, न इस पार्टी का होता है, न उस पार्टी का होता है। जिसने अपराध किया, जिसके कारण से सारे राजस्थान को शर्मिंदा होना पड़ा, उस व्यक्ति के खिलाफ कार्यवाही करने में विलम्ब क्यों हो रहा है?

श्री अध्यक्ष: श्री खुशवीरसिंह।

मारवाड़ जंक्शन की तीन ग्राम पंचायतों में नि:शुल्क पेयजल की व्यवस्था

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): धन्यवाद, अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: स्थगन प्रस्ताव में, मैं नहीं बोलूंगा, आप अलग ढंग से लेकर आयें, आपने पाइंट आफ आर्डर, please, I'll not allow it. श्री खुशवीरसिंह। अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया के नियम 50 के तहत बोलने का अवसर दिया।

बहिर्गमन

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री अध्यक्ष: 295, अशोक लाहोटी, अशोक लाहोटी। ओम प्रकाश हुड़ला।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

सांगानेर की कालोलियों में व्याप्त पेयजल संकट

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, सांगानेर विधान सभा क्षेत्र की सैकड़ों कालोनियां में गंभीर पेयजल संकट के संबंध में कार्य संचालन नियम 295 के अन्तर्गत सूचना। सांगानेर विधान सभा क्षेत्र जो कि राजधानी जयपुर का क्षेत्र है, जिसमें स्थित सैकड़ों कालोनियां में पेयजल जैसी गंभीर समस्या व्याप्त है। यह पेयजल संकट नहीं अपितु मानवीय संकट है। सांगानेर क्षेत्र के रामपुरा रोड, मदरामपुरा, शिकारपुरा, डिग्गी रोड, कल्याणपुरा, गोरधननगर, कृषि नगर, मुहाना मंडी रोड, टिब्ब टोल, सुखपुरिया सहित सांगानेर कस्बा, प्रताप नगर, मानसरोवर व भांकरोटा क्षेत्र की ऐसी सैकड़ों कालोनियां हैं, जिनमें पूरे वर्षभर ही पेयजल संकट व्याप्त रहता है और गर्मी आने से पूर्व ही पानी की भयंकर किल्लत शुरू हो जाती है। सांगानेर क्षेत्र की ऐसी सैकड़ों कालोनियां, जो जेडीए से अनुमोदित हो चुकी हैं और कई कालेनियां जिनमें 30-40 सालों से लोग निवास कर रहे हैं, जो अनुमोदित नहीं हुई, उन कालोनियों में आज दिन तक पेयजल का समाधान नहीं हो पा रहा है। सांगानेर क्षेत्र में व्याप्त गंभीर पेयजल की समस्या के समाधान/निजात को लेकर आपके माध्यम से जलदाय विभाग को आदेशित/निर्देशित किया जाकर तुरन्त समाधान कर लाखों लोगों को राहत प्रदान करें।

अत: मैं जलदाय मंत्री महोदय का ध्यान प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियम 295 के तहत आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा जवाब।

श्री अध्यक्ष: बैठें।

महुआ के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का क्रमोन्नयन

श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): अध्यक्ष महोदय, मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र महुवा के सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र का 50 बैड से बढ़ाकर 100 बैड करने के संबंध में प्रस्ताव प्रस्तुत कर निवेदन करता हूं कि मेरा विधान सभा क्षेत्र महुवा बड़ा कस्बा है, जिसकी जनसंख्या 50 हजार से ज्यादा है। आस-पास के गांव व ढाणियों की लगभग 20 से 25 हजार जनसंख्या चिकित्सा के लिए महुवा कस्बे में आती है लेकिन इन 50 हजार

(श्री ओम प्रकाश हुड़ला)

लोगों की चिकित्सा के लिए महुवा सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र ही है जिसमें वर्तमान में बैडों की संख्या 50 ही है, जो महुवा व आसपास के गांवों की जनसंख्या को देखते हुए अपर्याप्त है। इस वस्तुस्थिति को मद्देनजर रखते हुए सीएचसी महुवा में गुणात्मक एवं बेहतर चिकित्सा सेवाओं की सुनिश्चितता के लिए महुवा सीएचसी में बैडों की संख्या 100 तक करने की आवश्यकता है।

अत: इस अत्यन्त महत्वपूर्ण एवं जनहित के मुद्दे पर मैं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री महोदय से पुरजोर शब्दों में मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र महुवा की सीएचसी में बैडों की संख्या 100 तक करने की कृपा करें। धन्यवाद।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मैं...

श्री अध्यक्ष: बैठें प्लीज, आप बैठें प्लीज, रिकार्ड नहीं होगा, प्लीज। श्रीमती इंद्रा, श्री वासुदेव देवनानी, श्री बाबूलाल कठूमर, श्रीमती कल्पना देवी। आप बैठें, प्लीज।

बामनवास में नंदीशाला खोलना

श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): (माननीय सदस्या का प्रस्ताव पढ़ा हुआ माना गया) अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र बामनवास में नंदी गौशाला खोलने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहती हूं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास में वन्य गायों के आतंक के कारण क्षेत्र के किसानों की फसलें चौपट हो रही हैं। क्षेत्र के किसान इस कड़ाके की ठण्ड में रात-रात भर जागकर इन वन्य गायों से अपनी फसलों की सुरक्षा करने को मजबूर हैं। मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास की जनता एवं स्थानीय जनप्रतिनिधियों द्वारा भी इन वन्य गायों के लिए गौशाला खोलने की मांग कई सालों से की जा रही है लेकिन सरकार द्वारा अभी तक इस दिशा में कोई कार्यवाही नहीं की गई है।

मेरी सरकार से पुरजोर शब्दों में मांग है कि वन्य गायों के संरक्षण हेतु सरकार द्वारा कोई ठोस योजना बनाई जाए। इसके साथ ही, मैं यह भी मांग करती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बामनवास के कस्बा बामनवास, मित्रपुरा एवं बौंली में नंदी गौशालाएं खोली जाएं, जिससे किसानों की फसलों को बचाया जा सके और साथ ही वन्य गायों की रक्षा भी की जा सके। अत:

(श्रीमती इन्द्रा)

मेरा गोपालन मंत्रीजी से पुरजोर शब्दों में निवेदन है कि बामनवास, मित्रपुरा एवं बौंली में नंदी गौशाला खोलने के आदेश जारी कर क्षेत्र की जनता को राहत प्रदान करें।

(माननीय सदस्य का निम्नांकित प्रस्ताव पढ़ा हुआ माना गया)

अजमेर शहर में साइंस पार्क का निर्माण कार्य

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): (माननीय सदस्य का प्रस्ताव पढ़ा हुआ माना गया) अध्यक्ष महोदय, विधान सभा के कार्य संचालन एवं प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत अजमेर में साइंस पार्क के शिलान्यास को 17 माह का समय हो जाने पर भी निर्माण कार्य अभी तक प्रारम्भ नहीं कराये जाने के संबंध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं। भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा अजमेर पार्क (उप क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र अजमेर) के निर्माण की स्वीकृति जारी की गई थी, जिसका विधिवत शिलान्यास दिनांक 9 सितम्बर, 2018 को किया गया था, परन्तु अत्यन्त खेदजनक स्थिति है कि 17 माह के लम्बे समय के बाद भी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा आज दिनांक तक इसका निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं कराया जा सका है।

उक्त प्रोजेक्ट हेतु कुल स्वीकृत राशि 15.20 करोड़ है, जिसमें केन्द्र व राज्य सरकार का 50-50 प्रतिशत अंशदान निर्धारित है। राज्य सरकार द्वारा 50 प्रतिशत राशि का अंशदान उपलब्ध नहीं कराये जाने से इस महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का काम प्रारम्भ नहीं हो पा रहा है जबकि भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार 27 माह की अवधि में कार्य पूर्ण करना है।

उक्त साइंस पार्क विज्ञान के विद्यार्थियों व शोधार्थियों के साथ ही अजमेरवासियों व पर्यटकों के लिए भी अत्यन्त ज्ञानवर्धक व उपयोग सिद्ध होगा। राज्य सरकार द्वारा कुछ माह पूर्व उक्त प्रोजेक्ट हेतु अपने अंशदान की 50 प्रतिशत राशि अजमेर स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के अंतर्गत देने के संबंध में निर्णय किया गया था, परन्तु अभी तक निर्धारित राशि विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग को स्थानांतरण नहीं किये जाने से निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हो पाया है जो कि राज्य सरकार की मंशा पर भी प्रश्नचिह्न उत्पन्न करता है।

अत: मेरा सरकार से आग्रह है कि अजमेर में साइंस पार्क निर्माण के अत्यन्त महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट का कार्य शीघ्र कराये जाने के संबंध में आवश्यक सकारात्मक कार्यवाही शीघ्र करवाई जाए।

कठूमर में आवारा गायों से फसल का बचाव

श्री बाबूलाल (कठूमर): नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। अध्यक्ष महोदय, निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र कठूमर में लाखों की संख्या में गौ धन है तथा उनमें से 10 प्रतिशत ही घरों में मालिकों ने बांध रखा है, शेष 90 प्रतिशत गौधन आवारा घूमती हैं। पूरा विधान सभा क्षेत्र उपजाऊ है तथा पूरी भूमि में गेहूं, चना व सरसों की फसलें हैं। इनके अलावा कई प्रकार की खेती यहां हो रही है। आवारा गायों की वजह से हमेशा फसल को नष्ट करने का अंदेशा रहता है। किसानों के परिवार का एक व्यक्ति फसल की देख रेख के लिए रोजाना खेत पर रखा जाता है, रोजाना दुर्घटना हो रही हैं, सैकड़ों व्यक्ति इन आवारा गायों की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं, कइयों की मौत हो चुकी हैं।

मेरा सरकार से निवेदन है कि कई ग्राम पंचायत जैसे बहरामपुर, रोनीजाथान, मैथना, जटवाड़ा व टोडा में सरकारी चरागाह सिवायचक भूमि उपलब्ध है, जमीन की व्यवस्था क्षेत्रवासी कर देंगे। सरकार वहां बाउंड्री, चारे की व्यवस्था, टीन शेड, पानी व बिजली की व्यवस्था कर दें तो क्षेत्रवासियों की लाखों की फसल तथा कइयों की जानें बच सकती हैं। इसके लिये राज्य सरकार ने अलग से विभाग का भी गठन कर दिया है या प्रत्येक गौसेवक, आरएसएस, विश्व हिन्दू परिषद् व बीजेपी कार्यकर्ताओं के यहां पांच-पांच गायों को बांधने की, उनकी देखभाल करने की व्यवस्था करें। चाहे तो कानून पास कराएं लेकिन आवारा गायों को एक ही स्थान पर रखने की व्यवस्था जरूर कराएं, धन्यवाद।

लाडपुरा में नेशनल हाईवे के लिए अधिग्रहित जमीन का मुआवजा

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव पर बोलने का अवसर दिया, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: बैठें, प्लीज बैठें आप। आपका पढ़ा हुआ मान लिया जायेगा, बैठें आप।

श्रीमती कल्पना देवी (लाडपुरा): निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र लाडपुरा के ग्राम अरलिया, परलिया, चारणहेडी, शंकरपुरा, भगवानपुरा, अरणखेडा के ग्रामीण 23 दिसम्बर, 2019 से बालपुरा में जमीन आबंटन के विरोध में धरने पर बैठे हुए हैं। प्रशासन काश्तकारों को डीएलसी की रेट पर भुगतान करना चाह रही है जबकि केन्द्र सरकार ने डीएलसी की दर से चार गुना राशि देने का वादा किया था, लेकिन स्थानीय काश्तकार डीएलसी रेट पर

(श्रीमती कल्पना देवी)

जमीन नहीं देने के विरोध में धरने पर बैठे हैं। इतने लंबे समय से स्थानीय प्रशासन धरनार्थियों की उक्त मांग पर ध्यान नहीं दे रहा है। किसानों की फसल तैयार है। जमीन अवाप्त करने से पूर्व स्थानीय काश्तकारों को पुनर्वास किए जाने की भी व्यवस्था अभी तक नहीं की है और न ही प्रशासन द्वारा मुआवजा का निर्धारण किया गया है। काश्तकारों को जमीन का उचित मुआवजा नहीं मिलने के कारण रोजी-रोटी व रहवास से भी वंचित होंगे।

ऐसी स्थिति में सदन के मार्फत राजस्व मंत्री का ध्यान आकर्षित कर मेरे विधान सभा क्षेत्र के नेशनल हाईवे से प्रभावित किसानों की जमीन का उचित मुआवजा दिलवाया जाए। इससे प्रभावित किसानों के परिवार में से किसी एक सदस्य को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए तथा जिन परिवारों के निवास स्थान तोड़े जाने का प्रावधान है, उनके पुनर्वास की व्यवस्था होने के उपरांत ही जमीन अवाप्त की जाए, ऐसा मेरा सरकार से निवेदन है।

अत: इस महत्वपूर्ण समस्या के निराकरण की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित कर रही हूं। सधन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: प्रताप लाल भील।

गोगुन्दा में चरागाह पर आवासीय पट्टा जारी करने की मांग

श्री प्रताप लाल भील (गमेती) (गोगुन्दा): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रकिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव। प्रस्तुत कर निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गोगुन्दा में विभिन्न गांव, ढाणी मजरे जो कि चरागाह जमीन पर बसे हुए हैं। सरकार द्वारा क्षतिपूर्ति कर इन बस्तियों को आवासीय पट्टे दिये जाते थे, पिछले कुछ समय से क्षतिपूर्ति प्रक्रिया नहीं की जा रही है जिससे हजारों परिवार विभिन्न लाभों से वंचित हो रहे हैं, जैसे बिजली का कनेक्शन, प्रधान मंत्री आवास योजना, बैंक से लोन में कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है तथा सरकार की जो मूलभूत सुविधा से वंचित रह रहे हैं तथा सरकार द्वारा कई बार इन बस्तियों को हटाने की कार्यवाही करते हैं। यहां हैण्डपम्प लगाना हो, सीमेंट सड़क बनानी हो, नाली बनानी हो तथा अन्य सुविधा से ये सारी बस्तियां वंचित रह जाती हैं। इसलिए सरकार से मेरा निवेदन है कि ऐसी सभी बस्तियों की क्षतिपूर्ति करवाकर इन्हें आवासीय पट्टे दिलाये जायें।

श्री अध्यक्ष: श्री हमीर सिंह भायल (अनुपस्थित)। श्री संजय शर्मा।

अलवर शहर में आवारा पशुओं के कारण हो रहे हादसे

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के तहत अलवर जिले की अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र से जुड़ी एक अहम समस्या की ओर मैं राजस्थान सरकार व नगरीय विकास विभाग के माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करते हुए निवेदन करता हूं कि अलवर शहर विधान सभा क्षेत्र के मुख्य बाजारों में पार्किंग की एक बहुत-बड़ी समस्या है। पार्किंग की सुविधा नहीं होने के चलते आमजन को अपने वाहन पार्किंग हेतु एक सुरक्षित स्थान नहीं मिल पाता है, जिसके कारण आए दिन अलवर शहर की सड़कों पर ट्रैफिक जाम लग जाता है। वहीं दूसरी ओर अलवर शहर में आवारा पशु भी बड़ी मात्रा में मुख्य बाजारों में घूमते रहते हैं, जिसके चलते आए दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं। आवारा पशुओं के आपस में लड़ने के चलते ट्रैफिक जाम हो जाता है एवं आवारा पशुओं के कारण हुए अनेक हादसों में मंदिर एवं बाजार में जाते हुए बुजुर्ग एवं महिलाओं के पेट में सींग मार देने, आवारा पशुओं के आपस में लड़ते हुए सड़क पर जा रहे दुपहिया वाहनों से टकरा जाने पर आमजन को अपने गंतव्य स्थान पर जाने की बजाय गंभीर अवस्था में अस्पताल में पहुंचना पड़ता है, जिसके चलते अलवर शहर के मुख्य बाजारों में बदहाली की स्थिति बनी हुई है। उक्त दोनों समस्याओं के प्रति संबंधित विभाग द्वारा किसी प्रकार की कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं की जा रही है, न ही आज तक किसी प्रकार की कोई सुनियोजित योजना बनाई गई है।

श्रीमान्, मूलभूत सुविधाओं के अंतर्गत आमजन को पार्किंग की सुविधा व आवारा पशुओं से निजात दिलाने का राजस्थान सरकार का दायित्व है। अतः श्रीमान मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि संबंधित विभाग को निर्देशित कर अलवर शहर के मुख्य बाजारों में पार्किंग व्यवस्था करवाने व आवारा पशुओं से शीघ्र से शीघ्र निजात दिलवाने की कृपा करें।

श्री अध्यक्ष: श्री भरत सिंह कुंदनपुर।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप बैठें प्लीज। माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा। बैठें प्लीज।

श्री पुखराज (भोपालगढ़): 000

(राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना)

सरकारी विभागों में बढ़ रहा भ्रष्टाचार

श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि प्रदेश में गत 5 वर्षों में एसीबी द्वारा 2067 लोगों को रिश्वत लेते पकड़ा गया है। इनमें सरकारी कर्मचारी व जनप्रतिनिधि दोनों ही शामिल हैं। एक साल का औसत साल में प्रतिदिन एक केस से अधिक है। इन पकड़े गए लोगों में से मात्र 986 प्रकरणों में ही चालान किए गए हैं तथा आधे से अधिक 1081 प्रकरण अभी भी विचाराधीन हैं। कुछ लोग फरार भी चल रहे हैं। भ्रष्टाचार के इन प्रकरणों में प्रमुख सचिव, आईएएस, आईपीएस, आरएएस, डीएफओ, आरडीएस, डीएसओ, प्रोफेसर, डाक्टर्स, अध्यापक, नगर विकास न्यास चेयरमैन, जिला प्रमुख, प्रधान, सरपंच व लगभग सभी विभागों के अधिकारी व कर्मचारी शामिल हैं। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल करप्शन सर्वे, 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक देश के राज्यों में राजस्थान पहले नंबर पर है। भ्रष्ट अधिकारी जेल से निकलने के बाद न केवल शान से नौकरी करते हैं बल्कि प्रमोशन भी प्राप्त कर रहे हैं। वर्तमान व्यवस्था में प्रदेश में सरकार का जीरो-करप्शन का संकल्प असंभव प्रतीत होता है। यह आवश्यक है कि सरकार द्वारा एसीबी द्वारा पकड़े जाने पर संबंधित अधिकारी को नौकरी से बर्खास्त करने के सख्त कदम उठाने की व्यवस्था की जाए। वर्तमान व्यवस्था से न तो भ्रष्टाचार कम होगा, न ही हालात में सुधार होगा। सरकार इस विषय पर सदन में एक दिन गंभीरता के साथ चर्चा कर सदस्यों की राय जानने का निर्णय ले तो यह प्रदेश की आम जनता के हित में होगा।

श्री अध्यक्ष: श्री अविनाश गहलोत।

जैतारण के राजकीय विद्यालयों के भवनों की जर्जर अवस्था

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमावली के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि जैतारण विधान सभा क्षेत्र में अनेक राजकीय विद्यालय संचालित हैं। इन राजकीय विद्यालयों में हजारों की संख्या में छात्र-छात्राएं अध्ययनरत हैं। इनमें से अधिकांश राजकीय विद्यालयों के भवन दशकों पुराने बने हुए हैं। वर्तमान समय में सभी राजकीय विद्यालयों के भवन पुराने बने होने से जर्जर हालत में आ गए हैं।

(श्री अविनाश)
अभी पिछले सप्ताह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बलाड़ा (जैतारण) के हॉल की 20 पट्टियां टूट कर गिर गईं। गनीमत यह रही कि उस समय उस हॉल में कोई छात्र-छात्रा, अध्यापक और अन्य स्टाफ नहीं था, जिससे बहुत बड़ी दुर्घटना व अनहोनी होने से बच गई।

इसी तरह राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, जैतारण जो उपखंड मुख्यालय पर स्थित है, के सभी कक्षा कक्ष, हॉल, स्टाफ रूम, प्रधानाचार्य कक्ष, बरामदा सहित लगभग 50-60 साल पुराने बने होने से प्रतिदिन छत से चूना गिरना शुरू हो गया है। इसी तरह जैतारण क्षेत्र के और भी अधिक पुराने राजकीय विद्यालयों में कक्षा कक्ष व बरामदे पुराने बने होने से आने वाले समय में कहीं कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए, इसको नकारा नहीं जा सकता। मेरा सरकार से निवेदन है कि मेरे जैतारण विधान सभा क्षेत्र के समस्त राजकीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक विद्यालयों का सरकार द्वारा निरीक्षण एवं सर्वे करवाकर तुरंत प्रभाव से इन सभी राजकीय विद्यालयों की मरम्मत करवाने की कृपा करें, जिससे इन राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत हजारों छात्र-छात्राओं एवं कार्यरत सैकड़ों राजकीय कर्मचारियों के जीवन की रक्षा हो सके।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती मंजु देवी।

जायल में दीनदयाल योजनान्तर्गत वंचितों को विद्युत कनेक्शन

श्रीमती मंजु देवी (जायल): माननीय अध्यक्ष महोदय, नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जायल (नागौर) के लोग बड़ी तादाद में ढाणियों में निवास करते हैं। दीनदयाल उपाध्याय योजना के तहत कई ढाणियों में विद्युत कनेक्शन हुए लेकिन और भी कई ढाणियां हैं जिनकी फाइलें जमा होने व कई ढाणियों के डिमांड नोटिस नहीं निकालने के कारण विद्युत कनेक्शन से वंचित रह गए हैं। उक्त योजना को अब बंद कर दिया गया है। मेरे क्षेत्र में वर्तमान में 5-5 के समूह में सैकड़ों समूह आज भी योजना से वंचित है।

मैं निवेदन करना चाहूंगी कि उक्त वंचित लोगों के लिए कोई अन्य प्रावधान किए जाएं अथवा उक्त योजना पुन: चालू की जाए ताकि ढाणियों में विद्युत कनेक्शन हो सके। उक्त योजना में लोगों की फाइलें अधिकारी जमा नहीं कर रहे हैं या फाइल जमा है पर डिमांड जमा नहीं कर रहे हैं या डिमांड भी जमा है लेकिन योजना बंद बताकर कनेक्शन नहीं कर रहे हैं।

(श्रीमती मंजु देवी)

अतः मेरा विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से अनुरोध है कि ऊर्जा मंत्री जी की ओर से विभाग को विशेष निर्देश जारी करके उक्त ढाणियों में विद्युत कनेक्शन उपलब्ध करवाए जाएं ताकि 50 सालों से ढाणियों में बसे लोग भी उक्त योजना में लाभान्वित हो सकें।

श्री अध्यक्ष: श्री पदमाराम।

नर्मदा नहर के सिंचित क्षेत्र का विस्तार

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत मैं आपके मार्फत राजस्थान सरकार के जल संसाधन मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहता हूं कि नर्मदा नहर की पनोलिया लिफ्ट कैनाल जहां से निकलकर चल रही है उसके पास वाले खसरों को भी नहर के सिंचित क्षेत्र से नहीं जोड़ा गया है। मैं उसके नजदीक 10 किलोमीटर तक के गांव को नर्मदा नहर से जोड़ने की मांग करता हूं। पूर्व कांग्रेस सरकार में भी मेरे द्वारा मांग की गई थी। सरकार द्वारा आश्वासन भी दिया गया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र की वंचित 16 पंचायतों को सिंचाई क्षेत्र घोषित कर दिया जाएगा परंतु अभी तक यहां के रहने वाले गरीब किसानों की भूमि नहर में ले ली गई है और उन किसानों के उत्तर व पश्चिम की भूमि को सिंचित क्षेत्र से वंचित रखा गया है तो मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि इस बजट में नर्मदा नहर के सिंचित क्षेत्र के विस्तार की भी घोषणा करवाने की कृपा कराएं, जिससे मेरे विधान सभा क्षेत्र के इन गरीब किसानों को उचित लाभ मिल सके। उक्त पंचायतों के नाम बामडला, शेरपुरा, आकल, बोली, पनोलिया, फागलिया, सावलासी, तरला, साता, बाखासर, हाथला, भलगांव, पंचा डला, मिठडी, अरटी, नवातला, बाकासर आदि हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री ज्ञानचंद पारख।

जवाई नहर की मरम्मत

श्री ज्ञानचंद पारख (पाली): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के अन्तर्गत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि पाली शहर के मध्य से गुजर रही जवाई नहर का उपयोग हेमाबाद बांध से सिटी टैंक तक पेयजल पहुंचाने हेतु वर्ष भर में मात्र 15-20 दिन ही होता है। यह नहर जगह-जगह से अत्यधिक

(श्री ज्ञानचंद पारख)

क्षतिग्रस्त है एवं शहर की कई बस्तियों का गंदा पानी भी इस नहर में आता है। पिछले कई वर्षों से न तो इस नहर की मरम्मत की गई है न ही इसकी सफाई करवाई गई है। सिटी टैंक के बाद भी यह नहर शहर से घूमटी तक करीब 7 किलोमीटर है जिसमें बड़ी मात्रा में कचरा एवं मलबा पड़ा है। हाउसिंग बोर्ड के पीछे की ओर एलएंडटी कंपनी के माध्यम से किए गए कार्य के कारण इस नहर की दीवार को जगह-जगह से तोड़ दिया गया है। वर्षा काल में शहर की बस्तियों का पानी आने से यह नहर पूरी तरह भर जाती है। यह पानी आगे जा कर हाउसिंग बोर्ड के पीछे एलएंडटी कंपनी द्वारा तोड़ी दीवार के कारण यह पानी पुनियाना रोड पर बसी बस्तियां मोहन नगर, न्यू प्रताप नगर, चामुंडा नगर, विकासनगर बस्तियों में बाढ़ की स्थिति उत्पन्न कर देता है। यह नहर पुनायता गांव के पहले भी मलबे से अटी पड़ी है जिससे पानी आगे नहीं जाता है।

मैं इस नहर की मरम्मत करवाने, इसकी सफाई करवाने एवं एलएंडटी कंपनी द्वारा नहर की तोड़ी गई दीवारों का पुनः निर्माण करवाने हेतु माननीय जलदाय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री अमृतलाल मीणा।

सलूम्बर व उदयपुर ग्रामीण में पैंथर के हमले से घायल व मृतकों को मुआवजा राशि का भुगतान

श्री अमृतलाल मीणा (सलूम्बर): अध्यक्ष महोदय, राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन के नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख के माध्यम से निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर में घायल तथा विधान सभा क्षेत्र उदयपुर ग्रामीण में पैंथर के हमले में 4 व्यक्तियों की मृत्यु तथा 6 व्यक्ति सलूम्बर विधान सभा क्षेत्र में घायल हो गये। मृतकों के नाम निम्न प्रकार हैं:-

1. देवीलाल पुत्र काला मीणा निबारा, उम्र 40 वर्ष, दिनांक 24.7.2019
2. श्याम लाल पुत्र नारायण, उम्र 16 वर्ष, दिनांक 6.8.2019
3. कल्पना पुत्री सोमाजी मीणा, निवासी पडूंणा, उम्र 13 वर्ष, दिनांक 13.8.2019
4. सोमा पुत्र लालू जी मीणा, उम्र 45 वर्ष।

इनके अतिरिक्त, दिनांक 5.2.2020 को 6 घायल व्यक्तियों के नाम निम्न प्रकार हैं:-

(श्री अमृतलाल मीणा)

1. केशा पुत्र भैरा मीणा, उम्र 40 वर्ष, निवासी नाडफला, खरवा, सलूम्बर।
2. नाथू पुत्र काना मीणा, उम्र 60 वर्ष, निवासी नाडफला, खरवा, सलूम्बर।
3. मंगा पुत्र मोता मीणा, उम्र 35 वर्ष, निवासी नाडफला, खरवा, सलूम्बर।
4. माला पुत्र हरजा मीणा, उम्र 45 वर्ष, निवासी खतोला, खरखा।
5. नानालाल डामोर, वन रक्षक, उम्र 35 वर्ष, वन चौकी बेडावल, सलूम्बर।
6. नारायण लाल जीनगर, तहसीलदार, सलूम्बर।

अत: मैं राज्य सरकार से उपरोक्त मृतकों को मुख्य मंत्री सहायता कोष से तथा घायलों को उचित मुआवजा दिलवाने की मांग करता हूं। साथ ही, मेरे विधान सभा क्षेत्र सलूम्बर के करीब 40-45 ग्राम पंचायतें वन क्षेत्र की परिधि में आती हैं जिससे जंगली जानवर जैसे पैंथर, चीता, शेर, भालू आदि की वजह से वहां के स्थानीय निवासी व पालतू पशु आदि परेशानी का सामना करना पड़ता है। वन क्षेत्र सीमा में 6 फीट की दीवार बनाई जाए। वन्य जीवों के लिये वाटर होज बनाये जाएं। प्रत्येक रेंज में एक गाड़ी उपलब्ध कराई जाए। वन विभाग के वन अधिकारी/कर्मचारियों के लिये सुरक्षा कवच व संसाधन उपलब्ध करवाये जाएं।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती अनिता भदेल। एक मिनट।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि विषय की गंभीरता को समझें। हम चाहते हैं कि कम से कम सरकार अपना पक्ष तो रखे। इतने गंभीर प्रकरण पर अब तक कुछ कार्यवाही की है या नहीं की है, करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं? मैं आपके माध्यम से इनसे भी निवेदन करता हूं यदि सरकार इस बारे में आज दिनभर में जो उनको समय ठीक लगे, उस समय अपना एक स्टेटमेंट दे दें कि इस घटना पर अब तक आपने क्या किया है, आगे आप क्या करने वाले हैं और मैं इनसे भी निवेदन करूंगा कि यह भी स्थान पर बैठें।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अब समझे। जब माननीय कटारिया जी ने कह दिया, हम भी निवेदन कर रहे हैं अपने स्थान पर बैठें, चैम्बर में चर्चा करके बाद में बात करेंगे। श्रीमती अनिता भदेल।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

सरकार द्वारा शराब ठेकेदारों को राहत

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन में बहुत ही गंभीर विषय उठाना चाहती हूं। सरकार ने शराब के ठेकेदारों को गुपचुप तरीके से फायदा पहुंचाने का काम किया है। जबकि विधान सभा का सत्र चल रहा है, इसके बावजूद भी जो चीज कानून में संशोधित करके लाई जानी चाहिये थी, उसको कानून में संशोधन नहीं किया गया और सरकार ने शराब के कारोबारियों के विरुद्ध जो भी प्रकरण अदालतों में निर्णीत होते हैं, उन प्रकरणों के खिलाफ यदि कोई शराब कारोबारी अपील करना चाहता है तो उसे उस देनदारी की 75 परसेंट राशि को जमा कराना होता है, उसके बाद ही वह अपील में जा सकता है लेकिन सरकार ने उस 75 परसेंट देनदारी को घटाकर 25 परसेंट देनदारी कर दी है, जबकि शराब ठेकेदारों पर आज भी 200 करोड़ रुपये से भी ज्यादा की देनदारियां हैं। यदि यह परिवर्तन होता है तो मुकदमेबाजी तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, शराब के कारोबारियों के हौसले भी बढ़ेंगे और फिर साथ-साथ में यह जो परिवर्तन है, वह फाइनेंस बिल की धारा 9 (क) में परिवर्तन करके इसको किया जा सकता था। माननीय अध्यक्ष महोदय, उस पर सदन में चर्चा की जाती, सदन में चर्चा होने के बाद में उस बिल में परिवर्तन हो सकता था लेकिन सदन में कोई चर्चा नहीं की गई। यह विधायकों के अधिकार का हनन भी है कि आप किस तरीके से विधायकों के अधिकार को छीनना चाहते हैं। फिर सदन आहूत ही क्यों करते हैं, फिर अपने आप ही कैबिनेट की बैठक करके ही कर लिया करें। माननीय अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं आपका संरक्षण चाहती हूं, ऐसे तो कोई भी सरकार आयेगी और ऐसे ही कोई भी फाइनेंस से संबंधित मैटर को गुपचुप तरीके से पास कर लेगी। इसलिए मेरा आपसे आग्रह है कि आप इसमें इंटरवीन करें, सरकार जवाब दे। सरकार जब चाहे, तब जवाब दे। इस साल का फाइनेंस बिल अभी रखा जायेगा, या तो फाइनेंस बिल के समय अपना जवाब दे कि सरकार ने ऐसा क्यों किया है और ऐसा करने के पीछे उनकी क्या मंशा है। क्या वह शराब के कारोबारियों को बढ़ावा देना चाहते हैं?

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): एक तरफ तो आप कहते हैं कि हम शराब को डीग्रेड करेंगे, दूसरी तरफ शराब को बढ़ावा ...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): अगर यह सदन नहीं चलता होता तो सरकार किसी भी प्रकार ...

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है...

श्री अध्यक्ष: इनके बाद बोल लेना, यह खड़े हो गये हैं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरा निवेदन यह है कि मुझे डाक्टर के पास जाना है, 4 बजे का टाइम है, आप चाहें तो मैं अभी देने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष: किस पर?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): इस पर, जो आपने इश्यू उठाया है।

श्री अध्यक्ष: मैं गलत परम्परा नहीं प्रारम्भ करूंगा, पर्ची पर कोई जवाब नहीं आयेगा। चैम्बर में आकर बात करें, मैं परम्परा को नहीं तोड़ूंगा। चैम्बर में आकर बात करेंगे, फिर क्या करना है, वह मैं फैसला करूंगा। माननीय कटारिया जी, मैं आपकी बात से सहमत हूं। मैंने व्यवस्था की है कि पर्ची पर जवाब नहीं आयेगा। आपने कहा है तो सदन में चर्चा करके, इस बारे में बाद में देखेंगे। श्री रामलाल शर्मा।

दलितों पर अत्याचार

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, पर्ची के माध्यम से आपने मुझे बोलने का अवसर दिया, आपका आभारी हूं। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस पार्टी बड़े-बड़े चुनावी वादे करके सत्ता में आई और कांग्रेस अपने घोषणा पत्र के बिन्दु संख्या 23 में पृष्ठ संख्या 30 पर 28 वादे अनुसूचित जाति के लोगों के सर्वांगीण विकास के करके आई। सदन के नेता ने जब पहली बार बजट पेश किया, उस बजट में भी कहा कि सामाजिक समरसता, कमजोर वर्ग का कल्याण और सुशासन तथा शांति एवं अहिंसा, यह हमारे महत्वपूर्ण विषय रहेंगे और इनके ऊपर हम काम करने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, अबकी बार भी जब सदन के नेता ने बजट पेश किया तो उसमें महात्मा गांधी के उस वाक्य को कोट करके कहा कि मेरी यह प्रबल कामना है कि मैं हर आंख का हर आंसू पोंछ सकूं। अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है तब से एक के बाद एक

(श्री रामलाल शर्मा)

ऐसी घटनाएं घटित हो रही हैं जिन घटनाओं की जितनी निंदा की जाए या उन घटनाओं की जितनी आलोचना की जाए, उतनी ही कम है। अध्यक्ष महोदय, आज राजस्थान प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है तब से कहीं दलित वर्ग के दूल्हे को घोड़ी से उतारा जाता है। उसके साथ मारपीट की जाती है। राजस्थान में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां दलित व्यक्ति के साथ मारपीट की घटनाएं नहीं होती हों। राजस्थान में एक भी जिला ऐसा नहीं है जहां दुष्कर्म की घटनाएं आम नहीं हो गई हों। अध्यक्ष महोदय, यहां तक कि राजस्थान में दलित व्यक्तियों की हत्याएं भी आम हो चुकी हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा सामूहिक दुष्कर्म की कई घटनाएं, जिसमें अलवर की घटना पूरे राजस्थान को शर्मसार करने वाली थी। इसी तरीके से सवाईमाधोपुर की घटना, बयाना की घटना, बांदीकुई की घटना, इतनी घटनाएं होती हैं। चूरू में सरदारशहर थाने में एक दलित व्यक्ति नेमीचंद की पुलिस कस्टडी में मौत होती है। उसकी भाभी के साथ बलात्कार होता है। मामला सदन में गूंजता है लेकिन फिर भी सरकार पर जूं नहीं रेंगती। अध्यक्ष महोदय, यह आंकड़े इस बात को साबित करते हैं कि राजस्थान में जब से कांग्रेस पार्टी की सरकार आई है, दलित व्यक्तियों की हत्या हुई है उसमें 33.33 परसेंट की वृद्धि हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, डिमांड पर बोलना।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): बलात्कार की घटनाओं में 58.62 परसेंट की वृद्धि हुई है। अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से इतना निवेदन करूंगा कि यह सरकार सिर्फ दलितों का मुखौटा पहनकर उनके सर्वांगीण विकास की बात करती है लेकिन दलितों पर हो रहे अत्याचार को न तो रोकने का काम करती है और जिस तरीके से नागौर की घटना, बाड़मेर की घटना, जैसलमेर की घटना पूरे राजस्थान को शर्मसार कर रही है, मैं चाहूंगा सरकार इन घटनाओं को मजबूती के साथ रोकने का काम करे।

श्री अध्यक्ष: श्री बलजीत यादव।

संविदा कर्मचारियों का नियमितीकरण

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): धन्यवाद अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, जो सरकारी कर्मचारी ईमानदारी से काम करते हैं, उनको बहुत सारी परेशानियों ने घेर कर रखा है और वह अपनी इन परेशानियों के समाधान के लिये अलग-अलग सरकारों से लगातार मांग करता आ रहा है। अध्यक्ष

(श्री बलजीत यादव)

महोदय, उनको इतना भी वेतन नहीं दिया जाता कि वे सूखी रोटी भी दाल के साथ खाकर गुजारा कर सके। उनको न्यूनतम वेतन भी नहीं दिया जाता है। जब भी सरकार आती है तो प्रत्येक सरकार कहती है कि जो संविदाकर्मी हैं, उनको हम नियमित करेंगे, लेकिन उनको नियमित नहीं किया जाता।

अध्यक्ष महोदय, वे बीस-बीस साल से इस आशा में काम कर रहे हैं कि हमें कभी न कभी सरकारी नौकरी मिलेगी। उनको वेतन ऐसा दिया जाता है कि कोई भी अगर सुने तो किसी भी आदमी को आश्चर्य हो और उसे हंसी आए कि उनको नौकरी दी जा रही है या उनके साथ मजाक किया जा रहा है। अध्यक्ष महोदय, एक जो कर्मचारी कुक व हैल्पर होता है, उसको 1320 रुपये महीने के दिये जाते हैं। अध्यक्ष महोदय, सफाईकर्मी को मात्र 250 रुपये महीने के दिये जाते हैं। कल्पना कर सकते हैं कि 250 रुपये महीने पर पूरे महीने में कोई आदमी कैसे गुजारा कर सकता है? कैसे उसके परिवार का गुजारा होगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, उनको 7500 रुपये दिये जाते हैं। मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को 5750 रुपये दिये जाते हैं, आंगनबाड़ी सहायिका को 4250 रुपये दिये जाते हैं और आशा सहयोगिनियों को मात्र 2700 रुपये महीने के दिये जाते हैं। उसमें वे कैसे अपना परिवार चलाएं। बीस-बीस साल से वे काम कर रहे हैं। ऐसे ही एनआरएचएम में काम कर रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा संरक्षण चाहूंगा, क्योंकि यह महत्वपूर्ण विषय है।

श्री अध्यक्ष: पर्ची पर जितना स्कोप है, प्लीज उतना ही बोलें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): अध्यक्ष महोदय, मैं खतम कर रहा हूं। ये सब कर्मचारी लगातार मांग करते आ रहे हैं, पिछली सरकार से भी, वर्तमान सरकार से भी। सबसे मांग करते आ रहे हैं कि या तो हमें परमानेंट करें या फिर हमारा वेतन ठीक करें। मैं सरकार से कहना चाहता हूं कि या तो इन्हें परमानेंट करे और यदि कोई सरकार नहीं कर सकती है तो धोखे में क्यों रखें। 20-25 साल हो गये, न वे दूसरी नौकरी कर पाएंगे और ओवरएज हो जाएंगे। न इसमें घर चल रहा है। यह तो एक तरह से उनके साथ छल-कपट हो गया है। जैसे गांव में लूटा जाता है, भूत-प्रेत निकाल दूंगा, तेरे का पैसा वाला निकाल दूंगा, गड़ा धन निकाल दूंगा। यह तो वही काम है। यदि ऐसा सरकारें करेंगी तो फिर आदमी कहां जाएगा। अध्यक्ष महोदय, ये हिंदुस्तान के ही नागरिक हैं, इनके साथ सरकार न्याय करे। ये कोई पाकिस्तानी नहीं हैं, ये कोई हमारे दुश्मन नहीं हैं। ये कोई गलत काम नहीं कर रहे। अगर किसी भी

(श्री बलजीत यादव)

सरकार ने झूठी वाहवाही लेने के लिए, यह दिखाने के लिये कि हमने इतने लोगों को रोजगार दे दिया, यह बताने के लिए यह काम कर रही है, गलत कर रही है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बलजीत यादव (बहरोड़): यह भर्ती न करें, भर्ती करें तो ... (व्यवधान) यही मैं मांग करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री समाराम गरासिया।

पिण्डवाड़ा में वन क्षेत्र के जनजाति परिवारों को सड़क से जोड़ना

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे पर्ची पर बोलने का मौका दिया, धन्यवाद। आज वन अधिकार नियम के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा तहसील में सामुदायिक कुलक के दावे किये गये थे, उसमें से बालोरिया, खिलाफली, बसंतगढ़, हनुमान मंदिर, बसंतगढ़, इस पर बैठक भी हुई। उस समय उपखंड और जिला कमेटी के अंदर भी बैठक हुई। सांसद देवी भाई जी पटेल, जो जालौर-सिरोही से थे, उन्होंने हमारे उपखंड पर जांच भी की। उपखंड के तहत इसके कुलक भरवाये गये, उसको स्वीकृत कर दिया गया। उसके उपरांत भी हमारे पिण्डवाड़ा रेंज और आबूरोड तलहटी रेंज में भी कुलक बाकी हैं। वन विभाग में आने वाली सड़कों के कारण वंचित हैं। खाट पर ले जाकर लोगों को लाया जाता है। वन विभाग के मंत्री महोदय मौजूद हैं। मैं तो यह निवेदन करना चाहता हूं कि कम से कम आप आदिवासियों के हितैषी हैं। वन विभागों में किस तरह से आदिवासियों के साथ सौतेला व्यवहार हो रहा है। चार-चार किलोमीटर तक की दूरी पर, इस प्रकार के कुलक सब जगह से भरे हुए हैं। डेढ़ साल हो गये हैं, अभी तक उसका कोई निस्तारण नहीं हुआ है। मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि उसके कुलक भरे जाएं और रोडों का काम तुरंत प्रभाव से हो।

श्री अध्यक्ष: ध्यानाकर्षण प्रस्ताव। श्री खुशवीरसिंह।

ध्यानाकर्षण प्रस्ताव

जयपुर के जैन मंदिर नसियांजी में अवैध रूप से आवासीय मकान का निर्माण

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मैं नियम 131 पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, नगर निगम जयपुर की भवन निर्माण शाखा के कनिष्ठ अभियंता द्वारा दिनांक 12.02.2020 को आमेर रोड पर स्थित दिगम्बर जैन मंदिर नसियां श्री विजय लाल जी पाण्ड्या आमेर रोड, जयपुर का मौका देखा गया। मौके पर मंदिर नसियां पश्चिम दिशा में देखते हुए पूर्ण रूप से पुख्ता निर्मित है, उसके ठीक पीछे ओपन टू स्काई रिक्त भूमि है, जिसमें पेड़-पौधे लगे हुए हैं। मंदिर नसियां की पश्चिम दिशा की तरफ और उत्तर दिशा की तरफ व पूर्व दिशा की तरफ बाउंड्री बनी हुई है। पश्चिम दिशा की तरफ दो गेट व पूर्व दिशा की तरफ एक गेट लगा हुआ है। पूर्ण निर्मित मंदिर नसियां जी के ठीक पीछे की तरफ दक्षिण दिशा में बाउंड्री नहीं बनी हुई है लेकिन मंदिर नसियां की इस सीमा के बाहर पुख्ता मकान बने हुए हैं और मौके पर मौजूद व्यक्तियों द्वारा बताया गया कि वे मंदिर के सेवादार हैं। उन्होंने 2008 में आमेर जोन का गठन होने के पूर्व आवासीय भवन का निर्माण किया, जो कि मंदिर नसियां की सीमा के बाहर है, जिसका पट्टा नगर निगम जयपुर द्वारा सीतारामपुरी कच्ची बस्ती के सर्वे नंबर 53 के आधार पर जारी किया गया है। कोई मकान नसियां की सीमा के अंदर नहीं बने हुए हैं न ही कोई नये आवासीय भवन का निर्माण किया गया है। अध्यक्ष महोदय, मैं फिर भी निवेदन करता हूं कि मुझे जिस प्रकार का पत्र मिला है, निश्चित तौर पर इसकी जांच करवाना आवश्यक है। मैं इसकी जांच की घोषणा भी करता हूं और जैसी भी जांच होगी, वह प्रस्तुत कर दूंगा।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य।

श्री खुशवीरसिंह (मारवाड़ जंक्शन): अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि मंत्री महोदय ने जो जवाब दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हमने मौके पर जाकर पूछा है। यह दुर्भाग्य है कि रिकार्ड के आधार पर जवाब मिलना चाहिए, मौके पर तो कोई भी आकर खड़ा हो जाएगा। कोई भी जवाब दे देगा। दूसरा, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि कच्ची बस्ती में सर्वे नंबर 53 के आधार पर, जो सर्वे नंबर 53 है, वह क्या है? जो सिटी सर्वे नंबर 53 है, उसमें खसरा नंबर कौन-कौनसे हैं और उसमें क्या दर्ज हो रखा है, यह मैं जानना चाहूंगा और मंत्री महोदय इसमें स्पष्ट है कि अनुच्छेद 25 से 30 के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय की भाषा, लिपि, संस्कृति की रक्षा किए जाने के संबंध में सरकार के लिए स्पष्ट प्रावधान निहित हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि सर्वे नंबर 53 क्या है, क्या उसके आधार पर यह पट्टा गलत बना हुआ है।

श्री अध्यक्ष: इन्होंने जांच करने के लिए बोल दिया तो अपनी बात पूरी हो गयी न। आपका उद्देश्य पूरा हो गया। अगला ध्यानाकर्षण, श्री शंकर सिंह रावत।

ब्यावर में अवैध तरीके से खोले गये गौशाला भूमि के नामान्तकरण की निरस्ती

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, नियम 131 के तहत ध्यानाकर्षण प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, प्रकरण में जिला कलेक्टर, अजमेर से प्राप्त पत्र दिनांक 05.08.2019 संलग्नक-एक, 18.02.2020 संलग्नक-दो, 21.02.2020 संलग्नक-तीन, 23.02.2020 संलग्नक-चार के अनुसार प्राप्त सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है। प्रकरण में जिला कलेक्टर अजमेर से अतिरिक्त सूचना और चाही गयी थी। प्राप्त सूचना की प्रतिलिपि संलग्न है। संलग्नक-पांच प्रस्ताव के संबंध में उक्त प्रकरणों के मद्देनजर प्रस्ताव की गहनता स्वीकार नहीं किये जाने के बाबत अध्यक्ष महोदय से निवेदन है। (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अध्यक्ष महोदय, मैं एक महत्वपूर्ण विषय पर मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि यह जो कलेक्टर का जवाब आया है, उसमें इन्होंने लिखा है, वह असत्य लिखा है। आपके यहां पर भी निगरानी याचिका दर्ज की जा चुकी है। उसमें भी इसको छिपाया गया है कि साहब, मंत्री महोदय के यहां पर कोई निगरानी याचिका दर्ज नहीं है। कलेक्टर ने जो पहला जवाब दिया कि हमारे यहां किसी प्रकार का प्रकरण विचाराधीन नहीं है। कलेक्टर का दूसरा जवाब आया है, उसमें यह लिखा गया है कि न्यायालय जिला कलेक्टर, अजमेर द्वारा दिनांक 27.02.2009 को खारिज कर दिया गया था। वह वही प्रकरण वापस दोबारा दर्ज कर रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सिर्फ फोर्मेलिटी हो रही है और उस प्रकरण को छिपाया जा रहा है। 86 बीघा जमीन का प्रकरण, सिर्फ सादे पेपर पर किया गया। क्या वह सही है? नामान्तकरण सही हुआ है या गलत हुआ है मंत्री महोदय जवाब दें।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): जैसा आप नामान्तकरण के संदर्भ में आप बता रहे हैं, उसमें हाई कोर्ट में स्टे है। यह सब-जुडिस है। दूसरा, आप प्रशासनिक तौर की बात कर रहे हैं कि कलेक्टर से धारा 83 के तहत निगरानी के लिए। अध्यक्ष महोदय, मैंने निगरानी के संबंध में विभाग के अंदर इसका

(श्री हरीश चौधरी)

रिकार्ड चैक कराया है। कहीं पर भी निगरानी के संबंध में कोई बात नहीं मिली। उसके बावजूद भी आप जब यह बात कह रहे हैं कि यह गंभीर प्रकरण है, जिसमें म्यूटेशन गलत दर्ज कराया गया है, सादे पेपर के ऊपर। आप जिस किसी से भी जांच करवाना चाहते हैं, मैं निष्पक्ष जांच करवा दूंगा।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): साहब, मेरा तो इतना ही निवेदन है कि कलेक्टर स्वीकार कर चुका है। आप स्वीकार कर रहे हैं कि नामान्तकरण गलत हुआ है सादे पेपर पर। गवर्नमेंट की लाखों रुपये की रेवेन्यू भी उन्होंने छिपायी है। ऐसे गलत नामान्तकरण सिर्फ एक संस्था के एक सादे पेपर, यह तहसीलदार और पटवारी के बीच में मिलकर इतना घालमेल हुआ। क्या आप इसको निरस्त कराना चाहते हैं या नहीं करना चाह रहे हैं? आप निरस्त करें, क्योंकि यह इतने वर्षों से लंबित है।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मेरा विभाग इसको निरस्त नहीं कर सकता है क्योंकि ये सब-जुडिस मैटर हैं। हाई कोर्ट के अंदर स्टे लगा हुआ है और जांच के संदर्भ में मैंने आपसे पहले ही बात की थी कि मैं प्रशासनिक जांच करवा सकता हूं। निरस्त नहीं करवा सकता हूं क्योंकि हाई कोर्ट में स्टे है।

(13.00 बजे)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्री जी, आप निरस्त नहीं करवा सकते हैं परंतु रेवेन्यू के हिसाब से आप हाई कोर्ट में अपना पक्ष रखने के लिए पैरवी करेंगे क्या? मोटा मुद्दा यह है कि आप यह आश्वस्त कर दें कि इसमें यह हुआ तो हाई कोर्ट में रेवेन्यू अपना पक्ष प्रस्तुत करेगा।

श्री हरीश चौधरी (राजस्व मंत्री): रेवेन्यू विभाग बिलकुल मजबूती से इस प्रकरण के अंदर पैरोकारी करेगा।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त हुई। माननीय सदस्य, आप प्लीज बैठिए। कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन, श्री महेश जोशी।

समिति प्रतिवेदन

कार्य सलाहकार समिति का प्रतिवेदन (क्रम संख्या 14)

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रस्ताव करेंगे।

डा. महेश जोशी (सरकारी मुख्य सचेतक): अध्यक्ष महोदय, कार्य सलाहकार समिति की बैठक दिनांक 20 फरवरी, 2020 को मध्याह्न पश्चात् 1:45 बजे माननीय अध्यक्ष के वेश्म (चैम्बर) में हुई। समिति ने निर्णय लिया कि सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2020 से शुक्रवार दिनांक 13 मार्च, 2020 तक सदन में अग्रेतर लिये जाने वाले कार्य का बंटवारा निम्न प्रकार किया जाए:-

सोमवार, दिनांक 24 फरवरी, 2020 मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी, 2020	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर सामान्य वाद-विवाद
बुधवार, दिनांक 26 फरवरी, 2020	1-अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2019-20 का उपस्थापन 2-अनुपूरक अनुदान की मांगें वर्ष 2019-20 पर मुख बन्द का प्रयोग किया जाकर मतदान एवं पारण 3- अनुपूरक अनुदान की मांगों संबंधी विनियोग विधेयक का पुर:स्थापन, उस पर विचार एवं पारण 4- आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद
गुरुवार, दिनांक 27 फरवरी, 2020	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर अग्रेतर सामान्य वाद-विवाद एवं राज्य सरकार की ओर से उत्तर
शुक्रवार, दिनांक 28 फरवरी, 2020	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान
शनिवार,दिनांक 29 फरवरी, 2020 रविवार, दिनांक 01 मार्च, 2020	बैठक नहीं होगी।
सोमवार, दिनांक 02 मार्च, 2020 मंगलवार, दिनांक 03 मार्च, 2020 बुधवार, दिनांक 04 मार्च, 2020	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान
गुरुवार, दिनांक 05 मार्च, 2020 शुक्रवार, दिनांक 06 मार्च, 2020	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

(डा. महेश जोशी)

शनिवार, दिनांक 07 मार्च, 2020	1-राजस्थान नगरपालिका (संशोधन) विधेयक, 2020 एवं 2-राजस्थान अधिवक्ता कल्याण निधि (संशोधन) विधेयक, 2020 -पर विचार एवं पारण 3- आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान
रविवार, दिनांक 08 मार्च, 2020 सोमवार, दिनांक 09 मार्च, 2020 मंगलवार, दिनांक 10 मार्च, 2020 बुधवार, दिनांक 11 मार्च, 2020	बैठक नहीं होगी।
गुरुवार, दिनांक 12 मार्च, 2020	आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 से संबंधित अनुदान की मांगों पर विचार एवं मतदान

(आय-व्ययक वर्ष 2020-21 से संबंधित अनुदान की शेष मांगें मुख बन्द का प्रयोग किया जाकर दिनांक 12 मार्च, 2020 को मतदान हेतु प्रस्तुत की जायेंगी)

शुक्रवार, दिनांक 13 मार्च, 2020	1-राजस्थान वित्त विधेयक, 2020 एवं 2-राजस्थान विनियोग (संख्या-2) विधेयक, 2020 -पर विचार एवं पारण

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि यह सदन कार्य सलाहकार समिति के चौदहवें प्रतिवेदन पर अपनी सहमति प्रकट करता है?

(स्वीकृत)

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

सदन पटल पर रखे गए पत्र

अधिसूचना

वित्त विभाग

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य-सूची में किए गए उल्लेख के अनुसार वित्त विभाग की 15 अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं-

(1) अधिसूचना संख्या: एफ.12(18)वित्त/कर/2020-123 दिनांक 20.2.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(56)वित्त/कर/2017-34 दिनांक 22.6.2017 में संशोधन किया गया है;

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.12(18)वित्त/कर/2020-124 दिनांक 20.2.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.11(24)वित्त/कर/2016-61 दिनांक 1.7.2017 में संशोधन किया गया है;

(3) अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2020-125 दिनांक 20.2.2020 जिसके द्वारा कतिपय मामलों में स्टाम्प शुल्क पर संदेय ब्याज और शास्ति का परिहार किया गया है;

(4) अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2020-126 दिनांक 20.2.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012पार्ट-13 दिनांक 31.5.2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अतिष्ठित करते हुए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या उपक्रमों द्वारा आबंटित/विक्रीत भूमि के विक्रय पत्रों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को घटाया गया है;

(5) अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2020-127 दिनांक 20.2.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(60)वित्त/कर/2012पार्ट-14 दिनांक 31.5.2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) को अतिष्ठित करते हुए स्थानीय निकायों द्वारा भूमि के आबंटन या नियमन के पश्चात् जारी पट्टों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को घटाया गया है;

(6) अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2020-128 दिनांक 20.2.2020 जिसके द्वारा कृषि, आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि की दरों का निर्धारण किया गया है;

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

(7) अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2020-129 दिनांक 20.2.2020 जिसके द्वारा कृषि, आवासीय एवं वाणिज्यिक भूमि की दरों का पुनरीक्षण निलम्बित किया गया है;

(8) अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2020-130 दिनांक 20.2.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-59 दिनांक 14.7.2014 को अतिष्ठित करते हुए दिव्यांगजन के पक्ष में निष्पादित स्थावर सम्पत्ति के हस्तान्तरण विलेख पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को घटाया गया है;

(9) अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2020-131 दिनांक 20.2.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(15)वित्त/कर/2014-58 दिनांक 14.7.2014 में संशोधन किया गया है;

(10) अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2020-132 दिनांक 20.2.2020 जिसके द्वारा रूग्ण उपक्रमों की स्थावर सम्पत्ति के नीलाम विक्रय के मामले में जारी विक्रय प्रमाण-पत्र की लिखत पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क नीलाम कीमत पर प्रभारित किया गया है;

(11) अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2020-133 दिनांक 20.2.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.2(36)वित्त/कर/2017-74 दिनांक 17.8.2017 को अतिष्ठित करते हुए रूग्ण, सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों की अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों पर देय पंजीयन शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;

(12) अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2020-134 दिनांक 20.2.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.4(3)वित्त/कर/2017-114 दिनांक 8.3.2017 को अतिष्ठित करते हुए रूग्ण, सूक्ष्म एवं लघु उपक्रमों की अचल सम्पत्तियों के हस्तांतरण के दस्तावेजों पर देय पंजीयन शुल्क में रियायत प्रदान की गई है;

(13) अधिसूचना संख्या: एफ.4(4)वित्त/कर/2020-135 दिनांक 20.2.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.12(84)वित्त/कर/2009-30 दिनांक 8.7.2019 को अतिष्ठित करते हुए स्थावर सम्पत्ति के अन्तरण की लिखतों पर प्रभार्य स्टाम्प शुल्क को घटाया गया है;

(14) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2020-21/2बी दिनांक 20.2.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

मु./2019-20/2 दिनांक 10.7.2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है; एवं

(15) अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2020-21/3सी दिनांक 20.2.2020 जिसके द्वारा अधिसूचना संख्या: एफ.6(179)परि/कर/मु./2019-20/3 दिनांक 10.7.2019 (समय-समय पर यथा संशोधित) में संशोधन किया गया है।

आउटपुट बजट वर्ष 2018-19 एवं आउटकम बजट वर्ष 2019-20

अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से आउटपुट बजट वर्ष 2018-19 एवं आउटकम बजट वर्ष 2019-20 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री परसादी लाल।

प्रतिवेदन एवं लेखे

राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19

श्री परसादी लाल (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड अधिनियम, 1955 की धारा 34(का) के अन्तर्गत राजस्थान खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड, जयपुर का लेखा परीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2018-19 सदन की मेज पर रखता हूं।

श्री अध्यक्ष: याचिका का उपस्थापन। श्री चन्द्रभान सिंह।

याचिका

चित्तौड़गढ़ की भदेसर से लसडावन की क्षतिग्रस्त सड़क की मरम्मत

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र चित्तौड़गढ़ के भदेसर से लसडावन जाने वाली महत्वपूर्ण सड़क के क्षतिग्रस्त होने से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री रामलाल शर्मा।

चौमूं तहसील के किशनमानपुरा में राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का भवन निर्माण

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी

(श्री रामलाल शर्मा)
अनुमति से राजकीय प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, किशनमानपुरा, तहसील चौमूं, जिला जयपुर के भवन निर्माण में हो रहे अत्यधिक विलम्ब से उत्पन्न स्थिति के संबंध में एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री मदन प्रजापत (अनुपस्थित)। श्रीमती चन्द्रकांता मेघवाल

केशोरायपाटन में नई पंचायत समिति का गठन

श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (केशोरायपाटन): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से विधान सभा क्षेत्र केशोरायपाटन के क्षेत्रफल को देखते हुए नई पंचायत समिति गठित किये जाने बाबत एक याचिका का उपस्थापन करती हूं।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदन। श्री दयाराम परमार।

समिति प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति 'ख' के प्रतिवदन (क्र.सं. 1 व 2)

श्री दयाराम परमार (खेरवाड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति 'ख' 2019-20 के प्रथम व द्वितीय प्रतिवेदन का उपस्थापन करता हूं:-

(1) प्राक्कलन समिति 'ख', 2017-18 के अष्टम प्रतिवेदन में समाविष्ट गृह (पुलिस) विभाग से संबंधित सिफ़ारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर प्राक्कलन समिति 'ख' 2019-20 का परिपालनात्मक प्रथम प्रतिवेदन; एवं

(2) प्राक्कलन समिति 'ख', 2017-18 के नवम् प्रतिवेदन में समाविष्ट जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग से संबंधित सिफ़ारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही पर प्राक्कलन समिति 'ख', 2019-20 का परिपालनात्मक द्वितीय प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: श्री बृजेन्द्र सिंह ओला।

प्रश्न एवं संदर्भ समिति के प्रतिवेदन (क्र.सं. 1 से 5)

श्री बृजेन्द्र सिंह ओला (झुंझुनूं): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्य सूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2019-20 के पांच प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं:-

(श्री बृजेन्द्र सिंह ओला)

(1) खान, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, गृह, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता, उद्योग एवं आयुर्वेद विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2019-20 का प्रथम प्रतिवेदन;

(2) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, आबकारी, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व, ग्रामीण विकास (रो.गा.यो.), भू-जल, पंचायती राज, विधि एवं विधिक कार्य, सहकारिता, सम्पदा, कृषि एवं पर्यटन विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2019-20 का द्वितीय प्रतिवेदन;

(3) जल संसाधन, वित्त, तकनीकी शिक्षा, देवस्थान, सहकारिता, सम्पदा, विधि एवं विधिक कार्य, नागरिक उड्डयन, आयोजना, कृषि विपणन, आयुर्वेद, सैनिक कल्याण, जन अभाव अभियोग निराकरण, तकनीकी शिक्षा (कृषि), इंदिरा गांधी नहर एवं सिंचित क्षेत्र विकास विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2019-20 का तृतीय प्रतिवेदन;

(4) आपदा प्रबन्धन एवं सहायता, संस्कृत शिक्षा, ऊर्जा एवं श्रम विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2019-20 का चतुर्थ प्रतिवेदन; एवं

(5) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, गृह, जल संसाधन, युवा मामले एवं खेल, कारागार, ऊर्जा, आयोजना, आबकारी, सहकारिता, मुख्यमंत्री सचिवालय, विधि एवं विधिक कार्य, उद्योग, गोपालन, कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व, आयुर्वेद, कृषि विपणन, पशुपालन, श्रम एवं रोजगार, तकनीकी शिक्षा (कृषि) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति तथा प्रशासनिक सुधार विभाग से संबंधित प्रश्न एवं संदर्भ समिति, 2019-20 का पंचम प्रतिवेदन।

विधायी कार्य: विधेयक का पुर:स्थापन

राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020

श्री अध्यक्ष: विधायी कार्य। पुर:स्थापित किये जाने वाला विधेयक। राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 श्री शान्ती धारीवाल।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव करता हूं।

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाए?

(स्वीकृत)

विधेयक को पुर:स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की गई। प्रभारी मंत्री।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से राजस्थान आवासन बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2020 को पुर:स्थापित करता हूं।

घोषणा

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर सामान्य वाद-विवाद हेतु समय का बंटवारा

श्री अध्यक्ष: मुझे सदन को सूचित करना है कि आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर सामान्य वाद-विवाद के लिए लगभग 16 घंटे उपलब्ध हैं। उपलब्ध समय में सरकार द्वारा उत्तर दिए जाने का समय भी सम्मिलित है। मैं विभिन्न पार्टियों के लिए समय का बंटवारा निम्न प्रकार करता हूं:-

1.	इंडियन नेशनल कांग्रेस	8 घंटे 31 मिनट
2.	भारतीय जनता पार्टी	5 घंटे 46 मिनट
3.	राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी	15 मिनट
4.	कम्यूनिस्ट पार्टी आफ इंडिया	10 मिनट
5.	भारतीय ट्रायबल पार्टी	10 मिनट
6.	राष्ट्रीय लोकदल पार्टी	5 मिनट
7.	निर्दलीय	1 घंटा 3 मिनट
	कुल	16 घंटे

मान्यवर, बजट की डिमांड पर 8 बजे चर्चा समाप्त हो जाएगी और जो डिमांड होगी वह 10 बजे तक चलेगी। इसलिए 8 बजे तक माननीय सदस्य बोलेंगे, 8 बजे सदन की कार्यवाही उस दिन के लिए स्थगित की जायेगी। आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर सामान्य वाद-विवाद। श्री राजेन्द्र राठौड़।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अध्यक्ष महोदय, आज यह सदन आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर विचार कर रहा है। सात संकल्पों के साथ सदन के नेता ने 64 पृष्ठीय बजट भाषण यहां प्रस्तुत किया।

(13.09 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

इस बजट भाषण को पढ़ने और संलग्न दस्तावेजों को देखने के पश्चात मैं यह कह सकता हूं कि इस बजट भाषण में पिछले बजट भाषण में की गई घोषणाओं की पुनरावृत्ति और केन्द्र सरकार और केन्द्रीय प्रवर्तित योजनाओं को नये फ्लेवर के अंदर राज्य की योजना के अंदर प्रवर्तित करने के कुत्सित प्रयास के अलावा कुछ भी नहीं है।

सभापति महोदय, जिन सात संकल्पों की बात कही गई है, उन्हें पूरा करने के लिए सरकार क्या कदम उठाएगी, सरकार की क्या कार्ययोजना है, इस पूरे बजट में कहीं परिलक्षित नहीं होती है। लगता है कि सरकार के कदम ठहरे हुए हैं। सरकार सिर्फ संकल्पों की बात कर रही है। सभापति महोदय, इस बजट में विजन तो इसलिए दिखाई नहीं दिया, मेरी मान्यता है कि इस बजट को प्रस्तुत करने में, इसको बनाने में, किसी विजनरी व्यक्तित्व का दूर-दूर तक हाथ नहीं है।

सभापति महोदय, अगर राजनीतिक लक्ष्मण रेखा से दूर हटकर सदन में इस बजट पर चर्चा की जाए तो इस बजट के पारण होने में भी संदेह है। सत्ता पक्ष के लोग हैं, वह लक्ष्मण रेखा में बंधे हुए हैं, इस बजट की प्रशंसा भी करनी पड़ेगी, बोझिल मन से मेज़ भी थपथपानी पड़ेगी। मैं कह सकता हूं कि यह बजट निराशाजनक, दिशाहीन, लक्ष्यहीन बजट है।

सभापति महोदय, संविधान के निर्माताओं ने हमें शासन का अधिकार दिया, उसकी बुनियाद हमारे संघीय ढांचे पर टिकी हुई है। केन्द्र सरकार व राज्य सरकार, लोक सभा व विधान सभा के माध्यम से आमजन के प्रति उत्तरदायी भी है। इसीलिए संविधान के विभिन्न अनुच्छेदों में, केन्द्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची के अंदर, राज्य सरकार और केन्द्र सरकार को कानून बनाकर, जनता के हित में काम करने का संवैधानिक अधिकार भी दिया है।

सभापति महोदय, इस देश के अंदर 54 वर्ष तक एक ही पार्टी का शासन रहा। यह पार्टी लोकतंत्र, लोकतंत्र की दुहाई, संविधान की बात आजकल बहुत कहती है। पर लंबे समय से संविधान पर हमला करने का काम किसी न किसी छद्म रूप से इस पार्टी के द्वारा किया जाता है। आजादी के बाद यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

पहला मौका आया जब इस सदन के अंदर एक ऐसे मसले पर चर्चा की गई, आर्टिकल 11 में केन्द्रीय सूची के अंदर, नागरिकता के संबंध में कानून बनाने का वैधानिक अधिकार केन्द्र सरकार को है, लोक सभा और राज्य सरकार से पारित होने के बाद यह कानून बन गया पर इस सदन के अंदर, इसी 25 जनवरी को, हमने चर्चा की और सत्तारूढ़ दल ने एक संकल्प भी पारित किया। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की घटनाएं इस संविधान पर सीधा हमला है। क्योंकि आर्टिकल 256 यह कहता है कि जो कानून, केन्द्रीय सूची के द्वारा संसद और राज्य सभा में पारित करने के पश्चात् बनाया जाता है, उसकी पालना करना राज्य सरकार का वैधानिक कर्तव्य है।

सभापति महोदय, अपने यहां प्रचलित कहावत है कि कार्य का आगाज अगर नफरत की दुनिया पर हो तो उसका अंजाम भी गर्त में ले जाता है। मैं सदन का ध्यान बजट भाषण 2020-21 के पृष्ठ एक, पैरा 3 की तरफ आकर्षित करना चाहता हूं। इसमें सदन के नेता यह कहते हैं कि देश की अर्थव्यवस्था के अधिकांश सूचकांक यह संकेत दे रहे हैं कि देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। देश की जीडीपी पांच परसेंट होना अनुमानित है। देश में कृषि विकास दर थम गई है। इसी के आगे पैरा 5 में यह कहते हैं कि केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्व में गिरावट आई है और खामियाजे के रूप में राज्य सरकार को केन्द्रीय करों के अंदर 10 हजार 362 करोड़ रुपये का कम हिस्सा मिलेगा। यानी पूरे बजट का अगर अध्ययन करें तो हमारे मुख्य मंत्री जी को चिंता केन्द्र सरकार की जीडीपी और जीएसडीपी के गिरने की रही, राज्य सरकार की नहीं रही। यह बात सही भी है, यह जीडीपी और जीएसडीपी है। अगर किसी राज्य और केन्द्र सरकार की वित्तीय सेहत को नापना है, तो निश्चित तौर पर उसमें प्रमुख पैमाना, इंडिकेटर है तो हमारी जीएसडीपी है। इसके अंदर भी तीन प्रमुख कंपोनेंट है, एक है कृषि क्षेत्र, एक उद्योग, एक सेवा क्षेत्र है। एक वर्ष के अंदर प्रदेश ने औद्योगिक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र के अंदर व सेवा क्षेत्र के प्रतिफल से क्या कुछ प्रगति की, उसके मूल्यांकन से हमारी जीएसडीपी निकलती है। जीएसडीपी के लिए भी पहले भारत सरकार ने बेस वर्ष 2004-05 तय कर रखा था। अभी सांख्यिकी कार्यक्रम मंत्रालय, भारत सरकार इस बेस वर्ष को बदलकर 2011-12 कर दिया। करंट प्राइस पर भी जीएसडीपी का आकलन होता है ।

सभापति महोदय, हम इस सदन में बैठे हैं, हम अलग-अलग दलों से आते हैं, पर हमारी बुनियाद जहां टिकी हुई है, हम कभी विश्व गुरु का खिताब

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

अंगीकार करने वाले इस देश के नागरिक हैं। इसलिए जब कभी भी विश्व के मंच पर इस देश की चमक दमक बढ़ती है, हम सबको गौरवान्वित होना चाहिए। यह मैं नहीं कह रहा हूं, एक Times and Forbes Magazine थी, उन दोनों ने सर्वेक्षण किया, सर्वेक्षण करने के बाद यह बात उन्होंने कही कि विश्व के दस लोकतांत्रिक रूप से सबसे ज्यादा लोकप्रिय नेता हैं, उनमें हमारे देश के प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी हैं। हमारे सबके लिए यह प्रसन्नता की बात है। नरेंद्र मोदी एक व्यक्तित्व के साथ-साथ देश के प्रधान मंत्री भी हैं।

अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, जिसे हम आईएमएफ कहते हैं, उसकी नवीनतम रिपोर्ट में कहा गया कि भारतीय अर्थव्यवस्था दुनिया की तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। तेजी से बढ़ती हुई। अगर यह अर्थव्यवस्था इसी तरह से बढ़ती गई तो जर्मनी को पछाड़कर दुनिया की चौथी अर्थव्यवस्था बन जाएगी। यह मैंने नहीं कहा, यह अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ने कहा है। उन्होंने आगे कहा, भारत की अर्थव्यवस्था ब्रिटेन की तुलना में 5 गुना तेजी से बढ़ रही है। यह हमारे लिए गौरव की बात नहीं है तो क्या है। हम क्यों पत्थर फेंकने का काम करते हैं? अगर मैं असत्य बोलता हूं तो आपका मौका आएगा, सभापति महोदय से इजाजत ले लेना, खड़े होकर बात कह देना, बात निकलेगी तो फिर दूर तक जाएगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, प्लीज।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा था कि अमरीका की एक ख्यात नाम संस्था है, वर्ल्ड पापूलेशन रिव्यू, उसका सर्वेक्षण अभी आया है। उस सर्वेक्षण में कहा गया है कि भारत की जीडीपी 2.94 अरब डालर के स्तर पर पहुंच गई है और भारत दुनिया के पांचवीं अर्थव्यवस्था बन गया है। उसके साथ उन्होंने कहा कि ब्रिटेन की जीडीपी 2.83 डालर है, फ्रांस की जीडीपी 2.7 अरब डालर है, छठे व सातवें स्थान पर है। इस प्रकार के मौक़े जब कभी भी आते हैं, विश्व मंच पर हमारी चमक-दमक बढ़ती है।

मैं सदन से कहना चाहूंगा कि इस प्रकार के मसले पर अपने आलाकमान की बात को भी आप जरूर रखें। पर न जाने क्यों, जब कभी भी बात उठी, चाहे वह सर्जिकल स्ट्राइक की रही हो, चाहे धारा 370 के समापन की रही हो, चाहे सीएए की रही हो, चाहे ट्रिपल तलाक की रही हो, जब कभी भी देश का परचम ऊंचा हुआ है, हमारे सामने बैठे हुए माननीय सदस्य हैं, इस पर न जाने इनके दिलों-दिमाग पर दर्द हुआ।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

सभापति महोदय, एक किताब आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 दी गई, यह वह किताब है। आय व्ययक अनुमान 2020-21, बजट संबंधी सारगर्भित विवरण। इसके पृष्ठ एक की ओर मैं सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इसमें लिखा है, राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जीएसडीपी, यह कालम नंबर एक है, परिवर्तित आय व्ययक का अनुमान। सभापति महोदय, मैं चाहूंगा कि कोई तो हो जो इन बातों को लिखे। अफसोस इस बात का है कि जब कभी भी सदन के नेता उत्तर देने खड़े होते हैं तो इन आंकड़ों का उत्तर नहीं देते हैं, बस इधर-उधर बात कहकर अपनी बात कह जाते हैं। मैं आपसे संरक्षण चाहूंगा।

जीएसडीपी, जिसका जिक्र आय व्ययक अनुमान 2020-21 बजट संबंधी सारगर्भित विवरण में लिखा है, इसमें लिखा है 2019-20 के अनुमान से है, यह 10 लाख 24 हजार 304 करोड़ रुपये हैं। अभी संशोधित अनुमान पेश किए हैं उसमें 10 लाख 20 हजार 979 करोड़ हो गया। आय व्ययक अनुमान बीई 2020-21 लेकर आए। इन्होंने लिखा है 11 लाख 33 हजार 298 करोड़, यह आंकड़े क्या कह रहे हैं। शीशे के महल में बैठकर दूसरों पर पत्थर फेंकोगे? हिन्दुस्तान की जीएसडीपी पर आपको बहुत चिंता है, यह पहली घटना होगी, राजस्थान की जीएसडीपी एक वर्ष में 3315 करोड़ से कम हुई है। मैं समझता हूं कि यह जीएसडीपी कम हुई है। मैं यह भी पूछना चाहता हूं कि 2020-21 में आप बीई 11 लाख 33 हजार 298 करोड़ लेकर आए हैं, कैसे पूरी होगी। क्या वातावरण बनाओगे, आपकी जी.एस.डी.पी., आगे आने वाले एक वर्ष के अन्दर 11 लाख 2000 करोड़ के लगभग कैसे बढ़ जायेगी। आपका क्या रोडमैप है? बातें बहुत होती हैं। क्या-क्या लिख डाला इसमें। नोटबंदी की बर्बादी पर बोलते नहीं, जी.एस.टी. के झटकों पर मुंह खोलते नहीं। आपके आंकड़े दिखाते हैं आईना, वे फिर भी मुकर के सच बोलते नहीं। बोलो सच। सभापति महोदय, ये आंकड़े क्या कह रहे हैं। इसलिये मैं निवेदन करना चाहूंगा।

सभापति महोदय, अभी इस जी.एस.डी.पी. के अन्दर कृषि क्षेत्र, जिसका योगदान 25.6 प्रतिशत है, उसके हालात क्या हैं? अभी तो किसान की बर्बादी चालू हुई है, मंत्री महोदय, समय आयेगा, किसान की असली तस्वीर बोलेगी। 07 लाख हैक्टेयर जमीन, 13 जिले टिड्डी चट कर गई। इसी सदन के अन्दर 18 फरवरी को एक प्रश्न के उत्तर में कृषि मंत्रीजी ने क्या कहा कि 37,82,000 ऋणी किसान हैं, जो प्रधान मंत्री फसल बीमा में बीमित हैं, इनके लिये खरीफ, 2019 में 1430 करोड़ रुपये और रबी, 2019-20 में 685 करोड़

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रुपये, यानी 2115 करोड़ रुपये का राज्यांश अभी तक बीमा कम्पनियों को सरकार ने नहीं दिया है।

सभापति महोदय, यही नहीं, आप एक और देखिये। इस फसल बीमा के लिये किसान का जो हिस्सा है, वह खरीफ, 2019 के लिये 361 करोड़ और रबी, 2019-20 के लिये 348 करोड़, यानी 610 करोड़ रुपये, यह राशि तो इंश्योरेंस कम्पनी के खाते में जमा हो गई, यह जो राशि राजस्थान की सरकार को देनी थी 2115 करोड़, कहीं बजट में प्रावधान हो तो मुख्य मंत्रीजी जवाब दें तो मुझे बतायें कि राजस्थान के 37 लाख किसानों के साथ अन्याय है। अब राजस्थान का किसान जी.एस.डी.पी. बढ़ाने में किस प्रकार का योगदान करेगा, यह मेरी समझ के परे है।

सभापति महोदय, इस जी.एस.डी.पी. के अन्दर, जिस तरह मैंने पहले कहा, किसी राज्य की आर्थिक प्रगति का मेरुदण्ड, कहीं टिका हुआ है तो राज्य के सकल घरेलू उत्पाद पर टिका है। इसके तीन कम्पोनेंट्स में दूसरा कम्पोनेंट इसका औद्योगिक विकास भी है। उद्योग के अन्दर, एक वर्ष के अन्दर उस राज्य ने क्या प्रगति की और उस औद्योगिक विकास में खनन विभाग भी है। माइन्स डिपार्टमेंट के द्वारा राजस्थान में कितने माइन्स को निकालने का और उसका राज्य की आय बढ़ाने में कितना योगदान रहा, यह भी है।

मैं सदन का ध्यान 2019-20 में, पैरा 80 और 81 के अन्दर, मुख्य मंत्रीजी ने जो बात कही, मैं वही आकर्षित करना चाहूंगा। इन्होंने क्या कहा, विगत सरकार ने बजरी माफिया पनपाये, बिलकुल हमारे पर आरोप लगा दिया। हम बजरी की समस्या का समाधान करेंगे। वाह साहब, बहुत अच्छी बात है। क्या बात कही आपने और राजस्थान में एम-सेंड की नीति लेकर आयेंगे। उद्योग मंत्रीजी एक साल निकल गया, वैधानिक रूप से बजरी प्रारम्भ नहीं कर सके, यह एम-सैंड की नीति किस कारण से खो गई? कौन सी वह अदृश्य शक्ति थी, जिन्होंने मजबूर कर दिया कि बजट की घोषणा के बाद भी इसको आप आगे नहीं बढ़ाओ।

आज हो क्या रहा है सभापति महोदय, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने इसी 19 फरवरी को राजस्थान की हुकूमत को कहा है, चार सप्ताह के अन्दर-अन्दर राजस्थान के सारे एस.पी., कलेक्टर्स को यह निर्देश दें कि बजरी के अवैध खनन को बंद करें और सी.वी.सी. गठित कर दी। इस बजरी के अवैध खनन पर, वैध बजरी के चालू नहीं होने पर सी.वी.सी. गठित कर दी।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आज इनका दुस्साहस कितना है। मैं यातायात मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जब राजस्थान की राजधानी के अन्दर रिहायशी इलाके के अन्दर, जो दनादन बजरी के ट्रक जा रहे थे, नागरिक समिति के अध्यक्ष किशोरसिंहजी ने जब उनको रोका तो बजरी माफिया चुनौती दे कुचल कर चले गये। मंत्री महोदय उनके घर पर गये। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा और निवेदन करना चाहूंगा, आज आप समाचार पत्र पढ़ लें, सभापति महोदय, हर समाचार पत्र में पिटती हुई पुलिस की तस्वीर, बजरी माफियाओं का हमला सामने आयेगा। यह मैं नहीं कह रहा, अभी कल ही केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, सावर की घटना को आप देखें। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि यह सवाई माधोपुर हो, चाहे नगर हो, चाहे बाड़ी हो, सत्तारूढ़ दल में बैठे हुए सदस्यों ने भी चिंता व्यक्त की, पर आप कुछ नहीं करेंगे। 30 जनवरी को ठाकरपाड़ा, बाड़ी के अन्दर 14 वर्षीय नाबालिग लड़का रोहित, बजरी माफिया द्वारा उसके माथे पर तिलक लगा करके उसको गोली से उड़ा दिया जाता है। इसी तरह पुदीना गांव में पाबू महाराज के मेले में चार दोस्त जाते हैं। रामकुमार और रामसेवक को धौलपुर की पुलिस गोली से उड़ा देती है, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं। मैं समझता हूं, अगर आपको जी.एस.डी.पी. बढ़ानी है, औद्योगिक क्षेत्र के अन्दर बजरी एक बड़ा कम्पोनेंट है, इस पर भी निश्चित तौर पर आपको मालूम करना चाहिये।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): बजरी पर चिंतित हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हैं, क्या?

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): आप बजरी को लेकर ज्यादा ही चिंतित हो रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): हां। यह मेरा काम है। मुझे किन-किन बातों पर चिंता व्यक्त करनी है, यह चिकित्सा मंत्रीजी, आप के निर्देश की आवश्यकता नहीं है।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): नहीं, सर, मैं कैसे दे सकता हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुझे निर्देश देने वाले, एक इधर भी बैठे हैं और एक इधर भी बैठे हैं।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): सर, मैं निर्देश थोड़े ही दे रहा हूं, पर आपकी चिंता बजरी के ऊपर ज्यादा रहती है फिलहाल।

श्री सभापति: मंत्री महोदय। माननीय सदस्य, आप स्वयं ही उनको इन्वाइट करते हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, हर वर्ष के अन्दर जब यह बजट प्रस्तुत किया जाता है, तो इसके साथ इसका एनुअल प्लान प्रस्तुत करते हैं, वार्षिक योजना। इस वार्षिक योजना पर पूरे वर्ष का विकास टिका है, योजनाओं के क्रियान्वयन के लिये आप किस प्रकार वित्तीय संसाधन जुटाओगे, उसकी पूरी योजना है। अगर मैं कहूं कि यह जो आपका योजनागत व्यय है, जिसको प्लान आउट-ले कहते हैं, इसकी नींव पर पूरे वर्ष की अट्टालिका जिसमें विकास के अलग-अलग खंड हैं, वह बनती है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी।

सभापति महोदय, मेरा सौभाग्य है और यह आप जैसे लोगों का आशीर्वाद है, मैं सात बार से लगातार सदन में आ रहा हूं। मैं मेरे अनुभव से कह रहा हूं, मैंने यहां आने से पहले दस्तावेज देखे। चार दशकों से, चालीस वर्षों से यह पहला मौका है माननीय मंत्री महोदय और माननीय चिकित्सा मंत्रीजी, जब योजनागत व्यय, जो हमारा प्लान साइज बना, वह पिछले साल के प्लान साइज से कम है। यह बात मैं नहीं कह रहा हूं।

मैं फिर सदन का ध्यान बजट एट ए ग्लान्स, 2019-20, पेज एक, योजना का परिव्यय, उद्व्यय, इसकी तरफ खींचना चाहता हूं। मैं फिर पेज पढ़ रहा हूं, पेज-एक, हैडिंग है, योजना का परिव्यय, उद्व्यय, 2019-20, परिवर्तित उद्व्यय योजना, परियोजना, 116735 करोड़ रुपये की, प्रतिपक्ष के नेताजी, प्रस्तावित की गई थी। उसमें यह लिखा गया था कि यह योजना 2018-19 की वार्षिक योजना से 8.22 प्रतिशत बड़ी थी क्योंकि 2018-19 की वार्षिक योजना हमने रखी थी, हमसे बड़ा काम आपको करना ही था। अब इस बार जो बजट एट ए ग्लान्स, 2020-21, वह योजना के व्यय अनुमान, उसमें लिखा, 110200 करोड़ की यानी 6735 करोड़ की योजना कटी। मैं समझता हूं, और इसके साथ-साथ यह आउट कम बजट आज प्रस्तुत हुआ है। अगर हम इसका अध्ययन करेंगे और अध्ययन करने की आवश्यकता नहीं, मैं बधाई देना चाहूंगा चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य को कि उन्होंने बजटीय घोषणा के आधार पर प्रश्न करने चालू कर दिये। वे प्रश्न चाहे तारांकित हों, अतारांकित हों, सारे प्रश्नों का उत्तर एक जगह आ करके ठहर गया कि अब इस बजटीय प्रावधान

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

की घोषणा के क्रियान्वयन में एक पैसा खर्च नहीं हुआ प्लस सरकार पर मेरा आरोप है कि यह पहली बार हुआ है, सभापति महोदय, जब इन्होंने योजना बनाई 116000 करोड़ की और योजना का 52 प्रतिशत पैसा खर्च किया। राजस्थान के विकास को अवरुद्ध करने का काम किया। मैं निवेदन करूं कि अब यह योजना कट गई, 6735 में कटी कहां? राजस्थान के 70 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं न, सभापति महोदय, यह मैं नहीं कह रहा। माननीय मंत्री महोदय, बजट एट ए ग्लान्स, 2019-20 आपके पास तो होगा नहीं, और बजट एट ए ग्लान्स 2020-21 ये दोनों किताबें मेरे पास हैं इधर।

सभापति महोदय, मैं कह रहा था कि उसके अन्दर, 2019-20 में ग्रामीण विकास पर जो योजनागत व्यय 12873 करोड़ रुपये होना था। अब लेकर कितना आये हैं, 11878 करोड़ रुपये, यानी 995 करोड़ रुपये राजस्थान के गांवों में रहने वाले लोगों का पैसा काटने का कुकर्म किया है। ये सत्ता के लिये संघर्ष करने वाले एक किरदार थे, जो आज नहीं हैं, जब हम लोग सत्ता में थे और एक सत्ता में बने रहने वाले किरदार हैं, इन दोनों के बीच के संघर्ष का परिणाम रहा, कहर टूटा है राजस्थान के गांवों के लोगों पर, और सभापति महोदय, मैं समझता हूं, अब संविधान का 73वां संशोधन हुआ। आप श्रीमान् विराजते थे, भैरोंसिंहजी का काल खंड था, सभापति महोदय, आपका क्या रुतबा मैं उन दिनों देखा करता था। उस 73वें संविधान संशोधन में आर्टिकल 243 (ई) के अन्दर एक संशोधन हुआ, हर पांच साल के काल खंड में ग्राम पंचायतों, पंचायत समितियों, जिला परिषदों के चुनाव होंगे। यह पहला मौका है, 1952 में बगदरी, नागौर से, इस पंचायती राज का लोकतांत्रिक रूप से आगाज हुआ था, पंडित नेहरू ने किया था। यह पहला मौका है, 73वें संशोधन के बाद, आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूं, 3000 ग्राम पंचायतों में, 286 पंचायत समितियों में और 33 जिला परिषदों में प्रशासक लगे हुए हैं।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं इन पंचायती राज संस्थाओं को स्वायत्तता मिले, इसके लिए 73वें संविधान संशोधन में यह व्यवस्था कर दी कि केन्द्र जो सहायता देगा, केन्द्रीय वित्त आयोग की सिफारिश के आधार पर जनसंख्या और मापदंड बने हुए हैं उसके अनुसार और राज्य सहायता देगा राज्य वित्त आयोग के अनुसार। मैं यह पूछना चाहता हूं कि यह 14वें वित्त आयोग की जो दूसरी किश्त आई, यह पहली बार हुई है, यह 1840 करोड़

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

रुपया मैं प्रतिपक्ष के नेता महोदय से भी यह निवेदन करूंगा कि यह 5.10.2019 को रिलीज हो गया। 5.10.2019 को रिलीज हो गया और यह नियम है कि 15 दिन के अंदर-अंदर सीधा पंचायती राज संस्था, ग्राम पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद् के खाते में यह जाता है। यह क्यों नहीं गया? क्यों रोका? यह आपस की खींचातानी के कारण से वह सरपंच, पंचायत समिति का अध्यक्ष, पंचायत समिति का प्रधान काम नहीं कर ले तो पी.डी. अकाउंट में यह पैसा ट्रांसफर कर दिया।

माननीय सभापति महोदय, अब हालात क्या हैं, इसलिए मैं निवेदन करूं कि इसी तरह से जो 15वें वित्त आयोग का पैसा था, आपने 17 सितम्बर, 2019 को जारी किया। मैं यह जो तारीख कह रहा हूं, जिम्मेदारी से कह रहा हूं, सब्जैक्ट टू करेक्शन कह रहा हूं और मैं यह चाहूंगा कि जब उत्तर हो तो बतायें। अब यह 27 सितम्बर, 2019 का पैसा, यह 15वें वित्त आयोग का पैसा, वैधानिक अधिकार पंचायत समिति, ग्राम पंचायत का, यह आज कहां है? इस पर भी बात कर दें तो ठीक है।

मैं यह निवेदन करूं कि एक बात पर हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने इतनी तालियां बजाईं और मैं यह देख रहा था कि केकड़ी से आने वाले हमारे मंत्रीजी भी, जब यह घोषणा हो रही थी तो मेरी तरफ यूं देखकर कर रहे थे कि देखो पांच साल का और इंतजाम हो गया क्योंकि घोषणा क्या थी कि 01 अप्रैल, 2021 से 2023 तक, तीन सालों के अंदर खेत में जो किसान को बिजली मिलती है वह दो ब्लाक में देंगे। बड़ी अच्छी बात है। अच्छी बात को हम भी अच्छी बात कहेंगे और उसमें दो हजार करोड़ रुपये का प्रावधान कर दिया और पैरा 123 में यह कह दिया कि इसके लिए 220 के.वी. के 3 जी.एस.एस., 132 के.वी. के 9 जी.एस.एस., 33 के.वी. के 15 जी.एस.एस. बनाएंगे। ठीक बात है। विद्युत तंत्र को आपको मजबूत करना पड़ेगा, विद्युत का उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा, पर आपने किया क्या है? यह बात मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं फिर सदन का ध्यान बजट एट ए ग्लांस, 2019-20 की ओर दिलाना चाहता हूं, उसके अंदर यह है, योजनागत उद्व्यय और उसमें लिखा है क्रम संख्या-5, मंत्रीजी, लिख लो, क्रम संख्या-5 पर लिखा है बजट एट ए ग्लांस में कि ऊर्जा के लिए, ऊर्जा क्षेत्र में 30144 करोड़ रुपये का प्रावधान पिछली बार किया था। कुल योजना का यह 25.8 प्रतिशत था और अबकी बार क्या किया? 18505 करोड़ रुपये यानी, 11829 करोड़ रुपये उड़ा दिये। कैसे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

आप विद्युत तंत्र को मजबूत करेंगे? आप योजना को उड़ाते चले जाएंगे तो यह मेरे समझ के परे की बात है।

माननीय सभापति महोदय, यह कर्जे की बात यहां पर हमेशा चलती है। सदन के नेता का यह बड़ा प्रिय विषय है। मतलब, जब कभी भी यह मौका आया, राज्यपाल महोदय के अभिभाषण के उत्तर से लेकर अब तक जब मौका आए तब-तब बात कही ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बैठिये, माननीय सदस्य, बैठिये।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): इन्होंने लिखने का कहा था।

श्री अध्यक्ष: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। आप विराजिये।

श्री रघु शर्मा (चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री): 000

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा, आप विराजिये। विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय मंत्री महोदय, प्लीज, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मंत्रीजी, मेरी चिंता मत करो। आज जहां मैं हूं, कल कोई और था। आज जहां मैं हूं, कल कोई और था, यह भी एक दौर है और वह भी एक दौर था।

माननीय सभापति महोदय, यह कर्जा बड़ा इनका प्रिय सब्जैक्ट है। इन्होंने क्या किया? 13 फरवरी, 2019 को पहला बजट वक्तव्य इन्होंने दिया, उसमें इन्होंने पृष्ठ संख्या-3, पैराग्राफ संख्या-10 में यह कहा कि गत सरकार के कार्यकाल में राज्य पर कुल ऋण और दायित्व में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है। मेरी पिछली सरकार को दिसम्बर, 2008 में विरासत में राज्य के सकल घरेलू उत्पाद के ऋण के अनुपात में 36.38 प्रतिशत का कर्ज भार मिला। हमारी सरकार ने मतलब, 2008 में हम गुनाह कर गये जो इन्होंने ठीक किया। हमारी सरकार ने अपने बेहतर प्रदर्शन से इसको घटाया। 2011-12 में यह 24.51 प्रतिशत किया, 2012-13 में 23.87 प्रतिशत किया, यह जी.डी.पी. का अनुपात है। 2013-14 में 23.58 प्रतिशत किया। फिर यह कह रहे हैं, गत सरकार के कुप्रबंधन से ऋण अनुपात बढ़कर 32 परसेंट हो गया। फिर इन्होंने क्या किया 2019-20 के अंदर, यह भाषण क्या दिया? वर्ष 2013-14 में

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

हमारी सरकार के समय में राज्य पर कुल कर्जा 1 लाख 29 हजार 910 करोड़ रुपये था, 2018-19 संशोधित अनुमानों के अनुसार यह ऋण और दायित्व 138 परसेंट बढ़ाकर 3 लाख 9 हजार 385 करोड़ रुपये कर दिया। यानी, यह जो दोषारोपण था, इसका अंदाज तो यह था कि अब राजस्थान में कर आधारित अर्थव्यवस्था खतम। अब राजस्थान में माननीय गहलोत साहब के शासनकाल के अंदर पिछली सरकार ने जो कुकर्म कर दिया, कर्ज ज्यादा ले लिया, वह नहीं करेंगे। हमने कर्ज लिया और मेरी यह चुनौती है कि आप सदन के अंदर कर्ज लेकर जो असैट्स निर्माण हुए, उनकी बात आप कर दें। कर्ज लेकर जो असैट्स बने, उनका प्रतिशत था 87 परसेंट और आपने कर्ज लेकर तनख्वाह चुकाई है, मैं यह निवेदन करना चाहूंगा।

माननीय सभापति महोदय, यह जो हमेशा कहते रहते हैं, अब एफ.आर.बी.एम. एक्ट का इन्होंने एक कागज दिया है। आपने पढ़ा ही नहीं होगा यह, इसको एफ.आर.बी.एम. एक्ट कहते हैं, तो एफ.आर.बी.एम. एक्ट के पृष्ठ-21 में क्या लिखा है? एक टेबल है, एक प्रारूप है- 7 (क), उसमें हैडिंग है कि राज्य सरकार के उधार और दायित्व, 2018-19 के एक्चुअल में लिखा है 3 लाख 11 हजार करोड़, जिसका जिक्र मैंने कर दिया, आर.ई. जो यह लेकर आये हैं, इनका काल खंड है 3 लाख 41 हजार करोड़, 30 हजार करोड़ रुपये का कर्ज लेने का गुनाह यह सरकार कर रही है जो हम पर आरोप लगा रही है और अब आप बी.ई. क्या लेकर आये हैं? मंत्रीजी, 3 लाख 75 हजार करोड़ रुपये का यानी, 34 हजार 750 करोड़ रुपये यानी, अब आप एक साल के अंदर, पहले साल में 30 हजार करोड़ रुपये और दूसरे साल में 34 हजार 750 करोड़ रुपये लेते हो और आरोप हम पर लगाते हो तो मैं यह समझता हूं कि यह राज्य सरकार वह सरकार है, जिसने दो वर्ष के काल खंड के अंदर 67 हजार करोड़ रुपये के कर्जे से राजस्थान को लाद दिया। इस सरकार को कोई नैतिक आधार नहीं है कि यह सरकार बात करे कि पूर्ववर्ती सरकार ने कर्जा क्यों लिया और आपने किया क्या है।

आप अगर इन आंकड़ों को देखेंगे, माननीय सभापति महोदय, यह राजस्व घाटा, रेवेन्यू डेफिसिट हमारी कुल राजस्थान की जो ऑन टैक्स रेवेन्यू और दूसरी हमारी जो रेवेन्यू रिसीट है, वह हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से कितना कम है? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि अब आपने इस बजट भाषण के अंतिम पैरा में एक टेबल दी है। उस टेबल में आपने लिखा है कि वर्ष 2019-

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

20 के संशोधित अनुमान यानी, आर.ई. में आपकी जो राजस्व प्राप्तियां हैं वह है 1 लाख 56 हजार 715 करोड़ 56 लाख रुपये और राजस्व व्यय 1 लाख 84 हजार 756 करोड़ 60 लाख रुपये यानी, राजस्व घाटा आपका हो गया 28 हजार 41 करोड़ 4 लाख रुपये का। घाटा हो गया। अब हालात क्या हैं? इस घाटे को कैसे पूरा करेंगे। आपकी रेवेन्यू रिसीट क्या है? आपकी आय क्या है? मैं फिर सदन का ध्यान बजट एट ए ग्लांस 2020-21 के पेज-1, कालम-1, 2019-20 की बी.ई. के अंदर रेवेन्यू रिसीट थी सरकार की, 1 लाख 64 हजार 4 करोड़ रुपये और जब वापस रिवाइज्ड एस्टीमेट यह लेकर आये, जो इन्होंने अब प्रस्तुत किये, इनका खुद का काल खंड, उसमें वह घटकर रह गयी 1 लाख 56 हजार 715 करोड़ यानी, आपकी रेवेन्यू रिसीट, आपकी राजस्व प्राप्तियां 7279 करोड़ रुपये कम हो गयी, अब यह घाटा कैसे पूरा करेंगे? आप छद्म रूप से राजस्थान पर कब-कब, कैसे-कैसे कर लगाओगे? कब-कब आप फ्यूल चार्ज के नाम पर, कब-कब आप दूसरे चार्जेज के नाम पर, कब -कब आप आडिट के नाम पर राजस्थान के उपभोक्ताओं को मारोगे? यह आगे इनको करना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, अब क्या कर रहे हैं? अभी 2019-20 के अंदर जो कर रहे हैं वह अब 2020-21 के अंदर यह करेंगे। हमेशा यह क्या करते हैं कि यह पूंजीगत खाते में मतलब, हमारा जो कैपिटल रिसीट है, उसको बढ़ाते हैं। कैपिटल रिसीट इसलिए बढ़ा देते हैं कि उसमें पब्लिक से हमें जो पी.एफ. के और यह सारे पैसे तो यह लेते हैं और कुछ लोन ले लेते हैं और इनको लेकर अब आपने क्या किया? आपकी पूंजीगत खाते की प्राप्तियां थीं 68 हजार 135 करोड़ 52 लाख रुपये और पूंजीगत खाते में व्यय किया 40 हजार 72 करोड़ 31 लाख के और पूंजीगत खाते का सरप्लस हो गया 28 हजार 63 करोड़ 21 लाख यानी, सरकार कैपिटल एक्सपेंडिचर को कम कर रही है। इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से असैट्स बनते हैं, इस कैपिटल एक्सपेंडिचर से वह सारी आधारभूत संरचनाएं बनती हैं। अब आप बात करते हैं, रोज सवाल खड़े होते हैं कि आज स्कूल के अंदर कमरा नहीं, आज हास्पिटल के अंदर भवन का पैसा नहीं, यह बुनियाद यह है। यह कैपिटल एक्सपेंडिचर से रेवेन्यू खाते को पाटने का काम कर रहे हैं और मैं यह समझता हूं कि अगर यही हालत रही, माननीय सभापति महोदय, इस बजट भाषण के अंदर इन्होंने अपनी रेवेन्यू रिसीट को 1 लाख 73 हजार 404 करोड़ 42 लाख रुपया बताया। मैं यह कहता हूं कि पिछली बार आपकी रेवेन्यू रिसीट गिरी है, 7279

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

करोड़ रुपये की कमी है। अब मैं इन दोनों को जोड़ता हूं तो 16679 करोड़ रुपये का राजस्व और कैसे आप ले लेंगे? आप किस पर कर लगाएंगे? क्या आप करेंगे? मैं यह समझता हूं कि यह आर्थिक रूप से इस राजस्थान में परतंत्र स्थापित हो गया है, आर्थिक रूप से यह सरकार आपातकाल की ओर बढ़ रही है और यही बात आपके राजकोषीय घाटे की है।

राजकोषीय घाटा आपका बजट-एट-ए-ग्लांस 2020-21, पेज 3 कालम 9, उसमें हैं 32,213 करोड़ रुपये का बी.ई. लेकर आये और आर.ई. के अंदर यह आपका कालखण्ड है, इसमें दूसरे किसी का लेना-देना नहीं, यह 33,922 यानी राजकोषीय राजस्व घाटा बढ़ रहा है। राजकोषीय घाटा 1244 करोड़ रुपये बढ़ रहा है। मंत्रीजी, उबासी लेने की जरूरत नहीं है, यह आंकड़े बता रहे हैं। सरकार संकट में खड़ी है। आपका विभाग ही संकट में खड़ा है, इसके बारे में आपको सोचना चाहिए।

सभापति महोदय, अभी जी.एस.टी. के झटके, वाह क्या अंदाज था, क्या अंदाज से बोले, क्या शेर था? अब यह जी.एस.टी. के झटके केन्द्र के लगे। अब एस.जी.एस.टी. तो आपकी है। एस.जी.एस.टी. के प्रबन्धन में तो किसी दूसरे का, केन्द्र सरकार का लेना-देना नहीं है। अब एस.जी.एस.टी. में क्या हो रहा है, माननीय सभापति महोदय, एस.जी.एस.टी. में बजट-एट-ए-ग्लांस, 2020-21, पेज 7 कम्पोनेंट एस.जी.एस.टी. आपकी 2019-20 की बी.ई. में आपने 29 हजार करोड़ रुपये का आकलन किया और आप जब आर.ई. में आये तो 25,605, यानी इसमें भी 3,395 करोड़। इसमें कसूर किसी का है, क्या? इसमें मोदीजी का कसूर है न। बताओ, जरा आप बात करो। अब यह जो आप बी.ई. लेकर आये 28,500 करोड़, यह कैसे पूरा होगा? आपकी एस.जी.एस.टी. कितनी जा रही है? यह रोज समाचार पत्रों में पढ़ रहे हैं न, यह एक पेरेलल इकोनोमी राजस्थान में चालू हो गयी। यह राजस्थान का दुर्भाग्य है।

माननीय सभापति महोदय, हमारा ओन टैक्स रेवेन्यू क्या है? हमारा जो टोटल टैक्स रेवेन्यू है, मैं फिर सदन का ध्यान, मैं जो कुछ कह रहा हूं लफ्फाजी से नहीं कह रहा हूं मंत्री महोदय, आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं। मैं फिर सदन का ध्यान बजट एट-ए-ग्लांस 2020-21 पेज-1 कालम-1, उसमें टोटल टैक्स रेवेन्यू 2019-20 में 73,742 करोड़ रुपये और 2019-20 की आर.ई. में 70,351 करोड़, यानी टैक्स रेवेन्यू घटती जा रही है। 3,391 करोड़, अब आप बताओ। अब आप कह रहे हो कि हमारा जो अगला एस्टीमेट है, वह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

एस्टीमेट भी आपने आगे बढ़ाया है। आपने 77,296 करोड़ का आगे एस्टीमेट किया है, यह आप कैसे पूरा करोगे? इसके पीछे हिडन एजेंडा क्या है, आप बताओ। यह मैंने एस.जी.एस.टी., ओन टैक्स रेवेन्यू, यह सारी बातें आपको बतायीं।

माननीय सभापति महोदय, मैं मेरी समय सीमा में ही अपनी बात कहूंगा। इन्हें रिफाइनरी से बड़ा प्रेम है। रिफाइनरी की बात को लेकर सदन के नेता ने पूरे जोधपुर संभाग के अंदर होर्डिंग और पोस्टरों का युद्ध छेड़ दिया। बहुत ठीक बात है और मौका छोड़ा नहीं हमारे पर प्रहार करने का। 2019-20 के बजट भाषण में पैरा 79, पेज 19 में क्या कहते हैं - सरकार ने पचपदरा बाड़मेर रिफाइनरी एवं पैट्रोकेमिकल काम्प्लैक्स परियोजना को अक्टूबर, 2022 तक पूरा करने का निर्देश दिया है। बड़ा अच्छा है। बहुत अच्छा निर्देश दिया आपने और आगे क्या कहते हो इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन स्थापित करेंगे। मैं पूछना चाहता हूं, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल जोन कहां है? यह अक्टूबर, 2022 का लक्ष्य तो दे दिया, यह कैसे पूरा होगा?

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, इस बार भी यह चूके नहीं। इस बार इन्होंने पृष्ठ 23 में पैरा 84 में कहते हैं - बाड़मेर में रिफाइनरी एवं पैट्रोकेमिकल काम्प्लैक्स के निर्माण को समय पर पूरा कराने पर हमारी सरकार का फोकस है। मतलब पहले शंका थी, अब फोकस कर दिया। अब आपने इस रिफाइनरी का झुनझुना कब बजाया? मंत्री महोदय, तब तो आप इस तरफ थे, 2008 की बात है। 2008 के अंदर इन्होंने चुनाव घोषणा-पत्र में रिफाइनरी लगाने की घोषणा की। 2010 के अंदर सत्ता में आते ही बजट में घोषणा की, दो साल बाद। फिर तीन साल बाद 2012 में दो साल बाद, फिर दो साल बाद आपने बनाने की घोषणा की। फिर 2013 में पहले बायतू में 9,665 बीघा भूमि अवाप्त की, फिर अचानक न जाने क्या हुआ, पचपदरा की तरफ चले गये और जब चुनाव हो रहे थे, उससे 13 दिन पहले आपने सोनिया गांधीजी को बुलाकर शिलान्यास करवा दिया। न पर्यावरण की एन.ओ.सी. थी, न भूमि का इन्द्राज रिफाइनरी के नाम से हुआ था, न बजटीय व्यवस्था थी और एच.पी.सी.एल. के साथ जो आपने एम.ओ.यू. किया, मैं समझता हूं अगर उसका रिव्यू नहीं होता, धन्यवाद देना वसुन्धरा जी को इस सदन द्वारा, 40 हजार करोड़ रुपये, जो राजस्थान की गरीब जनता के चले जाते, उसको बचाने का काम किया। 2013 में एच.पी.सी.एल. के साथ जो एम.ओ.यू. आपने किया, उसमें प्रोजेक्ट कोस्ट

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

थी 37,229 करोड़ और आपने इंटरेस्ट फ्री लोन 3,736 करोड़ 15 वर्ष के लिये एच.पी.सी.एल. को देना है, तो मन आ गया। 56,040 करोड़, यह पूरा आता है, माननीय सभापति महोदय, यह री-निगोशिएट हुआ 2017 के अंदर, जो 3,736 करोड़ रुपये हर साल देने थे, वह आकर टिक गये 1123 करोड़ पर। यानी 16,845 करोड़ रुपये देने पड़ेंगे। यह 40 हजार करोड़ बचे कि नहीं बचे? चलो, यह बात सही है, हमने तो मना कर दिया, रिव्यू कर लिया, पर आप मुझे यह बताओ कि अक्टूबर, 2022 तक पूरी रिफाइनरी लगेगी कैसे? माननीय सभापति महोदय, यह जो रिफाइनरी है, अब 43,129 करोड़ की है। इसमें दो कम्पोनेंट हैं–एक लोन का कम्पोनेंट है, जिसके लिये लोन ले लेंगे। दो बटा तीन हिस्सा लोन का, एक बटा तीन हिस्सा इक्विटी का है। जो इक्विटी की राशि है, मैं सदन का ध्यान चाहूंगा कि इक्विटी की राशि एक बटे तीन 14,376 करोड़ रुपये, हमारा 26 प्रतिशत हिस्सा है, उसमें 3738 करोड़ रुपये इक्विटी और कोई भी व्यापार दुनिया में हो, इक्विटी की राशि सबसे पहले खर्च की जाती है। 2018-19 में जब हम लोग थे 1500 करोड़ की इक्विटी की राशि जारी की थी। यह तो दूसरी बात थी कि 16 जनवरी को 2018 को प्रधान मंत्रीजी से शिलान्यास करवाया और इसलिए समय कम मिला, 160 करोड़ रुपये रिलीज हुए। पर 2019-20 में आपने 245 करोड़ रुपये रिलीज किये इक्विटी की राशि में और इस बजट में घोषणा की है न आपने लंबी-चौड़ी, अभी यह बता रहे थे 500 करोड़ की। टोटल 909 करोड़ रिलीज हुए हैं। यही रफ्तार रही तो मैं समझता हूं कि 2028 तक भी रिफाइनरी का काम अगर आप पूरा कर लो तो मेरी चुनौती है। मैं बड़ी गंभीरता से बात कर रहा हूं।

माननीय सभापति महोदय, कुछ बातें ऐसी हैं जिन बातों को लेकर राजस्थान के अवाम की जिंदगी उनसे बनी रहती है। इंदिरा गांधी नहर परियोजना आयी। राजस्थान के अंदर बीकानेर संभाग सहित सभी क्षेत्रों का जीवन बदल गया। लोगों का जीवन-स्तर बदल गया। यह जो ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट है, जिसको ई.आर.सी.पी. कहते हैं, मैं समझता हूं ऐसे कई प्रोजेक्ट हैं, जिसके लिये पक्ष और विपक्ष दोनों को मिलकर कोशिश करनी चाहिए, पर इसमें भी राजनीति होती है। मतलब आपने अपने बजट भाषण 2019-20 में क्या कहा, ईस्टर्न राजस्थान कैनाल प्रोजेक्ट एक महत्वाकांक्षी परियोजना है, जिसकी लागत 37 हजार करोड़ है। राजस्थान में पानी की कमी है। विशेष भौगोलिक परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुए केन्द्र सरकार से इसे

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

नेशनल प्रोजेक्ट का दर्जा दिलाने की कोशिश करेंगे, परंतु राज्य सरकार अपनी योजना में अपना हिस्सा देने के लिये प्रतिबद्ध है। यह प्रतिबद्धता कहां चली गयी? दूसरे बजट, पहले बजट में आप इतना सा भी बता दो। इस बार भी आप कह रहे हैं कि हमारी टोप प्रायोरिटी, फिर माननीय सभापति महोदय, मुझे मालूम है मैं समय सीमा में ही हूं, इस बार पेज नंबर 38 पैरा 136 पर फिर कहते हैं - पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ई.आर.सी.पी. को सिंचाई एवं जलदाय के लिये टोप प्रायोरिटी में सम्मिलित करने का निश्चय किया जा रहा है। दो वर्ष का समय बीत गया। जिस योजना को केन्द्रीय जल आयोग ने अनुमति दे दी। जो योजना 13 जिलों के लोगों का भाग्य बदल सकती है, हम उसके साथ राजनीति कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, 2024 तक इस हिन्दुस्तान के हर घर में शुद्ध जल पहुंच जाए यह जो जल जीवन मिशन योजना प्रारम्भ हुई, पूरे देश की सरकारों ने इसका स्वागत किया है। इसमें पचास प्रतिशत राज्य सरकार, 50 प्रतिशत केन्द्र सरकार का, इसमें भी आप कह रहे हैं कि 90 प्रतिशत राशि केन्द्र सरकार दे। मतलब पेज 29 पैरा 136 में आपने डिनाई किया है। आप नहीं चाहते कि राजस्थान के घर-घर को पेयजल के लिये स्वच्छ पानी मिले। मैं समझता हूं कि इससे बुरी बात कोई नहीं हो सकती।

माननीय सभापति महोदय, मैं दो बात कहकर अपनी बात को समाप्त करूंगा। यह मेमू कोच फैक्टरी और रेलवे परियोजना। आप सदन के नेता का भाषण उठाकर देखो। कोई मौका नहीं छोड़ा। इस बार भी राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर उत्तर दे रहे थे तो मेमू कोच आ ही गया और रेलवे परियोजना भी आ गयी। यह पसंदीदा विषय है। इस बार भी आपने 2019-20 में पेज 4 पैरा 14 में कहा - हमने पिछले कार्यकाल में कई अहम नीतिगत निर्णय लिये। एक तरफ हमने मैट्रो, रिफाइनरी, मेमू कोच फैक्टरी, रेलवे से वंचित तीन जिले बांसवाड़ा, टोंक और करौली के लिये महत्वाकांक्षी योजनाएं बनायीं। अब यह 2019 का बजट चला गया, 2020 का बजट चला जा रहा है। मैं पूछना चाहता हूं सरकार ने क्या प्रयास किया है? 50 प्रतिशत राशि आपको देनी थी, बजट के अंदर एक पैसे का प्रावधान किया हो तो मुझे बता दो। एक भी चिट्ठी आप मुझे बता दो। मैं समझता हूं कि इस प्रकार की राजनीति अगर हम नहीं करें तो बहुत अच्छी बात होगी। यह अपने को नहीं करना चाहिए।

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन करूं कि अभी 22 दिसम्बर को मुख्य मंत्रीजी ने बहुत बड़ी बात कहीं। मुख्य मंत्रीजी ने अपनी बड़ी तारीफ की। इन्होंने कर्बला मोती डूंगरी रोड से एक रैली निकाली और कहा कि देखो, कितनी अनुशासनबद्ध, उस रैली के अंदर पत्ता भी नहीं टूटा। जो सड़कों के बीच डिवाइडर पर पोट्स लगे थे, वह भी नहीं हटे। मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय सभापति महोदय, यह जो रैली है, इस रैली से पहले, 22 दिसम्बर को रैली थी, 21.12.2019 को कार्यालय पुलिस आयुक्त, जयपुर पत्र क्रमांक 24633 संभागीय आयुक्त, जयपुर को इन्होंने लिखा। इन्होंने लिखा कि उपरोक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि 22.12.2019 को जयपुर आयुक्तालय के समस्त क्षेत्र में सीएए व एनआरसी के खिलाफ मुस्लिम समाज द्वारा विरोध प्रदर्शन तथा राज्य सरकार द्वारा आयोजित किए जाने वाले शांति मार्च के दौरान कानून व्यवस्था की स्थिति को प्रभावित किए जाने की संभावना है, सांप्रदायिक सद्भाव बिगाड़ने का प्रयास किए जाने की संभावनाएं हैं, जिसके कारण से लोक शांति भंग होने, कानून-व्यवस्था और सांप्रदायिक सद्भाव के प्रतिकूल रूप से बाधित होने की प्रबल संभावना को आसन्न संकट मानते हुए गंभीर परिस्थितियों में तत्काल निरोधात्मक कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है। अत: जयपुर आयुक्तालय के समस्त क्षेत्रों में गंभीर तनाव की पूर्व स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए लोक शांति, कानून-व्यवस्था एवं सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने हेतु डाटा मोबाइल्स, इंटरनेट, इंटरनेट सर्विस, बल्क एसएमएस सर्विस, व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, अदर मीडिया सर्विसेज थ्रू इंटरनेट, इन सबको बंद करो। यह पहली घटना है, सामान्य बात नहीं है।

राजस्थान का मुख्य मंत्री एक जुलूस का नेतृत्व करे, राजस्थान की पुलिस का कमिश्नर यह कहे कि शांति भंग होने की आशंका है, यह जो इन्होंने इंटरनेट बंद किया, एक दिन में नहीं किया, खुद अपने हाथ से कहे कि हां, इंटरनेट बंद करने की स्वीकृति देते हैं। आज राजस्थान में अगर इस प्रकार की बात हो, राजस्थान का मुखिया ही इस बात को नहीं देखे, राजनीतिक गोल करने के लिए देखे, अगर शांति भंग हो जाए, अगर उनको आशंका थी और उसके बाद नेतृत्व करते हैं, मैं समझता हूं राजस्थान का दुर्भाग्य है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, मैं खतम कर रहा हूं।

मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी अजमेर से आने वाली माननीय सदस्या ने जो बात कही, चली गई, उन्होंने पर्ची में उठाई, पर यह पहली घटना है, यह मिस-एप्रोप्रिएशन है, यह हमारे संवैधानिक विशेषाधिकार का हनन है, सदन चल रहा हो और वित्त सम्बन्धी कोई घोषणाएं कुछ ठेकेदारों को राहत देने के लिए सदन के बाहर हो जाएं, मैं समझता हूं कि इससे बुरी कोई बात हो नहीं सकती।

सभापति महोदय, यह बजट दिशाहीन भी है, इस बजट में राजस्थान के विकास को अवरुद्ध करने के अलावा कोई बात नहीं है। इन्होंने परिंदों से उड़ने की बात कही, अब कहां परिंदों से उड़ेंगे, नेता जी हैं नहीं, मैं उनको कहता, अब परिंदों से उड़ने की उम्र चली गई, अब दूसरों को मौका देना चाहिए। इसलिए मैं उनको समर्पित एक शेर कहकर अपनी बात को समाप्त करता हूं, 'बुलंदी की उड़ान पर हो अगर तो जरा सब्र करो', सभापति महोदय, देखो तो सही, शायर ने क्या लिखा है,

'बुलंदी की उड़ान पर हो अगर तो जरा सब्र करो,
परिंदे बताते हैं कि आसमान में ठिकाने नहीं होते हैं।'

सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि इस प्रकार के दिशाहीन बजट को प्रस्तुत करके राजस्थान के अंदर जिस प्रकार का वातावरण है, विकास के नाम पर राजस्थान को रोका है, आर्थिक आपातकाल की दृष्टि से राजस्थान जकड़ा हुआ है, राजस्थान की ट्रेजरियां बिलों से अटी पड़ी हैं, राजस्थान में न कानून है, न कानून की व्यवस्था है। मैं इस बजट के प्रस्तावों का पुरजोर विरोध करता हूं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): सभापति महोदय, यह तो स्पष्ट हो गया कि राठौड़ साहब +++ बोलने में नंबर एक हैं। पूरे, जितने तथ्य हैं सारे +++ आंकड़े +++ और जो पूरा बजट भाषण दिया है उसमें से 90 परसेंट बातें +++ हैं।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। (व्यवधान) माननीय सदस्य, माननीय सदस्य। (व्यवधान) प्लीज, प्लीज, सहयोग करें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, अगर एक शब्द भी, मेरे द्वारा दिये गये आंकड़े जो मैंने उद्धृत किए हैं, अगर एक शब्द भी +++ हो न तो, मंत्री महोदय, मैं दोबारा सदन में नहीं दिखूंगा।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। श्री संयम लोढ़ा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन में एक उत्साहजनक और मानवता से ओतप्रोत बजट प्रस्तुत किया, जिसके लिए मैं राजस्थानवासियों की ओर से उनका ह्रदय के अंतर्मन से आभार प्रकट करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, अभी प्रतिपक्ष के उपनेता ने अपने उद्बोधन में माननीय मुख्य मंत्रीजी के बजट भाषण के पैरा 237 का जिक्र किया और राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे का जिक्र किया। मुझे बहुत प्रसन्नता होती यदि वे मात्र 2020-21 के या 2019-20 के तथ्यों का ही उल्लेख नहीं करते, अपनी सरकार के पांच साल के राजकोषीय घाटे और राजस्व घाटे का विवरण भी सदन में रख देते तो इनकी पोल खुल जाती। पांच साल जब इनके पास अवसर था राजस्थान में वित्तीय अनुशासन कायम रखने का तब यह आंखें नीची करके किस खामोशी के साथ में राजस्थान की कैबिनेट में बैठे रहे।

अब राजस्थान के इस सर्वोच्च सदन में आप रिफाइनरी का करते हैं, क्या आप राजस्थान की जनता को बताएंगे कि 2013 में जिस रिफाइनरी का हुआ, पांच साल में पूरी क्यों नहीं हुई और उस रिफाइनरी का काम शुरू नहीं करके कौन से निजी क्षेत्र के रिफाइनरी वालों का और अपने निजी मित्रों का और प्राइवेट उद्योगपतियों का कल्याण करने में लगे हुए थे? आपके मुंह से वित्तीय अनुशासन की बात शोभा नहीं देती। इसी राजधानी के अंदर, इसी सिविल लाइंस के चंद किलोमीटर दूर पर जहां मुख्य मंत्रीजी का सचिवालय है और मुख्य मंत्रीजी का निवास है, पूरा राजस्थान जानता है कि द्रव्यवती नदी के प्रोजेक्ट में बिना किसी स्वीकृति के, बिना किसी बजट प्रावधान के, बिना किसी कार्य स्वीकृति के आपने 200 करोड़ रुपये खर्च करने का काम किया था। आप इतनी अनुशासन की बात करते हैं।

माननीय सभापति महोदय, इन्होंने जिक्र किया। माननीय सभापति महोदय, यह क्या है?

श्री सभापति: आप अपना जारी रखें। कृपया शांत रहें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): Sir, she is disturbing me.

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, कुछ तो करो, इनको सिखाओ, या तो यह बाहर चले जाएं, इनके पास चैंबर है, माननीय सदस्य मौलिक विचार व्यक्त कर रहे हैं।

श्री सभापति: प्लीज, विराजें आप। प्लीज, प्लीज। माननीय सदस्या, आप अपने स्थान पर विराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, सदन में इकलौते मंत्री मौजूद हैं और उनको भी बी.जे.पी. के लोग जा-जाकर के डिस्टर्ब करते हैं, यह बहु त अनफॉर्चूर्नेट है।

माननीय सभापति महोदय, अभी प्रतिपक्ष के उपनेता जिक्र कर रहे थे, देश के माननीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी साहब का कि वह पूरी दुनिया में घूम आए और टाइम्स, फोर्ब्स पत्रिका ने पता नहीं उनके बारे में क्या लिख दिया और अमेरिका में जाकर हाउडी मोदी कर आए। लेकिन, माननीय सभापति महोदय, पूरा देश देख रहा है कि एक तरफ तो वह प्रधानमंत्री थे, जिन्होंने इस देश से गरीबी का उन्मूलन करने के लिए देश के लोगों को मनरेगा के माध्यम से काम का अधिकार दिया और एक तरफ दुनिया के सबसे ताकतवर राष्ट्र के सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति जब हिन्दुस्तान में आ रहे हैं तो अपनी गरीबी छिपाने के लिए हम दीवार खींचने का काम कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मुझे बहु त प्रसन्नता होती अगर हमारे सदन के बहु त वरिष्ठ सदस्य भारत सरकार के उन आंकड़ों का भी जिक्र करते जिनके कारण आज पूरा देश भुगत रहा है। क्या मैं उनसे पूछ सकता हूं कि भारत सरकार ने 2019-20 में अपना जो ग्रोस टैक्स रेवेन्यू एक्सपैक्ट किया था 24 लाख 61 हजार 195 करोड रुपये, अगर आपके देश के प्रधान मंत्री इतने ही विश्व के पसंदीदा शख्सियत हैं तो इस भारत देश का ग्रोस टैक्स रेवेन्यू घटकर के 21 लाख 63 हजार 423 करोड़ रुपये क्यों हो गया?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, बीच में नहीं बोलें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या आपके पास जवाब है कि इतने लाख करोड़ रुपये रेवेन्यू क्यों घटा? क्या आप देश को यह बताएंगे कि 8 लाख 9 हजार 133 करोड़ रुपये स्टेट शेयर के रूप में देना था राज्यों को भारत सरकार को, राज्यों को कितना ट्रांसफर हुआ? 6 लाख 56 हजार 46 करोड रुपये मात्र। भारत सरकार का खुद का टैक्स लाखों करोड़ रुपये गिर गया। देश के राज्यों को जो पैसा प्राप्त होना चाहिए था वह नहीं हुआ और माननीय सभापति महोदय, यह हम इस सरकार के वायदे गिना रहे हैं। यह तो बताओ कि वह 15 \लाख रुपये का क्या हुआ, जो देश की जनता को वायदा किया था? यह तो बताओ कि वह महंगाई खतम करने का क्या हुआ? यह तो बताओ कि वो काला धन वापस लाने का क्या हुआ? यह तो बताओ वो भ्रष्टाचार खतम करने का क्या हु आ? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया बीच में न बोले।

श्री पुष्पेन्द्र सिंह (बाली): बजट पर...(व्यवधान)

श्री सभापति: नहीं, विराजिये आप। मैं बिल्कुल अलाउ नहीं करूंगा।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आपने तो क्या-क्या सपने नहीं दिखाए, स्किल इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्मार्ट सिटी, स्टार्टअप इंडिया और वह सब... (व्यवधान) शटडाउन में बदल गया।

श्री सभापति: यह परंपरा गलत है बीच में बोलने की।

(14.00 बजे)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): आप बताते कि पूरी दुनिया में इंटरनेट बंद करने के मामले में भारत पहले नंबर पर आकर के खड़ा है, पहले नंबर पर। यह नौबत क्यों आई? यह सरकार की गलत नीतियों से आई। उन मुद्दों पर जिनका आपने जिक्र किया है, माननीय मुख्य मंत्री जी की पद यात्रा वगैरह का, उन पर मैं बाद में आऊंगा।

सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जैसे ही बजट पेश किया तो हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों को चिंता हुई कि माननीय मुख्य मंत्री ने छात्र, नौजवान, किसान, महिला, वृद्ध, अशक्त, खिलाड़ी, एक-एक वर्ग का ध्यान रखा है। उनको बरगलाया कैसे जाए? भ्रमित कैसे किया जाए? तुरंत ही प्रेस कांफ्रेंस में पहुंच गए लेकिन एक रचनात्मक विपक्ष की भूमिका यह नहीं होती।

आपने रिसर्जेंट राजस्थान किया। 3 लाख करोड़ से ज्यादा के एमओयू किए थे। लेकिन क्या हुआ? मात्र 19 हजार करोड़ रुपये के समझौते मैटीरियलाइज हुए। यह तो सरकार ने जांच नहीं करवाई, वरना इस राजस्थान के लोगों को पता चलता कि 170 करोड़ रुपये के तो रिसर्जेंट राजस्थान में आप पापड़ खा गए। इन्होंने 170 करोड़ रुपये पापड़ और भुजिए पर खर्च किए हैं।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि जैसी तस्वीर हमारे प्रतिपक्ष के मित्र राजस्थान की देश की जनता के सामने पेश करना चाहते हैं, वैसा है नहीं। राजस्थान के लोगों ने 70 साल में इसका निर्माण किया है अपने खून-पसीने के साथ में। भारत के मानचित्र में राजस्थान एक प्रतिष्ठा के साथ खड़ा है। यहां रह रहा आदमी राजस्थान का नाम रोशन कर रहा है। राजस्थान का आदमी अगर बाहर भी गया है तो पूरे देश में राजस्थान के लोगों ने अपना डंका बजाया है।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करूंगा कि आपने ओन टैक्स रेवेन्यू का जिक्र किया था। ओन टैक्स रेवेन्यू में मैं यह फीगर आपके सामने कोट करना चाहता हूं। देश के 18 राज्यों से राजस्थान बेहतर स्थिति में खड़ा है। जो 100 रुपये हैं, उसमें से 54 रुपये राजस्थान खुद अर्न कर रहा है। 54 परसेंट राजस्थान का ओन टैक्स रेवेन्यू है। दूसरे 17 राज्य राजस्थान से पीछे हैं। आंध्र प्रदेश जैसे राज्य का भी मात्र 50 परसेंट ओन टैक्स रेवेन्यू है। छत्तीसगढ़ का 43 परसेंट है। हिमाचल प्रदेश का 33 परसेंट है। झारखंड का 41 परसेंट है। एमपी का 43 परसेंट है। उड़ीसा का 41 परसेंट है। मैं छोटे स्टेट्स का नाम नहीं ले रहा हूं। उत्तराखंड 50 परसेंट है। यूपी 43 परसेंट है और वैस्ट बंगाल 43 परसेंट है। राजस्थान वह स्टेट है, जिसका 54 परसेंट अपना स्वयं का रेवेन्यू है। इसलिए राजस्थान की ऐसी निराशाजनक तस्वीर माननीय प्रतिपक्ष के उप नेता, देश के सामने पेश न करें।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी आप रेवेन्यू एक्सपैंडीचर का जिक्र कर रहे थे। मैं आपको बताना चाहूंगा कि राजस्थान उन स्टेट्स के अंदर है, जिसका कैपिटल एक्सपैंडीचर देश के 18 राज्यों से ज्यादा है। यह नीति आयोग का मैं स्टेटमेंट कोट कर रहा हूं, "During the 2015-20 period, states on aggregate have incurred 85% of their expenditure on revenue component and 15% on capital outlay." यह फीगर कोट किया है। राजस्थान का फीगर कैपिटल आउट-ले का 18 परसेंट से ऊपर है। मतलब, परिसम्पत्तियों के परिसृजन में राजस्थान बेहतर परफार्म कर रहा है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा कि यह बड़ा राजस्व घाटे का जिक्र कर रहे हैं, राजस्थान राजस्व घाटे में कब आया? 13वीं पंचवर्षीय योजना में राजस्थान सरप्लस स्टेट था। यह इनका राज था, 14वीं पंचवर्षीय योजना में, जब राजस्थान राजस्व घाटे के अंदर आया। यह फीगर इन्होंने Average fiscal deficit at percentage of GSDP during 2015-20, मैं पढ़ रहा हूं, 4.7 परसेंट, अब आप तुलना करना चाहते हैं? यह उठाकर के देखिए राजस्थान की सरकार का बजट, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री ने राजस्थान का राजस्व घाटा कितने प्रतिशत पर अनुमानित किया है? राजस्थान का आने वाला समय, आने वाला भविष्य, आने वाली पीढ़ी राजस्थान के मुख्य मंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देगी कि उन्होंने राजस्व घाटा जो लगातार आपके शासन में असंतुलन में था, उसको संतुलन में लाने का काम किया।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से यह भी निवेदन करना चाहूंगा, एक स्टैंडर्ड तय किया है, “Liabilities of states estimated to be 24.6% of GSDP, 19 states cross the recommended limit” यह फीगर भी 2019-20 का, मैं आपको पढ़कर के बताऊं तो हम 33.6 पर खड़े हैं। यह आपके 5 साल के कुराज का परिणाम है। यह राजस्थान का आउटस्टैंडिंग एक सैट नोर्म्स 24 से ऊपर जाकर के 33 पर खड़ा है। अशोक गहलोत तो अभी आए हैं। आप 2008 से 2013 के फीगर्स उठाकर के देखिए कि राजस्थान में किस तरीके से अशोक गहलोत साहब ने वित्तीय अनुशासन का काम किया। आप 2014 से 2018 तक के फीगर्स उठाकर के देखिए, आपको पता चल जाएगा कि किस तरह से वित्तीय अनुशासन को मटियामेट करने का काम किया है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि 15वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आप ही की सरकार के वक्त में आई थी। राज्यों का हिस्सा 42 परसेंट होता था। यह तो आप भी जानते हैं। अब राज्यों का हिस्सा भारत सरकार की आय में से घटाकर के 41 परसेंट कर दिया। इस आधार को लेकर कर दिया कि हमें जम्मू कश्मीर के लिए पैसा देना है। जिसके अंदर अलग-अलग नोर्म्स हैं लेकिन यह तो राजस्थान की जनता का भाग्य है कि जो पैरामीटर्स तय किए हैं, उसमें एक पैरामीटर में राजस्थान बेहतर है। राजस्थान की जनता का 2.31 जो शेयर होना चाहिए था, वह बढ़कर के 2.45 हो गया। उस पैरामीटर की वजह से राजस्थान की जनता को लाभ हो रहा है। आप ज्यादा गुणगान करने की चेष्टा मत करिए। आपकी सरकार ने और वित्त आयोग ने तो राज्यों का गला घोंटने का काम किया है। 42 फीसदी से 41 फीसदी कर दिया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि आपने पैट्रोल, डीजल पर इतना सैस लगा रखा है, उसमें से 5 पैसे किसी स्टेट को दे रहे हो? उस 41 परसेंट शेयर के अंदर वह पैसा आप गिन रहे हैं? नहीं गिन रहे हैं? वह पैसा अपनी मर्जी मुताबिक भारत सरकार उपयोग कर रही है। बहुत खुशी होती कि यदि राजस्थान के 25 के 25 सांसद जाकर के देश के प्रधान मंत्री को कहते कि राजस्थान से पैट्रोल और डीजल सैस पर जो आप कमाई कर रहे हैं, उसका हिस्सा राजस्थान को और दूसरे स्टेट्स को दीजिए, 41 परसेंट पैसा उस सैस में से आप दीजिए लेकिन वह आपको करना नहीं है।

(श्री संयम लोढ़ा)

सभापति महोदय, आप बड़ा राजस्व घाटे की चिंता कर रहे हैं? आप यह पढ़कर के सुना रहे हैं, 237, राजस्व घाटा 12345 करोड़ 61 लाख रुपये का। क्या मैं पूछ सकता हूं कि भारत सरकार ने 2020-21 में राजस्व घाटा खतम करने के लिए जिन स्टेट्स को पैसा दिया है, राजस्थान को फूटी कौड़ी दी है? 2020-21 में आंध्र प्रदेश को 5897 करोड़ रुपये दिए हैं। असम को 7579 करोड़ रुपये दिए। हिमाचल प्रदेश को 11431 करोड़ रुपये दिए। केरल को 15323 करोड़ रुपये दिए। मणिपुर को 2824 करोड़ रुपये दिए। मेघालय को 491 करोड़ रुपये दिए। मिजोरम को 1422 करोड़ रुपये दिए। नागालैंड को 3917 करोड़ रुपये दिए। पंजाब को 7659 करोड़ रुपये दिए। सिक्किम को 448 करोड़ रुपये दिए। तमिलनाडु को 4025 करोड़ दिए। त्रिपुरा को 3236 करोड़ दिए। उत्तराखंड को 5076 करोड़ दिए। पश्चिम बंगाल को 5013 करोड़ रुपये दिए। कुल 74371 करोड़ रुपया इस साल राजस्व घाटा कम करने के लिए भारत सरकार ने राज्यों को दिया। राजस्थान की जनता ने 25 सांसद आपको जिता करके दिए। कोई गुनाह किया है?

श्री सभापति: विराजिए। विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से हमारे प्रतिपक्ष के मित्रों से अपील करूंगा कि यह सवाल दलगत राजनीति का नहीं है। यह सवाल राजस्थान की जनता के हित का है। राजस्थान की जनता को सुविधाएं प्रदान करने का है। जब सदन में प्रतिपक्ष के उप नेता इस बात की चर्चा करते हैं कि 12 हजार करोड़ रुपये का राजस्व घाटा है तो जितना दूसरे राज्यों को पैसा दिया है, अपने 25 सांसदों को प्रधान मंत्री के पास भेजिए और उनसे कहिए कि 71 हजार करोड़ दूसरों को दिया है तो हमें भी दो।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि किस बात पर राजस्थान की सरकार की आलोचना कर रहे हैं? क्या परफोर्मेंस में गड़बड़ी रही है? प्रति व्यक्ति आय लीजिये आप पिछली कीमत पर, 2018-19 में 1,10,606 रुपये थी, 2019-20 में क्या है, 1,18,159 रुपये, आय बढ़ी है प्रति व्यक्ति। धन्यवाद दीजिये राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को कि जिन्होंने एक सुव्यवस्थित शासन के जरिये राजस्थान के लोगों के जीवन में उत्थान लाने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, अभी जिक्र कर रहे थे अलग-अलग सेक्टर का, क्या मैं खाद्यान्न उत्पादन का राजस्थान का आंकड़ा आपको बता सकता

(श्री संयम लोढ़ा)

हूं? 2018-19 में 231.25 लाख मीट्रिक टन उत्पादन हुआ खाद्यान का, 2019-20 में 249.88 लाख मीट्रिक टन का उत्पादन हुआ, यह आंकड़ा मेरा तो दिया हुआ नहीं है, राजस्थान सरकार के ऑफिशियल डाक्युमेंट का यह आंकड़ा है। क्या कमी रह गयी राजस्थान के शासन में? आप कामर्शियल बैंक क्रेडिट को उठाकर देख लो, 2018-19 के अंदर 2,67,523 करोड़ रुपये थे, 2019-20 के अंदर बढ़कर 3,15,149 करोड़ रुपये हो गये। अखिल भारतीय सकल घरेलू उत्पादन में राजस्थान का जो अनुपात है, 2018-19 में 4.96 था, 2019-20 में बढ़कर 4.99 हो गया। स्थिर कीमत पर भी देखेंगे तो आप 2018-19 में 4.81 था, जो 2019-20 में बढ़कर 4.82 हो गया। किस आधार पर आप आलोचना कर रहे हैं? ऐसा कौनसा क्षेत्र है जिसमें राजस्थान सरकार कहीं पर कमजोर साबित हुई है?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, कुल प्राप्तियां, टोटल रिसीट, एस्टीमेटेड, संशोधित अनुमान क्या था 2019-20 का? 1,80,162 करोड़ रुपये, रिवाइज एस्टीमेट, 2020-21 का अभी अनुमानित क्या है, 1,80,482 करोड़ रुपये, कहां कम हुआ?

माननीय सभापति महोदय, देश की सरकार ने वादा किया था, प्रधान मंत्री मोदीजी ने एक करोड़ सरकारी नौकरियां देने का...

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (परिवहन मंत्री): दो करोड़।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): हां, प्रताप सिंहजी सही कह रहे हैं, दो करोड़। (व्यवधान) कह दिया उन्होंने। बाद में जब हमारे बेरोजगार मित्रों ने रोजगार मांगा तो क्या कहा? पकौड़े तलो। लेकिन मुझे खुशी है कि राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री उनमें से नहीं हैं। उन्होंने सरकार बनते ही नौकरियां देने का काम किया, एग्जाम कराने का काम किया और आगे और एग्जाम करवाने के प्रयत्न जारी हैं। अभी भी इस बजट में भी 50 हजार नौकरियां देने का वादा किया है। माननीय सभापति महोदय, पूरे भारत की बेरोजगारी दर है, 6.1 प्रतिशत लेकिन राजस्थान में यह 5 प्रतिशत है। राजस्थान की सरकार राष्ट्रीय औसत की तुलना में बेहतर काम कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, अब आप टोटल एक्सपैंडिचर ले लो, 2019-20 का क्या एक्सपैंडिचर रहा? 2,24,829 करोड़ रुपये। माली हालत ठीक नहीं है, भारत सरकार पैसे में कटौती कर रही है, यह भी सही है कि मोदी की गलत नीतियों के कारण पूरे मुल्क में मंदी है लेकिन इसके बाद में

(श्री संयम लोढ़ा)

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने टोटल एक्सपैंडिचर का प्रोविजन 2020-21 के अंदर 2,25,731 करोड़ रुपये रखा है। यह पिछले साल के रिवाइज एस्टीमेट से ज्यादा है। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि राजस्व घाटा, 2018-19 में जब आपकी सरकार थी, 28,900 करोड़ रुपये था, 2019-20 में रिवाइज एस्टीमेट 28,041 करोड़ रुपये, 2.75 परसेंट, आपके वक्त में 28,900 करोड़ रुपये और अभी यह 237 नम्बर पैरा सुना रहे हो, 12,000 करोड़ रुपये का, दो साल पहले तो 28,000 करोड़ रुपये राजस्व घाटा था, अब 12,000 करोड़ रुपये है वह भी आपको दुख रहा है? माननीय सभापति महोदय, 2020-21 में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 12,346 करोड़ रुपये राजस्व घाटे का अनुमान किया है जो 1.09 परसेंट है, मात्र 1.09 परसेंट। इस राजस्थान से पूरा देश सीख लेगा कि कैसे राजस्व घाटा कम करें।

माननीय सभापति महोदय, पूंजीगत परिव्यय, कौन धन्यवाद नहीं देगा राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को। शिक्षा का मैं आपको सुना रहा हूं, 2019-20 में प्रोविजन था 892 करोड़ रुपये, 2020-21 में बढ़ाकर शिक्षा पर कितना प्रोविजन किया है, 1,413 करोड़ रुपये, 58 परसेंट की वृद्धि, 58 परसेंट की वृद्धि लेकिन वह सरकार क्या बोलेगी जिसने राजस्थान में 15,000 से ज्यादा स्कूलें बंद करने का पाप किया। पाप किया, वह क्या बोलेंगे?

माननीय सभापति महोदय, हमारे चिकित्सा मंत्रीजी बैठे हुए हैं, मैं धन्यवाद दूंगा उनको। राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने चिकित्सा के क्षेत्र के अंदर 114 परसेंट की बजट बढ़ोतरी की है, 114 परसेंट की, 2019-20 में प्रोविजन था 656 करोड़ रुपये जो बढ़कर 2020-21 में बढ़कर 1,400 करोड़ तक पहुंच गया लेकिन प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय, आप तो स्वयं चिकित्सा मंत्री रहे हुए हैं, बाद में आपको हटा दिया था। योग्य होते हुए भी हटा दिया लेकिन अभी जैसे आप यह कह रहे थे कि माननीय मुख्य मंत्रीजी का नाम लेकर कि दूसरों को भी मौका दो तो मुझे लगा कि ये कटारियाजी की तरफ इशारा कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति हमारी टोटल, ओवरआल डिमाण्ड है इसमें ये सारी छोटी-छोटी डिमाण्डें भी शामिल होती हैं। 2019-20 का संशोधित बजट प्रावधान रहा, 36,143 करोड़ रुपये और 2020-21 में बढ़कर हो गया 40,017 करोड़ रुपये। कोई एतराज है आपको? माननीय सभापति महोदय, जलापूर्ति,

(श्री संयम लोढ़ा)

स्वच्छता, आवासन एवं शहरी विकास, 2019-20 में संशोधित प्रावधान था 13,487 करोड़ रुपये जिसको माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बढ़ाकर कर दिया 16,224 करोड़ रुपये, मतलब 20 परसेंट की बढ़ोतरी।

माननीय सभापति महोदय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण का मैंने आपको पहले ही जिक्र कर दिया, 13,541 करोड़ रुपये 2019-20 का संशोधित प्रावधान था, वह 14,700 करोड़ रुपये मतलब 9 परसेंट बढ़ोतरी पर आ गया। कृषि एवं संबद्ध गतिविधियां, 11,129 करोड़ का प्रावधान था, रिवाइज एस्टीमेट में 2019-20 में वह बढ़कर हो गया, 11,441 करोड़ रुपये यानी 3 परसेंट की बढ़ोतरी। माननीय परिवहन मंत्रीजी, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने आपका भी कल्याण किया है। (व्यवधान) 6,380 करोड़ का प्रावधान था, जिसको बढ़ाकर किया 7,182 करोड़ रुपये, मतलब 13 परसेंट की बढ़ोतरी परिवहन के बजट में हुई है।

माननीय सभापति महोदय, हमारे जो पुलिस के मित्र हैं, 6,604 करोड़ रुपये का प्रावधान था जिसको बढ़ाकर किया माननीय मुख्य मंत्रीजी ने 7,005 करोड़, मतलब 6 परसेंट की बढ़ोतरी। सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण, मैंने पहले कृषि का पढ़ा, अब सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण का पढ़ रहा हूं क्योंकि प्रतिपक्ष के उप नेता ने कहा है कि किसानों की बर्बादी चालू हो गयी, अब यह बर्बादी कहीं गुजरात की देखकर तो नहीं आये हैं? क्योंकि राजस्थान की सरकार ने तो सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रण में 4,875 करोड़ के पिछले साल के संशोधित प्रावधान की तुलना में इस साल 5,638 करोड़ रुपये रखे हैं जो पिछले साल की तुलना में 16 परसेंट ज्यादा है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि स्टेट का ओन टैक्स, आप जिक्र कर रहे थे। 2019-20 का रिवाइज एस्टीमेट क्या था, 70,351 करोड़ रुपये, सही है? इस साल अनुमानित क्या है? 77,030 करोड़ रुपये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज। विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, रोको इनको। (व्यवधान) अनुमान कुछ ही लगा लो, आप रखो पहले इसको, बीई क्या है और आरई क्या है।

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं बीई का ही कह रहा हूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): यूं ही चेप रहे हो।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बीई से मतलब नहीं है, रिवाइज एस्टीमेट पर आइये आप। बीई से मतलब नहीं है, रिवाइज एस्टीमेट क्या था, वह काउण्ट करेंगे, एक्चुअल क्या है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): आप तो विद्वान आदमी हैं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): विद्वान आदमी नहीं, पूरे देश की ऐसी परिस्थितियां हैं, मैंने भारत सरकार के आंकड़े बताकर के जिक्र किया तो रिवाइज्ड एस्टीमेट में कमी आना लाजिमी है। इस साल का जो प्रावधान है, उसकी तुलना रिवाइज्ड एस्टीमेट से ही होगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा, टोटल रेवेन्यू रिसीट 2019-20 का रिवाइज्ड एस्टीमेट है 1 लाख 56 हजार 716 करोड़ और माननीय मुख्य मंत्री ने जो 2020-21 में प्रपोज किया है 1 लाख 73 हजार 400 करोड़ यानी 10.06 प्रतिशत की वृद्धि है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अंकित नहीं होगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिए आप। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): मुझे इन्होंने yield किया है। मुझे yield किया है। मैं यह कहना चाह रहा था कि यह जो बीई था 2019-20 का, उसकी आर.ई. में आप आये, इसका मतलब आपके यहां जो बीई के प्रोजेक्शंस होते हैं, उससे आप कम लेकर आये या ज्यादा लेकर आये। अब आगे बीई तो कितनी ही कर लें आप। यह भी सत्य है न कि आपने 1 लाख 10 हजार का आउट-ले लिया है, कम किया है। क्यों ऐसी बातें करते हैं। आप विद्वान आदमी हैं। बीई कुछ होती नहीं है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): बीई नहीं होगी तो चर्चा तो बजट पर ही होगी न। काल्पनिक आधार पर थोड़ी न होगी। माननीय मुख्य मंत्री ने जो बजट प्रस्तुत किया है, उसी पर चर्चा होगी न। कल्पना के आधार पर थोड़ी कर सकते हैं कि इतना कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा?

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि अन्य राज्यों का जो शिक्षा का औसत है, यह मेरा फीगर नहीं है, राजस्थान को

(श्री संयम लोढ़ा)

छोड़कर अन्य राज्यों का जो टोटल औसत है पूरे भारत में, वह शिक्षा पर कुल बजट का एक्सपैंडिचर है, 15.09 और राजस्थान का प्रोविजन है 19.03, इसी तरीके से हैल्थ में भी अन्य बड़े राज्यों का जो औसत है, वह है 5.03 और राजस्थान के इस बजट में प्रपोज किया है टोटल बजट का 7.01 परसेंट। इसी तरीके से ग्रामीण विकास में पूरे देश के अन्य राज्यों का मिलाकर जो औसत बनता है, वह है 6.02 और राजस्थान का बन रहा है 6.04.

माननीय सभापति महोदय, अब आप देनदारियों पर आ जाएं। राजस्व घाटे का मैंने आपसे जिक्र कर दिया कि माननीय मुख्य मंत्री जी 2 परसेंट से भी कम पर इसे ला रहे हैं। अब राजकोषीय घाटा। 2018-19 में क्या था? वह था 3.07, 2019-20 में क्या रहा, 3.02 और इस बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने 2.99 परसेंट अनुमानित किया है, लगभग 3 परसेंट। इन विषम परिस्थितियों में भी माननीय मुख्य मंत्री जी अगर राजकोषीय घाटे को साधकर शासन चला रहे हैं तो इससे बेहतर क्या हो सकता है? ये लोग तो उठकर भी चले गये। कोई बात नहीं।

माननीय सभापति महोदय, 2018-19 की बकाया देनदारियां 33 परसेंट थीं जो 2020-21 में भी 33 परसेंट मेंटेन्ड रहेंगी। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा जीएसटी के बारे में। राज्य जीएसटी का 2019-20 में संशोधित अनुमान था 25 हजार 605 करोड़ रुपये। 2020-21 में अनुमानित किया गया है 28 हजार 250 करोड़ रुपये, मतलब 2019-20 की तुलना में 10.03 परसेंट की सीधी-सीधी वृद्धि है। 2020-21 में जो टोटल रेवेन्यू रिसीट्स हैं, उसका 16.3 परसेंट है।

माननीय सभापति महोदय, सेल्स टैक्स और वैट का 20 हजार करोड़ का अनुमान था। इस बार 21 हजार करोड़ का अनुमान है। एक्साइज में पिछले साल 10 हजार 500 करोड़ का अनुमान था। इसे बढ़ाकर 12 हजार 500 करोड़ रुपये अनुमानित किया है। स्टांप ड्यूटी वगैरह में 5 हजार 350 करोड़ था। माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस साल 5 हजार 600 करोड़ का लक्ष्य दिया है। इसी तरीके से वाहन टैक्स पर 5 हजार 650 करोड़ का बजट एस्टीमेट था 2019-20 का जिसे बढ़ाकर 6 हजार करोड़ किया गया है। इस तरह से पूरे राजस्थान में एक बहुत ही सकारात्मक सोच के साथ माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट पेश किया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना

(श्री संयम लोढ़ा)

चाहूंगा। राजस्थान में लोग किन चीजों से परेशान हैं? कोई चीज शुद्ध नहीं मिलती है। लोगों के पास इस तरह का कोई माहौल, इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है कि शिकायत करें तो जांच हो। अगर जांच हो भी तो उसकी रिपोर्ट समय पर नहीं आती है। रिपोर्ट समय पर आ जाए तो इस्तगासा समय पर पेश नहीं होता है। मिलावटखोर बेखौफ होकर मिलावट कर रहे हैं। लोगों में कैंसर फैल रहा है। लोगों का स्वास्थ्य खराब हो रहा है, लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने फिर से राजस्थान की जनता के स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए, उनके जीवन को बचाने के लिए 'शुद्ध के लिए युद्ध' अभियान को आगे बढ़ाने की घोषणा की है। माननीय सभापति महोदय, हर जिले में एक लैब की स्थापना की जाएगी और नमूनों की जो जांच रिपोर्ट है, वह राजस्थान सरकार ओनलाइन देगी। इन मिलावटखोरों के खिलाफ कार्यवाही के लिए माननीय मुख्य मंत्री ने अथोरिटी के गठन का ऐलान किया है। इसके साथ-साथ फास्ट ट्रैक कोर्ट में इन मिलावटखोरों के मामलों की सुनवाई होगी। मैं समझता हूं कि लोगों को शुद्ध सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में इससे बेहतरीन कदम आज से पहले कभी नहीं उठाये गये।

माननीय सभापति महोदय, हम खुशनसीब हैं कि परमात्मा ने हमें एक स्वस्थ शरीर दिया है। दो आंखें दीं, दो पैर दिये, दो हाथ दिये, लेकिन बहुत-से ऐसे लोग हैं जो किसी न किसी लापरवाही से अंगों के विकार का शिकार हो जाते हैं और इनका बहुत बाद में मालूम पड़ता है कि इन्हें यह शारीरिक कष्ट हो गया। विकलांगता बढ़ रही है। माननीय मुख्य मंत्री ने अपने बजट में डिजिटल हैल्थ सर्वे की घोषणा की है। इसके साथ-साथ नि:शक्तता पहचान के लिये Early Intervention Centres खोलने की घोषणा की है। इन सबसे आने वाले वक्त में नीरोगी राजस्थान की जो कल्पना लेकर माननीय मुख्य मंत्री आये हैं, उसे पूरा किया जा सकता है।

माननीय सभापति महोदय, जब फसल बेचने का वक्त आता है और भाव गिर जाते हैं तो किसान मजबूर हो जाता है और उसे फसल बेचनी पड़ती है, लेकिन राजस्थान सरकार ने कानूनी संशोधन के जरिये किसान कल्याण कोष के प्रावधानों में परिवर्तन किया है। अब राजस्थान सरकार ने जिस साढ़े तीन हजार करोड़ रुपये का प्रावधान किसान के लिये किया है, कृषि क्षेत्र में किया है, उसकी फसल को गिरवी रखने का प्रावधान हो सकेगा। पहले कितना

(श्री संयम लोढ़ा)

समय लगता था भुगतान में। इस कोष के माध्यम से किसान को उसकी उपज को खरीदने के बाद तुरंत भुगतान हो सकेगा। 44 मण्डियां खोलने की घोषणा की गयी है, यह कोई छोटी बात है? पहले साल के बजट में 50 कालेज खोलना। दूसरे साल के बजट में 44 मण्डियां खोलना राजस्थान के किसानों को बिचौलियों से मुक्त करने की दिशा में अशोक गहलोत साहब का यह एक क्रांतिकारी प्रयास है।

माननीय सभापति महोदय, एक लम्बे संघर्ष के बाद आर्थिक पिछड़े वर्ग को आरक्षण का हक मिला। इसी सदन में आप और हम बीस साल पहले बैठे हुए थे। तब हमने संकल्प पारित करके भारत सरकार को भेजा था, लेकिन उस लड़ाई से पार नहीं पड़ी। जब इस आरक्षण की घोषणा हो गयी तो राजस्थान में सामान्य वर्ग के लोगों को उसका लाभ नहीं मिल रहा। राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री ने फैसला किया कि मैं यह जो 8 लाख की आय की सीमा है, उसे हटाने की घोषणा करता हूं। सम्पत्ति का जो प्रावधान है, उसे हटाने की घोषणा करता हूं। अब उसी चीज को आगे बढ़ाने के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री ने राजस्थान आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा की है।

माननीय सभापति महोदय, मैंने पहले भी जिक्र किया था, राजस्थान सरकार ने 'नो बैग डे' किया है। मैं अभी पिछले दो-तीन दिन पहले जब विधान सभा स्थगित हुई तो स्कूलों में गया। जवाल में गया, नारादरा में गया, मनादर में गया, मामावली में गया, रोवाडा आदि में गया। मैंने मंच से बच्चों से कहा कि शनिवार को अब तुम्हें स्कूल में बस्ते लेकर नहीं आना है। जैसे ये तुम्हारे भाई इस मंच पर गा रहे हैं, नाच रहे हैं, कविता सुना रहे हैं, शनिवार को तुम सबको भी इस बात का अभ्यास करना है कि स्कूल में गाना गाओ, स्कूल में कविता गाओ, स्कूल में नाचो, स्कूल में खेलो। जैसे ही मैंने उनसे यह कहा, तालियों की गड़गड़ाहट हुई राजस्थान के मुख्य मंत्री अशोक गहलोत के लिए कि उन्होंने बच्चे जो पढ़ाई के दबाव में थे, तनाव में थे, उन बच्चों को उस तनाव से बाहर निकालकर उनकी प्रतिभाओं का सर्वांगीण विकास करने का एक मौका दिया।

माननीय सभापति महोदय, ये जो 100 करोड़ रुपये नेहरू बाल संरक्षण कोष में रखे, वे ऐसे ही नहीं हैं। चाचा नेहरू जो बच्चों के प्रिय थे, जिन्हें बच्चे चाचा कहते थे, उन्होंने तो बच्चों को दिया एक गुलाब और पढ़ने

(श्री संयम लोढ़ा)

के लिए किताब। हमारे देश में हम कितनी ही बात करें, कितनी ही भारत माता की जय करें, कितना ही वन्दे मातरम् करें, इस तथ्य से हम अनभिज्ञ नहीं हो सकते कि देश में पांच करोड़ बच्चे ऐसे हैं जो आज भी स्कूल नहीं जाते। यह नेहरू बाल संरक्षण कोष उन सारे बच्चों को स्कूल के गलियारों के भीतर लाने की दिशा में, उनके संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होगा। माननीय सभापति महोदय, वृद्ध, भिखारी, कौन सुनने वाला है उनकी? कौन उनकी सार-संभाल करने वाला है? हमने वृद्धों के लिए संस्थान तो बना दिये, हमने भिखारियों के लिए संस्थान बना दिये पर उनके खाने का क्या किया? माननीय सभापति महोदय, राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद दूंगा कि इन्होंने ढाई हजार रुपये उन भिखारियों के लिए मैस भत्ता रखा है, ढाई हजार रुपये उन वृद्धों के लिए मैस भत्ता रखा है, जिसके माध्यम से नागरिक कर्तव्य का पालन हम सब भी कर सकेंगे और सरकार भी अपने संवैधानिक कर्तव्य की पालना कर सकेगी।

माननीय सभापति महोदय, महात्मा गांधी स्कूल, जो पहले जिला मुख्यालय पर खोले और अब ब्लाक में खोल रहे हैं। माननीय सभापति महोदय, आप पता करिये कि हर स्कूल के अन्दर पहले ही साल में 350-400 बच्चों ने प्रवेश लिये। वे मां-बाप जो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने के लिए सक्षम नहीं हैं, इस सरकार ने उनको एक मौका दिया है कि उनके बच्चे भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल में पढ़ सकें, अपना भविष्य बना सकें। सभापति महोदय, अब उस कामयाबी के बाद में ब्लाक स्तर तक ले जाने का इस सरकार ने जो निर्णय लिया है, उसकी मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

उद्योग, सरकार ने निर्णय किया है कि तीन साल तक हर तरीके के राजस्थान सरकार से जुड़े हुए कानून से हम आपको रिलैक्स करते हैं, आप अपना उद्योग चलाइये। इस लालफीताशाही से औद्योगिक जगत को मुक्ति दिलाने का जो यह कदम उठाया है, राजस्थान के अन्दर मात्र एक साल में 3339 उद्योगपतियों ने वह सर्टिफिकेट प्राप्त किया है अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष के उप नेता कह रहे थे कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने पदयात्रा की और इस सदन के अन्दर एक संकल्प पारित करके बहुत असंवैधानिक कृत्य किया है। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि

(श्री संयम लोढ़ा)

यह सही है कि भारत की संसद को यह अधिकार प्राप्त है कि वह देश के लिए कानून बनाये, लेकिन यह आवश्यक नहीं है कि वहां के बहुमत के बल पर जो कानून बनाया गया है, वह हर कानून संवैधानिक हो, हर कानून लोगों के हित में हो। माननीय सभापति महोदय, देश के संविधान में व्यवस्था है कि भारत की संसद के द्वारा जो कानून पारित किया जाता है, उस कानून की भी समीक्षा करने का सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है और ऐसे अनेक उदाहरण हैं, जब संसद के द्वारा पारित किये हुए कानून को सुप्रीम कोर्ट ने रद्द किया है।

माननीय सभापति महोदय, देश के संविधान के अन्दर प्रस्तावना दी गई है कि हम भारत के लोग इस संविधान को स्वीकार करते हैं। ''वी द पीपल आफ इण्डिया।'' यह नहीं कहा कि जैन, पारसी, सिख, मुस्लिम, ईसाई, कहीं जिक्र नहीं है। हम भारत के लोग जिक्र हैं। यह पहली बार हुआ है जब धर्म के आधार पर देश की पार्लियामेंट ने एक ऐसा कानून पारित किया है, जिसमें धर्म के आधार पर भेदभाव किया है। आज पूरे देश के अन्दर इसका विरोध हो रहा है, कोने-कोने में विरोध हो रहा है। हजारों नहीं, लाखों की तादाद में हर धर्म के छात्र, नौजवान अपनी आवाज बुलन्द कर रहे हैं तो उसका एक ही कारण है कि वे अपनी पुरखों की विरासत की रक्षा करना चाहते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर ने जिस महान् ध्येय के साथ इस देश को संविधान दिया था कि छोटे से छोटा आदमी, गरीब से गरीब आदमी, किसी तबके का आदमी हो, उसको बराबरी का हक मिलेगा। आज बाबा साहब के उस संविधान का मखौल बनाने की चेष्टा बहुमत के अहंकार में डूबी हुई वह सरकार कर रही है माननीय सभापति महोदय और इस सदन ने वह संकल्प पारित किया है तो वह अपने नागरिक कर्तव्य का पालन किया है, अपने संवैधानिक कर्तव्य का पालन किया है। एक बार पुन: हम आपके माध्यम से भारत सरकार से विनती करना चाहते हैं कि यह देश कबीर का देश है, यह देश तुलसी का देश है, यह देश बिस्मिल्लाह खान का देश है, यह देश अब्दुल हमीद का देश है और हर वर्ग के लोगों ने कुर्बानी दी है, अपना लहू बहाया है, अपना बलिदान किया है। भगवान राम जैसा शासक तो दस हजार साल की मानव सभ्यता में हुआ ही नहीं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): न तो उनके जैसा भाई होगा, न उनके जैसा पति होगा, न उनके जैसा पुत्र होगा। ऐसा कौनसा पुत्र है कि अपने पिता के एक वचन के लिए राज-पाट को ठोकर मारकर निकल गया? ऐसा कौनसा पति

(श्री संयम लोढ़ा)

होगा कि उनकी पत्नी को कोई लेकर जाए, कितना प्रेम करते होंगे सीता जी को कि तीन हजार किलोमीटर उनके लिए पैदल गये? आज है कोई ऐसा पति जो अपनी पत्नी के लिए तीन हजार किलोमीटर पैदल चला जाए? आज है ऐसा कोई पति जो अपनी पत्नी के लिए इतना बड़ा युद्ध लड़े? हम सिर्फ राम के नाम पर राजनीति न करें, राम के महान् सिद्धांतों को अपनायें, अपने जीवन में अपनायें। उनके जैसा कोई भाई है? कोई उदाहरण भारत के इतिहास में आपको नहीं मिलेगा। लेकिन माननीय सभापति महोदय, भारत का जो संविधान लिखा है, हर पेज पर हमारे महापुरुषों के चित्र है, भगवान राम का है, भगवान कृष्ण का है, भगवान बुद्ध का है, भगवान महावीर का है, अकबर का है, जितने महापुरुष हैं उन सबका है और इसलिए उनके चित्र लगे हुए हैं कि उन महान् लोगों से प्रेरणा लेकर हम अपने जीवन के अन्दर कोई कमी है तो उसमें सुधार करें, उसमें बदलाव करें। इसलिए नहीं कि उनके नाम पर हम लोगों को भड़काने का काम करें, अपनी गन्दी राजनीति करें। आज एक कानून की वजह से देश के अन्दर तीस से ज्यादा लोगों की जिन्दगी चली गई तो क्या भारत सरकार का कोई कर्तव्य नहीं बनता? हमारे बच्चे वहां लहूलुहान हो रहे हैं और दिल्ली की पुलिस निर्ममता के साथ उन बच्चों पर लाठीचार्ज कर रही है, अत्याचार कर रही है। लड़कियों के साथ अभद्रता कर रही है। यूनिवर्सिटी के अन्दर पुस्तकालय में पढ़ रहे हमारे बच्चों पर जाकर हमला कर रही है। क्या देश के प्रधान मंत्री का कोई कर्तव्य नहीं है? देश के गृह मंत्री का कोई कर्तव्य नहीं है? इस तरीके के वक्तव्य दे रहे हैं, बटन दबाओ इस तरीके से करंट शाहीन बाग़ में लगे।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): भारत सरकार के मंत्री, देश के गद्दारों को गोली मारो। बताओ तो कि ये गद्दार कौन हैं, वे गद्दार हैं जो जिन्ना की मजार पर जाकर दण्डवत कर रहे थे। वे गद्दार हैं जो पठानकोट के अन्दर आईएसआई को लेकर आये थे। वे गद्दार हैं जो पाकिस्तान के प्रधान मंत्री का जन्म दिन मनाने गये थे। वे गद्दार हैं जो अपनी मां के लिए वहां से शाल लेकर आये थे। गद्दार कौन हैं?

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य। प्लीज, विराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): इसका निर्णय कौन करेगा? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: विराजिये। अंकित नहीं होगा।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: बिराजिये। आप सहयोग करें। प्लीज, सहयोग करें। आसन पैरों पर है, सहयोग करें। विराजिये आप। मैं अलाउ नहीं करूंगा। विराजिये, माननीय सदस्य। एक मिनट विराजिये। माननीय सदस्य अपनी बात कह रहे हैं और उनको अपनी बात कहने का हक है। (व्यवधान) मैं अलाउ नहीं करूंगा बिल्कुल भी। आपका भी जब मन हो तो आप बोलते हैं। विराजिये। अंकित नहीं होगा, विराजिये। आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। प्लीज, सहयोग करें। अलाउ नहीं कर रहा हूं मैं आपको। अंकित नहीं होगा। विराजिये, विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। आप सभी को बोलना है, 30 के करीब माननीय सदस्य हैं और इस तरह से इंटरवीन करेंगे तो रात के 10-11 बजेंगे। मैं अलाउ नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य, आप दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन कर रहा था कि यह तय कौन करे, यह तय करने का काम कोर्ट का है कि कौन गद्दार है और कौन गद्दार नहीं है। यह सर्टिफिकेट देने का किसी को अधिकार नहीं है माननीय सभापति महोदय। मैं आखिरी बात अब निवेदन कर रहा हूं... (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: आप विराजिये। विराजिये। कोई ऐसी बात नहीं बोल रहे हैं वे।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): क्या गलत है? क्या गलत है इसमें? (व्यवधान) कमाल कर रहे हैं आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, आप सीनियर हैं, सहयोग करें। (व्यवधान)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। प्लीज विराजें। अंकित नहीं हो रहा है। विराजिये।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): 000

श्री सभापति: विराजिये। बोल रहे हैं आप। प्लीज, सहयोग करें। मैं फिर आपसे कह रहा हूं कि विराजिये। माननीय सदस्या, आप काफी वरिष्ठ हैं। हाइजैक मत करिये हाउस को। प्लीज, सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): मैं एक आखिरी बात निवेदन करके अपनी बात खतम करता हूं माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: दो मिनट में बात समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): खतम कर रहा हूं। राजस्थान की सरकार जनाधार कार्ड लेकर आई, क्यों लाना पड़ा? 400 करोड़ रुपये राजस्थान की सरकार के बर्बाद हुए। माननीय सभापति महोदय, उस भामाशाह कार्ड पर भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा लगा दिया, अपना कमल का निशान लगा दिया, वसुंधरा राजे का फोटो लगा दिया। क्या जिन्दगी भर के लिए मुख्य मंत्री बनी थीं? क्या हमेशा के लिए भारतीय जनता पार्टी का राज रहने वाला था? किस आधार पर आपने सरकारी डाक्युमेंट पर अपना और अपनी पार्टी का चिह्न लगाया? किस आधार पर एक पाँच साल के लिए चुनी हुई मुख्य मंत्री का फोटो लगाया और किस आधार पर उसके अन्दर अपनी पार्टी का कलर लगाया? आपको क्षमा याचना करनी चाहिए राजस्थान की जनता से, 400 करोड़ पर राजस्थान की जनता का...

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए। आपका समाप्त हो गया। प्लीज, सहयोग करें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, ये जनाधार कार्ड माननीय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत को इसलिए लाना पड़ा और मैं धन्यवाद दूंगा राजस्थान की सरकार को कि उसने गोलवलकर योजना का नाम बदलकर महात्मा गांधी के नाम पर, कौन है गोलवलकर? जिसने देश के संविधान पर प्रश्न चिह्न खड़ा किया था। जिसने देश के झण्डे पर प्रश्न चिह्न खड़ा किया था। उनका लिखित डाकूमेंट मौजूद है। उनकी लिखी हुई किताब मौजूद है। आप उनके नाम पर इस तरीके से, राजस्थान की जनता का पैसा...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए, समाप्त हो गया आपका।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए, माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है। आसन पैरों पर विराजिए।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री बलवान पूनियां (भादरा): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए, अंकित नहीं हो रहा है। चौमूं से आने वाले माननीय सदस्य, विराजिए। माननीय सदस्य विराजिए, आपको यू-ट्यूब पर पूरा राजस्थान देख रहा है, आपका आचरण देख रहा है। मुझे खेद है आप सारे लोग मिलकर यदि इस तरह से हाउस को चला रहे हैं, बिना आप लोगों के सहयोग के हाउस प्रोपरली नहीं चल पाएगा। मेरा आप सभी से विनम्र आग्रह है, सभी को बोलना है, सभी को अपनी बात कहनी है, संयमित भाषा में अपनी बात कहें, साथ ही साथ सदन की गरिमा बनी रहे। माननीय सदस्य, आप काफी वरिष्ठ हैं। हर बात में खड़ा होना जरूरी है आपका? आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: आप विराजिए, आपको अलाउ नहीं कर रहा हूं। माननीय सदस्य विराजिए, अंकित नहीं होगा। बार-बार कहने के बावजूद भी आप खड़े हो रहे हैं, परम्पराएं निभाएं। पूरा राजस्थान आपको देख रहा है, सदन की गरिमा आपके पीछे हैं, अकेले आसन का दायित्व नहीं है, आप सभी हैं। आप सभी हैं तो सदन की गरिमा है। प्लीज सहयोग करें, श्रीमती शकुन्तला।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री अशोक लाहोटी (सांगानेर): 000

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य, पहली बार आप आए हैं। अंकित नहीं होगा। पहली बार आए हैं, विराजिए। यूनिवर्सिटी नहीं है, जो कुछ यहां सीखेंगे, आप बाहर नहीं सीख पाएंगे। यह सदन है जो आपको सीखना है, आपका गरिमापूर्ण व्यवहार होना चाहिए। माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा। श्रीमती शकुन्तला रावत। प्लीज, शांति रखिए।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सम्माननीय सभापति महोदय, 2020-21 के बजट पर बहस चल रही है। बजट देखकर ऐसा लग रहा था, जैसे कि कोई भी वर्ग, कोई भी एजेंडा ऐसा नहीं है, जो कि उसमें समाहित नहीं हो। अभी जैसे माननीय सदस्य बोल रहे थे। मैं पिछले पांच वर्ष यहीं थी। पिछली सरकार के खाली आंकड़े सदन में गूंजते थे, धरातल पर कुछ था ही नहीं, जिस तरह हवा तेज चली, पत्तों की गड़गड़ाहट गूंज उठीं, लेकिन हवा रुकने के बाद देखा तो पेड़ खाली पड़े थे। बीजेपी के राज में राजस्थान के विकास का पथ खाली पड़ा था। आया बसंत नई फूल कली खिली, हरे पत्ते खिले, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनी, बिना भेदभाव हर वर्ग और हर व्यक्ति को विकास की सौगात मिली, छत गिर ही नहीं सकती।

सराहनीय बजट इसलिए है, जो आर्थिक एजेंडा, हमारी सरकार की प्राथमिकताएं क्या होंगी, हमारी सरकार की नीति क्या होगी, हमारी सरकार का उद्देश्य क्या होगा और उसको किस तरह से धरातल तक पहुंचाया जाएगा, ये सारा बजट में समाहित है। चाहे महिला हो, पशुपालक हो, कृषक हो, छात्राएं हों, युवा हो, व्यापारिक संगठन हो, जनप्रतिनिधि हो, औद्योगिक संगठन हो, विचारक हो, सामाजिक संगठन हो, सभी से डिस्कस करके, बातचीत करके और हर वर्ग की भावना को ध्यान में रखते हुए यह बजट बनाया गया है, समावेश किया गया है, सारगर्भित बजट है।

सभापति महोदय, सबसे बड़ी बात जो मुझे देखने को मिली कि पक्ष विपक्ष को नहीं नापा, इस बजट में पक्ष विपक्ष को नहीं बांटा, क्योंकि पिछली बार जब हम विपक्ष में थे, तो पूरे पांच साल एक भी काम नहीं दिया गया, जो भेदभावपूर्ण रवैया था। उसको खतम करके आमजन की भावना को ध्यान में रखते हुए, जनता के हितों को ध्यान में रखते हुए ये बजट बनाया गया है।

राजस्थान प्रदेश किस तरह से विकास की गति में आगे आ सके, विकास के लिए देश पर निर्भर रहना पड़ता है। लेकिन, फिर भी जिस तरह से कांग्रेस पार्टी के सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में समाहित किया आर्थिक स्थिति को, क्योंकि जो देश के हालात हैं, बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, चाहे डीजल पैट्रोल के दाम दुगुने हुए, कालाबाजारी बढ़ी, भ्रष्टाचार बढ़ा, काला धन आया ही नहीं, नोटबंदी हो गई, जीएसटी हो गई, तो ऐसी नीतियों के कारण राज्यों पर भार बढ़ा और हालात क्या हैं, ये किसी से छिपे नहीं हैं।

सभापति महोदय, राज्यों के हिस्सों का, जहां कांग्रेस पार्टी की सरकार है, क्या वहां पर जनता ने दूसरे चुनाव में वोट नहीं दिया, तो इस तरीके से

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

क्यों राज्य का हिस्सा काटा जा रहा है, ये बड़ी शर्म की बात है। ये देश के शीर्ष नेतृत्व की सोच को दर्शाता है कि उनकी सोच राज्य नहीं, बल्कि जनता के प्रति कैसी है, भेदभावपूर्ण नीति है। पिछली सरकार का जो कुप्रबंधन था, करोड़ों के कार्य स्वीकृत कर दिये गये थे, घोषणाएं कर दी गई थीं, और तो और काम करके ठेकेदारों का पेमेंट नहीं हुआ था।

सभापति महोदय, अभी तो प्रश्न काल जब होता है तो यह पूछा जाए कि अभी वर्तमान का बताइये, क्या है। हमने पूरे पांच साल, मेरे पास रिकार्ड भी है, बाकी यहां पर भी है। जब भी कोई प्रश्न पूछा देवनारायण योजना का, एक छोटा सा उदाहरण दूंगी कि क्या-क्या कार्य हुए 2014 से 2018 तक, तो एक भी कार्य लिखने के लिए उत्तर में नहीं था। पिछली सरकार के ये हालात थे। जो 2008 में हमारी सरकार ने काम किये, उन्हीं को उत्तर में लिखकर दिया जाता था कि आपके यहां ओबीसी छात्रावास खोला गया, आईटीआई कालेज खोला गया, सैनिक विश्राम गृह खोला गया। मैंने पूछा कि अब क्या किया गया तो कहते हैं कि हम पूरे आंकड़े रखते हैं, कौनसी सरकार ने क्या किया, बीस साल के आंकड़े ऐसे बोलना शुरू कर देते और उत्तर कुछ नहीं देते। सभापति महोदय, यह आंकड़ों की सरकार अब जब चली गई, इनके गड्ढे इतने गहरे हैं। वे साल भर में भी भरने में नहीं आ रहे हैं। अब हमारे मुख्य मंत्री महोदय की जो नीरोगी राजस्थान, चाहे जनता क्लिनिक खोलना हो, कृषक कल्याण कोष खोलना हो, इंदिरा महिला शक्ति निधि हो, मुख्यमंत्री युवा रोजगार योजना हो, राजस्थान जन आधार योजना हो, महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण, सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान योजना, शिक्षा का परिधान, पानी, बिजली व सड़कों का मान, कौशल व तकनीक प्रधान, जो हमारे मुख्य मंत्री के सात संकल्प हैं, सभापति महोदय, वह राजस्थान के मुख्य मंत्री और सरकार की सोच को दर्शाते हैं कि किस तरह की सोच हमारी सरकार रखती है। वह उनकी मानसिकता को दर्शाती है कि किस तरह की मानसिकता, विकास की मानसिकता, हर आम जन के विकास की मानसिकता रखते हैं। नीरोगी राजस्थान में चाहे निःशुल्क दवा योजना हो, स्वास्थ्य बीमा योजना हो, 100 करोड़ रुपये से नीरोगी राजस्थान के प्रबंधन का गठन करने का यह एक राजस्थान सरकार का सराहनीय कदम है, जितना सराहें उतना कम है क्योंकि मरीज की कोई पार्टी नहीं होती, कोई वर्ग नहीं होता है। सिर्फ दुःख और दर्द, उसको दूर कैसे किया जाए और सबसे बड़ा सराहनीय जो कदम है कि दुर्घटना

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

होने पर मरीज को अस्पताल ले जाते-ले जाते उसकी मृत्यु हो जाती है, क्योंकि मुख्य मंत्री निवास पर कितने लोग जाते हैं, कितनों को हम पत्र लिखते हैं तो उस चीज को देखते हुए कि दुर्घटना होने पर नजदीकी अस्पताल में उस व्यक्ति का ट्रीटमेंट किया जाए, यह सबसे बड़ा राजस्थान के लिए सराहनीय कदम सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय का है।

सभापति महोदय, इसी चीज को देखते हुए कि गांव के आदमी को, ढाणी के आदमी को किस तरीके से वहां पर ट्रीटमेंट मिल सके, समय पर दवा मिल सके, इसके लिए सभी ग्रामीण क्षेत्रों में सीएचसी खोली हैं और उससे भी बड़ा उदाहरण पिछली सरकार का है कि बानसूर में एक प्रोग्राम हुआ। प्रोग्राम में कैबिनेट मंत्री गए और सभापति महोदय, वैसे आम घोषणा कर देते तो कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन सुभाष चंद्र बोस के साथ जो स्वतंत्रता सेनानी आजाद हिंद फौज के सेनानी की मूर्ति का अनावरण करने गए और वहां झूठी घोषणा करके आए। मैं सम्माननीय चिकित्सा मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगी कि उन्होंने उनकी झूठी घोषणा को साकार करके उस स्वतंत्रता सेनानी आजाद हिंद फौज के उधमी राम को सम्मान देते हुए वहां पर पीएचसी खोलने का काम किया है। जो कहते हैं, वह करते हैं। यह नहीं कि झूठी घोषणाओं का पुलिंदा लेकर के अखबार में आना, इस तरीके की नीति कांग्रेस पार्टी की सरकार की नहीं है। मेडिकल कालेज खोलना और सभापति महोदय, जब मैं देखती हूं कि कहां-कहां पर ट्रोमा सेंटर खुले हैं तो सरकार ने, सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह देखा कि कौन सी जगह पर अधिक एक्सीडेंट होते हैं और कहां पर ट्रोमा सेंटर खोलने की आवश्यकता है। यह नहीं देखा कि वहां पर कौन सी पार्टी का विधायक है। सभापति महोदय, यह एक बड़ी सोच को दर्शाता है। यह एक सराहनीय कदम है और स्वास्थ्य को देखते हुए पहली बार प्रदेश में चाहे आयुर्वेदिक हो, इलेक्ट्रोपैथी हो, होम्योपैथी हो या यूनानी है, पहली बार प्रदेश में होम्योपैथिक महाविद्यालय खोला जा रहा है, आयुष चिकित्सालय खोला जा रहा है।

सभापति महोदय, मेरी जहां तक जानकारी में है, हो सकता है मुझसे ज्यादा सब ज्ञानी होंगे, लेकिन योग का जो प्रचलन है, यह आदि काल से चला आ रहा है, प्राचीन काल से चला आ रहा है। कोई ग्रंथ, कोई पुराण ऐसा नहीं है जहां पर ऋषि-मुनियों के जरिए योग का जिक्र नहीं किया गया हो, तो यह

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

प्राचीन काल से चल रहा है। किसी एक विशेष व्यक्ति का इसमें कोई योगदान नहीं है। यह प्राचीन काल से है और लोग करते भी आ रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ पोस्टर छपाना, दीवारों पर लिखाना या आयोजन करना, लेकिन यह जो योग है, यह जो नीरोगी राजस्थान है, इसकी एक कड़ी है और यह हर जगह, हर ग्रंथ और हर पुराण में विद्यमान है। क्योंकि प्राचीन काल में ऋषि-मुनियों के आश्रम में जब शिक्षा ग्रहण करने जाते थे, चाहे राजा हो, चाहे रंक हो, सभी को वहां पर योग संस्कार, कार्यकुशलता, किस तरह का प्रशिक्षण दिया जाता था, यह पहले से ही समाहित है। हमारे भारत देश की एक यह कड़ी है और यह स्तम्भ है, इसे कोई नया खड़ा नहीं किया है क्योंकि जब भारत ही नया नहीं बन सकता, कहने को तो कहते हैं कि नया भारत बनेगा लेकिन मुझे तो वही भारत देश दिख रहा है, बल्कि और नीचे धरातल में जा रहा है लेकिन ऊपर उठता हुआ नहीं दिख रहा है।

सभापति महोदय, डाक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन राजस्थान आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय, पीजी महिला छात्रावास, स्नातक छात्रावास का निर्माण कराया जाएगा, यह एक अच्छी सोच है। शुद्ध के लिए युद्ध यह सफलतापूर्वक चलाया जा रहा है। प्रत्येक जिले में एक लैब का गठन किया जाएगा। नमूने की रिपोर्ट ऑनलाइन होगी, उसके खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी क्योंकि यह एक बहुत गंभीर विषय है मिलावट का कि इंसान ही इंसान को मार रहा है और इंसान को ही इंसान से रोकना पड़ेगा, इसके लिए कठोर कदम उठाने के लिए सरकार धन्यवाद की पात्र है।

सभापति महोदय, नए-नए आयाम जो सवाई मानसिंह हास्पिटल में हुए, ट्रांसप्लांट हुए, चाहे बोन का हो, चाहे हार्ट का हो और जो कोकलियर मशीन ट्रांसप्लांट की यह सरलता जो बनाई है, यह अति आवश्यक है क्योंकि 8 वर्ष की आयु के बाद यह लगती नहीं है तो इससे बहुत बच्चों को लाभ मिलेगा, इसके लिए भी सरकार धन्यवाद की पात्र है। किसान के लिए, कृषि विभाग के लिए कितने हजारों लाखों करोड़ों का प्रावधान रखा गया है, कृषि के लिए जल संग्रहण रखा गया है तो यह सारी चीजें बजट के अंदर हैं क्योंकि पहले एक योजना चलाई थी जल स्वावलंबन। सभापति महोदय, बहुत मोटा एलबम छपा था और शायद सभी विधायकों के घर पर वह गया था, उसमें सिर्फ एक विधान सभा क्षेत्र का एक भराव क्षेत्र उसकी फोटो दी थी। वह आलरेडी पहले से ही जहां पानी भरता था, बाकी क्या किया, एसडीएम हो,

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

बीडीओ हो, तहसीलदार हो, कर्मचारी हो सबको लगा दिया उसमें कि इसमें पैसा भी लगाओ। कितना पैसा लेकर के और जहां पानी भराव का कोई क्षेत्र ही नहीं है, जहां पानी वहां से दो बाल्टी नहीं मिला होगा, ऐसी जगह खड्डे खोदकर दीवार कर दी गई लेकिन कहीं पर भी पानी वहां नहीं आया। अगर इसकी जगह कहीं बांध, एनिकट कोई खुदाई करते तो वहां पानी भरता, सिर्फ और सिर्फ दिखावा था। सभापति महोदय, आप कहीं भी बता दें मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक भी जगह अगर जल स्वावलंबन का खड्डा खोदा, वहां एक बूंद भी पानी आया हो तो। एक जगह भी ऐसी नहीं थी। सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद देंगे कि उन्होंने पुराने बांधों की खुदाई के लिए, एनिकट के लिए जो बजट प्रस्तावित किया है, जिससे कि पानी सिंचित होगा क्योंकि वह जो पहले के भराव क्षेत्र हैं, उन्हीं में पानी आने का प्रावधान सा रहा, एक भराव क्षेत्र तय करके बनाए गए थे। अब यह नहीं कि इस तरीके की जो चलती सी योजना बनाई थी।

सभापति महोदय, सोलर पंपों के लिए स्थापना करना सरकार का सराहनीय कदम है। पिछले पूरे 5 वर्ष किसानों को खाद की दुकानों पर लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। धन्यवाद मंत्रीजी लालचंद जी, मुख्य मंत्रीजी का कि इस बार एक भी किसान को खाद और बीज के लिए लाइन में नहीं खड़ा होना पड़ा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): बिलकुल गलतबयानी कर रहे हो आप।

श्री सभापति: विराजिये। आपका नंबर है बोलने का, तब बताइए आप। अभी विराजिये।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): जब आप बोलें, तो बता देना। मैंने जो देखा वह मैंने बता दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, इधर।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): नजर-नजर का फर्क है।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): तो हमारे यहां तो ऐसी सुविधा मिल रही है, तभी मैं बता रही हूं।

श्री सभापति: आप अपनी बात कहें इधर।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): आपके राज में थाने में बंटे थे। थाने में लाइन में खड़े करके।

श्री सभापति: इधर अपनी बात कहें आप। उधर उनसे नहीं इधर अपनी बात कहें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, इनका तो ऐसा कौन सा प्रोग्राम हुआ, जिसमें लाइन नहीं लगी हो, कोई एकाध आदमी बलि नहीं चढ़ा हो। ऐसा कौनसा था, चाहे नोटबंदी ले लो, कोई और ले लो, चाहे यह ले लो, अभी नया कानून ले लो, चाहे खाद का ले लो, कोई भी ले लो।

श्री सभापति: समाप्त करें अब।

(15.00 बजे)

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): अखंड स्तर पर स्वतंत्र मंडियां खोलना जिससे किसान को लाभ होगा और व्यापारियों को भी फायदा मिलेगा। किसान को दूसरी जगह दूर नहीं जाना पड़ेगा। किसानों को समय पर उचित मूल्य मिलेगा, उसका भुगतान होगा और मेरे बानसूर में भी 50-60 वर्षों से यह मांग चली आ रही थी। सम्माननीय मुख्य मंत्री जी धन्यवाद के पात्र हैं, जिन्होंने वहां पर स्वतंत्र मंडी खोली जिससे किसानों को ऑनलाइन पंजीयन, वितरण, सारी सुविधा मिलेगी। कृषि मंडी की तरफ से सड़क बनाने से क्षेत्र का विकास होगा। भारत सरकार की तरफ से नये जीएसएस का गठन किया जायेगा। सभापति महोदय, यह कह देते हैं कि किसानों के लिये यह काम किया, वह काम किया, क्यों नहीं भारत सरकार का शीर्ष नेतृत्व किसानों की बात करता है कि किसानों की आय दोगुनी करेंगे, कौनसा नीम का खाद पहुंचायेंगे, न जाने कौनसा मृदा कार्ड बना दिया। देश में जब हमारी पिछली सरकार थी तो सम्पूर्ण किसानों का कर्जा माफ किया था, क्यों नहीं करती भारत सरकार। किसानों की हितैषी बनती है तो क्यों नहीं करती। लेकिन नहीं, ऐसी सोच ही नहीं है। फरमान जारी करना आता है, किसान के हित की बात करना नहीं आता है।

सभापति महोदय, पशुपालन के लिये बजट में पशु उप केन्द्र खोले गये हैं। टीकाकरण किया गया है। महिलाओं के लिये इंदिरा महिला शक्ति निधि के माध्यम से महिलाओं को सशक्तीकरण में बढ़ावा मिलेगा। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी, साथिन का मानदेय बढ़ाया गया। इंदिरा गांधी महिला शोध संस्थान स्थापित किया जायेगा, जिसमें किशोरी बालिकाओं के पोषाहार की गुणवत्ता बढ़ेगी। गर्भवती एवं सभी महिलाओं को इसमें लाभ मिलेगा। सरकार का बड़ा कदम ईडब्ल्यूएस आरक्षण की पात्रता में अव्यावहारिक शर्तों को हटाना, यह सबसे बड़ा सरकार का कदम है जिससे सवर्ण को लाभ मिल सकेगा, क्योंकि जो कानून बना दिया उसमें सवर्ण को

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

लाभ नहीं मिल सकता था। राजस्थान राज्य आर्थिक पिछड़ा वर्ग बोर्ड गठन किया है, जिससे राजस्थान के पिछड़े वर्ग को लाभ मिलेगा। एमबीसी को आरक्षण देना सरकार का बहुत बड़ा कदम है। यह चीज दर्शाती है कि राजस्थान सरकार की मंशा, सरकार के मुख्य मंत्री की मंशा कैसी है, शांति, चयन और अमन की है, क्योंकि उन्होंने अहिंसात्मक तरीके से दिया है। सड़कों पर किसी मां के बेटे का, किसी बहन के भाई का, किसी औरत के सुहाग का खून नहीं बहाया, यह प्रदेश को शांति प्रदान करने वाली सरकार है। पालनहार योजना में अनाथ बालक हो, माता-पिता नहीं हो, पिता गुजर गये हों तो उनका पूरा खर्चा...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, अब समाप्त करें। समाप्त तो करना ही पड़ेगा, समय की सीमा है।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, मानसिक वृद्धाश्रम, आर्थिक पिछड़ा वर्ग के आवासीय मानदेय में वृद्धि की है। अनुसूचित जनजाति के स्वरोजगार के लिये मानदेय बढ़ाया गया है। अल्पसंख्यक के लिये टीएसपी एरिया में जनजाति प्रशिक्षण कौशल विकास केन्द्र चलाये जा रहे हैं। सभापति महोदय, कुसुम योजना के तहत जनजाति कृषकों को सोलर पम्प स्थापना हेतु 30 प्रतिशत तक अनुदान राशि दी जायेगी। ऊर्जा से समन्वय स्थापित करके 45 हजार प्रत्येक कृषक को अनुदान दिया जायेगा। वन भूमि पर निवास करने वाले जनजाति परिवारों को वन भूमि अधिकार प्रदान किये जायेंगे। इन परिवारों को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने के लिये मुर्ग़ी पालन, बकरी पालन, बेरोजगारी दूर करने का काम सरकार करेगी। सक्षम मजदूर, छात्र, युवा, राज्य के ऊर्जावान युवाओं को खेलों में ...

श्री सभापति: कितने पेपर और हैं आपके पास?

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, पांच मिनट। सभापति महोदय, जो बजट में है, मैं वही बोल रही हूं। खेलों को प्रोत्साहित करने के लिये उनकी राशि बढ़ाई गई है। स्वर्ण पदक, रजत पदक, कांस्य पदक सभी के लिये, चाहे एशियन, कॉमनवैल्थ गेम्स हों, चाहे ओलम्पिक खेल हों, सभी की राशि बढ़ाई गई है जिससे कि ज्यादा से ज्यादा खेल में भाग ले सकें और राजस्थान के खिलाड़ी राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भाग ले सकें। औद्योगिक नीति बनाई गई है जिससे कि राजस्थान की स्थिति सुदृढ़ हो सके। रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हुआ है। हस्तशिल्प कलाकारों एवं दस्तकारों के लिये राजस्थान से

(श्रीमती शकुन्तला रावत)

होने वाले निर्यात को बढ़ावा देने के लिये एम्पोरियम इंडेंड कंटेनर डिपो, एयर कार्बो, आधुनीकरण, नवीनीकरण करवाया गया है। 150वीं गांधी जयंती पर 50 प्रतिशत छूट देकर खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा दिया गया है। रिफाइनरी तो इन्होंने लास्ट में खोली थी, वह भी मजबूरी में, नहीं अभी तक बनकर तैयार हो जाती।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्या।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): थोड़ा-सा, ग्रामीण विकास के लिये लाखों परिवारों को, ऐसी सोच जो झोंपड़ी में बैठा हो, कहीं भी हो, भारत सरकार ने मनरेगा योजना चलाई। क्यों नहीं देश के आज के नेता अगर आम आदमी को सुविधा देना चाहते हैं, जब गैस का सिलेण्डर बढ़ा सकते हैं, डीजल-पैट्रोल बढ़ा सकते हैं, सब पर जीएसटी लागू कर सकते हैं, तो क्यों नहीं मनरेगा के मानदेय को 500-1000 रुपये करके दिखाएं, सभापति महोदय, इसमें जीरो हैं। लेकिन उनकी सोच ऐसी नहीं है कि एक आम आदमी को भी महंगाई बढ़ने के साथ-साथ उसकी भी आवश्यकताएं बढ़ती हैं, ऐसी देश के शीर्ष नेतृत्व की सोच नहीं है। शिक्षा मंत्री जी ....

श्री सभापति: अब समाप्त करें, प्लीज सहयोग करें। माननीय सदस्य, प्लीज सहयोग करें। मंत्री जी से चैम्बर में मिलकर उनको अपनी बात बताना, समाप्त करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): हमारे स्कूल क्रमोन्नत हुए। हमारी सारी खाली जगह भरी गई हैं। सभापति महोदय, प्रिंसिपल की कुर्सी पर बैठे उसके लिये धन्यवाद है, एक नया आयाम कायम किया है। हमारे यहां जहां लड़कियां अधिक थीं, स्कूल क्रमोन्नत किये गये हैं। सभापति महोदय, हमारे बजट में यह सन्निहित है कि आरटीडीसी की धरोहर को बचाने के लिये बजट का प्रावधान किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, समाप्त करें, प्लीज, प्लीज, नहीं, और अलाउ नहीं करूंगा। प्लीज, प्लीज।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): पिछली सरकार ने सारी चीजों को पीपीपी माडल पर दे दिया। बहरोड़ का आरटीडीसी बंद कर दिया, शाहपुरा का बंद कर दिया।

श्री सभापति: माननीय सदस्या, विराजिए, विराजिए, सहयोग करें।

श्रीमती शकुन्तला रावत (बानसूर): सभापति महोदय, यह बहुत ही सराहनीय बजट है जिससे आम आदमी, महिला, पुरुष, सभी को लाभ मिलेगा। राजकीय महाविद्यालय खोलना, आईटीआई कालेज खोलना। सभापति महोदय, कानून की बात करते हैं कि वहां यह हुआ, वहां यह हुआ, बड़ी शर्म की बात है, अगर पिछला खोले तो एक एक महीने में 8-8, 9-9 मर्डर अलवर शहर में, बाजार में, दुकान में, घर में हुए, कौनसे कानून की यह बात करते हैं। अब नया एसपी आफिस में खोलकर एक अच्छा काम किया है। सभापति महोदय, धन्यवाद, ऐसा बजट, सम्पूर्ण बजट जिससे कि हर आम व्यक्ति को लाभ मिलेगा, पूरे राजस्थान का विकास होगा, धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल शर्मा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): माननीय सभापति महोदय, सदन के नेता ने आय व्ययक का लेखा-जोखा, बजट पेश किया सदन में। सभापति महोदय, बजट एक तरह से एक दर्पण होता है जिसमें राजस्थान की अवाम यह देखती है कि आने वाले एक वर्ष में सरकार हमारे लिये क्या करने वाली है। विकास के किस रास्ते पर वह ले जाने वाली है और उसी के अनुसार वह कल्पना करती है, योजना करती है कि मेरा विकास होगा या नहीं होगा। एक तरह से इस विजन के साथ सदन के नेता ने शायद बजट पेश किया होगा। सभापति महोदय, आप मेरे फूफा जी भी हो, मैं आपकी बात खराब नहीं करूंगा। सभापति महोदय, मैं आपको आश्वस्त करता हूं कि मैं बिलकुल ही दाएं-बाएं की बात नहीं करूंगा, सिर्फ बजट पर ही बात करूंगा। मैं यह भी नहीं कहूंगा कि भोपाल गैस त्रासदी के मुख्य अभियुक्त को रात के अंधेरे में किसने भगाया। मैं यह जिक्र भी नहीं करूंगा कि बोफोर्स तोप घोटाले का मुख्य आरोपी किसका क्या लगता था।

श्री सभापति: जो आप जिक्र नहीं कर रहे, वह एक भी अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): किसके प्रधान मंत्री कार्यकाल में हुआ। मैं इस बात का जिक्र भी नहीं करूंगा कि वह व्यक्ति कौन था जिसने राजस्थान की जमीनों में घोटाला किया और वह किसका जीजा था, बिलकुल बात नहीं करूंगा।

सभापति महोदय, सदन के नेता ने जो बजट पेश किया उसमें अगर कर प्रस्तावों को छोड़ दें तो 205 बिन्दु हैं और उन 205 बिन्दुओं में से सदन के नेता ने 24 बिन्दुओं में जोधपुर का जिक्र किया है। सभापति महोदय, अब मुझे यह बताएं कि यह बजट जोधपुर के लिये पेश किया है या राजस्थान के

(श्री रामलाल शर्मा)

अवाम के लिये पेश किया गया है। अगर यह जोधपुर की जनता के लिये पेश किया गया है तो मुझे कुछ नहीं कहना और यदि यह राजस्थान की जनता के लिये पेश किया गया है तो जोधपुर को ही प्राथमिकता क्यों? अगर मैं एक सिरे से बोलना शुरू करूं कि जिला चिकित्सालय पीपाड़ भी बनेगा, फलौदी भी बनेगा, वह भी जोधपुर में है। ओसियां में मदर एण्ड चाइल्ड केयर सेंटर बनेगा, वह भी जोधपुर में। लोहागढ़, बालेसर, भोपालगढ़ में ट्रोमा सेंटर, एमडीएम अस्पताल में पीडियाट्रिक कैथ लैब बनेगी। होम्योपैथी महाविद्यालय भी जोधपुर। खजूर की खेती भी जोधपुर। मथानिया, जोधपुर में मंडियां भी बनेंगी। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, डेयरी प्रौद्योगिकी व कृषि अभियांत्रिकी संकाय खुलेगा, 5 करोड़ रुपये खर्च होंगे, वह भी जोधपुर, इस तरह से 24 बिंदु हैं, जिनमें जोधपुर का जिक्र किया गया है।

सभापति महोदय, एक महोदय मैं आपसे और करूंगा कि यह सरकार जब से सत्ता में आयी थी, तभी से कह रही है कि यह किसानों की हितैषी सरकार है। सभापति महोदय, अगर सरकार शपथ पत्र में यह कह दे कि पूर्ववर्ती सरकार 833 रुपये प्रति माह सब्सिडी देकर गयी थी, वह किसानों के हित में नहीं थी। इसलिए किसानों के हित में नहीं होने की वजह से हमने बंद कर दिया, सरकार या तो यह कह दे या सरकार यह कहे कि 833 रुपये हम बिजली के बिलों में समायोजित करके इस बजट में करेंगे।

सभापति महोदय, इस बात का जिक्र भी बजट के अंदर नहीं किया कि हमने किसानों की लाखों रुपये की वीसीआर भरने का काम किया है। बजट में इस बात का जिक्र भी नहीं किया कि रात को अघोषित कटौती 11 बजे से लेकर 5 बजे तक होती है। एग्जाम का समय चल रहा है, विद्यार्थियों का समय चल रहा है, उनके भविष्य का समय है, फिर भी रात को 11 बजे से सुबह 5 बजे तक बिजली की अघोषित कटौती होती है। सभापति महोदय, पिछली बार भी घोषणा की थी कि हम किसानों को बिजली दो ब्लाक में देंगे। कहा था कि एक ब्लाक दिन में देंगे और रात में देंगे। अब की बार इस बजट में फिर प्रावधान किया कि पिछली बार गलती कर दी कि हम कर नहीं पाए, इस बार करेंगे। इस बार हम आप पर कैसे विश्वास कर लें? गर्मी में तो रात को दे दें, कोई बात नहीं, पर कम से कम सर्दी की ऋतु में तो दिन में दो ब्लाक देने का काम करें। वह काम भी सरकार ने नहीं किया।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि शिक्षा मंत्री

(श्री रामलाल शर्मा)

जी जब इधर थे, तो बहुत जोर से चिल्लाते थे कि 20 हजार स्कूलें बंद कर दीं। पिछले बजट में आपने 50 खोलीं। इस बजट में एक की भी घोषणा नहीं हुई। सभापति महोदय, अगर हमने पाप किया है, अगर हमने कृत्य किया है तो कम से कम आप तो उसको ठीक कर दें। आप तो घोषणा करते कि बीजेपी सरकार के समय जो 20 हजार स्कूलें बंद हुई थीं, उनको हम खोलने की घोषणा करते हैं, लेकिन आप वह भी नहीं कर रहे हैं। सभापति महोदय, जिस तरह से राजस्थान के अंदर अवाम यह महसूस करती है कि सरकार हमारा ध्यान रखेगी। सभापति महोदय, बजट की स्थिति यह है कि सीनियर सैकण्डरी स्कूलों में 50 हजार रुपये देते हैं, वह भी नहीं दिये। सैकण्डरी स्कूलों में 25 हजार रुपये सालाना देते हैं, वह भी नहीं दिये। मिडिल स्कूलों में साढ़े बारह हजार रुपये देते हैं, वह भी आपने नहीं दिये। आपकी स्कूलों में पोषाहार बनाने वाली महिला को कितने पैसे दे रहे हो, 1300 रुपये? यदि आपमें थोड़ी-सी भी शर्म होती तो आप कम से कम उसको 3 हजार रुपये तो कर देते। सभापति महोदय, स्कूलों में झाड़ू लगाने वाली महिला को 200 रुपये दे रहे हैं। शिक्षा मंत्रीजी, या तो आपकी चलती नहीं या फिर सदन के नेता आपकी नहीं मानते या आपके मन के अंदर गरीब व्यक्ति के प्रति कोई संवेदना नहीं, कुछ तो बात है। कम से कम अपने रिप्लाई में यह बताने का काम करें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): इनकी बात का बुरा नहीं मानता, ये चौमूं से आते हैं।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपका रास्ता भी वही है। सभापति महोदय, आज स्थिति यह है कि पुलिस थानों में कागजों के लिए पैसे भी सरकार नहीं दे रही है। जब मुस्तगीस एफ.आई.आर. दर्ज कराने के लिए जाता है तो उसे कहते हैं कि पहले कागज की रिम लेकर आ, फिर एफ.आई.आर. दर्ज करेंगे। यह स्थिति थानों की है, आपके बजट की स्थिति है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से बिलकुल तथ्यों के आधार पर मैं कह रहा हूं सरकार ने कहा है कि हमने बजट के अंदर जो घोषणाएं की हैं, उन घोषणाओं को पूरा करने का काम किया। इसी सदन में मैंने पूछा कि कितनी नंदीशालाएं खोलीं, एक भी नंदीशाला नहीं खोली। फिर मैंने गौशाला के अनुदान के बारे में पूछा, सरकार के पास कोई जवाब नहीं। फिर मैंने सरकार से पूछा कि राजस्थान धरोहर संग्रहालय जो पुरानी विधान सभा थी, उसमें दो करोड़ रुपये में बनाने की घोषणा की थी, उसका अभी जवाब आया है कि हमने एक

(श्री रामलाल शर्मा)

रुपये का भी खर्चा नहीं किया, काम शुरू नहीं किया। यह इनके पिछले बजट की स्थिति है। फिर मैंने इनसे पूछा कि कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम, इन्होंने पिछले बजट में इसकी घोषणा की थी। इन्होंने घोषणा की थी कि हम खंड स्तर पर आयोजित करेंगे और किसानों को इसका लाभ देंगे। अभी मुझे जवाब दिया, मैंने कहा कि कितने खंडों पर आयोजित किया? सरकार ने जवाब दिया है कि हमने विद्याधर स्टेडियम में एक किसान सम्मेलन कर दिया। उसी कार्यक्रम को आपने कृषि ज्ञान धारा कार्यक्रम से जोड़ दिया। यह सरकार की स्थिति है। पिछली बार अग्निशमन वाहन खरीदने की घोषणा की थी। आपने अभी तक एक भी अग्नि शमन वाहन नहीं खरीदा। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि पिछले बजट में इन्होंने घोषणा की। सदन के नेता बहुत अच्छी बात कहते हैं, लोकतंत्र जिंदा रहे, लोकतंत्र के स्तम्भ जिंदा रहे, संवैधानिक संस्थाएं जिंदा रहें, लेकिन वास्तविकता क्या है? लोकतंत्र का चौथा स्तम्भ मीडिया है, पत्रकारिता है, जिसके बारे में आपने घोषणा की थी। फूफाजी, आपको तो हमेशा ही देखता रहता हूं, कम से कम इनको तो देख लूं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): सभापति महोदय, यह बड़ा सवाल है, छोटा सवाल नहीं है। सभापति महोदय, सदन जानना चाहता है कि आप फूफा, इनके फूफा हैं या नहीं हैं।

श्री सभापति: मैं भाग्यशाली हूं, जो फूफा कहा गया है।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, पिछले बजट में सदन के नेता ने घोषणा की थी कि हम पत्रकारों के कल्याण के लिए काम करेंगे, लेकिन इस बजट में एक शब्द भी पत्रकारों के कल्याण के लिए नहीं कहा गया। पिछले बजट में जो पत्रकारों को भूखंड आबंटन करने की बात की थी, एक साल में पत्रकारों का एक भी भूखंड देने का काम नहीं किया है। सभापति महोदय, जो पिछले बजट में घोषणाएं की गयी थीं, चाहे नैचुरल फार्मिंग की हों, फूड प्रोसेसिंग की हो, मिसिंग सड़कों की घोषणा भी। काफी माननीय सदस्य उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम मिसिंग सड़कें तो आप बनाएंगे, लेकिन इस बजट में एक भी मिसिंग सड़क बनाने की घोषणा सदन के नेता ने नहीं की।

सभापति महोदय, इन्होंने पिछली बार घोषणा की थी कि नाबार्ड से हम 337 करोड़ रुपये लेकर 2200 किलोमीटर सड़कें बनाने का काम करेंगे। क्या नाबार्ड की सड़कें बन गयीं? एक किलोमीटर सड़क भी पिछले दो साल में नाबार्ड से सहयोग लेकर बनाने का काम नहीं किया। सभापति महोदय, इन्होंने

(श्री रामलाल शर्मा)

पिछले बजट में घोषणा की थी कि प्रत्येक ग्राम पंचायत में विकास पथ बनाएंगे। इन्होंने एक साल में पूरे राजस्थान में एक भी विकास पथ बनाने का काम नहीं किया। सौर ऊर्जा के क्षेत्र में इन्होंने घोषणा की थी, सौर ऊर्जा के क्षेत्र में कोई काम नहीं किया। इन्होंने कुसुम योजना में घोषणा की थी, कुसुम योजना में कोई काम नहीं हुआ। कुंभाराम लिफ्ट नहर परियोजना में कहा था कि 20 हजार एग्रीकल्चर क्षेत्र को और सिंचित करने का काम करेंगे। सभापति महोदय, एक किलोमीटर क्षेत्र भी सिंचित करने का काम नहीं किया है। यह पूरा का पूरा झूठ का पुलिंदा है, अभी तो और बाकी है।

सभापति महोदय, विधान सभा चुनाव के दौरान सदन के नेता गोविंद गढ़ में पधारे थे। गोविंदगढ़ में एक आम सभा हुई। चौमूं विधान सभा क्षेत्र की आस-पास की जनता वहां पर आयी। उन्होंने घोषणा की कि अगर मेरी सरकार बन गयी तो मैं गोविंदगढ़ तक मैट्रो चला दूंगा। मैट्रो कब चलाएंगे? आप गोविंदगढ़ को तो छोड़ें, आपने तो जयपुर के सैकिण्ड फेज की घोषणा भी नहीं की कि हम मैट्रो के सैकण्ड फेज को चलाने का काम हम जयपुर में करेंगे। गोविंदगढ़ की जब बारी आयेगी, तब चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। सभापति महोदय, अभी सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि गरीबों के मसीहा, भिखारियों की संवेदना को समझने वाले सदन के नेता। सभापति महोदय, आप यहां से शुरू हो और चौमूं पुलिया तक जाएंगे तो कम से कम 1 हजार भिखारी आपको सड़क के ऊपर मिल जाएंगे। सरकार ने एक भी भिखारी के उत्थान का काम नहीं किया है, सिर्फ घोषणाएं करने का काम किया है।

सभापति महोदय, प्रत्येक जिला कलेक्टर को एक करोड़ रुपये मुख्य मंत्री नवाचार निधि देने की घोषणा पिछले बजट के अंदर की गयी थी। मैं सदन के नेता से पूछना चाहूंगा कि पिछले बजट में मुख्य मंत्री नवाचार निधि में एक करोड़ रुपये प्रत्येक कलेक्टर ने देने की बात आपने की थी। आपने कितने कलेक्टरों को पैसा दिया है और कितने कलेक्टरों ने किस मद के अंदर खर्च करने का काम किया है। सभापति महोदय, मण्डियों की बहुत बड़ी घोषणा यहां पर हुई थी। सभापति महोदय, पता नहीं, इनका बजट कौन तैयार करता है? सभापति महोदय, बजट के अंदर पिछली बार सदन के नेता से कहलवा दिया कि किसानों को राहत देते हुए फल-सब्जी मण्डी में जो डेढ़ रुपये सरचार्ज लिया जाता है, किसानों को देखते हुए सरकार उसे माफ करने की घोषणा

(श्री रामलाल शर्मा)

करती है। सभापति महोदय, जो सरचार्ज का पैसा है, वह किसान के नहीं लगता, वह उन व्यापारियों के लगता है, जो मंडियों से माल खरीदते हैं। आज उन मंडियों की स्थिति यह हो गयी कि उन मंडियों में जो काम करने वाले सैक्रेटरी हैं, उनके पास एक रुपये की आमदनी भी नहीं है। वे संविदा पर कर्मचारी नहीं रख सकते, गार्ड नहीं रख सकते, फोर्थक्लास नहीं रख सके, आज उन सब मंडियों को मृत प्राय: करने का काम सरकार ने किया है। सभापति महोदय, सरकार ने पिछली बार बजट में कहा था कि गुटखों के ऊपर हम प्रतिबंध लगाएंगे। क्या गुटखों पर प्रतिबंध लग गया? दो रोज लगा है और दो रोज लगने के बाद में यह प्रतिबंध कैसे हटा? किसकी मर्जी से हटा? किसकी मध्यस्थता से हटा? क्या घोटाला हुआ? हम सब सदस्य इस बात को भी जानना चाहते हैं कि गुटखों के अंदर क्या राज है, वह भी सदन में खोलें तो मेरे खयाल से ठीक रहेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि पिछले बजट में घोषणा की गयी, बहुत चिल्ला-चिल्लाकर हमदर्द बने थे कि पूर्ववर्ती सरकार ने महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर विश्वविद्यालयों को बंद करने का काम किया है। सभापति महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि एक साल में आपने महात्मा गांधी और बाबा साहेब अंबेडकर विश्वविद्यालयों के अंदर कितने छात्रों को प्रवेश दिया? सरकार के खजाने से कितने रुपये के बजट का आबंटन किया? मैंने प्रश्न लगाया, अभी उसका जवाब नहीं आया। सभापति महोदय, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि सरकार ने एक रुपये बजट देने का काम नहीं किया। सिर्फ झूठी वाहवाही कराने के काम, महात्मा गांधी जी का नाम खराब करने का और बाबा साहेब का नाम खराब करने का काम सरकार कर रही है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि अभी अनुसूचित जाति-जनजाति के बारे में काफी बात हो रही थी। मुझे कोई आपत्ति नहीं है कि सरकार वोट बैंक के आधार पर तुष्टिकरण की राजनीति करे तो करे। सरकार अल्पसंख्यकों के विकास के लिए आवासीय विद्यालय खोलें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उनके लिए छात्रावास खोलें तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, उनके लिए जयपुर में खोलें या सवाई माधोपुर में खोलें या कामां में खोलें, कहीं भी खोलें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। अल्पसंख्यकों का विकास सरकार करे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन मुझे घोर आपत्ति है कि सदन के नेता कम से कम यह तो घोषणा करते कि हम अनुसूचित जाति-जनजाति के विकास के लिए भी कृत संकल्प हैं। उनके विकास के लिए

(श्री रामलाल शर्मा)

एक कमरा बनाने का विचार रखते हैं। अगर सदन के नेता यह कहते कि राजस्थान में एक रुपया, एक कमरा बनाने के लिए खर्च कर रहे हैं तो मैं सोचता कि ये अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रति संवेदनशीलता रखने वाली सरकार है। लेकिन इस पूरे बजट के अंदर एक रुपया भी अनुसूचित जाति-जनजाति के आवास के अंदर, स्कूल के अंदर, कहीं कोई घोषणा सरकार ने नहीं की।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि दलितों के अत्याचार का मामला मैंने पहले ही सदन में उठा दिया। आपके माध्यम से एक निवेदन करूंगा कि सदन के नेता कई बार चिंता जाहिर कर चुके हैं और चिंता इस बात की जाहिर कर चुके हैं कि न्यायालयों के अंदर बहुत-से मामले विचाराधीन हैं। लाखों मामले विचाराधीन हैं, समय पर न्याय नहीं मिलता है। लेकिन इस बजट के अंदर ऐसी कोई घोषणा सरकार ने नहीं की कि हम न्यायालयों के भवन बनाने का काम करेंगे, सुविधा बढ़ाने का काम करेंगे। आज वास्तविकता यह है कि जो सरकार का पैरोकार है एपीपी, वह एपीपी गली के अंदर खड़ा रहता है, उसके बैठने के लिए कुर्सी नहीं है, कमरा नहीं है, लाइट नहीं है। ये स्थिति सरकार की है। सरकार अगर यह सोचती है कि गरीब आदमी को समय पर न्याय मिले, तो कम से कम यह तो घोषणा करें कि जितने कोर्ट खुल रहे हैं और जो खुले हुए कोर्ट हैं अभावग्रस्त हैं, उनके अंदर हम सुविधा देने का काम करेंगे। वह काम भी सरकार ने इस बजट के अंदर नहीं किया।

सभापति महोदय, पिछली बार सरकार ने चुनावी वादा किया था कि जो अधिवक्ता है, उनका कल्याण कोष बनाएंगे। हम तो उम्मीद कर रहे थे कि अबकी बार अधिवक्ताओं के कल्याण के लिए कोई कोष बनेगा। लेकिन वह काम भी सरकार ने नहीं किया। एक बात मैं और कहना चाहता हूं कि सरकार या तो परिवहन मंत्री जी को खुद चलाकर फंसाना चाहती है, कुछ न कुछ विषय जरूर है लेकिन सरकार यदि वास्तविकता के अंदर पारदर्शिता के साथ काम करना चाहती है तो मैं एक सुझाव दे रहा हूं कि कई गाड़िया हैं जो वन टाइम टैक्स देकर सड़कों पर आती हैं। कई गाड़ियां ऐसी हैं जो मंथली, क्वार्टरली और ईयरली टैक्स देने का काम करती हैं। राजस्थान में कई वाहन ऐसे हैं जिन्होंने एक बार टैक्स जमा करा दिया उनको दोबारा टैक्स जमा कराना था, लेकिन आज दिन तक जमा नहीं हुआ। हो यह रहा है कि लाखों

(श्री रामलाल शर्मा)

रुपये का टैक्स है। गाड़ी जब सड़क पर पकड़ी जाती है तो इनके इंस्पेक्टर दस-बीस हजार रुपये लेकर उस गाड़ी को छोड़ देते हैं। मैं चाहूंगा कि सरकार एक बार ऐसे जो डिफाल्टर हैं, जिन्होंने टैक्स जमा नहीं कराया, उनकी पैनल्टी माफ कर जो रियायत आप देना चाहते हैं, वह रियायत देकर कम से कम एक मौका उनको दें, ताकि आपके खजाने में पैसा भी आए और वह पैसा विकास के लिए लगे।

सभापति महोदय, जब हम सत्ता में थे, जब ये प्रतिपक्ष में थे तो संविदाकर्मियों का मुद्दा बहुत जोरशोर से ये उठाते थे और इतनी संवेदनाएं दिखाने का काम करते थे कि जैसे असली हमदर्द तो ये ही हैं। इतनी हमदर्दी दिखाते थे कि उनके माता-पिता भी ये सोचते थे कि मेरे बच्चे की मेरे से ज्यादा चिंता करने वाले तो ये लोग हैं। लेकिन सत्ता में आने के बाद पिछली बार कहा कि हम एक समिति बनाएंगे। वह कमेटी अपनी रिपोर्ट देगी। उसके बाद में संविदाकर्मियों के मुद्दे को हल करने की कोशिश करेंगे। एक साल बीत जाने के बाद भी, आज एक नहीं अनेकों पंचायत सहायक, जेटीए, लेखा सहायक, तकनीकी सहायक, रोजगार सहायक, कम्प्यूटर आपरेटर, नर्सिंगकर्मी, सारे के सारे इस सरकार से उम्मीद लगाए हुए बैठे हैं। उनको उम्मीद थी कि इस बजट के अंदर सरकार हमारा कुछ करेगी लेकिन एक भी काम इस सरकार ने नहीं किया, इन संविदाकर्मियों के लिए। इनकी दुर्शीष तो लगेगी ही और मुझे लगता है कि ये दुर्शीष तो इनको पंचायत चुनावों में ही लग जाएगी।

सभापति महोदय, रोडवेजकर्मियों की मांग, कांग्रेस पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जी और वर्तमान परिवहन मंत्री जी रोडवेजकर्मियों के धरने पर जाकर उनको आश्वस्त करके आए थे कि हम आपकी संवेदनाओं को समझते हैं। सरकार आते ही आपकी समस्याओं को हल करने का काम करेंगे। एक साल बीत जाने के बाद भी रोडवेजकर्मियों की एक भी समस्या का समाधान नहीं हुआ। एनटीटी की परीक्षा हुई। पहले जब हमारी सरकार थी तो आंकड़ा यह था कि ज्यादा से ज्यादा दो से ढाई हजार एनटीटी के अभ्यर्थी नहीं हो सकते लेकिन एक हजार की भर्ती हमारी सरकार करके चली गई। एक हजार की भर्ती हम प्रक्रिया में छोड़कर गए थे, उस प्रक्रिया को पूरी करने का काम अभी किया लेकिन चौकानें वाले आंकड़े सामने आ रहे हैं कि राजस्थान में सिर्फ डेढ़ हजार एनटीटी के अभ्यर्थी थे लेकिन आज आंकड़े यह हैं कि आठ से दस हजार डिग्री लेकर, फर्जी डिग्री लेकर लोग राजस्थान की एनटीटी की परीक्षा में शामिल हो

(श्री रामलाल शर्मा)

गए। कौन जांच करेगा? कब जांच करेंगे? निष्पक्षता से जांच होगी या नहीं होगी? यह भी हमारे सामने एक प्रश्नवाचक चिह्न है। मैं चाहूंगा कि एनटीटी भर्ती के अंदर पारदर्शिता से जांच हो, उनकी डिग्रियों की जांच हो, वास्तविकता की जांच हो और जो भी फर्जी डिग्री लेकर आए हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो, कार्यवाही हो तो मैं समझूंगा कि सरकार संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि आरपीएससी के बाहर बीस से पच्चीस दिन हो गये धरना देते हुए। इन छात्रों की मांग है कि 2018 के अंदर 9 हजार पदों की विज्ञप्ति जारी की गई। 18 नवम्बर से लेकर 18 दिसम्बर तक एक महीने में सारा सत्यापन का काम कमप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी तक भी अंतिम परिणाम सरकार ने जारी नहीं किया। मैं चाहूंगा सरकार से कि इन परीक्षार्थियों की भावना को देखते हुए सरकार जल्दी से जल्दी अंतिम परिणाम जारी करे। अभी तीन-चार महीने तक जयपुर की सड़कों पर एक चर्चा भी रही, संघर्ष भी हुआ। काम सिर्फ इतना ही था कि फर्स्ट ग्रेड की जो एग्जाम तिथि थी, उसको बढ़ाने की बात थी, 3 जनवरी से लेकर 11 जनवरी तक प्रथम ग्रेड की परीक्षाएं दी गईं, लेकिन आज दिन तक उनकी आंसर-की भी जारी नहीं की गई। सरकार अगर उन बच्चों की हमदर्दी को देखते हुए कुछ एग्जाम बढ़ा देती तो वे धरना भी समाप्त कर देते और उनका संघर्ष भी समाप्त होता। वह काम सरकार ने नहीं किया। अब सरकार बताए कि फर्स्ट ग्रेड का परिणाम कब तक जारी करेगी। आप इस महीने में करेंगे या अगले महीने में करेंगे या उसके अगले महीने में, इस साल में करोगे या नहीं करोगे, कम से कम ये तो बताएं।

सभापति महोदय, एक बेरोजगार संघ राजस्थान में बना हुआ है। वह बेरोजगार युवाओं के लिए संघर्ष करता है। पिछली बार हमारे से नाराज होकर इनके कार्यालय में चले गए। इन्होंने अपने तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से उनको मिला दिया और उन्होंने बहुत अच्छे से गले लगाया। उनकी बातें भी सुनीं, सुनकर उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनते ही आपकी समस्या का समाधान करेंगे। 12 अक्टूबर, 2019 को इनकी पार्टी के प्रदेशाध्यक्ष जी इनसे अनशन तुड़वाने जाते हैं और कहते हैं कि आपकी 15 सूत्री मांगे हैं, इन मांगों को गंभीरता से लेते हुए हम तत्काल समाधान करने का काम करेंगे। 15 मांगों का समाधान तो नहीं हुआ, लेकिन जब समाधान नहीं होने से ये पीसीसी

(श्री रामलाल शर्मा)

कार्यालय गये तो इनके खिलाफ आपने मुकदमा और दर्ज करा दिया। यह है इनका पारदर्शी सरकार होने का दावा।

सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा और सदन के नेता भी चिंता जाहिर कर चुके हैं कि राजस्थान के अंदर जल की स्थिति बहुत चिंतनीय है। जयपुर जिले के अंदर भी पानी समाप्ति की ओर है। बहुत-सी तहसीलें ऐसी हैं जो ड्राई जोन घोषित हो चुकी हैं। इस बजट के अंदर एक शब्द भी जयपुर में पेयजल समस्या के समाधान के लिए नहीं कहा गया। मैं आपके माध्यम से चाहूंगा कि जयपुर जिले के किसानों की मांग है कि यमुना के पानी और जमुना का पानी जब तक इन प्राकृतिक स्रोतों को पुनर्जीवित करने के लिए आप लेकर नहीं आएंगे तो मुझे लगता है कि खेती तो छोड़ो पीने के पानी का भी संकट है और आने वाले समय के अंदर कानून व्यवस्था बनी रहे, यह भी एक प्रश्नवाचक चिह्न है। इसलिए मैं चाहूंगा कि सदन के नेता रिप्लाई देते समय जयपुर में पानी की समस्या के समाधान के लिए कुछ बातें करें।

सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात भी आपके सामने रखना चाहूंगा। मेरे चौमूं विधान सभा क्षेत्र के लिए पिछले बजट के अंदर भी एक शब्द नहीं कहा। अब के बजट में भी नहीं कहा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मुझे जितने वोट मिले हैं, उतने ही वोट आपके उम्मीदवार को भी मिले हैं तो आधी जनता की चिंता आप मेरे ऊपर छोड़ दो, उनकी समस्याओं के लिए मैं संघर्ष करूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चौमूं की आधी जनता ने तो आपको वोट दिये हैं, कम से कम आपको जिन्होंने वोट दिये हैं, उनकी समस्याओं के समाधान तो कर दें। सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि इस बजट में हमारे फोर्थ फेज में, फुलेरा से आने वाले माननीय सदस्य की और मेरी दोनों की सीवरेज की फोर्थ फेज के अंदर योजना शामिल थी। सदन के नेता ने कुछ विधान सभा क्षेत्रों की तो सीवरेज की घोषणा की लेकिन हमारे चौमूं की घोषणा नहीं की। मैं चाहूंगा कि फोर्थ फेज के अंदर चौमूं की जो सीवरेज थी, इसकी घोषणा भी तत्काल करें। मैट्रो की घोषणा मैंने आपको बता ही दी। मेगा हाइवे, जनता भी यह सोचती है कि विधान सभा के अंदर अगर कुछ कह दिया तो वह पत्थर की लकीर है। वह काम तो होगा। इसी सदन के अंदर मैंने विषय उठाया कि मेरे चौमूं के अंदर चौमूं से लेकर दूदू तक मेगा हाइवे अधूरा पड़ा हुआ है। अभी डिप्टी सीएम

(श्री रामलाल शर्मा)

साहब ने आश्वासन दिया कि तीन महीने में काम शुरू हो जाएगा। लेकिन तीन महीने की जगह तेरह महीने बीत गए, अभी तक भी चौमूं से लेकर दूदू तक मेगा हाइवे का काम शुरू नहीं हुआ। अब आखिर क्या कारण है ये तो आप ही बताएं?

सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करूंगा, चौमूं में वीर हनुमान जी का मंदिर है, जो हज़ारों नहीं लाखों लोगों की आस्था का केन्द्र है। वहां प्राइवेट कम्पनी ने एक रोप-वे लगाया था। जब रोप-वे शुरू हुआ तब हमारी सरकार नहीं थी, कांग्रेस की सरकार आ चुकी थी। मैंने यह कहा था कि मुझसे उद्घाटन मत कराइये, नहीं तो यह रोप-वे बंद हो जाएगा। इन्होंने शाहपुरा विधान सभा क्षेत्र से, इन्ही की पार्टी के विचार रखने वाले माननीय विधायक जी से उद्घाटन करवा लिया। रोप वे दो-तीन महीने आराम से चला। उसके बाद रोप-वे को बंद कर दिया गया। सभापति महोदय, मैं हर मंगलवार को बालाजी के दर्शन करने जाता हूं, तो मुझे यह कारण नजर आता है कि इनके दिमाग में यह है कि रामलाल इसका उपयोग करेगा। मैं कसम खाकर कह रहा हूं जब तक कांग्रेस की सरकार रहेगी मैं उस रोप-वे में नहीं बैठूंगा। अब तो चालू कर दो। जनता के लिए चालू कर दो, उन असहाय गरीब लोगों के लिए चालू कर दो, उन बीमार, बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए तो चालू कर दो।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, वह काम भी इन्होंने नहीं किया। दो-तीन बातें कहकर अपनी वाणी को विराम दूंगा। पर्यटन के क्षेत्र में सदन के नेता ने कहा कि राजस्थान पर्यटन की दृष्टि से सिरमोर है, अभी इस बजट में कहा है। मेरे चौमूं में एक हैरिटेज होटल है, जिसका एक विजिटर रजिस्टर बना हुआ है, आप उस रजिस्टर को मंगवा लें, विदेशी क्या कमेंट्स करके जाते हैं, वह लिखकर जाते हैं कि हमारी बहुत बड़ी भूल है जो हम इस हैरिटेज होटल में आ गए, आगे से हम नहीं आएंगे। उस होटल की पूरी परिधि में कचरा भरा हुआ है। सदन में बात उठाने के बावजूद भी नगरपालिका, कृषि उपज मण्डी उस कचरे को साफ करने का काम नहीं करती। एक तरफ से सदन के नेता कहते हैं कि पर्यटन सिरमोर है, दूसरी तरफ यह स्थिति है। सभापति महोदय, तीन बातों का जिक्र करके अपनी बात समाप्त करूंगा।

श्री सभापति: समाप्त करे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): राजस्थान की सरकार यह कहती है कि हम

(श्री रामलाल शर्मा)

राजस्थान के अवाम के हितैषी हैं। अवाम की रक्षा करना, उनकी सम्पत्ति की रक्षा करना हमारा नैतिक कर्तव्य है। सभापति महोदय, मैं ग्राम पंचायत सामोद का जिक्र करूंगा। 1963 में 18 बीघा जमीन सरकार की, एक व्यक्ति के नाम लग गई, तत्कालीन सरपंच ने उस व्यक्ति को कहा कि यह जमीन तेरी नहीं है, लिखकर दे। उसने लिखकर दे दिया कि यह जमीन मेरी नहीं है, यह सरकार की है। उसके बाद जमीन सरकार के नाम दर्ज हो गई। उसके बाद क्या खेल होता है, एक व्यक्ति न्यायालय में जाता है और एडीएम को कहता है कि जमीन का मालिकाना हक मुझे दिया जाए, 1963 के अंदर मेरे दादा के नाम थी। एडीएम ने पत्रावली डिमांड की, पत्रावली डिमांड करके तहसीलदार को कहा कि इसका अवलोकन करे, परीक्षण करके इसका निस्तारण करे।

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, मैं कर रहा हूं। 13 जनवरी, 2020 को तहसीलदार चौमूं के द्वारा 18 बीघा जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम किया गया। सरकार की जमीन को व्यक्ति विशेष के नाम करने का काम किया गया।

श्री सभापति: समाप्त करें। काफी बोल लिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापित महोदय, एक मिनट और लूंगा। तत्कालीन एसडीएम ने 145 की कार्यवाही की थी। उस 145 की कार्यवाही को भी इसी सरकार ने तोड़ने का काम किया। एक तरफ तहसीलदार खुद कहती है मेरी जमीन है, दूसरी तरफ उस जमीन को खुर्द-बुर्द करने का काम करती है। एक उदाहरण और दूंगा।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, हाड़ौता में एक व्यक्ति रामलाल उसका पुत्र गोपाल, एक व्यक्ति गिरधारी उसका पुत्र राजेन्द्र, एक व्यक्ति चौथमल इसके पांच पुत्र, इन पांच पुत्रों ने मिलकर राजेन्द्र और गोपाल की जमीन को हथियाने का काम किया।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें प्लीज, सहयोग करें।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, एक मिनट।

श्री सभापति: श्री अमित चाचाण।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): आपके ही कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार इन

(श्री रामलाल शर्मा)

गरीब आदमियों की जमीन को कब्जा कराने के लिए, हथियाने के लिए, मौके पर जाकर बैठ जाएं और यह कहे कि पुलिस ने 447 की कार्यवाही की है वह गलत तरीके से की है।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): जब बाड़ ही खेत को खाने लग जाए तो उसको बचाने का काम कौन करेगा।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): सभापति महोदय, आपके माध्यम से निवेदन करूंगा...

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: प्लीज सहयोग करें। अब मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: प्लीज, विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री अमित चाचाण (नोहर): सभापति महोदय, आपने मुझे आय-व्ययक वर्ष 2020-21 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए आपका तहे दिल से आभार, धन्यवाद।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): 000

श्री सभापति: विराजिए।

श्री अमित चाचाण (नोहर): सभापति महोदय, हमारे राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री, गांधीवादी नेता ने, राजस्थान की सात करोड़ जनता की भावना को देखते हुए आम जन, महिला, किसान, व्यापारी, कर्मचारी वर्ग का ध्यान रखते हुए पक्ष व विपक्ष को एक समान मानते हुए शानदार व जानदार बजट रखा, उसका मैं पुरज़ोर समर्थन करता हूं।

सभापति महोदय, आज राजस्थान के हर कोने से, हर वर्ग से, पूरे

(श्री अमित चाचाण)

आम अवाम की तरफ से एक ही आवाज आ रही है, राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया है वह राजस्थान को आगे ले जाने वाला बजट, राजस्थान की सात करोड़ जनता को मान-सम्मान देने वाला बजट, राजस्थान के विकास को नये पहिये लगाने वाला बजट साबित होने वाला है।

माननीय सभापति महोदय, चूंकि सरकार का पहला बजट था, लोक सभा चुनाव आचार संहिता की वजह से वह जून-जुलाई में पेश किया जाता है। उसके बाद भी विभिन्न आचार संहिता राज्य में लागू रहती है। चाहे नगर निकाय चुनाव की बात करें, पंचायती राज चुनाव की बात करें, फिर भी लोकप्रिय मुख्य मंत्री के नेतृत्व में, तमाम कैबिनेट सदस्यों द्वारा पूर्व में बजट घोषणा की गई थी, उनको पूरा करने का काम किया गया है, निरन्तर जारी भी है। चूंकि वह समय कम था। दूसरा बजट आया, इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने ऐसी-ऐसी घोषणाएं कीं, आज पूरे राजस्थान की जनता अपने आपको लाभान्वित महसूस कर रही है।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय एक लंबे समय से राजनीतिक जीवन में ईमानदारी व सच्चाई के साथ अपना राजनीतिक धर्म निभा रहे हैं। उन्होंने अपने जीवनकाल में हर वह स्थिति देखी है, क्योंकि वह धरातल से उठकर आए हैं। हर व्यक्ति की पीड़ा को उन्होंने जानने का प्रयास किया। हर जाति-धर्म के लोगों को जानने का प्रयास किया। बजट से पूर्व भी उन्होंने विभिन्न वर्गों से राय मशविरा किया और जो भी सुझाव आए, उन सबको समाहित करके इस बजट को पेश किया।

माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने पूर्व कार्यकाल में भी, राजस्थान की गरीब जनता, पीड़ित मानव की सेवा, नर सेवा, नारायण सेवा को मानते हुए भूखे को रोटी, प्यासे को पानी और मरीज को दवा का धर्म निभाते हुए नि:शुल्क दवा योजना शुरू की थी, जिसकी ख्याति राजस्थान में ही नहीं, देश में ही नहीं, पूरे विश्व में प्राप्त हुई और राजस्थान का मान व सम्मान बढ़ा। धीरे-धीरे उन्होंने उस योजना में बढ़ोतरी करते हुए चाहे हम निःशुल्क दवा, जांच योजना की बात करे, चाहे कैंसर, किडनी, लीवर की महंगी दवाइयों की बात करें, उसमें शामिल किया। इस बार तो उन्होंने एक साहसिक कदम उठाया। गलत खान-पान, गलत कार्यशैली की वजह से, चाहे हार्ट अटैक की बात करे, शुगर, बीपी या अन्य बीमारियां पनप रही हैं, गंभीर रोग पनप रहे हैं,

(श्री अमित चाचाण)

जनता को पूर्ण जानकारी नहीं है, इसके लिए इन्होंने नीरोगी राजस्थान का शुभारम्भ किया, यह वास्तव में काबिले तारीफ अभियान है। पक्ष-विपक्ष न मानते हुए, हम सब जनप्रतिनिधियों की यह जिम्मेदारी बनती है कि इस अभियान को जन जागरण अभियान बनाएं। प्रत्येक गली, गांव तक लेकर जाएं, ताकि हम पंक्ति के अंतिम छोर तक के व्यक्ति को जागरूक कर सकें। उनमें जागृति लाएं कि जो दैनिक दिनचर्या है उसमें किस प्रकार सुधार किया जा सके जिससे आने वाले रोगों के प्रति हम सचेत रह सकें। जो हमें रोग की तरफ ले जा रहे हैं उसको रोका जा सके। ऐसी सोच हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी की है।

चिकित्सा विभाग ही नहीं, विभिन्न विभागों का समायोजन करते हुए आज सभी सदस्यों को बहुत चिंता है, होनी भी चाहिए। आज हम जो खान पान कर रहे हैं उसमें काफी मिलावट है। आज पशुपालन कम होता जा रहा है, दूध की खपत बढ़ती जा रही है, फिर दूध कहां से उपलब्ध होता है। खाद्य पदार्थों में मिलावट हो रही है, माननीय मुख्य मंत्री जी ने चिंता जाहिर करते हुए एक लैब खोलने की घोषणा की है, एक फोर्स के गठन का काम किया है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूं। अगर इसमें हमने रूकावट कर ली तो भविष्य उज्जवल व सुरक्षित रख सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, किसान वह व्यक्ति है जिसके खेत से हमारे देश की अर्थव्यवस्था चलती है। हमारा देश कृषि प्रधान देश है। पिछली बार सर्दियों का समय था, हर किसान की पीड़ा होती थी कि हमें रात को बिजली दी जाती है। जब आम व्यक्ति को शहरों में, घर में रहकर हीटर चलाने की आवश्यकता होती थी, उस समय हमारा किसान अपने खेत में खड़ा रहकर, पानी के बीच रहकर खेत में पानी लगाता था, उनकी चिंता जायज थी। माननीय मुख्य मंत्री जी ने उनकी चिंता को सुनते हुए किसान को भगवान मानते हुए उन्होंने घोषणा की कि आने वाले समय में उन किसानों को दिन में बिजली दी जायेगी। कृषक कल्याण कोष का भी उन्होंने गठन किया और हजार करोड़ रुपये से शुरू किया। उन्होंने कहा उसमें राशि आगे बढ़ाई भी जायेगी, क्योंकि किसान भगवान का रूप होता है, वह पूरे देश का अन्नदाता होता है। पेट भरने का काम सिर्फ किसान करता है, ऐसी सोच हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी की रही है।

शिक्षा के बारे में, क्योंकि राज्य के विकास के लिये शिक्षा बहुत

(श्री अमित चाचाण)

महत्वपूर्ण होती है। माननीय सभापति महोदय, शिक्षा वह हथियार है, जिसके माध्यम से हम बड़ी से बड़ी लड़ाई लड़ सकते हैं। पिछली सरकार ने तो उन भामाशाहों का भी अपमान कर दिया, जिन भामाशाहों की मेहनत की कमाई के साथ जिन स्कूलों के भवनों को बनाया गया था। उन स्कूल भवनों पर जिन भामाशाहों का नाम लिखा गया था, पिछली सरकार ने 20 हजार स्कूल बंद करके उनके मनोबल को गिराया था। भामाशाह का अपमान करने का काम किया था। लेकिन हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री ने, ऊर्जावान शिक्षा मंत्री ने इस बार, राजकीय विद्यालयों में वार्षिक उत्सव की हम बात करें, चाहे हम नो-बेग -डे की बात करें, ऐसे-ऐसे नवाचार किये हैं, गत दिनों में, जो मेरे विधान सभा क्षेत्र के स्कूलों के वार्षिक उत्सवों में मैं गया तो मैंने देखा कि राजकीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों में एक अलग ही मनोबल बढ़ चुका था। उन्होंने कल्पना में भी नहीं सोचा होगा कि राजकीय विद्यालयों में भी इस तरह से, जिस तरह से निजी शिक्षण संस्थाओं में वार्षिक उत्सव होते हैं, उन्हें भी ऐसा कोई मंच मिलेगा क्या, जिससे वे अपनी प्रतिभाओं का उस मंच पर प्रदर्शन कर सकें, ऐसा काम हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री गहलोत साहब ने किया है।

माननीय सभापति महोदय, पिछले वर्षों में राजकीय विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब्स तो स्थापित हो गयीं, लेकिन शिक्षकों के अभाव में उनको सही जानकारी नहीं मिल पा रही थी। माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने कम्प्यूटर शिक्षक कैडर का भी गठन किया है। अब उनकी भी भर्ती की जायेगी। यह भी एक बहुत बड़ी बात है।

पूर्व के जब चुनाव हुए पूरे भारतवर्ष में विकास की बहुत सी बातें की गयीं, युवाओं को रोजगार देने की बात की गई, 15 लाख रुपये देने की बात की गई, कालाधन लेकर देने की बात कही लेकिन वह सिर्फ जुमला ही साबित हुआ। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने तो 53 हजार नौकरियां निकाल कर उन युवाओं का भविष्य सुनिश्चित करने का काम किया है, उन युवाओं का भविष्य उज्जवल बनाने का काम किया है, जो आगे आने वाले में सरकारी नौकरी प्राप्त करके अपने घर का पालन-पोषण करने का काम करेंगे।

(15.42 बजे)

(श्री महेन्द्रजीत सिंह मालविया, सभापति, पदासीन)

आज हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी ने इस बजट में खेलों को बढ़ावा

(श्री अमित चाचाण)

देने के लिये जो पूर्व में इनामी राशि की घोषणा की गई थी, उसको तीन गुणा तक बढ़ाकर, क्योंकि खेल हमारे पूरे शरीर को, मानसिक व शारीरिक रूप में आगे बढ़ाता है। खेल के माध्यम से हजारों, सैकड़ों लोगों को रोजगार मिलता है। सरकारी नौकरियां भी प्राप्त करते हैं। लेकिन कुछ वर्षों से खेलों के प्रति जो सरकारों का रुझान रहा, युवा में वह मनोबल गिर चुका था, युवा खेल की ओर आगे नहीं बढ़ पा रहा था। लेकिन जिस तरह से माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी की खेल को बढ़ावा देने की उनकी जो बड़ी सोच है, इससे मुझे लगता है कि आने वाले समय में राजस्थान में युवा खेल की ओर आगे बढ़ेंगे। उनके साथ-साथ राजस्थान का नाम भी ऊंचा होगा और वे कई प्रकार के पदक लाकर राजस्थान का नाम ऊंचा करने का काम करेंगे।

माननीय सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी ने बिजली, पानी, सड़कें या अन्य मूलभूत सुविधाओं के बारे में इस बजट में बताया कि किस तरह से हमें राजस्थान को आगे लाना है। कांग्रेस पार्टी विकास की बात करती है, कांग्रेस पार्टी छत्तीस बिरादरियों को मान और सम्मान देने की बात करती है। कांग्रेस पार्टी पक्ष और विपक्ष को एक समान मानने वाली पार्टी है। इनकी तरह न हम जाति-धर्म की राजनीति करते, इनकी तरह न हम देश को टुकड़ों में बांटने की बात करते, इनकी तरह न हम फूट डालने की बात करते। अगर आंकड़ों के जाल से जनता को गुमराह करने की कला सीखनी है तो इनसे सीखनी चाहिए। क्योंकि ये विकास की बातें न करके सिर्फ जनता को आंकड़ों में उलझाना चाहते हैं। उनको गुमराह करना चाहते हैं। वे विकास की बातें भूल जाते हैं। सिर्फ आंकड़ों की बात करके आमजन को गुमराह करने का काम इन भा.ज.पा. वालों का है। कांग्रेस पार्टी ने तो सदैव राजस्थान के विकास के लिये, छत्तीस बिरादरियों को मान और सम्मान देने के लिये हमेशा से काम किया है।

हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी हमारे जो बच्चे हैं, जो आगे जाकर राजस्थान का विकास करने वाले हैं, नाम बढ़ाने वाले हैं, उनके लिये भी सौ करोड़ का नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन करके उन बच्चों में भी मनोबल बढ़ाने का काम कर रहे हैं।

पूर्व के अन्दर सरकार ने आर्थिक पिछड़ों को आरक्षण देने का काम किया। लेकिन उनमें इतनी जटिलताएं थीं कि उसका लाभ उन युवाओं को नहीं मिल पा रहा था। मैं पूरे राजस्थान की जनता की तरफ से इस सदन के माध्यम से हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि

(श्री अमित चाचाण)

आपने उन ई.डबल्यू.एस. के प्रमाण पत्रों में जो जटिल बाधाएं थीं, उनको खतम करने का काम किया, जिससे कि आज उन हजारों-लाखों युवाओं को उनके प्रमाण-पत्र का, सही रूप में उनको आरक्षण का फायदा मिलेगा। आपने इसके लिये एक बोर्ड का भी गठन किया है। इसके लिये मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पूर्व सरकार ने पी.पी.पी. मोड पर निजीकरण को बढ़ावा देने का काम किया, पूंजीपतियों का घर भरने का काम किया। उन्होंने कभी यह नहीं सोचा कि राजस्थान में पंक्ति के अंतिम छोर पर जो हमारा गरीब किसान, मजदूर बैठा है, हमें उसको कैसे आगे लाना होगा, कैसे हमें उसके विकास की बात करनी होगी। उन्होंने ऐसा भी नहीं सोचा क्योंकि उनकी सोच हमेशा निजीकरण के तरफ रही। उनकी सोच हमेशा चंद पूंजीपति घरानों को बढ़ाने की रही। उन्हीं को आगे लाने का उन्होंने प्रयास किया है।

माननीय सभापति महोदय, आज बड़ी चर्चा पूरी दुनिया में है कि ट्रम्प साहब हमारे भारत में आ रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है। हमारे राजस्थान की जनता भी उनका स्वागत करना चाहती हैं लेकिन इसके साथ अफसोस की बात है कि एक जमाने में एक दीवार फिल्म अमिताभ बच्चनजी की आई थी, जो पूरी दुनिया में चर्चित हुई और आज एक दीवार, जो गुजरात माडल में गरीब व्यक्तियों को छुपाने के लिये बनाई गई है, उस दीवार की भी चर्चा पूरी दुनिया में है। क्यों नहीं, जब गुजरात माडल की बात करते हैं, उनके विकास की बातें क्यों नहीं की गयीं। उनके मकान बनाने की बात क्यों नहीं कही। लेकिन उनको छुपाने के लिये उनके आगे जो दीवार बनाई गई है, यह बड़े शर्म की बात है। इसलिये आज मैं कहता हूं, हमारे सदन में विपक्ष के सदस्य कह रहे थे कि हमारे प्रधान मंत्रीजी ने यह कहा, हमारे प्रधान मंत्रीजी ने यह किया, देश का गौरव बढ़ाया, बड़ी चमक हुई लेकिन, सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि वह सोना किस काम का, जो गला काटे। हमें चमक नहीं चाहिए, हमें रोजगार चाहिए, हमें काम चाहिए, भूखे को रोटी चाहिए, मरीज को दवा चाहिए, प्यासे को पानी चाहिए, छत्तीस बिरादरियों को मान और सम्मान चाहिए। तब जाकर देश आगे बढ़ेगा, देश एक रहेगा, देश में भाई -चारा सही रहेगा। देश का लोकतंत्र तब मजबूत रहेगा, जब हम देश के संविधान की रक्षा करेंगे, तभी हम देश को आगे बढ़ा सकते हैं, तभी हम सवा

(श्री अमित चाचाण)

सौ करोड़ भारतीयों का मान और सम्मान बढ़ा सकते हैं, तभी हम राजस्थान को आगे ले जा सकते हैं।

मैं तो मुख्य मंत्रीजी के लिये इतना ही कहना चाहूंगा कि "क्या मारेगी मौत उसे, जो औरों के लिये जीता है, इस जहां का तो प्यार मिलता है उसे, जो औरों के आंसू पीता है।" आपने मुझे बोलने का समय दिया, इसके लिये आपका तहेदिल से आभार। धन्यवाद, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री बाबूलालजी नागर।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, आज मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट प्रस्तुत किया, उसके सम्बन्ध में मुझे अपने विचार व्यक्त करने का मौका दिया।

सभापति महोदय, जैसा कि माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट के प्रारम्भ में ही इस बात की चिंता व्यक्त की है कि आज देश में सबसे ज्यादा बेरोजगारी है, देश की जी.डी.पी. की रेट बहुत डाउन हो गई है, महंगाई दर आज 7.35 है, देश में आज बहुत ज्यादा महंगाई है। कृषि की विकास दर घट गई है और कृषि सम्बन्धी जितने भी अनुदान हैं, जो भारत सरकार दिया करती थी, करीब-करीब सब अनुदान रोक दिये गये हैं। ऐसे समय कोई भी पोलिटिकल पार्टी अपना जन घोषणा पत्र जारी करे, चुनाव घोषणा पत्र जारी करे, और यह मुख्य मंत्रीजी का, जब पहली बार मुख्य मंत्री थे, उस समय से आज तक राजस्थान की जनता को इस बात का एहसास कराया कि अगर अशोकजी गहलोत, कांग्रेस पार्टी कोई चुनाव घोषणा पत्र जारी करती है तो वह पूरी तरह उस संकल्प के साथ जारी करती है, उसको लागू करती है, अपनी कार्ययोजना में उसको आधार बनाती है। मैं मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

कृषक कल्याण कोष, इसका दायरा बढ़ाया, आज समर्थन मूल्य पर, सभापति महोदय, 25-30 प्रतिशत किसान की उपज की खरीद होती है, 70 प्रतिशत उस किसान को सेठ-साहूकारों से बुआई, जुताई के समय कर्जा लेना पड़ता है। जब फसल कटती है, उससे पहले ही किसान की उपज बिक जाती है, लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने इन किसानों को आत्मनिर्भर बनाने का काम किया कि किसान की जो फसल है, अब यह मैं मानता हूं, सहकारिता में किसानों को लोन भी मिलता है, फिर भी साख-सीमा के अनुसार किसानों को जीवनयापन का बहुत कर्जा लेना पड़ता है। यह किसान के लिए उन्होंने कृषक कल्याण कोष

(श्री बाबूलाल नागर)

का जो दायरा बढ़ाया है, अब किसान में एक कांफिडेंस दे दिया कि वह अपनी फसल को गिरवी रख सकता है, उसको बेचने की जरूरत नहीं है, सरकार उसको पैसा देगी। उसको महंगे दर पर लोन लेने की जरूरत नहीं है, उसको कर्जे में डूबने की जरूरत नहीं है तो मैं यह समझता हूं कि राजस्थान के किसान को बहुत मजबूत करने का काम किया।

चुनाव घोषणा पत्र में चाहे जनता क्लिनिक की बात की, ऋण माफी की बात की, मुख्य मंत्री युवा रोजगार की बात की, इन सबमें प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने अपने चुनाव घोषणा पत्र को पूरी तरह से लागू करने की कोशिश की।

माननीय सभापति महोदय, आज इस बजट में कोई वर्ग ऐसा नहीं छोड़ा है, गरीब आदमी, चाहे चिकित्सा का हो, किसान का हो, महिला हो, बाल, युवा, शिक्षा, पानी, बिजली, रोजगार, सम्पूर्ण पूरे राजस्थान के लिए जो कल्पना की है, इस बजट को देखने के बाद यह लगता है कि श्री अशोकजी गहलोत ने, कांग्रेस की सरकार ने जो सपना देख रखा है राजस्थान में उसको निश्चित रूप से साकार करने के लिए आगे बढ़ाने का प्रयास सरकार ने किया है।

नीरोगी राजस्थान, यह कोई एक अभियान नहीं है, जिस तरह से, जिस दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ सरकार ने इसकी शुरुआत की, चिकित्सा के संबंध में तो प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने प्रथम बार में ही गरीबों को, चाहे बी.पी.एल. को नि:शुल्क इलाज का मामला हो, दवा योजना, जांच योजना यह सब लेकर आये लेकिन इस नीरोगी राजस्थान में तो पूरी तरह से इतनी आमूलचूल व्यवस्था उन्होंने की है कि मैं निश्चित रूप से यह कह सकता हूं कि आज इस नीरोगी राजस्थान को एक अभियान के बतौर नहीं, एक जन जागृति के रूप में जिस तरह से शिक्षा विभाग को भी इसमें जोड़ा है, महिला बाल विकास विभाग को भी जोड़ा है और खेल विभाग को भी जोड़ा है, समाज कल्याण विभाग को भी जोड़ा है। हमारे सभी विभागों को इसमें शामिल करते हुए नीरोगी राजस्थान को आगे एक मजबूती से दृढ़ इच्छा शक्ति के साथ लागू करने का जो प्रयास किया है, इसके लिए मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा।

इन्होंने नीरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष के गठन करने की घोषणा की और उसके लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की। प्रत्येक जिले में प्रचार-

(श्री बाबूलाल नागर)

प्रसार के लिए, यह अभियान बिना प्रचार-प्रसार, जागृति के बिना चाहे लाख कोशिश कर ले चिकित्सा विभाग, अगर इसमें जब तक जनता का समर्थन नहीं मिलेगा, जब तक आम आदमी का समर्थन नहीं मिलेगा, तब तक यह अभियान अपनी उपलब्धियों को हासिल नहीं कर सकता। मुख्य मंत्रीजी ने यह भी पूरा प्रयास किया है, उसमें प्रचार-प्रसार के लिए भी पूरी व्यवस्था की है।

डिजीटल हैल्थ सर्वे का निर्णय किया है और नि:शक्तता की पहचान के लिए जिला स्तर पर Early Intervention Center की बात की है कि पहले ही वहां पर सर्वे हो जाए और सर्वे के आधार पर उसकी पूरी समझ में आ जाए जिसके आधार पर उसका क्या इलाज होना है, क्या उसके बीमारी हो सकती है, क्या तरीका है, मैं यह समझता हूं कि यह एक बहुत कारगर कदम साबित होगा।

माननीय सभापति महोदय, यह मिलावट के खिलाफ निश्चित रूप से आज जो चिकित्सा की जरूरत पड़ रही है, सबसे ज्यादा इसलिए पड़ रही है क्योंकि आज अनाज भी शुद्ध नहीं है। आज यूरिया वगैरह से अनाज पैदा होता है। पानी भी फ्लोराइडयुक्त है, शुद्ध नहीं होता है। हर चीज में मिलावट लेकिन मुख्य मंत्रीजी ने जो कमिटमेंट दिखाया है मिलावट के संबंध में, पृथक से एक अथोरिटी बनाने की उन्होंने, गठन करने की बात की है तो मैं इसमें इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि आपने फास्ट ट्रैक खोलने की भी बात की है, आप जिलों में लैब भी लागू करने की बात कर रहे हैं लेकिन, माननीय सभापति महोदय, यह मिलावट इतना जबरदस्त बीज इस पूरे देश में, पूरे हिन्दुस्तान में हो गया है इसलिए इसके लिए जागृति बहुत जरूरी है।

पूर्व में जब कांग्रेस की सरकार थी और श्री अशोक गहलोतजी मुख्य मंत्री थे तो उस जमाने में भी शुद्ध के लिए युद्ध अभियान उन्होंने शुरू किया था और उस जमाने में एक चल प्रयोगशाला, नया कंसेप्ट यह लाये थे। चल प्रयोगशाला में यह हो सकता है कि कानूनी रूप से उसकी मान्यता नहीं हो, लेकिन चल प्रयोगशाला में इस तरह की व्यवस्था थी कि कोई भी आम आदमी बिना शुल्क दिये अपनी किसी भी खाद्य सामग्री की जांच करवा सकता था तो चाहे कानूनी रूप से, माननीय सभापति महोदय, उसको सज़ा नहीं मिलती हो लेकिन दो-तीन मिनट में उस चल प्रयोगशाला में यह बता दिया जाता था कि यह मापदंड के अनुसार है या नहीं है, इसके मापक क्या हैं तो कम से कम उन व्यक्तियों को, आम आदमी को जो बाजार में सामान खरीदने जाता है,

(श्री बाबूलाल नागर)

उसको इस बात का एहसास होता है कि अमुक दुकान से, अमुक स्टोर से मैं जो सामान लाया हूं, इसमें यह कमी है तो निश्चित रूप से वह दुकानदार भी सावधान होता है और खरीदने वाला भी सावधान होता है और उसके मन में यह अंकुश होता है। मैं यह चाहूंगा कि जब आपने इतना लंबा-चौड़ा बजट इसमें दिया है तो राजस्थान में आप उपखंड स्तर पर चल प्रयोगशाला लागू करें। कोई ज्यादा इसमें खर्चा नहीं होता है, पहले सरकार ने चलाया है अगर 300 उपखंड भी हैं तो मुश्किल से एक साल के तीन करोड़ रुपये लगते हैं लेकिन इतना बड़ा जागृति का काम होगा।

मुझे बहुत अच्छी तरह से याद है, माननीय सभापति महोदय, कई जगह पर तो आगे बढ़कर व्यापारी इसमें सरकार से मिले थे, मुख्य मंत्रीजी से भी मिले थे और उस समय इतनी जागृति आई थी कि इससे हमारे प्रति लोगों का और अधिक विश्वास पैदा हुआ था। कई व्यापार मंडलों ने खुद अपनी तरफ से प्रयोगशाला लगाने की बात की कि हम सब अपनी प्रयोगशाला लगाएंगे, हमारे इस व्यापार मंडल के सदस्य कोई सामान बेचेंगे तो पहले उसकी हमारे यहां पर टैस्टिंग होगी। आम आदमी में एक बहुत बड़ा सोच उसके प्रति होता है।

माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं यह भी निवेदन करना चाहूंगा, निश्चित रूप से यह सरकार का अच्छा प्रयास है और मैं यह चाहूंगा कि पूरे राज्य में चाहे आप पी.पी.पी. मोड पर करें लेकिन उपखंड स्तर पर यह चल प्रयोगशालाएं निश्चित रूप से स्थापित करनी चाहिए। शुद्ध के लिए युद्ध अभियान को आपने वापस इस कमिटमेंट के साथ शुरू करने की बात की है। पिछली बार जब आपने शुरू किया था तो सात विभागों को एक साथ लिया था और जिला कलेक्टर को इसमें कन्वीनर बनाया गया था और जो सात विभागों के लोग जब जांच करने के लिए जाते थे तो किसी भी विभाग के आदमी को यह पता नहीं होता था कि उनको कौनसी जगह पर जांच करने जाना है। कलेक्टर उनको उसी समय बुलाता था और फिर वह उनको बताता था कि अमुक जगह पर आपको जाना है तो मैं यह समझता हूं कि जो इन सातों विभागों को वापस इसमें सक्रिय करना चाहिए, वापस इसको जोड़ना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, जो सबसे बड़ी बात, यह जो नमूना लेते हैं, आज एनेलिस्ट, यह नमूना लेने वाले जो अधिकृत हैं, आज राजस्थान में जिला स्तर पर यह नहीं है। आपके उपखंड स्तर पर होने का तो मामला ही नहीं है। फूड इंस्पेक्टर आपके, खाद्य विभाग के इंस्पेक्टर, फूड इंस्पेक्टर के

(श्री बाबूलाल नागर)
आज सारे पद खाली पड़े हुए हैं इसलिए मैं यह निवेदन करना चाहूंगा कि हर उपखंड स्तर पर आप एक एनेलिस्ट, नमूना लेने के लिए राज्य सरकार के द्वारा पूरे राज्य में शुरू करना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, आप नीरोगी राजस्थान योजना लाये हो और आप कुपोषण को रोकने की बात भी कर रहे हैं। आप हमारे उस बच्चे को, चाहे जो आदिवासी बच्चा हो, गरीब बच्चा हो, उसको यदि हम सक्षम बनाना चाहते हैं कि वह बीमारी से कैसे लड़ सकता है तो पिछली बार आप फोर्टिफाइड आटा लेकर आये थे कुपोषण के लिए, वह फिर फोर्टिफाइड आटा आपको शुरू करना चाहिए। उसमें बहुत से तत्व ऐसे होते हैं कि गरीब आदमी हो सकता है कि दूध नहीं पी सकता हो, हो सकता है कि वह फल-फूल नहीं खा सकता हो, हो सकता है कि वह खर्च नहीं कर सकता हो, मेहनत तो कर सकता है लेकिन कम से कम आटा तो उसको आपकी पी.डी.एस. के माध्यम से भी मिल जाता है। फोर्टिफाइड आटा अगर राजस्थान में आप शुरू करते हैं तो मैं समझता हूं कि कुपोषण से एक बहुत बड़ी निजात मिल सकती है।

माननीय सभापति महोदय, किसान के संबंध में इस प्रदेश के मुख्य मंत्रीजी ने ऐतिहासिक निर्णय लिये हैं। पहले भी उन्होंने किसानों के लिए बहुत पहल की थी। आज उन्होंने किसान के लिए चाहे जल को संग्रहित करने का काम हो, ड्रिप स्प्रिंकलर सिंचाई के लिए, इसको आगे बढ़ाने का काम हो, यूरिया, डी.ए.पी., यह पूरे राजस्थान और हिन्दुस्तान में सरकारी खाद-बीज की बहुत कमी रहती है किसानों को लेकिन आपने इसकी अग्रिम व्यवस्था करने की बात की है। आपने बीज की भी एक व्यवस्था करने की बात की है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्रीजी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि आप किसान को मजबूत करना चाहते हैं, किसान को स्वावलंबी बनाना चाहते हैं, आपने किसान के कर्जे माफ भी किये हैं, आप विभिन्न अनुदान भी देना चाह रहे हैं तो किसान को किस बात का कर्जा है? हमारे यहां पर किसान को बुवाई, जुताई इन कामों के लिए किसान को कर्जा लेना पड़ता है तो मुख्य मंत्री श्री अशोक गहलोत को चाहिए कि वह गिरदावरी के आधार पर अगर राजस्थान में किसान को पर बीघा के अनुसार अनुदान देना शुरू कर देते हैं तो मैं यह समझता हूं कि किसान को कभी कर्जा माफ करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। किसान को कर्ज लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी।

(श्री बाबूलाल नागर)

माननीय सभापति महोदय, अभी कृषि विपणन की सुविधा के लिए 44 नई स्वतंत्र मंडी खोलने की बात इस बजट में की है। मैं यह निवेदन करना चाहूंगा और मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि दूदू एक ऐसी जगह है जो जयपुर से 65 किलोमीटर है। माननीय सभापति महोदय, दूदू में आलरेडी गौण मंडी यार्ड बना हुआ है, 130 दुकानें दूदू में हैं, उनमें से 60 दुकानें वहां पर चल रही हैं। वहां पर स्टाफ क्वार्टर है, आफिस बिल्डिंग है, किसानों के लिए प्लेटफार्म है, सुलभ शौचालय है, प्याऊ है और मंडी प्रांगण बना हुआ है और सबसे ज्यादा मूंग, चने और सरसों अगर कोई जयपुर जिले में पैदा होती है तो वह दूदू में पैदा होती है। मैं चाहूंगा कि दूदू का जो गौण मंडी यार्ड है, इसको बजट घोषणा में, माननीय मुख्य मंत्रीजी जब जवाब दें, तो दूदू में स्वतंत्र मंडी खोलने की घोषणा करें। यह मैं मुख्य मंत्रीजी से प्रार्थना करूंगा।

(16.00 बजे)

माननीय सभापति महोदय, हमारे उद्योग मंत्रीजी भी बैठे हैं। हमारे औद्योगिक निवेश के लिये, रोजगार को बढ़ाने के लिये रीको में औद्योगिक स्थापना करने की बात इन्होंने की है। मैं उद्योग मंत्रीजी परसादीलाल जी से आग्रह करूंगा कि दूदू में बिचून एक ऐसी जगह है, जो दिल्ली-मुम्बई हमारा इंडस्ट्रियल कोरिडोर है, उससे मुश्किल से छह-सात किलोमीटर की दूरी पर है। माननीय उद्योग मंत्रीजी, आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि बिचून में मेन रोड पर जब हम जयपुर से फुलेरा जाते हैं तो मेन रोड पर बिचून है। आपके वहां सिवाय चक जमीन करीब छह-सात हजार बीघा है और हमारे वहां की पंचायत ने आपको 355 हैक्टेयर जमीन आरक्षित कर दी है और आपने वहां बोर्ड भी लगा दिये हैं। वहां रीको इंडस्ट्रियल एरिया के बोर्ड भी लगा दिये हैं। आपने मोखमपुरा में भी बोर्ड लगा दिये हैं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि जब दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर से छह-सात किलोमीटर की दूरी पर है, रेलवे स्टेशन फुलेरा, सांभर पास ही है तो मैं यह चाहूंगा कि बिचून में आपको किसी किसान की जमीन अवाप्त नहीं करनी है, किसी को मुआवजा नहीं देना है, आपको सिवाय चक जमीन जब राजस्व विभाग ने आपके लिये पहले से ही रिजर्व कर रखी है तो मैं चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी जब जवाब दें आप मेरी इस पीड़ा को समझते हुए वहां इंडस्ट्रियल एरिया खोलने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, फागी में कोई इंडस्ट्रियल एरिया नहीं है। पिछली बार जब सरकार थी तो हमने कुंजबिहारीपुरा में रीको का इंडस्ट्रियल

(श्री बाबूलाल नागर)

एरिया खुलवाया था। आज वह वैसी की वैसी पोजीशन में है। किसानों को आपने कुछ मुआवजा भी दे दिया, लेकिन वह अभी तक पर्यावरण विभाग की एन.ओ.सी. की वजह से शुरू नहीं हो पाया है। न दूदू में है, न कोई फुलेरा में ऐसा बड़ा उद्योग-धंधा नहीं है इसलिए मैं चाहूंगा जब आपको मुआवजा नहीं देना पड़ रहा है और जब दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रियल कोरिडोर के छह-सात किलोमीटर की दूरी पर है, वहां पर आपने बोर्ड लगा रखे हैं और मैं एक साल से लगातार इसके लिये प्रयास कर रहा हूं। आपसे भी मैंने निवेदन किया है कि इस बजट में जो आप नया रीको इंडस्ट्रियल एरिया खोलना चाह रहे हो तो बिचून के लिये आपको घोषणा करनी चाहिए। मैं उम्मीद करूंगा कि जब मुख्य मंत्रीजी इसका जवाब देंगे तो इस बारे में कहेंगे। आपने आगे बढ़कर राजस्थान में औद्योगिक विकास नीति, 2019 लागू कर दी। यह कमिटमेंट है आपका और मुख्य मंत्रीजी का कि राजस्थान में निवेश प्रोत्साहन योजना आपने लागू की है। मुख्य मंत्रीजी जब पहले सरकार में थे 2011 में सिंगल विण्डो का एक्ट लागू किया। अब आप लेकर आये हो 'वन स्टाप शाप प्रणाली' लेकर आये हो इसलिए मेरी आपसे प्रार्थना है कि हमारे इस बिचून का जब भी आप बोलें तो इसको शामिल करें।

माननीय उद्योग मंत्रीजी, एक निवेदन और करना चाहूंगा कि पहले यह जो भी आपके नये रीको के उद्योग स्थापित होते थे, तो उस जमाने में एस.सी. एस.टी. और महिलाओं का आरक्षण था, आज भी हो सकता है कि नये उद्योगों के लिये आरक्षण हो, लेकिन आज तो आपकी स्थिति क्या हो गयी? आज तो आप ई-आक्शन कर रहे हैं। आप ई-आक्शन पर बोली लगवाते हैं। आप उस पर दर करते हैं। 'पहले आओ-पहले पाओ' वह भी मामला ठीक था। लाटरी का मामला भी ठीक था। जितना आप रिजर्व करते थे, उसके अनुसार उन एस.सी. एस.टी. के लोगों को और महिलाओं को मौका मिल रहा था, लेकिन जब ई-आक्शन का कान्सेप्ट आ गया तो फिर तो एस.सी. एस.टी. का और महिलाओं का मामला ही खतम हो गया। गरीब आदमी कैसे उद्योग लगाएगा। अगर गरीब आदमी को आप ऊपर उठाना चाहते हो, गरीब आदमी को रोजगार देना चाहते हो, महिलाओं को आगे लाना चाहते हो, एस.सी. और एस.टी. को आगे लाना चाहते हो तो जहां भी रीको इंडस्ट्रियल एरिया स्थापित करते हैं तो मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि उन सबमें आरक्षण की पुख्ता व्यवस्था की जाए।

(श्री बाबूलाल नागर)

माननीय सभापति महोदय, अब मैं शिक्षा मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पिछले चार-पांच दिन से आपके वार्षिकोत्सव हो रहे हैं। मैं उनसे जा रहा हूं। बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। उसमें जिन भामाशाहों ने स्कूल को आगे बढ़ाने का काम किया है, उनको धन्यवाद देते हैं। बच्चियों को गार्गी पुरस्कार मिल रहे हैं और आपस में बैठकर मंथन करना चाहते हैं। मैं शिक्षा मंत्रीजी से कहना चाहूंगा कि फागी मेरा एक ऐसा क्षेत्र है जो एस.सी., एस.टी. बहुल क्षेत्र है और उस क्षेत्र में आज स्कूल में जब मैं जा रहा हूं तो माननीय मुख्य मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि वहां सरकारी स्कूलों में लड़कियां ज्यादा हैं और लड़के कम हैं। मैं यह समझ नहीं पा रहा था, जब मैं प्रोग्राम में गया तो वहां लड़कियां तो 70-80 प्रतिशत बैठी हैं और लड़के 20 प्रतिशत बैठे हैं। क्या हमारे यहां लड़के कम पढ़ रहे हैं या लड़कियां कम पढ़ रही हैं। बाद में मुझे इस बात का एहसास हुआ कि लोग लड़कों के लिये तो समझते हैं कि ये मेरा वंश चलाएगा, मुझे बुढ़ापे में रोटी देगा इसलिए उनको प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाते हैं और महंगे स्कूलों में पढ़ाते हैं और जो हमारी बच्चियां हैं, वह सरकारी स्कूल में पढ़ने के लिये जा रही हैं। हमारे यहां फागी में अंग्रेजी माध्यम का कोई भी सरकारी विद्यालय नहीं है। मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप बजट में 167 ब्लाकों में महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी माध्यम के विद्यालय खोलने की बात कर रहे हैं, मेरे फागी का जब जवाब दें, वह एस.सी., एस.टी. बहुल क्षेत्र हैं, गरीब लोग हैं, न वहां पर कोई उद्योग-धंधा है। वे पूरी तरह से खेती पर निर्भर करते हैं। साल की एक फसल होती है और जिस साल बरसात नहीं आयी, उस साल अकाल पड़ जाता है और वह केवल नरेगा पर चलते हैं। अकाल के दिनों में मजदूरी पर चलते हैं। अगर वहां पर महात्मा गांधी राजकीय अंग्रेजी विद्यालय प्रथम चरण में खोलते हैं तो निश्चित रूप से वहां की बच्चियों को भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा और हमारी शिक्षा का भी प्रचार-प्रसार होगा।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह मैं निवेदन करना चाहूंगा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय भी आप खोलने की बात कर रहे हैं। मेरे यहां अभी दो नई पंचायत समितियां फागी तहसील में - एक माधोराजपुरा पंचायत समिति है, एक फागी पंचायत समिति है। माननीय सभापति महोदय, फागी पंचायत समिति में कस्तूरबा गांधी विद्यालय नहीं है, यह आवासीय विद्यालय है। यह जिस जमाने में यूपीए सरकार थी, सोनिया गांधीजी और देश

(श्री बाबूलाल नागर)

के प्रधान मंत्री मनमोहन सिंहजी यह कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय का कांसेप्ट लेकर आये थे। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, उस जमाने में मैंने दूदू में भी एक कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय बोराज में खुलवाया था, अब सरकार वापस इसको और आगे बढ़ाने का काम कर रही है। जिलों में ला रही है, उपखण्ड स्तर पर ला रही है तो मेरा आग्रह है कि मेरी फागी पंचायत समिति, जो मेरा कार्य क्षेत्र है, फागी मुख्यालय पर एक कस्तूरबा गांधी विद्यालय भी खोला जाना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, बजट के बिन्दु संख्या 181 और 182 में मुख्य मंत्रीजी ने सहायता, आपदा प्रबन्ध और नागरिक सुरक्षा की बात कही है। माननीय सभापति महोदय, इसमें नागरिक सुरक्षा एवं state Disaster Response Force की क्षमता संवर्धन हेतु 10 करोड़ के आधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाने की बात कही है। मैं निवेदन करना चाहूंगा कि दूदू ऐसा क्षेत्र है जहां सबसे ज्यादा दुर्घटनाएं होती हैं। वहां के लोग खेती पर निर्भर हैं, तालाब-तलैया बहुत ज्यादा हैं। आये दिन वहां पर दुर्घटनाएं होती रहती हैं, एक्सीडेंट होते रहते हैं, आगजनी होती रहती है माननीय सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा कि उपखण्ड स्तर पर दूदू में आप नागरिक सुरक्षा दल, सिविल डिफेंस का कार्यालय स्थापित करने की कृपा करें। अगर कहीं पर दमकल वगैरह की जरूरत पड़े तो फागी में नगरपालिका नहीं है, दूदू में नगरपालिका नहीं है। वहां पर आगजनी होती है, एक्सीडेंट होता है तो वहां पर आगजनी स्थान पर जब तक दमकल पहुंचती है तब तक किसान की सारी फसल नष्ट हो जाती है, उसके घर-गृहस्थी का सारा सामान नष्ट हो जाता है। इसलिए मेरा आग्रह है कि उपखण्ड स्तर पर नागरिक सुरक्षा डिफेंस कार्यालय दूदू में खोला जाए। अगर दमकल वगैरह में सरकार को कोई आर्थिक परेशानी आती है तो मैं मेरे विधायक कोष से वहां दमकल दे दूंगा। मेरी प्रार्थना है कि वहां पर आपदा प्रबन्ध का भी मुख्यालय दूदू में है और सिविल डिफेंस का भी अगर दूदू में खुलता है तो कहीं भी एक्सीडेंट हो, मैंने जानकारी ली थी तो मेरे वहां के डीवाई.एस.पी. ने मुझे बताया है कि पिछले एक साल में 120 दुर्घटनाएं हुईं। दूदू में हाईवे पर 120 दुर्घटनाएं हुई हैं जिनमें समय पर सहायता नहीं पहुंचने के कारण और सिविल डिफेंस के नहीं होने के कारण 74 लोगों की जान चली गयी और 88 लोग बहुत सीरियस हो गये। कई लोगों के पैर कट गये, कई लोग विकलांग हो गये जीवन भर के लिये और आज वह विकलांग

(श्री बाबूलाल नागर)

बन गये। इसलिए मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आपने आपदा प्रबंध का दूदू में खोल रखा है गाडोता में, सिविल डिफेंस का भी हाईवे पर दूदू में खोलने की कृपा करें।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा ऊर्जा के संबंध में कि आप दिन में बिजली देने की बात कर रहे हैं, बहुत अच्छी सोच और प्रयास है। रोज किसान गाली निकालता है सर्दी के टाइम रात को, आपका जो ब्लाक आता है, आपका अच्छा प्रयास है, इसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा। आपने प्रथम चरण में जिन जिलों को शामिल किया है, उसमें जयपुर को शामिल नहीं किया, इसलिए मैं चाहूंगा कि प्रथम चरण में जयपुर को भी शामिल किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, इसी तरह महंगाई के संबंध में निवेदन करना चाहूंगा। खाद्य मंत्रीजी बैठे हैं। महंगाई कोई एक सरकार के बस की बात नहीं है। महंगाई चाहे केन्द्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सबको सम्मिलित प्रयास करना पड़ता है। गहलोत साहब जब मुख्य मंत्री थे तब खाद्य नागरिक आपूर्ति निगम बनाया था। उस निगम में केवल पीडीएस का गेहूं उठाने के लिए थोड़े ही बनाया था, पीडीएस, नान पीडीएस सामग्री थी, आपके पास 26 हजार, अब तो हो सकता है 30 हजार राशन की दुकानें हों, प्रदेश के मुख्य मंत्री गेहूं को तो वैसे ही सरकारी अनुदान देकर सस्ता देने का काम कर रहे हैं लेकिन अगर सरकार चाहे, दृढ़ इच्छा-शक्ति हो, मुख्य मंत्री जी ने राज दाल, राज चाय, उस जमाने में राज दूध, राज के नाम से अलग-अलग प्रोडक्ट लेकर आए थे, उस समय चने की दाल, पीले मटर की दाल और खाने के लिये आयल, तो मैं खाद्य मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि आपका निगम है, मुझे नहीं लग रहा कि निगम में कोई सरकार को भी, वित्त विभाग को भी ज्यादा परेशानी नहीं आनी चाहिए, निगम का तो खुद का ही बजट है। जब मैं खाद्य मंत्री था उस समय भी उसमें 80, 100 करोड़ रुपये थे। एक बार हमने बाहर से पीले मटर की दाल आयात की थी, भारत सरकार के नोर्म्स से, उन्होंने हमें कोई बता दिये थे, तो उसके अनुसार हमने उनको आवेदन दिया, हमने 28 रुपये में दो-दो किलो दाल बेची। मैं मानता हूं कि महंगाई बड़े लेवल पर आप दूर नहीं कर सकते लेकिन जो गरीब आदमी है, जो मेहनत मजदूरी कर सकता है, मजदूरी करता है उसको दाल चाहिए, उसको मसाले

(श्री बाबूलाल नागर)

चाहिए, उसको चाय चाहिए जो दैनिक आवश्यकता की चीज है, 30 हजार का एक साथ आपके पास मार्केट है, आप सीधे थोक विक्रेता से, मैन्यूफैक्चरर से खरीदिये। पिछली सरकार ने कुछ किया था, कुछ दुकानें खोली थी, इनका कान्सैप्ट फेल हो गया। इन्होंने थोक विक्रेता से नहीं खोले, एक ठेकेदार को ठेका दे दिया और वह सारा मामला खतम हो गया। आपने पीडीएस में दुकानें कौनसी खोली थीं, वह सारा मामला खतम हो गया। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, हम उस जमाने में आसाम से जयश्री टी लाये थे, जो मैन्युफैक्चरर से लाये थे। जयश्री टी हिन्दुस्तान में सैकण्ड नम्बर की चाय हुआ करती थी, बाजार में साढ़े तीन सौ, चार सौ रुपये किलो मिलती थी और राजस्थान सरकार ने उस जमाने में 230 रुपये, 220 रुपये किलो में बेची तो जब आप एक साथ 30 हजार लोगों के लिये नान पीडीएस का सामान लाओगे, अगर सरकार चाहे और दृढ़-इच्छा शक्ति हो तो नान पीडीएस का सामान, हर आवश्यकता का सामान मंगाया जाए...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): माननीय सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं एक निवेदन और करना चाहूंगा। पिछले कुछ दिनों से परिवहन सम्बन्धी बात भी चल रही है, एसीडी ने सर्विलांस पर लिये। हमारे परिवहन मंत्री जी तो बहुत दबंग और बहुत ईमानदार मंत्री हैं लेकिन, सभापति महोदय, मैं इतना सा कहना चाहूंगा, जब आपने सर्विलांस पर तीन-तीन महीने से लिया है, किस-किस से बात हो रही थी, क्या-क्या बात हो रही थी, कौन कौन लोग थे? जब अशोक जी गहलोत राजस्थान के संवेदनशील मुख्य मंत्री हैं, जब हमारे मंत्री इतने ईमानदार हैं, इतने मजबूत हैं, नवाचार कर रहे हैं और जबरदस्ती जनता में इसका गलत मैसेज जा रहा है, सभापति महोदय।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि पहले भी मिलावट के खिलाफ इसी तरह का एक अभियान चला था और उस समय भी मिलावट के खिलाफ अभियान में सर्विलांस पर बहुत लोग आये थे, बहुत लोगों का उस समय पिछली सरकार ने भी कर लिया..

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, एक निवेदन और करना चाहूंगा। मैं मुख्य मंत्री का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा, यह बजरी, इस बजरी ने तबाह कर दिया। सभापति महोदय, मेरे क्षेत्र की सारी सड़कें तोड़ दीं, पर-डे हजार-हजार ट्रैक्टर, ट्रोले आ रहे हैं और काले कांच लगा-लगाकर ऐसे चलते हैं, देखते भी नहीं हैं और इसमें माफिया चलते हैं। मुख्य मंत्री जी ने इन पर लगाम जरूर लगाई है। एक बार मैंने उनसे प्रार्थना की थी तो उन्होंने मेरे यहां चार चौकियां बैठाईं, 50-60 पुलिस वाले भी लगाये, उन्होंने गाड़ी की भी व्यवस्था की लेकिन, सभापति महोदय, फिर कोई चेंज आ गया, पुलिस अधीक्षक जी बदल गए, वह सारे पुलिस वाले वापस आ गए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि यह केवल बजरी माफियाओं का ही मामला नहीं है, इसमें समाज का सारा तहस-नहस हो गया है, सड़कें जो बना नहीं सकते, यह सड़कें ठीक नहीं कर सकते, मैं गांव में जाता हूं, दो-दो, तीन-तीन फीट ऐसे गाड़ियां उछलती हैं, इसलिए मैं कहूंगा कि दृढ़ इच्छा-शक्ति के साथ राजस्थान में अशोक जी गहलोत अगर इन बजरी माफियाओं पर लगाम नहीं कर सकते तो फिर राजस्थान का सपना ही रह जाएगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): सभापति महोदय, इस अवसर पर मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा। मैं तो बोलता ही नहीं हूं मैं तो बहुत कम बोलता हूं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें। समाप्त करें, आप विराजें। श्री प्रताप सिंह जी।

श्री बाबूलाल नागर (दूदू): आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं पुरजोर तरीके से मुख्य मंत्री जी के बजट भाषण का समर्थन करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): सभापति महोदय, मुझे खुशी है कि जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तो हमारी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय सतीश जी और विधायक दल के उपनेता मेरे बड़े भाई राजेंद्र सिंह जी भी यहां पर उपस्थित हैं।

सभापति महोदय, मैं नई और पुरानी विधान सभा में अन्दर बैठकर करीब 23 बजट भाषण सुन चुका हूं, सन् 1985 से विधायक हूं पर जितना

(श्री प्रताप सिंह)

नीरस भाषण इस बार अशोक जी गहलोत के मुंह से सुना, उसकी मुझे तो क्या किसी भी सदस्य को इस प्रकार की कल्पना नहीं थी कि इस प्रकार का बजट अशोक जी गहलोत लेकर आएंगे। उन्होंने शुरू में ही अपनी कमियां छिपाने के लिए बजट में सीधी केन्द्र सरकार की अर्थव्यवस्था की बात की और मनगढ़ंत आरोप लगाये और यहां तक कहा कि देश की जीडीपी ग्रोथ पांच परसेंट रहने वाली है पर, माननीय सभापति महोदय, मैं यह बताना चाहूंगा कि उन्होंने जो कहा, ठीक है देश की अर्थव्यवस्था की चिंता की, वह बात भी समझ में आती है पर राजस्थान की अर्थव्यवस्था के बारे में भी उन्होंने कुछ कहा होता तो हम सबको कुछ अच्छा लगता।

मैं आपको निवेदन करना चाहूंगा कि बजट के साथ पेश हुई आर्थिक समीक्षा के अनुसार साल 2019-20 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार स्टेट जीडीपी की ग्रोथ रेट 5.05 प्रतिशत अनुमानित की गई है जबकि 2018-19 में स्टेट जीडीपी की ग्रोथ रेट का अनुमान 7.33 था, यानी राजस्थान की जीडीपी ग्रोथ रेट में भारी गिरावट आई है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि इतनी भारी गिरावट के लिए कौन जिम्मेदार है? क्या इसके लिए भी मोदीजी जिम्मेदार हैं? क्या इसके लिए भी पिछली सरकार और वसुन्धरा जी जिम्मेदार हैं?

राजस्थान की स्थिति इस प्रकार की हो गई है जिस प्रकार से यहां पर आर्थिक आपातकाल लग गया है, जब से सरकार बनी है सभी विभाग में सभी प्रकार के पेमेंट रुके पड़े हैं, ठेकेदारों के पेमेंट नहीं हो रहे हैं, किसी प्रकार का भुगतान नहीं हो रहा है, एक तरह से सवा साल में राजस्थान का विकास अवरुद्ध हो गया है। यही नहीं, इसके लिए अब कांग्रेस वसुन्धरा जी को और केन्द्र सरकार को जिम्मेदार नहीं बता सकती।

मैं एक बात के लिए पायलट साहब को जरूर धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने कोटा में इस बात को स्वीकार किया। जब वहां पर जेके लोन अस्पताल में 100 से अधिक बच्चों की मौत हुई और हमारे प्रदेश अध्यक्ष सतीश जी एकाएक वहां पहुंचे और जब यह मामला मीडिया में आया, बाद में जब सरकार की तरफ से पायलट साहब वहां गए और उन्होंने कहा कि हमको सरकार में आये हुए सवा साल हो गए हैं, यह सरकार जिम्मेदारी से नहीं बच सकती, इसकी जिम्मेदारी हमको लेनी चाहिए।

गहलोत साहब कहते हैं कि मैं राजस्थान की जनता का ट्रस्टी हूं और

(श्री प्रताप सिंह)

ट्रस्टी के नाते मेरे से जो बन सकेगा, राजस्थान के खजाने की हिफाजत करते हुए राजस्थान की सेवा करूंगा। यही नहीं, उन्होंने बजट में इंगित किया है कि केन्द्र सरकार की वजह से, केन्द्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से उन्होंने 10,362 करोड़ रुपये कम मिलने का एक फीगर दिया है जबकि हकीकत इससे उल्टी है। माननीय सभापति महोदय, प्रदेश को 2015 से 2019 के बीच मोदी सरकार ने 1,60,000 करोड़ रुपये दिये जबकि साल 2010 से 2014 के बीच मनमोहन सिंह जी की सरकार ने 72,000 करोड़ रुपये राजस्थान को दिए। मोदी जी की सरकार ने 1,60,000 करोड़ रुपये दिए जबकि मनमोहन सिंह जी ने 72,000 करोड़ रुपये राजस्थान को दिए। यानी मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय से राजस्थान को मोदी सरकार ने दुगुनी राशि दी है। यही नहीं, 2020-21 में भी 2424.31 करोड़ रुपये अतिरिक्त राशि उपलब्ध करवाई जा रही है।

सभापति महोदय, इस बार के बजट में एक नया प्रयोग 7 संकल्पों का हुआ है, अच्छी बात है। संकल्प लेने में कोई बुराई नहीं है लेकिन यह तब अच्छा लगता है जब इसको पूरा किया जाए। कांग्रेस ने तो संकल्प विधान सभा के चुनाव के समय भी लिया था। उन्होंने कहा था कि हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। बेरोजगारों को भत्ता दिया जाएगा। लेकिन मुझे बताते हुए दुःख है कि न तो आज तक किसानों का कर्जा माफ हुआ और न बेरोजगारों को भत्ता मिला। राजस्थान में करीब 6 लाख पंजीकृत बेरोजगार हैं। उनमें से मात्र डेढ़ लाख लोगों को ही बेरोजगारी भत्ता दिया जा रहा है। बाकी सभी बच्चों को क्यों नहीं दिया जा रहा है? मुख्य मंत्री जी जब अपने बजट भाषण का जवाब दें तो इस बात का खुलासा करें।

सभापति महोदय, चुनाव के समय उन्होंने यह भी कहा था कि हम किसानों का सम्पूर्ण कर्जा माफ कर देंगे। उन्होंने कोआपरेटिव का कर्जा तो जैसे-तैसे माफ कर दिया लेकिन जो नेशनलाइज्ड बैंक हैं, जो राष्ट्रीयकृत बैंक हैं, उनका कर्जा आज तक समाप्त नहीं हुआ है। जिन लोगों ने केसीसी ले रखी थी, वह जमा नहीं करा पा रहे हैं। किसान भ्रम की स्थिति में है कि क्या पता कर्जा माफ हो कि नहीं हो? किसानों को बैंकों से नोटिस मिल रहे हैं। कुर्की की कार्यवाही हो रही है। इस प्रकार की स्थिति किसानों की बनी है। मैं चाहूंगा कि राष्ट्रीयकृत बैंकों का भी कर्जा जो कि किसानों के ऊपर है, इसको भी एकमुश्त ही सरकार समाप्त करने की घोषणा करे।

(श्री प्रताप सिंह)

सभापति महोदय, 7 संकल्पों में नीरोगी राजस्थान की कल्पना इन्होंने बड़े ही जोर-शोर से की है। एक तरह से हम कह सकते हैं कि यह पूरा बजट ही नीरोगी राजस्थान को समर्पित है। करीब 14533 करोड़ रुपये बजट के लिए रखे हैं। नीरोगी राजस्थान के लिए नीरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष का गठन किया है। उसमें मात्र 100 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। उन 100 करोड़ रुपये में से भी 33 जिलों में 33 कलेक्टरों को, प्रत्येक कलेक्टर को 1-1 करोड़ रुपये इसके प्रचार-प्रसार के लिए दिया गया है। यानी पूरे राजस्थान के लिए निरोगी राजस्थान प्रबंधन में मात्र 67 करोड़ रुपये बचेंगे। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि 67 करोड़ रुपये में एक अच्छा चिकित्सालय नहीं खुल सकता। एक अच्छा हास्पिटल नहीं खुल सकता तो यह राजस्थान को नीरोगी किस प्रकार से बनाएंगे? इन्होंने इस प्रकार की कोई घोषणा नहीं की है जिससे कि आम आदमी नीरोगी रह सके। इन्होंने न तो गुटखे पर प्रतिबंध की बात की, न तंबाकू पर प्रतिबंध की बात की, न सिगरेट पर प्रतिबंध की बात की।

सभापति महोदय, भारत सरकार जो आयुष्मान भारत योजना लेकर के आई थी, मात्र राजनीतिक द्वेषता के कारण उसको यहां पर लागू करने में देरी की। भामाशाह योजना जो बहुत अच्छे तरीके से चल रही थी, वह मात्र इसलिए बंद कर दी गई कि वह पिछली सरकार की योजना थी। वह कामयाब योजना थी। कोटा के जेके लोन में जो घटना हुई, वह अभी-अभी की है। वहां पर अव्यवस्थाओं के कारण 100 से अधिक बच्चे मारे गए। यह अपने आपमें परिलक्षित करता है कि यह सरकार नीरोगी राजस्थान बनाने के लिए कितनी गंभीर है।

सभापति महोदय, जनता क्लिनिक एक जल्दबाजी में लिया गया फैसला है। इसके क्रियान्वयन की कोई योजना नहीं है। पीएचसी, सीएचसी की व्यवस्थाओं से आप भी परिचित हो। मैं भी परिचित हूं। गांवों में नर्स और कम्पाउंडरों का अभाव है, डाक्टरों का अभाव है। महिला डाक्टर तो कहीं देखने को भी नहीं मिलती हैं। इस प्रकार की स्थिति में हम नीरोगी राजस्थान किस प्रकार से बनाएंगे, यह मेरे समझ के परे है।

नीरोगी राजस्थान बनाने के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक घोषणा और की है, शुद्ध के लिए युद्ध। इसके लिए इन्होंने कहा है कि हम जगह-जगह कोर्टें खोलेंगे, यह करेंगे, वह करेंगे, सज़ा दी जाएगी, जांच की जाएगी। लेकिन राजस्थान में जो लैबोरेट्री है, उस पर भी विवाद चला करता है।

(श्री प्रताप सिंह)

उस लैबोरेट्री में जांच होने के बाद दूसरे प्रदेशों में जांच के लिए भेजी जाती है। इस प्रकार की स्थिति यहां की लैबोरेट्रियों की है। मैं पूछना चाहता हूं कि किस आधार पर यह शुद्ध के लिए युद्ध की बात करते हैं। इन्होंने प्रत्येक जिले में लैब खोलने की बात की है। लेकिन मुझे लगता है कि जो सिस्टम खुद ही अन्याय का शिकार हो, उससे न्याय की उम्मीद किस प्रकार से की जा सकती है। मैं समझता हूं कि इससे शुद्ध के लिए युद्ध की जो कल्पना मुख्य मंत्री जी ने की है, वह पूरी नहीं होगी।

सभापति महोदय, गहलोत साहब ने दूसरा संकल्प सम्पन्न किसान का लिया है। अभी कोई बता रहा था कि पिछले बजट में घोषित 1000 करोड़ रुपये के कृषक कल्याण कोष की स्थापना की। लेकिन रुपया कब दिया? दिसम्बर, 2019 में। दिसम्बर, 2019 में 1000 करोड़ रुपया दिया। यह किस प्रकार से किसान को आगे बढ़ाने की बात करते हो? बजट पेश हुआ मार्च में और पैसे का एलोकेशन दिसम्बर में हो रहा है। इस प्रकार से आप किसानों का भला करोगे? किसानों के कर्ज माफी का आपने वादा किया था। वह पूरा नहीं किया।

अभी राजेन्द्र सिंह जी बता रहे थे कि किसानों की फसल बीमा योजना का आपके हिस्से का 1430 करोड़ रुपया आपने आज तक जमा नहीं कराया। आप किस मुंह से किसानों के भले की बात करते हो? यह समझ से परे है। आप मंडी टैक्स में राहत देना भूल गए। उचित मूल्य की रेगुलेटरी बनाने की घोषणा कर सकते थे। लेकिन उसके बारे में कुछ नहीं किया।

सभापति महोदय, यहां पर असत्य घोषणा और कर दी गई या अधिकारियों ने माननीय मुख्य मंत्री जी से करवा दी। मेरे विधान सभा क्षेत्र के छीपाबड़ौद में, वसुन्धरा जी के कार्यकाल में, 2018 में कृषि उपज मंडी का गठन किया था। उसमें सदस्य नियुक्त हो गए थे। आज तक उसकी बैठक जान-बूझकर के नहीं बुलाई। अभी इस बजट में घोषणा कर दी कि छीपाबड़ौद में नई मंडी खोली जाएगी। मैं समझता हूं कि यह वहां के व्यापारियों एवं लोगों के साथ बहुत बड़ा धोखा है।

सभापति महोदय, अभी कोई कह रहा था कि हमारे यहां यूरिया की कोई कमी नहीं रही। लेकिन मैं आपको कह सकता हूं कि बारां जिले में और मेरे क्षेत्र में इस बार भी यूरिया, डीएपी के लिए लाइनें लगीं। थाने में कूपन बंटे। दो-दो, चार-चार दिन किसान ठंड में भटकता रहा। उसके बाद यूरिया

(श्री प्रताप सिंह)

मिला। मेरा निवेदन है कि जो यूरिया का भंडारण है, इसको आप बढ़ाएं। जो 1 लाख, 2 लाख की लिमिट रखी है, इसको बढ़ाएं। जब तक आप इस लिमिट को नहीं बढ़ाएंगे तब तक यूरिया की कमी हमेशा होती रहेगी। सिंचाई का रकबा प्रत्येक वर्ष राजस्थान में बढ़ रहा है। इसके कारण से आपको इसके भंडारण की सीमा बढ़ानी चाहिए।

सभापति महोदय, तीसरा संकल्प महिला, बाल और वृद्ध कल्याण बताया है। राजस्थान में महिलाओं पर जिस प्रकार के अत्याचार हो रहे हैं, वह रोज अखबारों में पढ़ने को मिलते हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट में हमारी माता, बहनों के साथ किस प्रकार की बदसलूकी की जाती है? जो गर्ल्स कालेज हैं या जहां पर कॉ-एड एजुकेशन है, वहां पर सीसीटीवी की व्यवस्था नहीं है। हम किस प्रकार से महिलाओं की सुरक्षा की बात करते हैं?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): थोड़ा-सा और है। माननीय सभापति महोदय, यही नहीं, महिलाओं के बारे में इतना भेदभाव आपकी सरकार कर रही है कि परिवहन विभाग में चाइल्ड केयर लीव के तहत अवकाश स्वीकृत नहीं किया जा रहा है। शिक्षा विभाग की महिलाओं के सीसीएल अवकाश को मात्र इसलिए निरस्त कर दिया गया कि विधान सभा की कार्यवाही चल रही है। मैं जानना चाहता हूं कि क्या मात्र 350 महिलाओं पर इस कार्य का दायित्व था जो उनकी छुट्टियां समाप्त कर दी गई?

बाल श्रमिकों के बारे में पूरे राजस्थान की बात नहीं, यहीं जयपुर में भट्टा बस्ती में चले जाओ, तलघर में बैठकर आठ-आठ, दस-दस, बारह-बारह साल के बच्चे महीनों तक सूरज ही नहीं देख पाते। उनको पीटा जाता है, रोटी नहीं दी जाती है और उनसे काम करवाया जाता है, इस प्रकार की स्थिति है। आप कभी-कभी तो कार्यवाही कर देते हो पर एक-दो बार कार्यवाही की, फिर वही ढाक के तीन पात। किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं होती इसलिए मेरा आपके माध्यम से कहना है कि इस मामले में भी आपको सतर्कता बनाये रखनी चाहिए।

मजदूरों का जहां तक सवाल है, मजदूरों की स्थिति भी आपसे छिपी हुई नहीं है, मजदूरों में जिस प्रकार से आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हैं, मजदूर हैं, आशा सहयोगिनियां हैं, इनकी सेवा शर्तों के सम्बन्ध में नियम सरकार अभी तक नहीं बना पायी है, इनके मानदेय और आवास केन्द्र का प्रकरण भी अभी तक मुख्य मंत्री साहब के पास विचाराधीन है। अच्छा होता इसको क्लीयर कर देते ताकि इन गरीब महिलाओं को इसका फायदा मिलता।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, चौथा संकल्प, सक्षम मजदूर और छात्र, युवा, जवान। युवा और जवान में तो मुझे फर्क समझ में नहीं आ रहा है। मैं यह कह सकता हूं कि यह मोदीजी के आइडिये की नकल है, मोदीजी ने जो आइडिया दिया था फिट इंडिया, खेलो इंडिया, उसी का ही इन्होंने नाम बदलकर फिट इंडिया, फिट राजस्थान और हिट राजस्थान किया है। इसमें भी आप समझ सकते हैं।

माननीय सभापति महोदय, ज्यादातर स्कीम, वही घोषणाएं की हैं, जिनमें सेंट्रल स्पोंसर्ड स्कीमें जिसमें भारत सरकार से पैसा मिलना है, वे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें, आपका समय समाप्त हो गया। (व्यवधान) दो मिनट और हो गया आपका।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): कोई अतिरिक्त योजना शुरू नहीं की है। बेरोजगारी भत्ते का मैंने जिक्र किया। और तो और, मेरी महत्वपूर्ण बात तो रह गयी।

श्री सभापति: दो मिनट हो गए आपके, अब समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): बच्चों की आईटीआई संचालन में उनको ऐसी तकनीकी शिक्षा देनी चाहिए जिससे उनको रोजगार मिल सके। मैं एक बात और कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: एक बात ही और बोल दो। वैसे आपका समय समाप्त हो गया।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): बिल्डिंग एण्ड अदर कंस्ट्रक्शन वर्क्स एक्ट के अंतर्गत आपके पास पांच सौ-सात सौ करोड़ रुपये का फण्ड जमा है। उसमें से आज तक इस सरकार ने एक पैसा खर्च नहीं किया, इस बारे में भी माननीय मुख्य मंत्रीजी को बताना चाहिए।

श्री सभापति: बस अब समाप्त करें। श्री मुरारी लालजी मीणा।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): शिक्षा का परिधान, सड़कों का मान, यह सातवां बिन्दु तो मात्र तुकबंदी है, इसके अलावा कुछ नहीं है।

श्री मुरारी लाल (दौसा): माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है, अभी प्रतिपक्ष के लोग...

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): अभी एक मिनट और।

श्री सभापति: हो गया, हो गया आपका। आपने खुद ने एक बात के लिए कहा था।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): माननीय सभापति महोदय, मैं मेरे क्षेत्र की बात करता हुआ अपनी बात को समाप्त करता हूं। माननीय सदस्य मुरारीजी प्लीज।

एक तो आवारा पशुओं की बहुत समस्या है।

श्री सभापति: इस पर तो हमारे भरत सिंहजी खूब बोल लेते हैं। (व्यवधान) अब कृपया समाप्त करें।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): जंगली सूअर, हिरण, इनकी ...(व्यवधान) बहुत भारी समस्या है, किसान को रात भर जागना पड़ता है। मेरा निवेदन है कि इस बारे में सरकार को कोई नीति बनानी चाहिए।

श्री सभापति: अब बस। माननीय सदस्य, मुरारीजी।

श्री मुरारी लाल (दौसा): माननीय सभापति महोदय, अभी हाल ही में माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया है उसकी प्रतिपक्ष के लोगों ने आलोचना की है।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): मेरे को दो-तीन स्कीम के बारे में और बोलना है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, प्लीज विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजो। अंकित नहीं होगा।

श्री मुरारी लाल (दौसा): माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के लोगों का काम है कि बजट की बुराई करे।

श्री प्रताप सिंह (छबड़ा): 000

श्री मुरारी लाल (दौसा): माननीय सभापति महोदय, पूरे प्रदेश की जनता इस बात को जानती है कि कांग्रेस की विचारधारा, माननीय मुख्य मंत्रीजी की विचारधारा, उनका सोच यह है कि सरकारी खजाने का एक-एक पैसा गरीब के काम आना चाहिये, मजदूर के काम आना चाहिये, जनहित के काम आना चाहिये, एससी, एसटी के काम आना चाहिये। इस बात को हर व्यक्ति जानता है और इस बात को आप भी जानते हैं। जो वर्तमान परिस्थिति है जिनको आप सब जानते हैं, जीडीपी की स्थिति क्या है, 5 परसेंट से नीचे है। बेरोजगारी 45 साल में 6 परसेंट से ऊपर है, महंगाई की दर 7 परसेंट से ऊपर है और हमारा शेयर है राज्य सरकार का उसमें भी उन्होंने दुनिया भर की कटौती कर दी, करीब दस-साढ़े दस हजार करोड़ रुपये के ऊपर। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया है वह

(श्री मुरारी लाल)

गरीब को, मजदूर को, किसान को, खिलाड़ियों को, सबको समर्पित है इसलिए मैं इस बजट का समर्थन करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, मैं सबसे पहले मेरे विधान सभा क्षेत्र दौसा, जिला दौसा की कुछ समस्याओं से आपको अवगत करवाऊंगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि रिप्लाई में माननीय मुख्य मंत्रीजी पूरा करेंगे क्योंकि आप बार-बार घण्टी बजा देते हैं, बैठ जाओ, बैठ जाओ तो पहले अपनी बात बता देता हूं।

श्री सभापति: हां, यह अच्छा काम है, पहले अपने घर का काम कर लो।

श्री मुरारी लाल (दौसा): माननीय सभापति महोदय, सबसे पहले तो दौसा विधान सभा क्षेत्र, हमारे उप मुख्य सचेतक महोदय, मंत्री महोदय यहां बैठे हैं, यह एक ऐसा क्षेत्र है जिसमें कांग्रेस 35 साल में जाकर जीती है और भारी बहुमत से 51 हजार वोटों से जीती है इसलिए वहां पर लोगों की उम्मीदें सरकार से, माननीय मुख्य मंत्रीजी से बहुत ज्यादा है, हमारी समस्याएं भी कुछ हैं। मेरा निवेदन है कि रिप्लाई में दौसा जिले का नाम कई बार आना चाहिए। रिप्लाई जब हो तो दौसा जिले का नाम कई बार आना चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, दौसा जिले में पानी की भयंकर समस्या है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट 2013 में ईसरदा डैम से पानी की योजना स्वीकृत कर दी थी लेकिन पांच साल जब आपकी सरकार रही थी, आपने उस पर एक पैसे का काम भी नहीं किया। जिले के अंदर आठ-आठ, दस-दस दिन में पानी आता है। जैसे ही हमारी सरकार आयी, उसमें बजट आबंटित किया गया, ईसरदा डैम का काम बहुत तेजी से चल रहा है जो 2021 में पूरा हो जायेगा। मैं चाहता हूं कि पाइपलाइन डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम और सारे अन्य वर्क के लिए भी पैसा अधिक से अधिक दिया जाए ताकि दोनों काम पेरेलल चालू हो सके और आने वाले टाइम में दौसा के सारे चार-पांच जो कस्बे हैं, ग्यारह सौ गांव, उनको पानी मिल सके। दूसरा मेरा निवेदन है कि हमारा पचवारा क्षेत्र किसान बहुल क्षेत्र है। नांगल राजावतान, एसडीएम आफिस है, तहसील है, पंचायत समिति है, लवाण, हमने पिछली बार भी मांग की थी कि वहां पर शिक्षा पर माननीय मुख्य मंत्रीजी की जो भावना है कि गरीबों के बच्चे पढ़ें, यह एसटी बहुल क्षेत्र है, यहां पर कालेज खोला जाए।

(श्री मुरारी लाल)

माननीय सभापति महोदय, मेरा तीसरा निवेदन है, माननीय उप नेता महोदय, फेज थर्ड का जो हमारा था, आरयूआईडीपी का उसमें पिछली बार जो नगर क्षेत्र था, उसमें सीवरेज सिस्टम सैंक्शन हो गया था लेकिन जैसे ही हमारी सरकार चली गयी, उसको पैंडिंग कर दिया गया और दुबारा वह स्वीकृत नहीं हुआ। हमारे दौसा की आबादी भी बहुत हो चुकी है इसलिए सीवरेज सिस्टम को पुन: स्वीकृत किया जाए।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, जैसे उद्योग मंत्रीजी हमारे जिले से ही आते हैं, उनको पता है, दौसा ही एक ऐसा जिला है जो राजधानी से सबसे नजदीक का जिला है, मात्र 55 किलोमीटर पर है और आज वर्तमान में दौसा जिला आवागमन के मामले में राजस्थान की सबसे वन नम्बर पर है। दिल्ली से लेकर मुम्बई एक्सप्रेस हाइवे का काम चल रहा है। दो नेशनल हाइवे वहां पर से पहले से ही गुजर रहे हैं। जयपुर से नजदीक है और पानी अभी ईसरदा डैम से आ ही रहा है, हम यह चाहते हैं कि कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र दौसा जिले के आसपास बने क्योंकि मुम्बई से जयपुर लोग अब दौसा होकर ही आया करेंगे। मुम्बई से जब आयेंगे तो दिल्ली के लोग, आगरा के लोग, क्योंकि वहीं पर जंक्शन पोइंट बन रहा है। इसलिए वहां कोई बड़ा औद्योगिक क्षेत्र बनेगा तो पूर्वी राजस्थान के लोगों को वहां पर रोजगार मिल सकेगा।

माननीय सभापति महोदय, मेरा निवेदन है, वैसे तो सबके लिए ही है, हम यह चाहते हैं कि दस-दस, पन्द्रह-पन्द्रह किलोमीटर मिसिंग लिंक सड़कें प्रत्येक विधायक को दी जाएं।

माननीय सभापति महोदय, एक सबसे बड़ी बात आपके माध्यम से मैं निवेदन करना चाहता हूं जिसके बारे में सारे विधायक सुन लो, पूर्वी राजस्थान के, जिसके बारे में राठौड़ साहब भी सुनें, ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट, जब देश आजाद हुआ तो पूर्वी राजस्थान की स्थिति बहुत अच्छी थी और पश्चिमी राजस्थान पूरा रेगिस्तान था। सरकार चाहे किसी की भी रही हो, उस समय पर वर्षा सही होती थी लेकिन सरकार की कई योजनाएं पश्चिमी राजस्थान में आयीं, पूर्वी राजस्थान में हो सकता है कि पानी था तो ध्यान नहीं दिया गया तो पानी नहीं होने की वजह से, बरसात नहीं होने की वजह से पूरा रेगिस्तान बनता चला गया। अब आपने ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट जिसकी डीपीआर बन गई, स्वीकृत हो गयी, जिसकी कीमत करीब साढ़े सैंतीस हजार करोड़ रुपये है, उसमें

(श्री मुरारी लाल)

एक बहुत बड़ी टैक्नीकल मिस्टेक है, जिसके बारे में मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं। उसमें बारां, बूंदी, कोटा, झालावाड़ की जो नदियां हैं और वहां का जो अधिशेष पानी है उसको बनास नदी के डूंगरी स्थल पर डालना है और वहां से इन तेरह जिलों के नदी-नालों में भरना है, तालाबों में भरना है और फिर सिंचाई करनी है। रमेश जी, प्लीज आप भी सुन लें। अब इसमें क्या हुआ, इस प्रोजेक्ट में डूंगरी से सबसे पहले पानी जयपुर, टोंक, अलवर लाना चाहिए, लेकिन पिछली बार आपकी सरकार चम्बल के पैरेलल फर्स्ट फेज में एक बहुत बड़ी नदी को बनाकर सीधे धौलपुर ले गयी। पानी हमेशा ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। आप यह बताएं, धौलपुर से पानी वापस आएगा क्या इन जिलों में? आ ही नहीं सकता। यह बहुत बड़ी टैक्निकल मिस्टेक है। मैंने एक बार हमारे सीएस साहब से भी निवेदन किया था कि इसमें टैक्निकल मिस्टेक है। उन्होंने भी कहा कि यह कैसे हो गया? हो इसलिए गया, क्योंकि उस समय मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी थीं। उन्होंने कमाण्ड एरिया धौलपुर में ओपन कर दिया।

अब आप यह बताएं, सब ईस्टर्न कैनाल की बात तो कर रहे हैं, लेकिन हमारे इन आठ-दस जिलों को पानी कब मिलेगा? जब आप नदी बनाकर उस पानी को सीधे धौलपुर ले गये और वहां कमाण्ड एरिया ओपन कर दिया, कल्ला साहब आप भी सुनें, इसमें मेरा निवेदन है, फर्स्ट फेज में आप डूंगरी से सीधे अधिशेष जल को धौलपुर ले गये और वहां कमाण्ड एरिया ओपन किया है। यह डीपीआर में मिस्टेक है। आप वैसे ही कल्पना कर रहे हैं। मेरे हिसाब से इन बारह-तेरह जिलों में पानी तीन फीट तक तो आएगा नहीं। धौलपुर में पहले से ही चम्बल की लिफ्ट योजना स्वीकृत है, वहां जरूरत ही नहीं है। इसलिए कृपा करके उस डीपीआर को वापस मंगाकर चैक कराएं। उसे टैक्निकल लोगों को दिखाएं और उसमें शुद्धिकरण करें और उस कमाण्ड एरिया को या तो जमवारामगढ़ में या जयपुर के आसपास ओपन करें ताकि ऊपर का पानी नीचे को जा सके और इन बारह-तेरह जिलों को इसका फायदा हो सके। यह मेरा आपसे निवेदन है।

तीसरा, सभी लोग बात कर रहे थे आरक्षण के बारे में। सभी दलितों की बात करते हैं। मेरा निवेदन है कि बीजेपी तो वोटों के लिये भले ही कर देती हो, पर मूलतः वह आरक्षण की समर्थक नहीं रही। आपकी जो मूल भावना है, वह आरक्षण विरोधी है। इसका मैं आपको उदाहरण दूं। अभी जिस तरह से आप केन्द्र में हमारी एक-एक पब्लिक सैक्टर अंडरटेकिंग को खतम कर रहे हैं।

(श्री मुरारी लाल)

आपने अभी हाल ही में बीएसएनएल को तो जियो को खिला दिया। जियो को इतना पनपा दिया कि अब बीएसएनएल का पूरा डिपार्टमेंट खतम हो गया। 1 तारीख को 1 लाख कर्मचारियों को रिटायरमेंट दे दिया गया। एलआईसी को आप खतम कर रहे हैं। रेलवे को प्राइवेट सैक्टर को दे रहे हैं। एयर इण्डिया को भी प्राइवेट को दे रहे हैं। आप यह बताएं कि हमें अब नौकरी मिलेगी कैसे?

अभी हमारे एक माननीय सदस्य समरसता की बात कर रहे थे। समरसता का कितना ही अभियान चला लें, वह तभी आ सकती है जब आदमी राजनीतिक रूप से, प्रशासनिक रूप से और आर्थिक रूप से मजबूत होगा और यह मजबूती एससी-एसटी, दलितों और आदिवासियों में नौकरियों से ही आ सकती है, जिन्हें आप खाते जा रहे हैं। इसलिए मेरा निवेदन है कि आप कृपा करके ऐसा न करें। दूसरा, अभी हाल ही में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला हुआ है, उसमें आरक्षण को बराबर कर दिया गया। सरकार द्वारा सही पैरवी नहीं की गयी। इसलिए सदन के सभी साथियों से मेरा निवेदन है कि या तो भारत सरकार हमारे पब्लिक सैक्टर के जो विभाग हैं, उन्हें बेचना बंद करे या फिर प्राइवेट सैक्टर में आरक्षण लागू करें।

एक तो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस पर और दूसरा जो हमारे पब्लिक सैक्टर को प्राइवेट सैक्टर में दे रहे हैं, उन दो चीजों के ऊपर हमारी विधान सभा एक संकल्प पारित करके दिल्ली भेजे। जब हम और दूसरी चीजों के लिए संकल्प पारित कर सकते हैं तो इन दोनों मुद्दों के लिए क्यों नहीं कर सकते? दोनों के लिए करना चाहिए, नहीं तो स्थिति बहुत खराब हो जाएगी। आज वह कलेक्टर बन गया। कोई अत्याचार नहीं करता उसके ऊपर। कोई तहसीलदार बन गया, थानेदार बन गया, डीएसपी बन गया, एसडीओ बन गया, कोई अत्याचार नहीं करता। सब सम्मान देते हैं, इसलिए जब तक यह मजबूती नहीं आएगी, हम इसमें ज्यादा कुछ कर नहीं सकते।

माननीय सभापति महोदय, 2 अप्रैल को एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ था और यह सही बात है जैसा कि मैंने बताया कि यह आपकी मूल भावना नहीं है कि गरीबों का भला हो। उस 2 अप्रैल को हमारे जितने भी लोगों के केस लगे थे, माननीय मुख्य मंत्री महोदय और सरकार से मेरा निवेदन है कि उन सभी केसेस को वापस लिया जाना चाहिए।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): तो अब तक क्यों नहीं लिए? सवा साल हो गया, अब तक क्यों नहीं लिए?

श्री मुरारी लाल (दौसा): कर रहे हैं न उसके लिए।

श्री सभापति: विराजिए माननीय सदस्य।

श्री मुरारी लाल (दौसा): मैं मांग कर रहा हूं न। मैं आपकी तरह गुलाम नहीं हूं जो बोलूं नहीं। अपनों से ही मांग रख रहा हूं क्या दिक्कत है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बोलें।

श्री मुरारी लाल (दौसा): तीसरा, बेरोजगारी का मामला। प्रदेश में जब से हमारी सरकार बनी है, करीब 35 हजार लोगों को नौकरी दी गयी है। 85 हजार के करीब हमारी नौकरियां पाइपलाइन में हैं। रोजगार ही मूल मंत्र है। आपने एक बहुत बड़ी गलती कर दी। नौकरियां तो पता नहीं आपने दीं या नहीं दीं गर्ग साहब, अभी भारत सरकार में 11 ज्वाइंट सैक्रेटरी सीधे प्राइवेट सैक्टर से नियुक्त कर दिए गये। यह कितना बड़ा अन्याय है। एक सीनियर आईएएस आफिसर जो राजस्थान में प्रिंसिपल सैक्रेटरी होता है, उसे भारत सरकार ज्वाइंट सैक्रेटरी के तौर पर लगाती है।

श्री जोगेश्वर गर्ग (जालौर): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। आपका अंकित नहीं होगा।

श्री मुरारी लाल (दौसा): जो हमारे प्रिंसिपल सैक्रेटरी रैंक की पोस्ट होती है, 11 ज्वाइंट सैक्रेटरीज प्राइवेट सैक्टर से सीधे लगा दिये गये। उसमें एक भी एससी-एसटी का नहीं है। आप सीधा आरक्षण खतम नहीं करके इनडायरेक्टली आरक्षण खतम कर रहे हैं। बीच-बीच में कहते भी रहते हैं। समंदर में कांकरी फैंकते हैं और देखते हैं कि लहरें कितनी उठती हैं। जब ज्वार भाटा उठता है तो चुप हो जाते हैं। इसलिए आपकी भावना को तो सारे लोग जानते हैं कि गरीबों के प्रति आपकी क्या सोच है। बाकी वोट लेना तो आप जानते ही हैं। वोट लेने में तो आप माहिर हैं। कैसे झूठ-सच बोलकर के धौंसपट्टी करके आप वोट लेते हैं।

आप कहते हैं कि कांग्रेस ने 70 साल में कुछ नहीं किया। आप मुझे यह बताएं कि यदि 70 साल में हम कुछ नहीं करते, कांग्रेस कुछ नहीं करती तो हम आज क्या बेचते? यह तो वही किस्सा हो गया कि एक बाप पूरे जीवन भर खूब कमाता है, बहुत मेहनत करता है, खूब प्रोपर्टी बनाकर इकट्ठी कर लेता है और बेटा उस प्रोपर्टी को बेचकर खा रहा है और कह रहा है कि मेरे बाप ने कुछ नहीं किया। कृपा करके ऐसी बातें न करें और वैसे तो आप ठेकेदार बन ही रहे हैं। जिन्होंने राष्ट्र के लिए कभी अंगुली तक नहीं कटाई, उन्हें वोट क्यों

(श्री मुरारी लाल)

मिल रहे हैं? आप जैसे लोग आज ठेकेदार बन गये। जिन्होंने बाबा साहेब का संविधान कभी स्वीकार नहीं किया, वे बाबा साहेब के अनुयायी बन गये। जिन्होंने महात्मा गांधी को गोली मारी, वही महात्मा गांधी के अनुयायी बन गये और तिरंगा झण्डा लेकर उसके भी ठेकेदार बन गये तो यह झूठ-सच कब तक चलेगा? कृपया करके मेहरबानी करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप समाप्त करें।

श्री मुरारी लाल (दौसा): सभापति महोदय, मैं इस बजट का समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमारी जो चारपांच मांगें हैं, उन पर जरूर मुख्य मंत्री महोदय ध्यान देंगे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री फूल सिंह जी मीणा।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे इस बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए धन्यवाद। 2020-21 के लच्छेदार बजट भाषण में मुख्य मंत्री जी ने खूब मेजें थपथपवाईं, मगर मैं बताना चाहता हूं कि आपने 7 संकल्पों में इस बजट की प्राथमिकताएं बतायीं जो कि निम्न प्रकार हैं-

नीरोगी राजस्थान, सम्पन्न किसान, महिला एवं बाल तथा वृद्ध कल्याण, सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान, शिक्षा का परिधान, पानी, बिजली व सड़कों का मान, कौशल व तकनीक प्रधान।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पहले ही पाइंट नीरोगी राजस्थान में पूरे राजस्थान को शर्मसार किया कोटा की घटना ने। सौ से ज्यादा बालक मर गये और सरकार आंख मूंदकर बैठी थी। मैं तो धन्यवाद देता हूं हमारे उप मुख्य मंत्री जी को। उन्होंने वहां जाकर सरकार की कमी को वास्तव में स्वीकार किया कि इस दुर्घटना को मानना चाहिए और अपने ऊपर लेना चाहिए। छोटी-छोटी घोषणाएं तो खूब कीं, लेकिन मेरे विधान सभा क्षेत्र में जनता क्लिनिक खोलने की जो बात की है, उसमें मेरे विधान सभा क्षेत्र को छोड़कर पूरे सम्भाग में एक भी जनता क्लिनिक खोली गयी हो तो बता दें आप। केवल और केवल बजट भाषण पढ़कर के मेजें थपथपाने का काम किया गया है।

सभापति महोदय, पहले संकल्प नीरोगी राजस्थान में 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख का प्रावधान रखा। इसमें केवल प्रचार-प्रसार के लिए 1 करोड़

(श्री फूल सिंह मीणा)

रुपये देकर हमारी जनता की इस गाढ़ी कमाई का दुरुपयोग करने के अलावा कुछ नहीं किया।

सभापति महोदय, किसानों के लिए इन्होंने बहुत कुछ करने के लिए बताया है मगर हमारे जनजाति, ट्राइबल एरिया में ओपन कुए नहीं हैं, हमें थ्री फेज कनेक्शन नहीं मिलता था। पूर्व सरकार में आप भी इस सदन में बैठे थे, मुख्य मंत्री जी को हमारे ट्राइबल के विधायकों ने जब बताया कि हमारे यहां पर थ्री फेज का कनेक्शन करें तो जमीन नहीं है और बहुत थोड़ी-थोड़ी जमीन है इसलिए उसके अन्दर सिंगल फेज कनेक्शन का हमें आर्डर दो। मगर हमारी पूर्व मुख्य मंत्री वसुंधरा जी ने कहा कि सिंगल फेज के लिए आपको कनेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, घर के कनेक्शन से आप खेती को पानी दो, कोई आपके ऊपर पैनल्टी नहीं लगाएंगे और उन्होंने घर के कनेक्शन से हमारी बिस्वा-दो बिस्वा जमीन में सब्जी और थोड़ी बहुत जो भी फसल लेते थे उसके लिए उन्होंने घर के कनेक्शन को लागू किया।

ये कहते हैं कि सौर ऊर्जा के लिए हम सोलर पम्प देंगे और यह करेंगे पर, सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूर्व सरकार ने हमें पीने के पानी के लिए सौर ऊर्जा के पम्प लगाने का आर्डर किया था और मुझे 14 पनघट योजना दी थी जिनके अन्दर पीने के पानी के लिए बोर तो खोद दिया मगर सवा साल के अन्दर आज एक भी इंस्ट्रूमेंट लगा हो तो बता दो। मेरे विधान सभा क्षेत्र ही नहीं, पूरे सम्भाग के अन्दर अभी तक वह सौर ऊर्जा के जो इंस्ट्रूमेंट लगाने थे वे तक नहीं लगाये तो हम आदिवासियों के साथ इससे बड़ा और क्या कुठाराघात करेंगे और कहते हैं कि हम किसानों की बात कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मुख्य मंत्री जी ने 267 करोड़ खर्च करने के लिए कहा था कि हम मुख्य मंत्री कृषि योजना के अन्दर सौर ऊर्जा के पम्पों के लिए देंगे। अब पहले के तो दिये नहीं, और घोषणा कर दी है। इसमें कितना खरा उतरेंगे, यह तो समय बतायेगा मगर आम जनता को क्या मैसेज देना चाहते हैं? जनजाति एरिया में किसानों की जो वन उपज हुआ करती थी उसमें टी पी कानून लागू किया था और 70 साल के अन्दर ज्यादा से ज्यादा कांग्रेस सरकार ने राज किया और जब हमारे वनवासी भाई वन उपज को लेकर शहर में आते थे तो पुलिस वाले उनको पकड़ते थे, वन विभाग वाले पकड़ते थे और उसको जो वन उपज का पैसा

(श्री फूल सिंह मीणा)

मिलता था, उसमें से एक हजार और पांच सौ रुपये वे पैनल्टी ले लेते थे या केस की धमकी देकर उसके पैसे छीन लेते थे। उसके डर के मारे वन उपज को 70 साल तक गुजरात में जाकर बेचने का काम हमारे किसानों ने किया क्योंकि यहां पर एक रुपये के टी पी कानून को खतम नहीं किया। मैं पूर्व सरकार को धन्यवाद देता हूं कि वह एक रुपये का जो टी पी कानून लागू था, उसको समाप्त करके हमारे जनजाति भाई, किसानों को राहत देने का काम किया तो पूर्व सरकार वसुंधरा जी के राज में किया।

सभापति महोदय, क्योंकि समय कम है इसलिए मैं शार्ट में ही बता रहा हूं। कृषि के लिए ये कह रहे हैं कि हम कृषि में यह कर रहे हैं वह कर रहे हैं पर मैं बता रहा हूं कि पूर्व सरकार में मैंने सहकारिता बैंक के ऊपर एक क्वेश्चन लगाया था कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में कितने किसानों को कर्जा दिया और कौन-कौन ने इसके अन्दर लाभ लिया। माननीय सभापति महोदय, मैंने जब क्वेश्चन किया तो उस किसान का, लाभार्थी का नाम गया तो उसको यही पता नहीं कि मेरे नाम पर कभी कर्ज भी लिया है। ट्रैक्टर हो, पम्प हो या कोई भी लोन लिया तो प्रभावशाली नेतागण और सहकारी बैंक के अधिकारी हैं, वे मिलीभगत से ऋण ले लेते थे और उसका फायदा लेकर वे ही चुकाते थे और किसान को बुलाकर साइन करा लेते थे। इस प्रकार सहकारिता के अन्दर भी इतना घोटाला किया, उसके लिए मैं आपको क्या बताऊं।

चौथा संकल्प था सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान। सभापति महोदय, मैं बताता हूं कि आज मजदूरों का क्या हाल है। हमारा जनजाति का मजदूर मजदूरी करने के लिए उदयपुर आता है और ओवर लोडेड बसों में आते हैं पर उनको मजदूरी नहीं मिलती है और दिनभर खोटी होकर चला जाता है। सभापति महोदय, हमारे मुख्य मंत्री बजट घोषणा में यह करते कि जनजाति के लिए कोई लघु उद्योग खोलेंगे या हम कुछ न कुछ ऐसा करेंगे तो ठीक रहता। मैं यह मांग करता हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्दर, जनजाति एरिया में लघु उद्योग खोलकर उन जनजातियों को आप राहत देंगे तो यह लगेगा कि वास्तव में वर्षों तक इन आदिवासियों के वोट लेकर राज किया तो उनके लिए अच्छा करने की सोच रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे जावर माइंस और झामर कोटड़ा माइंस के अन्दर 3-3, 4-4 हजार मजदूर काम करते हैं और 3-3, 4-4 हजार मजदूरों में दूसरे प्रदेशों के लोग आकर मजदूरी करते हैं

(श्री फूल सिंह मीणा)

क्योंकि इंजीनियरिंग कालेज वहां पर नहीं है। मैं मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि हमारे यहां जावर माइंस, दरीबा माइंस और झामर कोटड़ा माइंस के लिये इंजीनियरिंग कालेज खोल देंगे तो ट्राइबल एरिया में रोजगार में हमें बहुत बड़ा सहारा मिलेगा।

सभापति महोदय, शिक्षा के लिए बात करते हैं तो शिक्षा के अन्दर बच्चे हमारे ट्राइबल बैल्ट में पंचायत चुनाव के पहले उद्घाटन करने थे, तब गये थे और एक स्कूल के अन्दर मिट्टी पर बैठते थे तब उसमें टाइल्स लगाने का काम किया था और उसका लोकार्पण करने के लिए गया था, तब मैंने बच्चों को बुलाकर पूछा कि ये पांचवीं में पढ़ रहे हैं तो एक किताब लाओ और मैं बताना चाहता हूं। सभापति महोदय, दुर्भाग्य है कि उस स्कूल के अन्दर पांचवीं की एक किताब तक नहीं मिली। नवम्बर के अन्दर एक किताब नहीं है और ये शिक्षा को बढ़ावा देने की बात करते हैं। अगर आपको यकीन न हो तो मेरी पोपरटी पंचायत का फांदा गांव है, उसके अन्दर एक प्राथमिक स्कूल है जिसके अन्दर पांचवीं की किताबें तक नहीं दीं।

सभापति महोदय, शिक्षा के अन्दर इन्होंने इधर से उधर तबादलों के अलावा कुछ नहीं किया। मेरे यहां पर एक विडो महिला अध्यापक थी, उस स्कूल में 350 बालक थे। मास्टर भंवर लाल जी यहां नहीं हैं, वे भी उस कार्यक्रम में गये थे और मैं बताना चाहता हूं कि उस अध्यापिका की इतनी गलती थी कि उसने सब जन-प्रतिनिधियों को बुला लिया जिसको उसको सज़ा क्या दी? उस विडो महिला को 100 किलोमीटर आगे ट्राइबल गांवों में फेंक दिया क्योंकि उन्होंने प्रधान साहब और मुझे बुला लिया। उसको ही नहीं, अनेकों को सज़ा दी गई। जब वह प्रधानाध्यापिका वहां आई थी तब 350 बच्चे थे और आज की तारीख में प्राइवेट स्कूलों को उन्होंने बन्द करवा दिया और 750 के करीब उस स्कूल में बच्चे हैं। शिक्षा मंत्री जी यहां नहीं हैं, अगर आपको देखना हो तो उस स्कूल को जाकर देखो कि प्राइवेट स्कूल को भी वह स्कूल मात देती है। उसने वहां पर जन सहभागिता के आधार पर सीसीटीवी कैमरे लगवा दिये।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 8 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: क्या सदन का समय 8 बजे तक बढ़ा दिया जाए?

(स्वीकृत)

सदन का समय 8 बजे तक बढ़ाया जाता है।

आय-व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं यही कह रहा था कि जो अच्छा काम करता है उसको प्रमोशन देना चाहिए पर उसको सज़ा देते हैं और वह क्यों देते हैं क्योंकि वह अच्छा काम करते हैं, प्राइवेट स्कूलें बन्द करवा रहा है इसलिए उसको यहां से हटाओ क्योंकि उनको उनकी दुकान चलानी है। उसको इधर से उधर करके फिर यह कहते हैं कि फलां नेताजी से मिल लो अगर आपको यहां रहना है तो। अब कौन जाए, क्यों जाए और उनके पास जाए तो वे क्या कहेंगे, यह तो मैं कह नहीं सकता हूं। मगर मैं इतना जरूर कहूंगा कि सरकार ने पंचायती राज में पुनर्गठन करके और शिक्षा स्तर को बिलकुल खतम करके ट्राइबल एरिया ही नहीं, पूरे के पूरे राजस्थान में यह अन्याय किया है। मगर, सभापति महोदय, जनता बहुत समझदार हो गई है। मुख्य मंत्री जी ने कहा था कि पंचायती राज के अन्दर शिक्षा को बिलकुल समाप्त करते हैं, कोई प्रावधान नहीं है, अनपढ़ आएगा तो वही सरपंच बनेगा, प्रधान बनेगा, जिला प्रमुख बनेगा। पूर्व सरकार ने शिक्षा को लागू करके वास्तव में युवाओं को आगे लाने का काम किया मगर जनता ने जवाब दिया।

(17.00 बजे)

सभापति महोदय, 466 पंचायत चुनाव के अंदर, पंचायतों में चुनाव था केवल अंगूठा छाप साक्षरता, मैं अंगूठा छाप नहीं कहूंगा, क्योंकि साक्षरता के केवल 95 सरपंच जीतकर आये और बाकी सारे के सारे ग्रेजुएशन थे, पीजी किये हुए थे, बी.एड. किये हुए थे, सैकण्डरी, हायर सैकण्डरी और आठवीं पास सरपंच बने। यही नहीं, सभापति महोदय, इन्होंने देखा कि पंचायत पुनर्गठन करेंगे तो हमको फायदा होगा, मगर जनता बहुत समझदार है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर नौ पंचायतों का पुनर्गठन किया और उसमें भी यह देखा कि हम कैसे जीतें, तीन-तीन पंचायतों में से गांव तोड़-तोड़कर एक पंचायत गठित की और चार पंचायतों को डिस्टर्ब किया, मैंने कितनी ही एप्लीकेशन लगायीं, मगर उसके अंदर ध्यान नहीं दिया। फिर भी, जनता को धन्यवाद देता हूं, कांग्रेस की सरकार रहते हुए, सारे मंत्री और अधिकारी लगने के बाद 9 के 9 सरपंच बीजेपी समर्थित जिताकर जनता ने जवाब दिया।

(श्री फूल सिंह मीणा)

सभापति महोदय, यही नहीं इन्होंने हमारे विकास के अंदर कई तरह के, मेरी पंचायत के अंदर प्रधान हमारा, जिला प्रमुख हमारा, विधायक हमारा और हमको पंचायत के सामुदायिक भवन, जो 25-25 लाख रुपये का पंचायत भवन बनाया, उसमें हमें बुलाया तक नहीं कि ये आ जाएंगे तो हम पंचायत में हार जाएंगे। मगर, ऐसी पंचायत में, मैंने जनता से पूछा, मैंने कहा ये पंचायत भवन किसने बनाया कि आपने बनाया तो उद्घाटन किसने किया कि उन्होंने किया तो मुझे क्यों नहीं बुलाया, तो साहब नहीं बुलाया तो हम पंचायत में जवाब देंगे। वास्तव में, उस सरपंच को, कांग्रेस को हराकर, बीजेपी का जिताकर, उनको उलटा जवाब दिया, जनता बहुत समझदार है।

सभापति महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे विधान सभा क्षेत्र के अंदर 49 पंचायतों का चुनाव हुआ। 36 पंचायतों में भारतीय जनता पार्टी के समर्थित सरपंच जीतकर, कांग्रेस को 13 में समेटकर बता दिया कि वास्तव में एक साल के अंदर आपने हमारा कुछ भी विकास नहीं करवाया।

सभापति महोदय, मैं पानी की बात करूंगा, तो पानी के अंदर मेरा अलसीगढ़ डैम है देवास का, हमारे पूर्व मुख्य मंत्री मोहन लाल जी सुखाड़िया साहब ने बांध बनवाये थे। उससे उदयपुर को पानी पिलाने का काम किया था। उस अलसीगढ़ डैम का पानी जो 34 फीट भराव क्षमता का डैम बना हुआ है और उसके अंदर दरवाजे टूटे हुए थे, गेट टूटे हुए थे। मैंने गत बार विधान सभा सत्र में प्रश्न लगाया कि वे गेट ठीक करवाने हैं। सभापति महोदय, दुर्भाग्य है मुझे जवाब दिया गया कि उसका गेट ठीक कर दिया गया मगर, आज आप जाकर देखो, वह पूरा का पूरा डैम खाली हो गया है...

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): मंत्री महोदय, अगर सुन रहे हों। सभापति महोदय, दो मिनट, मैं शार्ट ही कर रहा हूं।

श्री सभापति: आप तो कहीं-कहीं घूम रहे हो, फटाफट करें। आपका टाइम खतम हो गया।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): उसी में घूम रहा हूं। मैं यह कह रहा हूं कि वह दरवाजा टूट गया और उसका पानी खाली हो गया, जो गर्मी में उदयपुर को पानी देने का काम करता था। सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि हमारे ट्राइबल के मंत्री महोदय भी हैं। ट्राइबल क्षेत्र में बने हुए डैम के दरवाजे ठीक करवाने का काम करेंगे तो

(श्री फूल सिंह मीणा)

आने वाली गर्मी में पानी की भराव क्षमता का पूरा सदुपयोग होगा। यही नहीं, सभापति महोदय, जिंक स्मैल्टर को हम पानी दे रहे हैं और 2020 के अंदर उसकी कार्य सीमा समाप्त हो रही है। मैं आपके माध्यम से सरकार से और इस सदन में कहना चाहता हूं कि उस पानी को रोककर जनता के उपयोग में ले और अगर यूनिट को देना है, तो उदयसागर का पानी देकर, फैक्ट्री के अंदर काम लें और हमारी जनता को राहत प्रदान करें।

सभापति महोदय, एक मिनट मैं आपको बताना चाहता हूं कि हमारे डीएमएफटी एक्ट के पैसे से जो हमारा काम चल रहा है, उसको भी रोक दिया गया, रोडें सारी बंद पड़ी हैं, ठेकेदार त्राहि-त्राहि कर रहे हैं, हमारा पैसा नहीं दे रहे हैं, हम काम कैसे करें। काम करना चाहता है, मगर उसके पास पैसे नहीं है, डेढ़ साल हो गये काम करते, वह बंद कर दिया। डीएमएफटी एक्ट के मेरे उदयपुर के अंदर 22781.5 लाख रुपये आज खाते में जमा है, मगर हमारी शिक्षा में, चिकित्सा में, पानी में और ये रोडों का काम अगर डीएमएफटी एक्ट का जो पैसा मिल जाए तो हमारे इस सरकार के पैसे भी बचेंगे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): सभापति महोदय, मैं इस बजट की भर्त्सना करता हूं और मैं पुरजोर विरोध करता हूं कि इस बजट के अंदर ऐसा कुछ देते, हमारे मेवाड़ संभाग को खाली रखा, क्योंकि वहां पर ट्राइबल लोग रहते हैं। 70 साल से कांग्रेस को वोट देकर विश्वास जताया, आपने उनके साथ में धोखा किया। सभापति महोदय, मैं आशा करता हूं कि हमें रोजगार से जोड़ें और हमारी पानी की सप्लाई के लिए भी ध्यान दें, बहुत-बहुत धन्यवाद, जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री लक्ष्मण मीणा।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): धन्यवाद, माननीय सभापति महोदय। आपने मुझे वर्ष 2020-21 के बजट प्रस्ताव पर मेरे विचार रखने का अवसर दिया। माननीय सभापति जी, माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो बजट प्रस्ताव किये हैं, जो बजट पेश किया है वह एक समग्र, संतुलित एवं महत्वाकांक्षी बजट है।

श्री सभापति: कृपया बोलने दें, प्रताप सिंह जी माननीय सदस्य।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): मैं उसको देखकर बोल रहा हूं, वहां पर लिखा है सच बोलना। इसमें समाज कल्याण, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार पर

(श्री लक्ष्मण मीणा)

फोकस किया गया है, कोई नया कर या उपकर नहीं लगाया गया है, 7 संकल्पों के आधार पर इन्होंने भविष्य का खाका खींचने का प्रयास किया है। माननीय सभापति महोदय, पहली बार नीरोगी राजस्थान कंसेप्ट के साथ में रोगों के प्रिवेंटिव आसपेक्ट पर विशेष ध्यान दिया गया है। पहले कभी भी इसको बजट में नहीं रखा गया था क्योंकि हमारे लोगों के जो सबसे ज्यादा पैसे खर्च होते हैं, जिसमें उनकी सारी पूंजी खतम होती है, वह रोगों के इलाज पर होती है, लेकिन अबकी बार माननीय मुख्य मंत्री जी ने रोग हो ही नहीं, बीमारी हो ही नहीं, उनकी जीवन शैली इस तरह की हो कि वे हास्पिटल में जाएं ही नहीं, इसके लिए नीरोगी राजस्थान का कंसेप्ट लाये हैं। उसके तहत इन्होंने 14533 करोड़ का प्रावधान रखा है। इसमें 100 करोड़ का प्रावधान यह है कि इसमें नीरोगी राजस्थान प्रबंधन कोष बनेगा, इसमें से 1-1 करोड़ रुपये प्रत्येक जिले को देंगे, जिले के जितने भी अधिकारी हैं, वे नीरोगी राजस्थान में क्या किया जाना चाहिए, इसका प्रचार प्रसार गोष्ठियां और प्रदर्शन का काम करेंगे। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण आसपेक्ट है। इसके अलावा राज्य के सभी नागरिकों का डिजिटल हैल्थ सर्वे होगा, जिला स्तर पर अर्ली इंटरवेंशन सेंन्टर्स होंगे, जो बीमारी हो रही है, विकलांग हो रहे हैं, उसका समय पर पता लगता है तो निश्चित रूप से उसका उपचार किया जा सकेगा। नीरोगी राजस्थान के माध्यम से सरकार की कोशिश रहेगी कि बीमारियों का प्रिवेंशन किया जा सके।

माननीय सभापति महोदय, राज्य के प्रत्येक नागरिक को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध हो तथा स्वस्थ जीवन व्यतीत कर सकें, इस हेतु मिलावटखोरों के खिलाफ जबर्दस्त तरीके से प्रहार करने के लिए, इसमें कई प्रावधान किये गये है, जिनमें पहला एक अथोरिटी का गठन किया जाना प्रस्तावित है, जिसके लिए प्रत्येक जिले में मिलावटी चीजों के लिए एक लैब होगी, फास्ट ट्रैक कोर्ट होंगी, ताकि जल्दी उसका निस्तारण हो सके और इस पर रोकथाम की जा सके। चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में 15 नये मेडिकल कालेज खोलने का जो काम किया है, वह भी बहुत स्वागत योग्य है।

इसके अलावा कृषि विभाग के लिए करीबन 3420 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है। माननीय सभापति महोदय, किसानों की सबसे बडी समस्या सिंचाई है, क्योंकि यहां अंडरग्राउण्ड वाटर भी नहीं है, बरसात कम होती है, भूमिगत जल स्तर वृद्धि के लिए राज्य में 150 करोड़ रुपये से जल

(श्री लक्ष्मण मीणा)

संग्रहण इकाइयां बनेंगी। ड्रिप एंड स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणाली के लिए 91 करोड़ का प्रावधान है इससे करीब 30 हजार हैक्टेयर अतिरिक्त भूमि सिंचित होगी जो किसानों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी, 267 करोड़ की लागत के कृषि के लिए 35 हजार सोलर पंप लगाए जाएंगे। यूरिया और डीएपी के लिए जो काफी किल्लत रहती है सोइंग सीजन में उससे निजात पाने के लिए 30 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है ताकि उसका अग्रिम भंडारण किया जा सके। यह बहुत ही स्वागत योग्य है। कृषि आय में वृद्धि के लिए कृषि उपज अधिनियम एवं कृषि उपज संविदा खेती एवं सेवाएं कानून बनाया जाएगा। राज्य में आगामी 4 वर्षों में चरणबद्ध तरीके से 2000 नवीन जीएसएस का गठन किया जाना प्रस्तावित है। 2020-21 में राज्य में चयनित जीएसएस, केवीएसएस और उपभोक्ता भंडारों में कुल 130 गोदाम बनाए जाएंगे। उपरोक्त प्रयासों से किसानों की आय बढ़ेगी तथा उन्नत खेती को बढ़ावा मिलेगा और इससे किसान की खुशहाली में एक कदम आगे बढ़ सकेंगे।

माननीय सभापति महोदय, सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान का जो यह इसमें एक संकल्प रखा गया है इसमें जो छात्र अपना कैरियर केवल खेलों में देखते हैं, उनके लिए बहुत जबरदस्त तरीके का रखा है जिसमें अन्तरराष्ट्रीय खेलों में पदक जीतने वालों के लिए, ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले को 3 करोड़ रुपये, रजत पदक हासिल करने वाले को 2 करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को 1 करोड़ रुपये और संविदा पर 500 कोच लगाने का प्रावधान रखा है, यह भी स्वागत योग्य है। एशियाड/कामनवैल्थ खेलों में एक करोड़, 60 लाख और 30 लाख की जो इनाम दी जाएगी, इससे निश्चित रूप से हमारे राजस्थान में खेलों का जबरदस्त तरीके से विकास होगा।

माननीय सभापति महोदय, औद्योगिक विकास के लिए एक बोर्ड आफ इन्वेस्टमेंट बनेगा। इस बीआईपी में 14 विभागों के अफसर लगेंगे, 9 जिलों में नए औद्योगिक क्षेत्रों की स्थापना होगी। यह एक स्वागत योग्य कदम है, इससे राजस्थान में औद्योगिक क्षेत्र का विकास होगा, इसके अलावा भी, माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट में जो घोषणा की थी, उसके तहत करीबन 34000 नौकरियां दी जा चुकी हैं और 84000 नौकरियां प्रक्रियाधीन हैं तथा इस बजट में 53181 पदों पर नई भर्तियां किए जाने का प्रावधान रखा है। बजट में 130 करोड़ रुपये की करों में राहत दी है। डीएलसी की रेट 10% कम की है, इससे निश्चित रूप से जो आर्थिक मंदी है, उससे निजात पाने में मदद मिलेगी।

(श्री लक्ष्मण मीणा)

शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा से जुड़े विभागों में 39000 करोड़ से अधिक की राशि का प्रावधान रखा है। इसमें 167 ब्लाकों में प्रत्येक में इंग्लिश मीडियम स्कूल खोले जाएंगे। बालिका शिक्षा के लिए 3 वर्षों में 66 कस्तूरबा आवासीय विद्यालय खोलने का प्रावधान रखा है, इससे बालिका शिक्षा को जबरदस्त बढ़ावा मिलेगा। यह बहुत स्वागत योग्य है। इसी तरीके से शिक्षा में नवाचार करने के लिए जो शनिवार को नो बैग डे रखा है, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर शिक्षा के जो टीचर होंगे, उनके सेपरेट कैडर का जो विचार रखा है, करीबन 200 स्कूलों में अतिरिक्त संकाय और 300 स्कूलों में अतिरिक्त विषय आवश्यकतानुसार खोलने का जो प्रावधान बजट में रखा है, वह शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, इसके लिए भी मैं माननीय शिक्षा मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं और इसका स्वागत करता हूं।

पानी, बिजली और सड़कों के बारे में बहुत महत्वपूर्ण घोषणाएं की हैं। पेयजल के लिए करीबन 8794 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा है। जल जीवन मिशन योजना के तहत 4327 गांव में 9159 ढाणियों के 9 लाख परिवारों को शहरों की तर्ज पर पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। 500 जनता जल योजनाओं में एक लाख घरों को पानी दिया जाएगा और 13 जिलों में सिंचाई के नजरिए से जो महत्वपूर्ण ईस्टर्न राजस्थान कैनाल है उसका पहली बार बजट में उल्लेख किया गया है। माननीय सभापति जी, जैसा कि दौसा से आने वाले माननीय सदस्य ने भी इस पर विशेष ध्यान दिया है, अगर 13 जिलों में इसकी क्रियान्विति करके पानी लाया जाता है तो यह राजस्थान को सरसब्ज करने के लिए, यहां जबरदस्त तरीके से कृषि का विकास करने में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करेगा।

सड़कों में सुधार के लिए 400 करोड़ का प्रावधान रखा है जिसमें जबरदस्त तरीके से जो क्षतिग्रस्त सड़कें थीं उनको इसके अंदर रखा गया है। माननीय सभापति जी, आपके माध्यम से मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी और हमारे डिप्टी सीएम साहब का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि एक बहुत ही बुरी तरह क्षतिग्रस्त रोड मेरे इलाके में है जो चाकसू विधान सभा क्षेत्र से दौसा विधान सभा क्षेत्र को मिलाती है और बस्सी विधान सभा क्षेत्र से गुजरती है स्टेट हाईवे नंबर-दो, उसमें कभी काम ही नहीं हुआ, उसको भी इसके अंदर लेना चाहिए था।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, एक मिनट लूंगा। ऊर्जा के क्षेत्र में भी जबरदस्त काम किया जो किसानों की मांग हमेशा रहती है कि उनको दिन में बिजली दी जाए, रात के समय उनको काफी परेशानी उठानी पड़ती है, इसके लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने 220kv के छह, 132kv के 30 तथा 33kv के 287 जीएसएस रखे हैं, इससे निश्चित रूप से सुदृढ़ होगा।

अंत में, मेरे विधान सभा क्षेत्र के लिए भी मैं एक मिनट बोलना चाहूंगा।

श्री सभापति: विधान सभा क्षेत्र को पहले लो, बाद में अपने मुद्दे की बात तो रह जाती है।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): एक ही सैकंड में खतम करता हूं, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: हां, एक सैकंड में खतम कर दो।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): मेरे विधान सभा क्षेत्र के 239 गांव में 38600 परिवारों को नल से पानी देने का इसमें प्रावधान रखा है, इसके लिए मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। इसी तरह बस्सी के लिए नगरपालिका दी है और 11 ग्राम पंचायत तथा एक पंचायत समिति के भवन निर्माण का प्रावधान रखा है, उसके लिए मैं बहुत-बहुत आभार व्यक्त करता हूं।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री लक्ष्मण मीणा (बस्सी): माननीय सभापति महोदय, बजट बहुत अच्छा है, अच्छे प्रावधान हैं लेकिन इस पर निर्भर करता है कि इसका इंप्लीमेंटेशन भी ठीक हो। बजट में जो प्रावधान रखा गया है वह पूरा खर्च हो, इसके लिए मोनिटरिंग ठीक से हो। इस पर माननीय मुख्य मंत्री जी विशेष ध्यान दें और समय-समय पर मीटिंग करें। मैं इस बजट का समर्थन करता हूं, अनुमोदन करता हूं और माननीय मुख्य मंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामलाल जी मीणा।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, वर्ष 2020-21 के बजट पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया, इसके लिए बहुत-बहुत

(श्री रामलाल मीणा)

धन्यवाद। आज केन्द्र सरकार की बात करें तो सर्वे 2019-20 के अनुसार जीडीपी ग्रोथ 5 परसेंट है, बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ रही है। आज इंडेक्स आफ इंडस्ट्रीज मैन्युफैक्चरिंग एवं कंस्ट्रक्शन क्षेत्र के आंकड़े भी निराशाजनक है। महंगाई आसमान को छू रही है। उक्त सभी से यह ज्ञात होता है कि देश के प्रधान मंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के साथ-साथ ट्रम्प अंकल के साथ-साथ भयानक सब्जबाग दिखाने के बावजूद भी और सम्पूर्ण पृथ्वी की परिक्रमा करने के बाद भी अर्थव्यवस्था पटरी से नीचे उतर चुकी है और माननीय सभापति महोदय, गरीबी तो ऐसे गायब हुई, भाजपा ने चुनाव में कहा था कि हम गरीबी मिटायेंगे लेकिन गरीबी तो ऐसे गायब हुई, जैसे मोटेरा की दीवार। गरीबों को यह पता नहीं था कि हम दीवार बनाकर गरीबी मिटा आएंगे लेकिन मोदी जी ने तो वास्तव में गरीबी मिटा दी एक दीवार बनाकर, ईटों की दीवार बनाकर गरीबी मिटा दी। वास्तव में केन्द्र सरकार की गलत नीतियों के कारण राजस्व में जो गिरावट आई है, जिसकी वजह से हमारे प्रदेश को सेंट्रल टैक्स से जो बजट मिलता है उसमें भी 10362 करोड़ रुपये काटे गए हैं लेकिन उसके बाद भी इन सब चुनौतियों को स्वीकार करते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कथन 'मेरी यह प्रबल कामना है कि हर आंख का हर आंसू पोंछ सकूं,' की भावना को ध्यान में रखते हुए 7 संकल्पों को इस बजट की प्राथमिकता बनाई है। नीरोगी राजस्थान, सम्पन्न किसान, महिला, बाल एवं वृद्ध कल्याण, सक्षम मजदूर, छात्र-युवा-जवान, शिक्षा का परिधान, पानी, बिजली व सडकों का मान, कौशल व तकनीकी प्रधान जो बजट पेश किया है, उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय को एवं समस्त मंत्रियों को मेरे क्षेत्र सहित सम्पूर्ण राजस्थान की जनता की ओर से बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। आपने हर क्षेत्र, हर वर्ग को मद्देनज़र रखते हुए जो बजट आबंटित किया है, सामने की पंक्ति मैं बैठे माननीय सदस्य बड़ी-बड़ी बातें जरूर कर लेते हैं किन्तु इनकी गलत नीतियों के कारण 3 लाख 10 हजार करोड़ का जो कर्जा यह छोड़कर गये हैं, इसी वजह से इनको आज इधर बैठने को मिला है। इसके साथ ही 13 हजार करोड़ रुपये के कार्य एडवांस में यह स्वीकृत करके चले गये थे।

माननीय सदस्य अभी कह रहे थे कि हमारा पेमेंट नहीं हो रहा है, यह नहीं हो रहा है लेकिन इन्होंने जाते-जाते कागजों में स्वीकृति निकाली थी। इसी प्रकार से मेरे भी विधान सभा क्षेत्र की कई सड़कों की स्वीकृति निकालकर यह

(श्री रामलाल मीणा)

चले गये थे और आनन फानन में चुनावों में वोट हासिल करने के लिये इन्होंने ठेकेदारों से कहा कि आप जेसीबी से खोद भी दो, लेकिन उसके बाद भी काम नहीं हुआ। फिर मैंने माननीय मुख्य मंत्री जी का प्रोग्राम प्रतापगढ़ में कराया और माननीय मुख्य मंत्री जी एवं उप मुख्य मंत्री जी को बताया। उसके बाद माननीय मुख्य मंत्री जी ने प्रतापगढ़ से पिपलोडा 62 किलोमीटर की सड़क, जिसका रात दिन काम चल रहा है और अभी 20-30 किलोमीटर का उस सड़क का काम हो गया है, 20-30 किलोमीटर का काम और बाकी है। उसी प्रकार से प्रतापगढ़ से सालमगढ़ सड़क का काम चालू किया है। अरनोद से जाजली, बेडमा होते हुए भावगढ़ से होते हुए चुपना का काम, गोतमेश्वर से लेकर सुहागपुरा का काम, धमोतर से मचलाना तक का काम, असावता से कुलथाना तक काम, कई सारी सड़कों की जो बजट में घोषणा की है, उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का और उप मुख्य मंत्री महोदय सचिन पायलट साहब को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। आज ऐसी विकट परिस्थिति को देखते हुए भी आपने गरीब आदिवासी क्षेत्र पर ध्यान देते हुए हमारी सड़कों की घोषणा की।

माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जन घोषणा पत्र को संकल्प पत्र मानते हुए कृषक कल्याण कोष, जनता क्लिनिक, इंदिरा महिला शक्ति निधि, मुख्य मंत्री युवा रोजगार सहित कई अनूठे कदमों का फायदा आज जनता को मिल रहा है। नीरोगी राजस्थान में 14538 करोड़ 37 लाख का प्रावधान किया है और 100 करोड़ रुपये से नीरोगी राजस्थान प्रबंध कोष की जो घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है, इसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। इनकी जितनी भी तारीफ करें, उतनी कम है। मेरे जिला अस्पताल में माननीय मुख्य मंत्री जी ने और चिकित्सा मंत्री जी ने जो घोषणाएं की हैं, गत बजट में 500 बैड इन्होंने स्वीकृत करने की घोषणा की, उसमें से 150 बैड प्रतापगढ़ जिला चिकित्सालय को दिये। पहले आदिवासी क्षेत्र के मरीजों को देखकर डाक्टर सीधे उदयपुर रैफर कर दिया करते थे, आज वहां पर बराबर तरीके से इलाज हो रहा है। मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का और चिकित्सा मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि 15 मेडिकल कालेज के साथ- साथ प्रतापगढ़, जालौर और राजसमंद की डीपीआर तैयार करके उन्होंने भेज दी और प्रतापगढ़ की सैद्धांतिक स्वीकृति भी मिल गई है। इसलिए माननीय मुख्य मंत्री महोदय को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा क्योंकि उन्हीं की वजह से आज ग्रामीण क्षेत्र

(श्री रामलाल मीणा)

में जहां डाक्टर रहना पसंद नहीं करता था, वहां एक मेडिकल कालेज की सौगात मिलने जा रही है। उस क्षेत्र के युवाओं का डाक्टर बनने का सपना साकार होगा एवं गरीब आदिवासियों को और वहां के किसानों को इलाज की पूरी सुविधा मिलेगी।

सभापति महोदय, मैं सुझाव देना चाहूंगा कि प्रतापगढ़ जिले में डाक्टरों की बहुत कमी है। वहां कोई डाक्टर आना नहीं चाहता, लेकिन जिस प्रकार से अभी वर्तमान सरकार ने कर रखा है कि ग्रामीण क्षेत्र में जो डाक्टर सेवाएं देता है उनको 30 परसेंट बोनस अंक दिये जाते हैं। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से एवं चिकित्सा मंत्री जी से मांग करता हूं कि ग्रामीण क्षेत्र के साथ-साथ उप तहसील, तहसील और जिला स्तर पर भी 10-20 परसेंट पीजी में बोनस अंक की घोषणा करें ताकि उस आदिवासी क्षेत्र में भी डाक्टर रह सके और वहां के गरीब आदिवासियों का इलाज कर सके। इससे प्रतापगढ़ के दूर सुदूर ग्रामीण क्षेत्रों में भी डाक्टरों की कमी को दूर किया जा सकेगा।

सम्पन्न किसान की बात माननीय मुख्य मंत्री जी ने बजट सत्र में की है। आज एक हजार करोड़ रुपये का कृषक कल्याण कोष जिसका भाजपा के साथियों ने सपना तक नहीं देखा होगा। यह हमेशा किसानों के शोषण की बात करते हैं लेकिन माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने एक हजार करोड़ रुपये के कृषक कल्याण कोष की घोषणा की। अभी सदस्य कह रहे थे कि यूरिया की कमी है, यह नहीं है, वह नहीं है। मैं आप सभी साथियों से कहना चाहता हूं यूरिया की कमी भारतीय जनता पार्टी के शासनकाल में आई थी। उस समय यूरिया के लिये किसानों पर डंडे बरसाये गये, लेकिन इस कार्यकाल में हमारे क्षेत्र में न तो यूरिया की कमी आई है, बराबर तरीके से यूरिया मिला है। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि इस बजट में स्पेशल रिजर्व कोटे में यूरिया रखने की घोषणा उन्होंने की है। हमारे मुख्य मंत्री जी ने किसानों के 2 लाख तक कर्जे को माफ किया, 44 नई स्वतंत्र कृषि उपज मंडी खोलने की घोषणा की है। मैं कृषि मंत्री जी को और माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि 44 कृषि मंडियों के साथ-साथ प्रतापगढ़ ....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपनी सीट पर बैठें। माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): यह गरीबी हटाने की दीवार वाला मामला आ गया है, 44 कृषि मंडियों के साथ मेरे प्रतापगढ़ जिले को 2 कृषि

(श्री रामलाल मीणा)

उपज मंडी स्वतंत्र प्रभार दी हैं, उसके लिये भी माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। अरनोद और धरियावद में काफी लंबे समय से कृषि उपज मंडी की मांग थी, इसके लिये मेरे क्षेत्र की जनता की ओर से माननीय मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। आप विराजें।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): सभापति महोदय, यह विधान सभा है या क्या है?

श्री सभापति: आप विराजें, विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य सही कह रहे हैं, कुछ तो अनुशासन होगा। कोई भी कागज लेकर कोई भी कभी भी लहरा दे ...

श्री सभापति: आपसे ही सीखे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): अगर इसी प्रकार की छूट मिलती रहेगी तो किस प्रकार विधान सभा, विधान सभा की कोई गरिमा भी होगी।

श्री सभापति: आप विराजें, विराजें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, किसान विकट परिस्थिति में खेती करता है, ठंड में पानत करता है उसके बाद जंगली जानवर और नील गाय आकर उनकी फसलों को नष्ट कर देती हैं। मैं मांग करता हूं कि उन नील गायों को खतम करने के लिये या उनको नपुंसक करने के लिये बंदूक वाले जो इंजेक्शन आते हैं, उनको ठोक कर इनके आतंक को खतम किया जाये ताकि किसानों को लाभ मिल सके।

माननीय सभापति महोदय, प्रतापगढ़ में अफीम की खेती होती है। उसमें डोडा चूरा पोस्त के निस्तारण की काफी समस्याएं आ रही हैं। पूर्व में खुद सरकार इसको खरीद लेती थी, लेकिन आज किसान दहशत में है। तस्कर एक पकड़ाता है और पुलिस 5-10-20 जनों को पकड़कर लाती है और मोटी कमाई वसूलने के लिये बेकसूर किसानों को परेशान किया जाता है। उनसे 20 से 30 लाख रुपये की मांग की जाती है और धारा 29 का डर बताया जाता है। इससे कई किसानों के साथ घर छोड़ने जैसी स्थिति आ जाती है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं ऐसे भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों के खिलाफ भी कार्यवाही करें और किसानों में जो धारा 29 का डर व्याप्त है, उसे भी खतम किया

(श्री रामलाल मीणा)

जाये। माननीय सभापति महोदय, अभी कुछ दिनों से स्थिति बहुत गंभीर होती जा रही है। वहां अभी कुछ समय पहले एक पुलिस का जवान अफीम तस्करी करते हुए पकड़ा गया। ऐसी कई घटनाएं पहले भी आई हैं। उसमें सिर्फ एक कांस्टेबल को बर्खास्त किया, बड़े अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही नहीं की। इसलिए मैं मांग करता हूं कि जो अधिकारी तस्करी में लिप्त थे, उनके खिलाफ भी कार्यवाही करें। गांधी जी के पद चिन्हों पर चलने वाले माननीय मुख्य मंत्री महोदय जिनको आज के गांधी जी का सिम्बल मिल चुका है, ऐसे माननीय मुख्य मंत्री जी के रहते हुए किसान दहशत में रहे यह बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। अत: डोडा चूरा को सरकार पुन: अच्छे दामों पर खरीदे और बेकसूर निर्दोष किसानों को पुलिस परेशान नहीं करे। आज प्रतापगढ़ की ट्रैफिक पुलिस भी फसलों से लदी हुई किसानों की गाड़ियों को चालान काटने के नाम पर डराती है। इसलिए मैं आपसे मांग करता हूं कि हमेशा शक्ल देखकर कार्यवाही नहीं करें और किसानों के साथ ज्यादती नहीं करें।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): माननीय सभापति महोदय, प्रतापगढ़ के पुलिस अधिकारी खुद कुछ दिनों से अफीम तस्करी में पकड़े जा रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्यवाही करें, आज तक अधिकारियों पर कोई कार्यवाही नहीं हुई है। जहां तक मुख्य मंत्री जी थाने में स्वागत कक्ष की बात कर रहे हैं यह राजस्थान में बहुत बड़ी मिसाल है। महिला एवं बाल विकास की बात करें, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, मिड-डे मील में बड़े-बड़े घोटाले हुए, यह आप सभी को पता है लेकिन इस कार्यकाल में साल भर के अंदर, मैं ममता भूपेश जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने बच्चों को गर्म पोषाहार व चेंज करके पोषाहार दिया जा रहा है। बच्चों के लिए बढ़िया व्यवस्था की जा रही है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री जी से भी मांग करूंगा कि मेरे प्रतापगढ़ जिले में एस.सी. का होस्टल नहीं है, एस.सी. के होस्टल की व्यवस्था कराएं। अल्पसंख्यक होस्टल नहीं है, उसकी व्यवस्था कराएं। देवनारायण बोर्ड से, जहां गुर्जर बहुल और गरीब तबके के लोग रहते हैं, उनके लिए भी।

श्री सभापति: कृपया समाप्त करें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): सभापति महोदय, कुछ समय और। सभापति महोदय, मैं आपको और मुख्य मंत्री जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देना

(श्री रामलाल मीणा)

चाहता हूं कि जनजाति विभाग ऐसा विभाग है, उनके अधिकारियों के लिए कोई स्पेशल कैडर नहीं था, लेकिन छात्रावास अधीक्षक के लिए अलग से कैडर बनाने की जो बात की, उसके लिए भी मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। माननीय सभापति महोदय, स्वच्छ परियोजना, जिसका मैंने सुबह क्वेश्चन भी लगाया था, जिसके ऊपर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल से भारी भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं। मेरे पास मां बाड़ी केन्द्र के शिक्षा सहयोगी आये थे, उन्होंने कहा कि हम इस स्वच्छ परियोजना के मार्फत कार्य करना नहीं करना चाहते। जिस प्रकार से मदरसा बोर्ड, देवनारायण बोर्ड जैसे अन्य बोर्ड बने हुए हैं, उसके माध्यम से बोर्ड बनाकर कार्य कराएं और पहली से तीसरी तक जो कक्षाएं चल रही हैं, वे पांचवीं तक करें और उसके बाद शिक्षा सहयोगियों को परमानेंट कराने की कार्यवाही कराएं। माननीय सभापति महोदय, बी.डी. कल्ला साहब की अध्यक्षता में संविदा शिक्षकों, पैराटीचर्स, शिक्षाकर्मी इन सबकी जो कमेटी बनी है, उस कमेटी के अंदर थोड़ी तीव्रता लाएं। जो लोग 6 हजार रुपये में काम कर रहे हैं, काफी समय से काम कर रहे हैं और जंगल के एरिये व सुदूर क्षेत्र में वे बच्चों को पढ़ा रहे हैं, उनके ऊपर दया करते हुए माननीय मुख्य मंत्री ने जो घोषणा की थी, उस पर कार्यवाही करें और उनको सहयोग करें।

श्री सभापति: समाप्त करें, आपका समय हो गया। कृपया सहयोग करें।

श्री रामलाल मीणा (प्रतापगढ़): 2013 की एलडीसी, जीएनएम और पंचायत सहायक की जो भर्ती है, उसमें अभ्यर्थियों का सहयोग करें। बहुत-बहुत धन्यवाद, सभापति महोदय।

श्री सभापति: श्री मदन दिलावर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, यह बजट भाषण राजस्थान की जनता के लिए निराशाजनक है। यह गरीब विरोधी है। अनुसूचित जाति, जनजाति, महिलाओं और घुमक्कड़ लोगों का विरोधी है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): यह तो आप पहले ही मीडिया में बोल चुके हैं, इसके अलावा बोलें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): अच्छा आप वहीं थे।

श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): इन्होंने जो कहा था, अब नहीं बोलेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके यहां से बोलें तब तो कम से कम आप शांत रहें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, मैं इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि इससे पहले का जो बजट था, वह 9 हजार करोड़ का था, अब जो बजट प्रस्तुत किया है, वह साढ़े आठ हजार करोड़ रुपये का किया है। इसका मतलब अनुसूचित जाति, जनजाति, घुमक्कड़ लोग, महिलाओं के बजट में कटौती की गयी है। मैंने इस बजट को बहुत पढ़ा। चारों तरफ से देखा। इसमें घुमक्कड़ लोगों के लिए कोई प्रावधान नहीं है। देवासी, रैबारी, बंजारा, केवट, कीर, सपेरा, कालबेलिया, सांठिया, मोग्या, ऐसी अनेक जातियां हैं, जो अत्यंत गरीब हैं। जिनके बारे में सोचा ही नहीं, विचार ही नहीं किया। आखिर क्या वे राजस्थान के नागरिक नहीं हैं? क्या यह सरकार उनको राजस्थान का नागरिक नहीं मानती? उनके हितों की चिंता नहीं करती? उनके भोजन की चिंता नहीं करती? उनके मकान की चिंता नहीं करती? उनकी चिकित्सा की चिंता नहीं करती, उनकी शिक्षा की चिंता नहीं करती? कहीं भी इस बजट भाषण में माननीय मुख्य मंत्री जी ने कोई चर्चा नहीं की है।

(17.34 बजे)

(श्री राजेन्द्र पारीक, सभापति, पदासीन)

इसमें 242 बिंदु हैं, उनमें से अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए केवल पांच बिंदुओं पर चर्चा की गयी है। यहां इन्होंने कहा कि हम पालनहार योजना में पालनहारों के बारे में बहुत सोचते हैं। माननीय सभापति महोदय, मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है कि पालनहार योजना माननीय वसुन्धरा जी के नेतृत्व में मेरे पास जब समाज कल्याण विभाग था तो मैंने प्रारम्भ की थी और उसमें प्रावधान किया था कि छात्रावास में एक छात्र पर जो खर्च होता है, उतना ही पैसा पालनहार योजना में उस बालक के लिए दिया जाएगा। उस समय छात्रावास में एक छात्र पर 675 रुपये खर्च होते थे। अब ढाई हजार रुपये खर्च होते हैं, छात्रावास में रहने वाले बालक को हम ढाई हजार रुपये दे रहे हैं, लेकिन पालनहार योजना में लाभ लेने वाले बच्चे को केवल एक हजार रुपये दे रहे हैं। वह अनाथ है, इसलिए। वह विकलांग का बच्चा है, इसलिए। वह विधवा का बच्चा है, इसलिए। उसके मां-बाप नहीं, इसलिए। उसकी कोई सुनने वाला नहीं है, इसलिए। उसकी कोई आवाज नहीं है, इसलिए। इसलिए हम अन्याय कर रहे हैं, ज्यादती कर रहे हैं, एहसान क्यों कर रहे हैं?

उनके लिए जो छात्रावास खोलने की बात हुई है, मैं तो समझ भी नहीं पाया, क्योंकि उसमें लिखा है हाफ-वे। मैंने कहीं से पूछा कि यह क्या लिखा है,

(श्री मदन दिलावर)

इसमें कैसे छात्रावास लेंगे। प्रत्येक संभाग मुख्यालय पर छात्रावास (हाफ-वे) खोला जाएगा। मैं चाहूंगा कि मुख्य मंत्री जी जब जवाब दें तो इसको स्पष्ट कर दें कि यह हाफ-वे होम क्या है? क्या खोलेंगे? क्या पालनहार के बच्चों को ऐसे घुमाते रहेंगे? यह बिल्कुल ज्यादती है। इन्होंने छात्रावास में जो बच्चे पढ़ रहे हैं, उनके लिए दो हजार से ढाई हजार रुपये भले ही कर दिये थे, फिर और का किया है, लेकिन अनुदानित छात्रावासों का क्यों नहीं किया है? राजस्थान में 175 अनुदानित छात्रावास हैं, उसमें लगभग 8 हजार से ज्यादा बच्चे अध्ययन कर रहे हैं। सरकारी हास्टल में पढ़ने वाले बच्चे के ऊपर ढाई हजार रुपये प्रति माह खर्च किये जाएंगे, लेकिन प्रदेश में अनुदानित छात्रावासों में पढ़ रहे बच्चों के ऊपर दो हजार रुपये खर्च किये जाएंगे। उन लोगों ने क्या पाप किया? क्या अन्याय किया? क्या वे राजस्थान के नागरिक नहीं हैं? क्या वे राजस्थान के बच्चे नहीं हैं? ऐसा भेदभाव आखिर क्यों कर रहे हैं? यह बच्चों के साथ बिल्कुल भेदभाव है। इसलिए मैं कह सकता हूं कि यह जो बजट है, केवल असत्य का पुलिंदा है।

घुमक्कड़ जातियों के बारे में जो मैंने कहा, घुमक्कड़ जातियां बहुत गरीब होती हैं। बहुत ही संवेदनशील भी होती हैं और वे एक जगह से दूसरी जगह पर चलते रहते हैं और अपनी मजदूरी की तलाश में घूमते रहते हैं। वे भी हमारे नागरिक हैं तो हमको उनकी चिंता करनी चाहिए, लेकिन हम उनकी चिंता नहीं कर रहे हैं, हम उनके साथ अन्याय कर रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं चर्चा करूं कि कल बारां जिले के कवाई कस्बे में पुलिस थाने के ठीक सामने शाम को चार बजे कालबेलिया परिवार के पुरुष सदस्य मजदूरी करने के लिए गये हुए थे, वहां केवल महिलाएं थीं। उनके घरों में आग लगा दी। उनके घरों को तोड़ दिया, उनको बेघर कर दिया और उनकी पेंशन के जो पांच सौ, हजार रुपये आते थे, जो कि उन्होंने रख रखे थे, वे भी जल गये। उनके कपड़े जल गये, उनका अनाज जल गया। यह क्या हो रहा है? यह दलित हैं दलित। दलितों के ऊपर अत्याचार कब तक होगा?

बीकानेर जिले में कल एक दलित महिला को जिंदा ही जला दिया, पीट-पीटकर मार दिया। माननीय सभापति महोदय, मेरी 35 साल की राजनीति हो गयी है और पांचवीं बार विधान सभा में हूं। मैंने ऐसा कभी भी नहीं देखा कि अनुसूचित जाति के लोगों के ऊपर इस प्रकार से अन्याय होगा। ये तो कहते हैं कि हम तो अनुसूचित जाति के बहुत हितैषी हैं। मेरे से पहले भी एक

(श्री मदन दिलावर)

सदस्य बोल रहे थे कि हम तो आरक्षण के हितैषी हैं और मोदी जी आरक्षण समाप्त करना चाहते हैं, ऐसा कह रहे थे। मैं आपको इनके मांजणे बताना चाहता हूं कि ये कितने अनुसूचित जाति के हितैषी हैं। माननीय सभापति महोदय, 17 जनवरी, 2014 को एक आदेश निकाला कि अनुसूचित जाति, जनजाति के अभ्यर्थी न मिलने पर वैकेंसी सामान्य वर्ग से भरी जाए। पहले यह प्रावधान था कि अनुसूचित जाति, जनजाति के लोग नहीं मिलेंगे तो वे पद खाली रहेंगे और फिर विशेष अभियान चलाकर बैकलाग को भरा जाएगा। लेकिन कांग्रेस की सरकार थी, इन्होंने 2013 में उसको तीन साल में सीमित कर दिया और तीन साल हटते ही फिर ये दूसरे लोगों से भरने लग गये। माननीय सभापति महोदय, अभी इन्होंने 23 जनवरी, 2020 को एक और आदेश निकाला। सुन लो, अनुसूचित जाति-जनजातियों के हितैषियों, जोर-जोर से हल्ला कर रहे थे अभी, इसी 20 तारीख को, 20 जनवरी, 2020 को एक आदेश निकाला कि तीन साल से हम दो साल करते हैं, दो साल तक अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग नहीं मिलेंगे तो बैकलाग नहीं रहेगा, उसको सामान्य वर्ग से भर लिया जाएगा। यह अनुसूचित जाति के साथ अन्याय नहीं है क्या? क्यों चुप्पी साध गये आप लोग?

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आदेश की कापी तो रखवा दो यहां पर।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आदेश की कापी मेरे पास है। मैं टेबल करूं? माननीय सभापति जी, आप कहेंगे तो मैं टेबल कर दूंगा। यह अन्याय जो अनुसूचित जाति-जनजाति पर हो रहा है इनके राज में और हम से कह रहे हैं कि हम अनुसूचित जाति-जनजाति के खिलाफ हैं। 5 सितम्बर, 2012 को उत्तराखंड की तत्कालीन कांग्रेस सरकार ने एक आदेश निकालकर अनुसूचित जाति-जनजातियों की नियुक्तियों में एवं पदोन्नतियों में आरक्षण समाप्त कर, उसे सामान्य तरीके से भरने का आदेश जारी कर दिया था। कांग्रेस की सरकार, 5 सितम्बर, 2012 को उत्तराखंड ने और उन्होंने अनुसूचित जाति-जनजातियों की नियुक्तियों में, पदोन्नतियों में आरक्षण को समाप्त कर दिया था। क्या है ये? ये तो कांग्रेस ही है, ये तो अनुसूचित जाति-जनजाति की हितैषी बताई जाती है। क्यों नहीं बर्खास्त करने की मांग की आपने? क्या सांप सूंघ गया आप लोगों को? क्योंकि आपके मन में अनुसूचित जाति-जनजाति के प्रति घृणा थी। उनको आगे आने नहीं देना चाहते थे आप।

(श्री मदन दिलावर)

उनको फूटी आंख नहीं देखना चाहते आप इसलिए आप अनुसूचित जाति-जनजाति के ऊपर लगातार हमले कर रहे हैं। उनको मारना चाहते हैं आप।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): आप जैसे विद्वान की दस साल टिकट क्यों काटी इन्होंने, पहले तो यह बताओ?

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, 11 सितम्बर, 2011 को नोटिफिकेशन जारी कर अनुसूचित जाति और जनजाति के आरक्षण को 16 परसेंट व 12 परसेंट तक सीमित कर दिया था। इस आदेश को 1 अप्रैल, 1997 से लागू कर दिया गया। इसके कारण से अधिकारियों की अवनति हुई। एसपी से एडिशनल एसपी बन गये, एडिशनल एसपी से डीवाईएसपी बन गये। ऐसे कई दर्जनों आफिसर्स के साथ आप लोगों ने अन्याय किया, अत्याचार किया। क्या हो गया आपको, क्यों नहीं बोलते हैं? आप तो अनुसूचित जाति-जनजाति के हितैषी हैं। ढोंग रचते हैं यहां आकर। कहते हैं 2 अप्रैल को याद करो, 4 अप्रैल को याद करो, 5 अप्रैल को याद करो, इसको याद करो, यह जो समय था कि किस प्रकार से आपने अन्याय किया था, अत्याचार किया था।

श्री सभापति: समाप्त करिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): इनको संभालो आप।

श्री सभापति: पूरा संरक्षण है आपको, आप बोलिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): धन्यवाद। माननीय सभापति महोदय..

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): दस साल का बैकलाग पूरा करना आज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक ताकली बांध है। पन्द्रह साल से निर्माणाधीन है। ढांचा खड़ा हुआ है। करोड़ों रुपये उस पर खर्च हो गए हैं। लोगों की जमीन का मुआवजा देना है। किसानों की जमीन का मुआवजा देना है। 21 करोड़ रुपया है। फाइनेंस डिपार्टमेंट ने उसको अनुमोदित कर दिया है। मंत्रिमंडल की मीटिंग में जाना है। 21 करोड़ रुपये नहीं देने के कारण दस गांव के लोगों को मुआवजा नहीं मिल पा रहा है और लगभग 40 गांव के लोग खेतों में बिना पानी के तरस रहे हैं। कितना राष्ट्रीय खाद्यान्न पैदा होता उससे? कितने लोगों को आमदनी होती उससे? कितना मंडी टैक्स प्राप्त होता उससे? मंडी टैक्स से

(श्री मदन दिलावर)

कितना विकास होता? इनके ध्यान में नहीं आता। इनको समझ नहीं आता कि आखिर में केवल 21 करोड़ रुपया देना है। 21 करोड़ रुपये के लिए हजारों किसानों को परेशान कर रहे हैं। कई लोग तो मांगते-मांगते मर गए हैं क्योंकि वहां डूब में आ रहे हैं इसलिए बांध का निर्माण भी नहीं कर रहे हैं। गांव में डवलपमेंट भी नहीं हो रहा है। वहां सड़क भी नहीं बनेगी, वहां प्रधान मंत्री आवास का मकान भी नहीं बनेगा, वहां शौचालय भी नहीं बनेगा क्योंकि आप तो डूब में आने वाले हैं, आपको तो हटाया जायेगा। सभी प्रकार से उनके साथ अन्याय हो रहा है। अन्याय की भी एक सीमा होती है। वहां पर जबरदस्त अन्याय हो रहा है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से मांग करता हूं कि इस प्रकार से किसानों के साथ अन्याय नहीं करें और कोटा जिले के रामगंज मण्डी में जो ताकली बांध निर्माणाधीन है, उसके लिये 21 करोड़ रुपये जो किसानों को मुआवजे के लिये देना है, उसको तत्काल दें ताकि यह निर्माण कार्य द्रुत गति से प्रारम्भ हो और इससे किसानों को पानी मिले।

माननीय सभापति महोदय, बिजली के बारे में यहां चर्चा हुई है। अब यहां बहुत डींग हांकी जाती है कि हम किसानों के हितैषी हैं। मैं देख रहा हूं पहली बार 50 हजार कनेक्शन बिजली के रिलीज करेंगे, ऐसा इन्होंने कहा है। 2012 से अभी तक कनेक्शन नहीं मिले। जिसने 2012 में अपनी पत्रावली लगाई है, कृषि कनेक्शन लेने के लिये, उसको नहीं मिला है लेकिन ये 50 हजार देंगे। इसका मतलब क्या होता है? ज्यादा से ज्यादा 2012 और 2013 तक के मिल जाएंगे। इसका मतलब अभी-भी सात-आठ साल वाले इंतजार करेंगे। आप तो किसानों के हितैषी हैं। क्यों नहीं किया कल्ला जी? क्या हो जाता यदि सबको कनेक्शन दे देते? आपने तो दस-दस हजार रुपये साल की हर किसान की जेब काट ली।

श्री सभापति: समाप्त करिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आपने दस हजार रुपये की जेब काट ली क्योंकि माननीय वसुन्धरा जी ने, जब मुख्य मंत्री थीं तब उन्होंने कहा था कि दस हजार रुपये तक का किसान का बिल माफ होगा, लेकिन जेब काट ली। ये राजस्थान के किसानों की जेब कटौती सरकार हो गई है क्योंकि किसानों की जेब काट रहे हैं दस-दस हजार रुपये की। यही नहीं, हमारे यहां एक एसडीएम का पद खाली है। तीन-चार दिन पहले एसडीएम कांग्रेस में शामिल हो गया। अब वह कांग्रेस में शामिल होकर आकर सीट पर बैठा है।

(श्री मदन दिलावर)

+++ करके एक एसडीएम साहब हैं, वह कांग्रेस के कार्यक्रमों में जाकर भाषण दे रहे हैं। मेरे पास फोटो भी है, उसका वीडियो भी है। कांग्रेस के कार्यक्रमों में जाते हैं। सरपंचों को भड़काते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, अभी तो मेरी बात ही नहीं हुई। अभी तो पांच मिनट हुए हैं।

श्री सभापति: पन्द्रह मिनट बोल लिए आप।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं केईडीएल की चर्चा करना चाहता हूं। कल्ला जी, केईडीएल को सुन लो। माननीय धारीवाल जी ने आंदोलन किया था केईडीएल कंपनी के लिए कोटा में। केईडीएल कंपनी की हम चर्चा करते हैं तो आपको बता देना चाहता हूं कि केईडीएल ने कितनी गड़बड़ की है। कल्ला जी, केईडीएल ने कितनी गड़बड़ की है कि उन्होंने 257 तो फर्जी कनेक्शन कर लिये और साढ़े छह करोड़ का बिल कोटा नगर निगम, यूआईटी और हाउसिंग बोर्ड को दिया है। आपके अधिकारियों ने चिट्ठी लिखी है कि ये गलत वसूली की जा रही है और इनके ऊपर एफआईआर दर्ज की जाए। एफआईआर दर्ज की होगी परंतु क्या हुआ, ठंडे बस्ते में गया क्या? साढ़े छह करोड़ रुपये का ज्यादा बिल बता रहे हैं। यह तो एक का है जिसमें कहा है कि 2.88 करोड़ यूनिट है। इतनी केईडीएल ने अवैध वसूली करने के लिए दिया है।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये तो सरकार थे, ये तो नगर निगम हैं, ये तो यूआईटी हैं, ये तो हाउसिंग बोर्ड हैं इसलिए इनका क्या जायेगा? ये तो गरीबों का पैसा है, उसको जमा करा देंगे। आम उपभोक्ताओं से इस प्रकार लूटा गया है, उसका क्या होगा? इस प्रकार से जो गलत बिल दिये हैं, उसका क्या होगा? कौन जिम्मेदार है? हमारे सारे उपभोक्ता लुट रहे हैं, पिट रहे हैं, उनको बिजली नहीं दी जा रही है, कनेक्शन काट देते हैं, मनमाना बिल दे रहे हैं। यदि मनमाना बिल नहीं दे रहे हैं, सही बिल दे रहे हैं तो कल्ला जी, माननीय मंत्री महोदय बताइए कि आपने उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज क्यों करवाई?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): आपकी पिछली सरकार कोटा में 20 साल का ठेका दे गई कंपनी को, उसके कारण हो रहा है यह।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): हम तो हजार साल का दे गये, आप तो ठीक कीजिए।

श्री बुलाकी दास कल्ला (ऊर्जा मंत्री): हम बराबर समीक्षा कर रहे हैं, नजर रख रहे हैं। जहां गलती करेंगे, कटिंग करेंगे।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): आपने लिखा है। आपके डिपार्टमेंट का पत्र है मेरे पास।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। एक मिनट में समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, मैं निवेदन कर रहा हूं, मैं हाथ जोड़ रहा हूं लोग परेशान हो रहे हैं इस कारण से। केईडीएल कंपनी उपभोक्ताओं को लूट रही है। उनके बारे में सोचिए। ईईएसएल कौन-सी कंपनी है? ईईएसएल कंपनी को लाइट लगाने का ठेका दिया था, पोल लगाने का ठेका दिया था।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): 000

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं करें। विराजिए। श्री हीराराम।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिए प्लीज।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): माननीय सभापति महोदय, आप तो अच्छे आदमी हैं, उदारवादी हैं, दो मिनट दीजिए। हमने नीरोगी राजस्थान की बात की है, हमने अस्पताल खोलने की बात की है, हमने बजट देने की बात की है। मैं बता दूं कि 50 परसेंट रोग तो वैसे ही मिट जाएंगे, शराब बंद कर दो। कितने लोग मरते हैं? कितने लोग एक्सीडेंट से मरते हैं? कितना पैसा खर्च होता है? गुटखा बंद करवा दो, कैंसर की बीमारियां नहीं होगी, श्वांस की बीमारियां नहीं होगी, बहुत सी बीमारियां नहीं होगी। नीरोगी राजस्थान की बात कर रहे हो या रोगी बनाने की बात कर रहे हो? यह सरकार राजस्थान को रोगी बनाने की बात कर रही है क्योंकि शराब को रैगुलर रखकर ज्यादा कमाना चाहती है, गुटखे पर ज्यादा पैसा कमाना चाहती है। आप जैविक खेती

(श्री मदन दिलावर)

पर अच्छा अनुदान दे देते तो लोग जैविक खेती करने लग जाते। जैविक खेती नहीं होने से लोग पेस्टीसाइड अनाज खा रहे हैं, उसके कारण से कई सारी बीमारियां हो रही है। अगर आप जैविक खेती करने के लिए पर्याप्त अनुदान दे देंगे तो लोग जैविक खेती की ओर बढ़ेंगे। जैविक खेती की ओर बढ़ेंगे तो बीमारियां नहीं होगी।

नीरोगी राजस्थान करना है तो मैं आपको रास्ते बताता हूं, अनावश्यक रूप से ऐसे क्यों खर्च कर रहे हो। गरीब जनता का पैसा है, आपके मनोरंजन के लिए नहीं है। एक-एक करोड़ दे देंगे मनोरंजन करता फिरेगा, मंत्री जाएंगे तो उनको बड़ी-बड़ी माला पहनाएंगे, कारपेट बिछाएंगे इसलिए पैसा नहीं है। यह पैसा लोगों को नीरोगी रखने के लिए है। नीरोगी रखना है तो शराब बंद करो, गुटखा बंद करो, जैविक खेती पर अनुदान दो, तो मैं समझता हूं कि बहुत पैसा बच जाएगा। शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाओ। सफाई अभियान चलाओ। सफाई के लिए पैसा रखा ही नहीं। गांव में कभी सफाई होती ही नहीं है। गांव में एक रोटी के लिए हमारा सफाईकर्मी झाड़ू निकालता है। कब तक निकालेगा, वह भी इंसान है, कब तक अपमान सहन करेगा। क्यों नहीं गांव में पंचायतों के लिए अलग से सफाई के लिए पैसा देते हो? फाइनेंस कमीशन का पैसा आता है, उसमें कहते हैं 10-15 परसेंट खर्च कर देना।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): उससे क्या होता है।

श्री सभापति: प्लीज समाप्त करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): सभापति महोदय, या तो इसको नरेगा से जुड़वा दो, या इनको अलग से पैसा दिलवाइये। पंचायत को कम से कम पांच लाख रुपये इस बात का दिलवाइये कि वहां साल भर सफाई होती रहे।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): तो वह नीरोगी राजस्थान हो जाएगा, ऐसा मेरा निवेदन है। धन्यवाद।

श्री सभापति: विराजिए। श्री हीराराम जी।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। हमारे लोकप्रिय मुख्य मंत्री महोदय राजस्थान को विकास के पथ पर ले जाने की मंशा रखते

(श्री हीराराम)

हैं। उन्होंने सात संकल्प के साथ यह बजट दिया। यह बजट सभी वर्गों का हित साधने वाला है। इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया है, जिससे पूरे प्रदेश की जनता में सराहना हुई है। मैं इस बजट की भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। माननीय सभापति महोदय, अभी हमारे बहुत ही...

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): भूरि-भूरि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप अपने स्थान पर आइये। माननीय सदस्य को बोलने दीजिए।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। विपक्ष में बैठे विद्वान सदस्य जोर देकर बोल रहे थे, मैं इनको बताना चाहूंगा.....

श्री सभापति: माननीय नए सदस्य हैं, उनको बोलने दें।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): पिछली बार जब अशोक गहलोत जी मुख्य मंत्री थे और पदोन्नति में आरक्षण का मामला उठा था, एससी एसटी का आरक्षण मंच बना हुआ था। उस मंच को अशोक गहलोत जी ने बुलाकर कहा कि आप लोग कोई ऐसा वकील ढूंढें, उसकी फीस मैं दूंगा। अशोक गहलोत जी ने आरक्षण मंच को बुलाकर कहा कि मैं सरकार से फीस दूंगा। आप तो केवल मुझे ऐसा इंटेलीजेंट वकील बताएं जो कोर्ट में ढंग से जवाब पेश कर सके। ऐसी बात दिलावर साहब, अशोक गहलोत जी ने कही थी।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): यह आदेश क्यों किया?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिए। अंकित नहीं होगा।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): पदोन्नति आरक्षण में सुनवाई की, यह हकीकत बात थी, उन्होंने फीस दी, ढंग से वकील किया। 02 अप्रैल, 2018 को जो मामला हुआ था, उसमें जबरदस्ती 200 लोगों पर मुकदमा किया, उस पर बोलते तो अच्छा लगता। वसुन्धरा जी से कहते, लोगों को मुक़दमे में नहीं फंसाते, तो अच्छा लगता। कहने की बात अलग है, करने की अलग है। एससी, एसटी का हित कांग्रेस सोचती है, वैसा आप लोग नहीं सोचते हैं। जनवरी की बात बताई, अखबार में पढ़कर हम लोगों ने भी अशोक गहलोत साहब से बात की। उन्होंने कहा कि मैं जब तक बैठा हूं, यह संभव ही नहीं हो सकता कि सामान्य वर्ग से यह पद भरा जाए। इसलिए इसके बारे में आप चिंता न करें।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। विराजिए।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): सात संकल्प में पहला सुख नीरोगी काया, इस कहावत को चरितार्थ करने के लिए, नीरोगी राजस्थान पहला संकल्प है।

मास्टर भंवरलाल मेघवाल (सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री): आदेश का पता ही नहीं है कि आदेश क्या है। माननीय सदस्य जानते ही नहीं हैं, आदेश क्या है।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: विराजिए। मैं आपको अलाउ नहीं करूंगा।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): उनकी शुरू से ही यह सोच रही है...

श्री महेन्द्र चौधरी (सरकारी उप मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, यह पहली बार जीत कर आए हैं। जब यह बोल रहे थे तो कोई डिस्टर्ब नहीं कर रहा था। यह तो कोई बात नहीं होती कि बार-बार जब चाहे तब खड़े हो जाएं।

श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): 000

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री हीराराम (बिलाड़ा): उन्होंने पहले से ही नि:शुल्क दवाइयां, नि:शुल्क जांच, हार्ट, कैंसर व किडनी तक की दवाइयां फ्री कर दीं। यह नीरोगी राजस्थान की ओर ले जाने वाली बात है। अभी कई सदस्य विरोध कर रहे थे उन्होंने एक करोड़ रुपये ज़िलावार विचार संगोष्ठी करने का, प्रचार प्रसार करने का बजट में ऐलान किया। यह तब होगा, जगह-जगह सम्मेलन होंगे, कैंप लगाए जाएंगे, लोगों को जागरुक किया जाएगा कि खाद्य सामग्री में मिलावट नहीं हो। खानपान में स्वच्छता रखें, इसलिए मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं, धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

दूसरा, सम्पन्न किसान, आप लोगों को मालूम होना चाहिए पिछली बार आपका शासन था, वसुन्धरा जी मुख्य मंत्री थीं, यूरिया और डीएपी की वजह से किसानों के डंडे पड़े, जगह-जगह लाइनें लगाई गई, समय पर खाद उपलब्ध नहीं हो सकी, यह जगजाहिर बात है। कांग्रेस का शासन आए अभी एक साल हुआ है, इसमें खाद बीज की सुचारु व्यवस्था हुई। यह व्यवस्था होने की वजह से किसानों को किसी प्रकार की दुविधा नहीं हुई, इसके लिए मैं मुख्य मंत्री जी का आभार प्रकट करता हूं ।

सात संकल्प बताए, उसमें महिला, वृद्धों का कल्याण, वृद्धों के लिए पेंशन की व्यवस्था की गई, 750 से बढ़ाकर 1000 रुपये किए गए, उसके लिए भी मैं सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय का आभार प्रकट करता हूं। चौथा

(श्री हीराराम)

संकल्प युवाओं के लिए है। उसमें युवाओं को बेरोजगारी भत्ता 3000 व 3500 रुपया दिया जा रहा है, उसके लिए भी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। शिक्षा को बढ़ावा, शिक्षा मंत्री जी विराजमान हैं, इतनी स्कूलों को प्रमोट किया गया, इतने कालेज खोले गए, शिक्षा को बढ़ावा देने का मुख्य मंत्री जी का विचार है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। इसी प्रकार पानी, बिजली व सड़क का मामला है। घर-घर जल कनेक्शन देने के लिए बजट में बात दोहराई है, उसके लिए भी मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

मैं ज्यादा लंबी-चौड़ी बात नहीं करते हुए सीधे जोधपुर ज़िले की बात करता हूं। कई सदस्यों ने कहा कि यह जोधपुर का बजट है। आप लोगों को मालूम होना चाहिए जब वसुन्धरा जी की सरकार थी, तो जोधपुर के साथ हमेशा सौतेला व्यवहार किया गया। जोधपुर को एकतरफा रखा गया। एक रुपये का विकास नहीं किया गया। एक रुपये का बजट नहीं दिया गया। जोधपुर की जनता ने पिछली बार सात विधायक चुनकर भेजे थे, लेकिन उनकी हिम्मत ही नहीं थी कि वह श्रीमती वसुन्धरा राजे से बजट मांग सके, इसलिए जोधपुर को हमेशा वंचित रखा गया। जब अशोक गहलोत जी मुख्य मंत्री बने हैं, तो यह क्या कहने की बात है, उसकी पूर्ति करनी पड़ेगी। इसीलिये इस बजट में जो प्रावधान जोधपुर के लिये दिये हैं, अभी तो तीन बजट और आएंगे तब जोधपुर का जो प्रावधान दिया जाएगा, तब जाकर पूर्ति होगी। यह मैं आपको कहना चाहूंगा।

(18.00 बजे)

मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा से पिछली बार जो विधायक चुन करके आये थे, वे विधि मंत्री थे, 15 साल से बी.जे.पी. के एम.एल.ए. चुने गये थे। जनता ए.डी.जे. कोर्ट की मांग कर रही थी और विधि मंत्री होते हुए भी एडी.जे. कोर्ट नहीं खुलवा पाये। इस बजट में, मैं सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बिलाड़ा में उन्होंने ए.डी.जे. कोर्ट खोल दिया, इसलिये मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

इसके साथ ही करीब 25 साल से पीपाड़ में जिला लेवल का अस्पताल खोलने की मांग उठी हुई थी। जनता की बहुत ही मांग थी। पीपाड़ एक नगरपालिका है और पीपाड़ के पास में करीब 60 गांव लगते हैं लेकिन वह भी मांग पूरी नहीं हुई। जब मैंने मुख्य मंत्री महोदय को लिखकर दिया तो इन्होंने इस बजट में पीपाड़ में भी जिला लेवल का अस्पताल खोल दिया। इसके लिये मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

(श्री हीराराम)

मुख्य मंत्री महोदय ने पीपाड़ में जिला परिवहन कार्यालय भी प्रमोटेड कर दिया, उसके लिये भी मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

जोधपुर जिला, आपके बी.जे.पी. के शासन में जो बिलकुल वंचित रहा और राजस्थान का दूसरा बड़ा जिला है, उसमें माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जोधपुर से बैनाड़ और अन्य सड़कें तथा जोधपुर जिले से डांगियावास, गुढ़ा, काकाणी, धुंधाड़ा, समदड़ी हेतु 59 करोड़ रुपये सड़क निर्माण हेतु बजट दिया। ये सड़क चार जिलों को मिलाती है। पाली, जालौर, बाड़मेर और जोधपुर, इन चार जिलों में यह रोड जाती है। इस रोड को चौड़ा करने के लिये 59 करोड़ रुपये दिये, इसके लिये मैं मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं कि चार जिले के लोगों का आना-जाना, यातायात व्यवस्था सुनिश्चित होगी और जोधपुर से आने-जाने में अच्छी व्यवस्था होगी, उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद।

इसके अलावा राज्य के प्रत्येक नागरिकों को शुद्ध खाद्य सामग्री उपलब्ध कराने हेतु, मिलावटखोरों के विरुद्ध कड़े कदम उठाने हेतु अथोरिटी का गठन किया गया। मिलावटी पदार्थों की जांच के लिये जोधपुर जिले में एक लैब का गठन किया जायेगा, जिसमें नमूने की रिपोर्ट ऑनलाइन दी जायेगी। इसके लिये भी मुख्य मंत्री महोदय का मैं आभार प्रकट करता हूं।

राजकीय अस्पताल, औसियां में मदर एण्ड चाइल्ड केयर सेन्टर खोलने, फलौदी को जिला अस्पताल बनाने, लोहावट, बालेसर एवं भोपालगढ़ में राजकीय अस्पतालों में ट्रोमा सेन्टर खोलने की घोषणा बजट में हुई। आज फलौदी बहुत बड़ा नगर है और जिला बनने की ओर अग्रसर है, वहां पर मुख्य मंत्री महोदय ने जिला लेवल का अस्पताल खोला और लोहावट, भोपालगढ़ और बालेसर हाई-वे पर पड़ते हैं, जहां रात-दिन एक्सीडेंट्स होते रहते हैं, यहां ट्रोमा सेन्टर खोला, उसके लिये मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार।

जोधपुर में एम.आर.आई., सी.टी. स्कैन की सुविधा पी.पी.पी. मोड पर उपलब्ध करवाने, एम.डी.एम. अस्पताल तथा पीडियाट्रिक कैथ लैब की स्थापना की जायेगी। साथ ही एम.डी.एम. जोधपुर में ओ.पी.डी. ब्लाक के शेष फ्लोर का निर्माण करने के लिये 46 करोड़ रुपये तथा 30-30 बैड के चार नये वार्ड खोलने पर 11 करोड़ रुपये एवं नये न्यूरो इंटरवेंशन लैब के निर्माण पर 10 करोड़ रुपये का प्रावधान करने पर उनका हार्दिक आभार और जोधपुर की जनता की तरफ से बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं।

(श्री हीराराम)

जोधपुर में राजकीय होम्योपैथिक महाविद्यालय, आयुर्वेदिक औषधालय, भारत का दूसरा आयुर्वेदिक औषधालय जोधपुर में है, वहां पर यह होना जरूरी था। इसलिये होम्योपैथिक महाविद्यालय के निर्माण पर 9 करोड़ रुपये का प्रावधान रखा, उसके लिये भी मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

वहां की जमीन, खजूर की खेती, वहां के किसानों ने औसियां और फलौदी में, मथानियां में, शेरगढ़ में काफी जगह खजूर की खेती की और वहां पर आज भी जोरदार खजूर उगी हुई है। इसीलिये खजूर की खेती के बढ़ते रुझान को देखते हुए 200 हैक्टेयर अतिरिक्त क्षेत्र में खजूर की खेती करवाई जायेगी, उसके लिये भी मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद।

किसानों के खेत के समीप कृषि विपणन की सुविधा मिले, उसके लिये जोधपुर जिले में मथानियां में नवीन गौण उपज मण्डी समिति का प्रावधान किया एवं नये डेयरी औद्योगिक एवं कृषि अभियांत्रिकी संकाय की स्थापना के लिये 8 करोड़ रुपये का प्रावधान किया, उसके लिये भी मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

जोधपुर में पुराने एवं जर्जर पशु चिकित्सालय के पुनर्निर्माण हेतु एक करोड़ दिये, उसके लिये भी मैं मुख्य मंत्री महोदय का धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

रिफाइनरी, जो बी.जे.पी. के शासनकाल में अड़ंगा डाल करके रोक रखी गई थी, उस रिफाइनरी परियोजना में रोजगार के अवसर बढ़ाने हेतु जोधपुर में हाइड्रोकार्बन सेक्टर की विभिन्न स्किल्स में प्रशिक्षण के लिये डेडिकेटेड कौशल केन्द्र स्थापित करने के लिये मैं उनका हार्दिक स्वागत करता हूं।

जयनारायण व्यास स्मृति भवन, टाउन हाल, जहां पर हमेशा संगोष्ठियां होती हैं, सरकार के कार्यक्रम होते हैं, इस टाउन हाल, एक मात्र प्रेक्षागृह है, जिसके जीर्णोद्धार हेतु 5 करोड़ रुपये दिये, उसके लिये मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

जोधपुर जिले के खेजड़ली गांव में जो विश्नोई समाज का है और जहां पर पर्यावरण को बचाने के लिये, वृक्षों को बचाने के लिये अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 शहीद हो गये थे, उस खेजड़ली में शहीद स्मारक बनाने के लिये 10 लाख रुपये का बजट दिया, उसके लिये भी मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय का बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

(श्री हीराराम)

इसके अलावा इस बजट में कर्मचारियों का भी मुख्य मंत्री महोदय ने ध्यान रखा और कर्मचारियों के महंगाई भत्ते को जुलाई, 2019 से 12 प्रतिशत से 17 प्रतिशत तक किया, इसके लिये भी मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

भोपालगढ़ में नगरपालिका की घोषणा की, उसके लिये भी मैं बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने, जो मैंने मांगा, वह दिया, उसके लिये मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूं। पीपाड़ नगरपालिका है और उसके पास में करीब 60 गांव लगते हैं। सभापति महोदय, मैं आपके द्वारा मुख्य मंत्री महोदय से मांग करूंगा कि वहां पर कैम्प कोर्ट खोला जाये ताकि लोगों को जोधपुर नहीं जाना पड़ेगा। यह मैं आपसे निवेदन करता हूं।

इसमें कहने की कोई बात नहीं है कि मुख्य मंत्री महोदय हमेशा नर को नारायण मानते हैं। इस हिसाब से नीरोगी राजस्थान की जो घोषणा हुई है और इसको अमली जामा सबके सहयोग से पहनाया जायेगा। इसमें आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि जब भी मुख्य मंत्री महोदय के पास में कोई भी बीमारी वाला व्यक्ति, चाहे किडनी ट्रांसप्लांट वाला मामला हो, चाहे कैंसर वाला हो, चाहे वह व्यक्ति मुंबई जाना चाहे, चाहे वह व्यक्ति अहमदाबाद जाना चाहे या फोरेन में भी जाना चाहे तो मुख्य मंत्री महोदय उनके लिये टेलीफोन करने, उनकी मदद करने के लिये हमेशा तत्पर रहते हैं। यह हमेशा उनका लोगों के साथ में, जो बीमार लोग रहते हैं, उनको नीरोगी बनाने के लिये हमेशा तत्पर रहते हैं। मैं उनका बहुत-बहुत आभार प्रकट करता हूं।

सम्माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट दिया, उन्होंने दिव्यांगों के लिये भी कई प्रकार की व्यवस्था की है। दिव्यांगों के लिये पिछले दिसम्बर में जोधपुर में उपकरण देने के लिये एक कैम्प लगाया गया था। जोधपुर में कैम्प लगा करके 10 हजार दिव्यांगों को उपकरण दिये गये। यह मुख्य मंत्रीजी की इनके प्रति सोच है, दीन-दुखियों के प्रति सोच है। उसके लिये मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार प्रकट करता हूं।

यह बजट, जो मुख्य मंत्री महोदय ने दिया है, जनता में इसकी बहुत सराहना है और सब वर्गों को ध्यान में रखते हुए दिया है। इसका मैं समर्थन करता हूं, धन्यवाद। जय हिन्द, जय भारत।

श्री सभापति: धन्यवाद। श्री शान्ती कुमार धारीवाल।

शासकीय वक्तव्य

पांचौड़ी थाना क्षेत्र (नागौर) में दलित युवकों के साथ अमानवीय घटना

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, ये हैं ही नहीं।

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): ये गंभीर हैं ही नहीं, आप तो पढ़ो। ये गंभीर हैं ही नहीं।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हैं ही नहीं। आ जाने दो। हम ही हैं। बाकी सब नाटक है। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (राज्य मंत्री, शिक्षा): हमारी ताकत देखो कि आपको एक इशारे पर आना पड़ा। यह ठीक है, साहब। (व्यवधान)

श्री संयम लोढ़ा (सिरोही): माननीय सभापति महोदय, आप इनको प्रताड़ित करें कि इतने सीरियस मैटर में इतने नान सीरियस हैं। (व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप विराजिये।

माननीय सभापति महोदय, 19.02.2020 को कंट्रोल रूम, नागौर के मार्फत थानाधिकारी पांचौड़ी को व्हाट्सएप व सोशल मीडिया पर ग्राम करणू में दो लड़कों को बंधक बनाकर मारपीट करने के आपत्तिजनक वीडियो वायरल होने की सूचना मिली। थानाधिकारी पांचौड़ी, राजपाल सिंह के मय ज़ाब्ते के ग्राम करणू पहुंचकर उक्त घटनाक्रम की जानकारी प्राप्त करने पर ज्ञात हुआ कि 16.02.2020 को ग्राम करणू में ओम आटो मोबाइल होंडा, मोटरसाइकिल एजेंसी पर दोपहर के समय दो लड़के विसाराम पुत्र जगदीश, जाति नायक, उम्र-24 वर्ष व पन्नाराम पुत्र कालूराम, जाति-नायक, उम्र-18 वर्ष, निवासीयान सोननगर को एजेंसी कर्मचारियों के द्वारा बंधक बनाकर मारपीट की गयी।

बाद तस्दीक थानाधिकारी पांचौड़ी वापस आकर पांचौड़ी पहुंचे और वहां उक्त घटनाक्रम से संबंधित दोनों पक्ष भी पहुंच गये। परिवादी विसाराम व पन्नाराम ने एक लिखित रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि दिनांक 16.02.2020 को वह अपनी मोटरसाइकिल की सर्विस करवाने हेतु करणू गांव में एजेंसी पर गया था। उसके साथ उसका चाचा पन्नाराम भी था। वह दोनों

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

दोपहर के ढाई बजे एजेंसी पर पहुंचे। मोटरसाइकिल सर्विस पर छोड़कर वह भींवसिंह के पास गया। जब वह कैश काउंटर के पास से होकर निकला तभी भींवसिंह ने उसे धक्का देकर काउंटर के पास पटक दिया। भींवसिंह, आईदान सिंह, जस्सूसिंह, सवाई सिंह, लक्ष्मण सिंह, हडमान सिंह, जाति-राजपूत व गणपतराम, जाति-सोनी ने मिलकर उसे काउंटर से चोरी करने का आरोप लगाते हुए सभी ने एक रबर की फैन बेल्ट व मुक्कों से मारपीट की। इसके साथ-साथ, उसके द्वारा माफी मांगने पर हडमानसिंह उसे खींचकर सर्विस सेंटर के पीछे ले गया, जहां पर भींवसिंह, आईदान सिंह, सवाई सिंह, लक्ष्मण सिंह और हडमानसिंह ने मिलकर लोहे के पेचकस के आगे कपड़ा बांधकर पैट्रोल उसके गुप्तांगों में डाला, जिससे उसके गुप्तांगों पर गहरी चोट आई व आंखों पर भी चोट आई। इन लोगों ने पन्नाराम के साथ मारपीट भी की व दोनों को जाति सूचक गालियां दीं और जानमाल की धमकी दी व नायकड़ा, कमीण कहकर सम्बोधित किया।

इन लोगों ने इन दोनों को एजेंसी में बंधक भी बनाये रखा। बाद में उसके बड़े भाई दुर्गाराम आये, इनके दोनों के उसके भाई, विसाराम के भाई और एजेंसी वालों ने 5100 रुपये जुर्माना उन पर किया। उसकी हालत खराब होने के कारण उसको ताताबास अस्पताल ले गये जहां प्राथमिक उपचार के बाद में उसको छोड़ दिया गया। इस रिपोर्ट पर मुकदमा नम्बर 11/2020 अंतर्गत धारा 342, 323, 341, 143 आई.पी.सी. व धारा 3/1/आर./एस. 3/2/ वी.ए./ एस.सी., एस.टी. एक्ट में दर्ज कर अनुसंधान मुकुल शर्मा, आर.पी.एस. वृत्ताधिकारी वृत्त नागौर द्वारा प्रारम्भ किया गया।

माननीय सभापति महोदय, प्रकरण में अनुसंधान अधिकारी, वृत्ताधिकारी नागौर द्वारा त्वरित कार्यवाही कर व साक्ष्य एकत्रित करते हुए निम्न मुलजिमों के साथ विस्तृत पूछताछ की गयी और जुर्म धारा, यह बाद में बढ़ गयी, पहले जो एफ.आई.आर. दर्ज हुई, उसकी धारा मैं आपको निवेदन कर चुका हूं, अब वृत्ताधिकारी मतलब, सी.ओ. को जांच दे दी गयी और सी.ओ. ने जो तफ्तीश चालू की, उस पर उसने जुर्म दफा धारा 323, 324, 341, 342, 143, 327, 355, 384 के साथ-साथ उसने 308 भी जोड़ी और 3/1 ई/आर/7-3/2 वी.ए./3/2/वी./एस.सी., एस.टी. एक्ट व 66 (ई), आई.टी. एक्ट, यह भी बाद में जोड़ी गयी। 66 (ई), आई.टी. एक्ट का अपराध प्रमाणित पाये जाने पर उनको, इन लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिनका नाम मैं आपको बता रहा

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

हूं। हडमानसिंह, आईदान सिंह, भींवसिंह, छैलूसिंह, रघुवीर सिंह, रहमतउल्लाह और छतरसिंह को गिरफ्तार कर लिया गया। दिनांक 20.02.2020 को सभी गिरफ्तार मुलजिमों को न्यायालय सी.जे.एम. नागौर के समक्ष पेश किया गया जहां पर चार दिन का उनको रिमांड मिला और आज फिर उसका रिमांड, पुन: दो रोज का पुलिस रिमांड और बढ़ा दिया गया है।

पीड़ित विसाराम का मारपीट व गुदा में पैट्रोल डाले जाने के बाबत मेडिकल मुआयना राजकीय चिकित्सालय, नागौर में गठित मेडिकल बोर्ड के द्वारा करवाया गया है, जिसकी रिपोर्ट अभी तक प्राप्त नहीं हुई है। प्रकरण में अनुसंधान से अपहरण का जुर्म पाये जाने के कारण उसमें 365 की धारा और जोड़ दी गयी।

कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस ज़ाब्ता ग्राम करणू व सोननगर, ताताबास में तैनात किया गया है। माननीय सभापति महोदय, दिनांक 16.02.2020 से लेकर 19.02.2020 के बीच न तो वीडियो किसी माध्यम से पुलिस तक पहुंचा। दिनांक 16.02.2020 से लेकर 19.02.2020 तक न तो पुलिस के पास कोई किसी प्रकार का वीडियो नहीं पहुंचता है और न ही पीड़ित पक्ष द्वारा इस संबंध में कोई सूचना रिपोर्ट कहीं पर भी दी गयी। प्रथम बार इस संबंध में दिनांक 19.02.2020 को जानकारी प्राप्त होने पर तत्काल प्रकरण दर्ज किया गया। त्वरित गति से कार्यवाही करते हुए सात आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया गया और अन्य आरोपियों की पहचान व गिरफ्तारी के प्रयास जारी हैं।

राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के उपाध्यक्ष द्वारा भी नागौर पहुंचकर घटनाक्रम की जानकारी ली गयी। आईजी. के लेवल का एक अफसर वहां पर भेजा गया जो महानिरीक्षक, सिविल राइट्स के दफ्तर में है। इस प्रकार इस प्रकरण में नागौर पहुंचकर स्वतंत्र जांच भी कराई जा रही है।

प्रकरण में पीड़ितों में श्री विसाराम व पन्नाराम को पुलिस की रिपोर्ट पर एस.सी., एस.टी. के नियम-12 (4) के अंतर्गत सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा 50-50 हजार रुपये की आर्थिक सहायता भी स्वीकृत की जा चुकी है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्री महोदय, आपने अपने वक्तव्य में यह कहा कि यह घटना 16.02.2020 की है और 16 तारीख को जब इनके साथ मारपीट होती है तो 16 तारीख को ही यह

(श्री राजेन्द्र राठौड़)

लोग हास्पिटल जाते हैं, आपने अपने वक्तव्य में यह कहा। चूंकि, इनके साथ मारपीट हुई, मेरा पहला सवाल तो यह है कि जब यह चिकित्सालय में गये, चिकित्सालय में जिस प्रकृति की चोट थी, क्या एम.एल.सी. का मामला दिखता था, तो चिकित्सक ने पुलिस को सूचना दी या नहीं दी? नम्बर-एक बात।

नम्बर-दो बात, 16 तारीख की घटना और माननीय सभापति महोदय, 16 तारीख को शाम को छह-सात बजे यह सारा जो वीडियो है, यह पूरे राजस्थान में फैल गया। लोगों में यह चर्चा का विषय हो गया और इसमें 19 तारीख को जब अखबारों के अंदर इसके समाचार बड़े-बड़े अक्षरों में छप जाते हैं, उसके बाद पुलिस सक्रिय होती है और इसमें अनुसंधान अधिकारी ने प्रारंभिक तौर पर जिन धाराओं में यह मामला दर्ज किया और उसके बाद आपने यह कहा कि सी.ओ. स्तर पर जब इसकी जांच हुई और उसमें आपने 333, 334, 341, 308 सब जोड़ी है तो प्रारंभिक तौर पर जिसने जांच की, इसका मतलब उसने निश्चित तौर पर कोई लीपापोती की है। आपने आई.टी. एक्ट में 63 (3) के अंदर बाद में मामला क्यों दर्ज किया, क्योंकि पूरी बुनियाद टिकी थी उस वीडियो वायरल पर जो वायरल हुआ। इसलिए, माननीय सभापति महोदय, मेरा यह कहना है कि इसके अंदर निश्चित तौर पर पुलिस की नेग्लीजेंसी ही नहीं, यह इस प्रकार की अमानवीय घटना है, लोमहर्षक घटना है कि आज इसकी गूंज पूरे हिन्दुस्तान में हो रही है। इसलिए मंत्री महोदय, यह जो 16 से 19 तारीख के बीच हुआ और 16 तारीख को जब हास्पिटल में यह प्रार्थी गया तो इस प्रकार की चोट पर डाक्टर की जिम्मेवारी नहीं थी कि वह पुलिस को सूचित करे।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, इस मामले में जब वीडियो वायरल हुआ और पुलिस के संज्ञान में आ गया तो उसके बाद आज तो माननीय सुप्रीम कोर्ट की भी रूलिंग है, वह खुद भी स्वत: संज्ञान ले लेता है तो एस.एच.ओ. और एस.पी. यह कह रहे हैं कि कोई परिवादी हमारे पास एफ.आई.आर. दर्ज कराने ही नहीं आया। मुझे ऐसा नहीं लगता कि ऐसे बड़े जघन्य मामले में कोई एफ.आई.आर. दर्ज कराने वहां आता। इसके पहले स्वत: संज्ञान लेकर पुलिस उन आरोपियों को गिरफ्तार कर सकती थी। उसके बाद उनका देरी से मेडिकल करवाना और उसके बाद आज तक पुलिस के सैकड़ों जवान उसके घर के बाहर बैठे हैं। इतनी अमानवीय घटना के बाद भी उस व्यक्ति को हास्पिटल में भर्ती नहीं कराया गया, क्योंकि

(श्री नारायण बेनीवाल)

पुलिस यह चाहती है कि यदि हमारी गिरफ्त से यह कहीं बाहर चले गये और सच इन्होंने बता दिया तो कहीं-न-कहीं पुलिस का बेड़ा, जिस तरह से संवेदनशीलता और दलित उत्पीड़न का अभी मेरे सीनियर बहुत अच्छी-अच्छी बात कर रहे थे कि सत्ता में हम बैठे हैं, हमने दलितों के लिये यह कर दिया। मैं तो हाथ जोड़कर कह रहा हूं कि ऐसा जो दलितों के लिये किया न कल-परसों जैसी घटना, ऐसी खुदा के लिये आइन्दा मत करना। इसलिए मंत्रीजी, आपसे मेरी हम्बल रिक्वेस्ट है हाथ जोड़कर कि समाज के अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को आप यह महसूस कराओ कि सरकार संवेदनशील है। हम दलित उत्पीड़न के खिलाफ हैं और चाहे एस.पी. और डी.जी. यदि इनकी नेग्लीजेंसी होगी तो हम बराबर की कार्यवाही करते हुए ऐसे व्यक्ति को तत्काल प्रभाव से हटाकर आप समाज के अंदर एक मैसेज दीजिये। जब एनकाउंटर के अंदर छोटा आदमी किसी अपराधी को मारता है तो दिल्ली और जयपुर में किसको सम्मानित करते हैं, एस.पी. को, तो सबसे मुख्य इसके अंदर सूत्रधार है, मैंने यह घटना चूंकि यह मेरे विधान सभा क्षेत्र की घटना है और सबसे पहले मेरे संज्ञान में आते ही मैंने जिला पुलिस अधीक्षक से टेलीफोन पर बात की। माननीय मंत्रीजी, आप सबकी काल डिटेल निकालते हो, मेरी भी निकलवा लीजिए आप कि मैंने एस.पी. से कितनी देर बात की और एस.पी. ने बात करते ही सबसे पहले यह कहा कि एम.एल.ए. साहब, यह दोनों छोरे चोरी कर रहे थे। मैंने कहा आपको शर्म आनी चाहिए, यह कहना चाहिए था कि बहुत बुरी घटना है, हम विस्तार से जांच कर रहे हैं।

माननीय सभापति महोदय, सरकार का काम सिर्फ प्रशासनिक अधिकारियों को बचाने का नहीं है। हां, मानते हैं कि आपकी आंख और कान वह लोग हैं और वह लोग अच्छे होते हैं तो राजस्थान के अंदर पांच-पांच साल में सत्ता का परिवर्तन नहीं होता, इसलिए आपको सोचकर इस मामले में त्वरित कार्यवाही करते हुए ऐसे बड़े अधिकारियों को हटाकर समाज के अंदर एक अच्छा मैसेज देओ, यह मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): माननीय सभापति महोदय, यह घटना हमको और सारे राजस्थान को शर्मिन्दा कर रही है और सारे देश में इससे जिस प्रकार के हालात हुए हैं, मैंने सवेरे भी एक ही बात कही कि जब वीडियो वायरल हुआ, वह कितने बजे हुआ? और आपके यहां एफ.आई.आर.

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

पुलिस के संज्ञान में आ गया, वीडियो वायरल हुआ तो दुनिया ने देखा तो उन्होंने भी देखा होगा। डिपार्टमेंट के इतने लोग हैं, किसी-न-किसी ने तो कहीं-न-कहीं देखा होगा न। उसके और एफ.आई.आर. दर्ज होने के बीच में गैप रहा। दूसरा, उपनेता प्रतिपक्ष ने जो विषय उठाया, वह संजीदा वहीं से शुरू हो जाता है, जब हास्पिटल गया और हास्पिटल में डाक्टर के सामने उसने हकीकत बयान की तो डाक्टर को उसी समय पुलिस को इन्वाल्व करना चाहिए था। उसने नहीं किया तो एक तो डाक्टर दोषी हो गया। दूसरा, वीडियो वायरल होने और एफ.आई.आर. दर्ज होने के बीच में कितने समय का अंतर है? उस समय के अंतर को देखकर क्या विभाग और विभाग के अधिकारी, जिसमें एस.पी. भी हैं, इतना बड़ा अधिकारी होते हुए भी अगर इस प्रकार से चारों तरफ जिसकी आवाज उठ जाए और पेपर में छप जाए, उसके बाद उसके संज्ञान में आये तो वह विभाग चला रहा है या क्या कर रहा है? इसके बारे में जवाब दो। मैं सोचता हूं कि आपके मन में कोई मंशा नहीं होगी, लेकिन इतनी बड़ी कमी के कारण से यह जो राजस्थान की फजीती हुई है देशभर में, उसको ध्यान में रखकर जिसकी भी गलती है, जिस भी प्रकार की है, न वह अपना, न पराया, उसको दंड मिलना चाहिए और जो सैक्शन लगाये पहले, वह और बाद में लगाये वह, उनमें इतना बड़ा अंतर है तो एक इंचार्ज को इतना भी पता नहीं है कि इस प्रकार की घटना हो और वीडियो वायरल हुआ, इसका मतलब तो निश्चित रूप से एक संगीन अपराध सारे देश के ध्यान में आ गया, फिर उसके बाद इस प्रकार की घटना होना, मैं चाहता हूं मंत्रीजी, इसमें आपने बहुत कुछ तथ्य तो सही रखे जो वास्तव में हकीकत में हुआ, उसमें तो आपने कोई तथ्य नहीं छिपाया, लेकिन यह जो लेकुना है, इस लेकुना के लिये दंड का भागी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, एक मिनट विराजें। (व्यवधान)

श्री पुखराज (भोपालगढ़): माननीय सभापति महोदय, मंत्रीजी ने जो अभी जवाब दिया है, उस जवाब के अंदर सरकार ने खुद ने माना है कि जब एफ.आई.आर. दर्ज करायी थाने के अंदर और उसके बाद में सी.ओ. ने इंक्वायरी की है। सी.ओ. ने अपनी इंक्वायरी में चार धाराएं और जोड़ी हैं 365, 308, 66 तो यह अपने आप में एक प्रमाण है कि जो इनिशियली इन्होंने एफ.आई.आर. दर्ज की है, उसने गलत की है और जान-बूझकर गलत की है और जो तीन-चार दिन का गैप है 16 तारीख से 19 तारीख तक, यह सरकार नहीं माने, लेकिन यह सारा ओन रिकार्ड है कि तीन दिन तक पुलिस ने उस

(श्री पुखराज)

दलित परिवार को दबाया और उसके कम्प्रोमाइज करने के लिये उसके ऊपर दबाव बनाये रखा। पुलिस को सब ध्यान था। उस हास्पिटल से, जो माननीय उपनेता प्रतिपक्ष ने अभी बताया, यह बिलकुल प्रावधान है कि हास्पिटल में थोड़ी सी भी लग जाने पर जाता है तो डाक्टर पूछता है कि यह चोट किसके कारण आयी है? एक्सीडेंट है या मारपीट है या क्या हुआ? यह चीज वहां दी हुई है, वहां यह चीज सारी ओपन हो गयी थी, लेकिन पुलिस महकमे ने इस चीज को जान-बूझकर दबाया है और सरकार अगर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को न्याय दिलाना चाहती है तो मैं समझता हूं कि इनको बिलकुल शर्म आनी चाहिए। ऐसों को तुरंत प्रभाव से सस्पैण्ड करना चाहिए।

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): माननीय सभापति महोदय, मैं मंत्रीजी से थोड़ा निवेदन करूंगा कि आपको पुलिस ने वीडियो जरूर भेजा है, लेकिन जब वीडियो वायरल हुआ, उसके साथ-साथ सोशल मीडिया पर एक टैक्स्ट मैसेज भी वायरल हुआ कि करणू गांव के इस सर्विस सेंटर पर यह घटना हुई और उसके बाद आप 36 घंटे बाद तक यह प्रयास कर रहे हो कि अगला आदमी कोई आकर हमें एफ.आई.आर. देगा। इसका मतलब संज्ञान में तो आ गया। स्पॉट भी संज्ञान में आ गया। किसने किया, वह भी संज्ञान में आ गया, सब कुछ आ गया उसमें। उसके बावजूद आप इतना वेट करो, यह कहीं-न-कहीं पुलिस की कार्य-प्रणाली बहुत बड़े संदेह के घेरे में है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री सतीश पूनियां (आमेर): माननीय सभापति महोदय, माननीय मंत्रीजी ने अभी तथ्य रखे और टेप-रिकार्डर की तरह सारी बातें बता दीं। लेकिन कुछ बातें अभी स्पष्ट नहीं हुई हैं और जैसे हमारे बाकी माननीय सहयोगी सदस्यों ने कहा है, अभी पीड़ित की चिकित्सक की दृष्टि से स्थिति क्या है, इसके बारे में नहीं कहा। एक सरकार का पक्ष गया वहां पर तथ्यों की जांच करने के लिये और उन तथ्यों के बीच में इस बात का उल्लेख हुआ कि फास्ट-ट्रेक को इस पूरे प्रकरण की त्वरित कार्यवाही के लिये कहेंगे और करेंगे। दूसरा, पीड़ित को, क्योंकि एक किस्म की मानहानि है, समाज के समक्ष उसकी दृष्टि, उस परिवार की स्थिति, उस पीड़ित के परिवार की मन:स्थिति, इन सबसे जूझते हुए उस पीड़ित को जो नुकसान हुआ है क्या सरकार उसके मुआवजे के बारे में कोई विचार करेगी? और एक जो सामान्य बात सबकी तरफ से आयी है कि कहीं-न-कहीं अधिकारियों का दोष साफ तौर पर है और

(श्री सतीश पूनियां)

सरकार उनको बचाने की कोशिश कर रही है। क्या सरकार उन अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेगी?

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): माननीय सभापति महोदय, उप नेता महोदय ने यह बताया कि एम.एल.सी. के वक्त चिकित्सक को जब मालूम पड़ गया तो उसने पुलिस को क्यों नहीं बताया। वह अस्पताल गया और सिर्फ उसे वहां पर एक कम्पाउंडर मिला। (व्यवधान) आप मेरी बात सुन लो।

श्री सभापति: प्लीज शांत रहें। शांत रहें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): मेरी बात सुन लो आप। मैंने तसल्ली से आपकी बात सुनी है। कम्पाउंडर से मिला और कम्पाउंडर से उसने रिक्वैस्ट की कि मेरे सारे बदन में दर्द हो रहा है तो मुझे कुछ गोलियां बता दें। तो वह गोलियां लेकर वापस घर चला गया। उसने कहीं पर भी कोई शिकायत नहीं की और न कोई एम.एल.सी. की कार्यवाही वहां पर हुई। दूसरी बात आपने कहा कि प्रारम्भिक तौर पर जांच में लीपापोती की गयी है। निश्चित तौर पर यह बात जरूर है कि एस.एच.ओ. को जबकि वो करणू गांव चला गया, जब उसको वीडियो मिला, कटारिया साहब, मैं आपकी बात का भी जवाब दे रहा हूं। कटारिया साहब ने कहा था कि वीडियो के और एफ.आई.आर. के बीच में इतना वक्त क्यों लगा? देखिये, कंट्रोल रूम को वीडियो मिलता है 10 बजकर के 13 मिनट पर और कंट्रोल रूम थाने पर एस.एच.ओ. को फारवर्ड कर देता है 10 बजकर के 39 मिनट पर, इतना टाइम लग ही जाता है। उसके बाद 19.02.2020 को ही, यह हुई 10 बज करके 39 मिनट पर एस.एच.ओ. को पता लग जाता है, एस.एच.ओ. करणू गांव के लिए 11 बजे रवाना हो जाता है और वहां से लौट करके सारी तफ्तीश करके वो डेढ़ बजे करीब वापस आता है। जब वो डेढ़ बजे करीब वापस आता है तो दो घंटे इसमें आराम से लगते हैं जब एफ.आई.आर. दर्ज होती है, कागज आता है, यह आता है वो आता है, ये लिखो वो लिखो, ये करो वो करो, इसकी सुनो उसकी सुनो, यह करते-करते 3 बजकर के 16 मिनट वो एफ.आई.आर. दर्ज हो जाती है।

अब इसको आप डिले मानते हो तो ठीक है, मैं तो यह मान करके चलता हूं कि डिले तो हो सकता है किसी न किसी कारण से क्योंकि काम

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)
करते-करते भी कोई बीच में आ जाएगा तो उससे भी बात करनी पड़ेगी, कम्प्यूटर का सर्वर डाउन हो जाता है, ये हो जाता है, वो हो जाता है या उसको बुलाया, इसको बुलाया, दोनों पक्ष वहां पर मौजूद हो गये, दोनों पक्षों में वो कह रहा है ये कह रहा है, ये कह रहा है वो कह रहा है, तो ऐसे करते हुए इतना टाइम लग ही जाता है। मोटे तौर पर यह हुआ।

अब सवाल उठता है एस.पी. की नैग्लिजेंस का, क्या है एस.पी. की नैग्लिजेंस? ज्यों ही एस.पी. को पता लगता है, वह बाकायदा तफ्तीश बदल करके, जब वह देखता है कि कमजोर धाराएं लगायी गयी हैं तो वह फौरन सी.ओ. नागौर को भेजता है और भेज करके उसकी तफ्तीश चालू करवाता है और सी.ओ. ने तुरंत गति से...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया शांत रहें।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): सी.ओ. नागौर ने तुरंत गति से उसकी एफ.आई.आर. में तीन धाराएं जोड़ दीं, 365 जोड़ दी, 66 आईटी जोड़ दी और 308 जोड़ दी। यह बात सही है, मैं इस बात को मानता हूं, मैं किसी अफसर को बचाने के मूड में नहीं हूं और या कोई आप यह चाहो कि, साहब, आप कोई पोलिटिकल फायदा इससे उठा लो तो वह भी नहीं मिलने देंगे। हम निश्चित तौर पर दलित के साथ खड़े हुए हैं और दलित की रक्षा के लिए यह सरकार कटिबद्ध है।

मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि फिर भी मैं एसएच.ओ. की नैग्लिजेंस मानता हूं। एस.एच.ओ. की नैग्लिजेंस इसलिए मानता हूं, 16 तारीख का वाकया है और 10 मिलोमीटर दूर करणू गांव है तो क्या पुलिस अधिकारी को यह पता नहीं लगेगा कि 16 तारीख को इतना बड़ा वाकया हो गया? तो फिर वह पुलिस अधिकारी किस काम का है, वह थाना किस काम का है, वहां थाना काहे के लिए कायम किया गया है? निश्चित तौर पर ये नैग्लिजेंस मैं जरूर मानता हूं इस बात की। मैं यही निवेदन करता हुआ आपसे कहता हूं कि आप विश्वास रखिये, हमने फौरन यहां से आई.जी. को भेजा, एस.पी. फौरन मौके पर पहुंच गया। आईजी. यहां से पहुंच गया, आई.जी. ने अपनी रिपोर्ट दे दी, रिपोर्ट देने के बाद में तुरंत गति से कार्यवाही हो गई और जो धाराएं लग सकती थीं, अब इन धाराओं के अलावा इस केस में अगर कोई

(श्री शान्ती कुमार धारीवाल)

धारा आप बता दो जो छूट गई हो तो वह लगा देते हैं। बताओ आप मुझे, कौनसी धारा चाहते हो? (व्यवधान)

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय ...(व्यवधान)

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): आप विराज जाओ।

श्री सभापति: विराजिए, विराजिए। माननीय सदस्य, मैं अलाउ नहीं करूंगा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): हां, कौनसी धारा चाहते हो आप? 66 तक लग गई आईटी एक्ट की, अब बताइये आप, 365 लगा दी, 308 जोड़ दी, कौनसी धारा ऐसी रह गई हो।

दूसरी बात, उसी रोज, एफ.आई.आर. में उसने जो नाम लिखाये उसमें और वीडियो में दिखने वाले आदमी कुछ और थे, सी.ओ. नागौर ने तफ्तीश के दौरान पूरा वीडियो देखा और वीडियो देख करके उसने चार आदमी ऐसे भी आईडेंटिफाई किये जो कि एफ.आई.आर. में दर्ज नहीं थे, उनको भी गिरफ्तार किया गया है। जैसे छैल सिंह, इसको गिरफ्तार किया गया है यह वीडियो में दिखा, रघुवीर सिंह, इसका भी एफ.आई.आर. में नाम नहीं था, उसको भी गिरफ्तार किया गया, रहमतुल्ला, यह भी एफ.आई.आर. में नाम नहीं था लेकिन उसको भी गिरफ्तार किया गया, छतर सिंह, वो भी एफ.आई.आर. में नहीं था लेकिन उसको भी गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से जो भी दिखा उनको सबको गिरफ्तार किया और आज भी चार मुलजिम फरार हैं। पांच लोगों को 19 तारीख की रात को ही साढ़े दस बजे गिरफ्तार कर लिया गया और 20 तारीख को रात के साढ़े तीन बजे, मतलब 3.30 ए.एम. उनको गिरफ्तार किया गया। इस तरीके से सात आदमियों को गिरफ्तार किया गया और एक आदमी को अभी और बैठा रखा है, उसको भी गिरफ्तार किया जायेगा तो सतत गति से काम हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यह मान करके, चलता हूं कि यह एस.एच.ओ. की नैग्लिजेंसी थी, एस.एच.ओ. अगर अपने क्षेत्र में किये हुए क्राइम का पता नहीं लगा सकता तो वह एस.एच.ओ. एस.एच.ओ. रहने के काबिल नहीं है इसीलिए मैं आपसे यह कहता हूं कि उस एस.एच.ओ. को वहां से हटा लिया जायेगा।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): सभापति महोदय, आपकी सारी बात से यह बात प्रमाणित हो गई कि एस.एच.ओ. दोषी है। यह बात आपके वर्जन से आ गई। मैं यह मानता हूं कि एसएच.ओ. उतना दोषी नहीं है, वीडियो वायरल होने के बाद अगर एस.पी. सोता रहे तो उसे डिपार्टमेंट चलाने का कोई अधिकार नहीं है। क्या बात कर रहे हो? एक छोटे को फांसी लगा करके आप, आखिर इतना बड़ा अधिकारी वहां है तो वीडियो वायरल, दुनिया जान रही है तो फिर वह कहां सो रहा है?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): वीडियो कितने बजे वायरल हुआ और वह कितने बजे सोया है एस.पी., यह बता दो आप।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): यह तो आपने कहा।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): एस.पी. कितने बजे सोया है? आप एस.पी. को सोया हुआ बता रहे हो, एस.पी. ने तुरंत कार्यवाही करके तफ्तीश बदल दी और तफ्तीश बदलते ही कार्यवाही हो गई और गिरफ्तार सब के सब हो गये। क्या बात कर रहे हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): मंत्री महोदय, मेरी एस.पी. से या किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। मैं यह कह रहा हूं कि जिस बात को आपने यह मान लिया कि एस.एच.ओ. दोषी है तो एस.एच.ओ. तो जैसे ही उसको कार्यवाही के लिए वीडियो मिला और कार्यवाही की, उसने की है, जैसा समय आप बता रहे हो। जिसके लिए उसको दोषी मान रहे हो और जिस बात के लिए आप एस.एच.ओ. को दोषी मान रहे हो, मैं यह कह रहा हूं वह उतना दोषी नहीं है जितना वहां बैठा हुआ एसपी. दोषी है क्योंकि उसके संज्ञान में यह क्यों नहीं आया? जिसके लिए आप एस.एच.ओ. को दंड दे रहे हो, वह ही तो प्रकरण है।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): उसके संज्ञान में आ गया, वह खुद करणू गांव पहुंच गया, उसने वहीं तफ्तीश बदल दी और तफ्तीश बदलते ही सी.ओ. ने तफ्तीश चालू कर दी और चालू करते ही गिरफ्तारियां चालू हो गईं। अब उससे आप और क्या चाहते हो?

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): किसी आदमी के प्रति हमारा कोई दुराग्रह नहीं है, मेरा कोई दुराग्रह नहीं है। पर जब आपने यहां सदन में इस बात को स्वीकार किया कि इसमें डिले के लिए आप एस.एच.ओ.

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

को दोषी मान रहे हो, एक सैकण्ड, जब मान रहे हो तो जब एस.एच.ओ. जिस घटनाक्रम के लिए दोषी है उसका इन्चार्ज जो अपने हैडक्वार्टर पर बैठता है और दुनिया ने जिस वीडियो को देख लिया तो उसके संज्ञान में नहीं आना, क्या उसकी गलती नहीं है क्या?

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): अब उसके संज्ञान में आ गया, वीडियो ज्योंही उसके संज्ञान में आ गया, आते ही वो सबसे पहले करणू गांव गया। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए, माननीय सदस्य।

श्री शान्ती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन, नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री): करणू गांव जाकर के उसने वहां पर हालात देख करके फौरन तफ्तीश कुनिंदा बदल दिया। सारी कार्यवाही उसने की है। अब आप सुपरवाइजरी नैग्लिजेंस मानते हो कि, साहब, एस.पी. की सुपरवाइजरी नैग्लिजेंस है तो एस.पी. से फिर वो आई.जी. की सुपरवाइजरी नैग्लिजेंस, फिर डी.जी. की आ जाएगी और फिर सबकी आ जाएगी दुनिया भर की तो ये तो कोई नहीं हुई। यह तो कोई बात नहीं आयेगी।

एक माननीय सदस्य: आपकी भी आयेगी। एस.पी. को बचा रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: चर्चा समाप्त। श्री अविनाश गहलोत। (व्यवधान) चर्चा समाप्त। श्री अविनाश गहलोत। अलाउ नहीं करूंगा मैं, बिलकुल अलाउ नहीं करूंगा। श्री अविनाश गहलोत। (व्यवधान) श्री संजय शर्मा। श्री चन्द्रभान सिंह आक्या। श्री बाबूलाल खराड़ी। श्री संदीप शर्मा। श्री अमृतलाल मीणा। (व्यवधान)

श्री नारायण बेनीवाल (खींवसर): सभापति महोदय, चर्चा तो पूरी होने दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: श्री गोविंद राम। (व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): हम वाकआउट करते हैं। (व्यवधान)

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी एवं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा बहिर्गमन)

श्री सभापति: श्री गोविंद राम, बोलिये।

आय व्ययक

आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2020-21 पर सामान्य वाद-विवाद

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने के लिए समय दिया, इसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करता हूं।

सभापति महोदय, आदरणीय अशोक जी गहलोत साहब ने जो 2020 और 2021 का बजट पेश किया है यह निश्चित रूप से अच्छा बजट है और जो अभी देश के आर्थिक हालात हैं, उन हालातों को देखते हुए इन्होंने हर वर्ग से सलाह लेकर और यह बजट पेश करने का काम किया है। सभापति महोदय, हमारे देश में संघीय व्यवस्था है। राज्यों की वित्तीय स्थिति काफी हद तक केन्द्र सरकार की नीतियों एवं निर्णयों पर निर्भर करती है। आज देश की अर्थव्यवस्था के अधिकतर सूचकांक यह संकेत दे रहे हैं कि वर्तमान में अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। आप देख रहे हैं कि अभी देश में जीडीपी ग्रोथ 5 प्रतिशत है। बेरोजगारी पिछले 45 सालों की सर्वाधिक 6.1 प्रतिशत दर्ज की गई है। इसके साथ ही महंगाई अत्यधिक बढ़ रही है। 2019 में 7.35 प्रतिशत दर्ज की गई थी। कृषि की जो विकास दर है वह थम सी गई है।

सभापति महोदय, जो केन्द्रीय सरकार है, वह जहां-जहां भी कांग्रेस की सरकारें हैं, उनके साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। केन्द्रीय सरकार की असफलता के कारण पूरे देश की अर्थव्यवस्था चौपट हो गई है। हमारी जीडीपी 5 परसेंट है। इस कारण हमारे देश के हालात बहुत खराब हैं। केन्द्र सरकार की आर्थिक नीति के कारण पूरे देश में बेरोजगारी फैल गई है। जब यह लोग केन्द्र में राज में आए थे तो पूरे देश में अच्छे दिनों का नारा दिया था। इन्होंने नारा दिया था कि प्रतिवर्ष 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। इन्होंने यह भी नारा दिया था कि प्रत्येक गांव में, प्रत्येक व्यक्ति के खाते में 15 लाख रुपये आएंगे। आज हमारे देश के आर्थिक हालात बहुत बदतर हैं। स्थिति बहुत खराब है। इस कारण से यह हमारे साथ सौतेला व्यवहार कर रहे हैं। 17 हजार करोड़ रुपये केन्द्र सरकार के बकाया पड़े हैं। अभी-अभी इन्होंने 10 हजार करोड़ की कटौती की है। स्टेट गवर्नमेंट्स को हर तरह से कटौती करके यह बजट दे रहे हैं। इस कारण मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक जी गहलोत को कि उन्होंने अपने

(श्री गोविंद राम)

अनुभव का उपयोग करते हुए ऐसी स्थिति में जो बजट पेश किया है, वह अच्छा बजट है, संतुलित बजट है। हम इसीलिए आज नीरोगी काया की बात करें।

सभापति महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि हमारे देश की पहली सरकार है जिसने 2008 में नि:शुल्क दवा देने का काम किया। इसी प्रथा को आगे बढ़ाते हुए इन्होंने इस बजट में कैंसर, लीवर, हार्ट की भी जांचें फ्री कर दीं। इन्होंने 709 दवाइयां फ्री कर दीं। यह जो हमारी नि:शुल्क दवा योजना थी, इसकी पिछली सरकार ने मजाक उड़ाई थी लेकिन यह बंद नहीं कर पाए।

सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि अभी जो हमारे मुल्क की हालत है, वह अच्छी नहीं है। मुझे दु:ख होता है अभी दिल्ली में चुनाव थे और इन्होंने नारे दिए और हिन्दू एवं मुसलमान को लड़ाने की पूरी साजिश की। इनके एमपी बोलते थे कि देश के गद्दारों को, गोली मारो सालों को। हिन्दुस्तान और पाकिस्तान का चुनाव है। कभी कहते थे दोनों के क्रिकेट का चुनाव है। यह चुनाव में सीधा कहते थे कि खटका इतना जोर से दबाओ कि इसका करंट शाहीन बाग़ में आए। जिस देश में डरा करके सरकारें वोट लेने लग जाएं तो उस देश में प्रजातंत्र बचना मुश्किल हो जाता है। आज हमारे देश के जो हालात हैं, उनमें हमारा प्रजातंत्र खतरे में है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि 1947 में जब हमें आजादी मिली तो हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी। हमारे देश की गिनती गरीब देशों में होती थी। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कांग्रेस के नेताओं को कि पहले उन्होंने शहादत दी और आजादी प्राप्त की और उसके बाद जो उन्होंने योजनाएं बनाईं, आज उसी का परिणाम है कि हमारा देश अच्छी प्रगति की ओर जा रहा था लेकिन आज जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कहते हैं कि हम विश्व गुरू बन रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि जीडीपी आपकी नीचे आ गई। इनके राज्य सभा के एमपी सुब्रह्मण्यम स्वामी ने स्टेटमेंट दिया है कि इस सदी का सबसे बड़ा पागलपन का निर्णय केन्द्र सरकार का जीएसटी का था। इन्होंने अच्छे दिन का झांसा दिया लेकिन अब हम मांग कर रहे हैं कि हम तो जिस स्थिति में थे, हमें वापस आप उसी में भेज दो।

सभापति महोदय, अभी मुझे बड़ा अच्छा लगा कि यह दलित के ऊपर बोल रहे थे लेकिन आप यूपी में जाकर के देखिए, दलित और मुसलमानों को

(श्री गोविंद राम)

घरों से निकाल-निकाल कर मार रहे हैं। आप दिल्ली में देखो, महिलाएं शांतिपूर्वक आंदोलन कर रही हैं, उनके अंदर कोई जाकर के गोली चला रहा है। कोई बालिका जाकर के बुर्का ओढ़कर के पाकिस्तान के नारे लगाती है। यह देश में क्या हो रहा है?

सभापति महोदय, मैं धारीवाल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने साफ-सुथरी बात कही। इन्होंने कहा कि अगर वहां का थानाधिकारी गलत है तो हम उसको हटाएंगे लेकिन जहां की सरकार अगर पुलिस के माध्यम से जेएनयू यूनिवर्सिटी में जाकर के मारपीट करने लग जाए, जामिया में जाकर के लाठीचार्ज करने लग जाए तो उस देश की क्या हालत होगी?

श्री सभापति: माननीय मंत्री महोदय, कृपया शांत रहें। बोलने दें माननीय सदस्य को।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सबसे पहले हमारे देश में प्रजातंत्र बचना जरूरी है। अगर प्रजातंत्र बचेगा तो हम बजट पर भी चर्चा करेंगे। हम आर्थिक स्थिति पर भी चर्चा करेंगे। मैंने तो पहले भी कहा कि जब तक इस देश में जातिवाद रहेगा, दलित मार खाने से बच नहीं सकता। आपने दलित को कभी हथियार की ट्रेनिंग नहीं दी, आपने कभी बराबर का दर्जा नहीं दिया। कभी उसको व्यापार की ट्रैनिंग नहीं दी। कभी आपने उसको आत्म सम्मान नहीं दिया। जहां दबंग जाति है, वहां उस जाति के असामाजिक तत्व यह काम करते हैं। आज इससे ज्यादा मानवता क्या शर्मसार होगी कि पेचकस के माध्यम से उसकी गुदा में डाल रहे हैं। इससे बुरा कोई काम नहीं हो सकता। लेकिन यह हिन्दुस्तान में ही क्यों है?

सभापति महोदय, इसलिए ही जातिवाद की फूट का फायदा अंग्रेजों ने उठाया। वह हमारे यहां 300 साल राज कर गए। इसी का फायदा उनसे पहले मुगलों ने उठाया क्योंकि हम जातिवाद में बंटे हुए थे। आज चाहे यह बातें बड़ी-बड़ी करें, डा. अम्बेडकर ने 1949 में कहा था संविधान बनाते समय कि जब तक जातिवाद खतम नहीं होगा, इस देश में समानता नहीं आ सकती। आज 70 साल के बाद भी दलित के पास कोई व्यापार नहीं है। आज वह कोई मोटर साइकिल किश्तों पर ले और 2 किश्तें नहीं भरे, उससे 100 रुपये की चोरी कराकर, सीसीटीवी कैमरे में कैद करके उसके साथ क्या अमानवीय घटना की है। मैं तो फिर भी धन्यवाद कहना चाहता हूं कि यह लोग आज बोल तो रहे हैं

(श्री गोविंद राम)

अन्यथा हम यूपी और दिल्ली के हालात देख लें, जहां केन्द्र की सरकार है, जहां पुलिस केन्द्र सरकार के अंडर में है, वहां जगह-जगह मारकाट हो रही है। आप लोगों को थोड़ी उस पर भी चर्चा करनी चाहिए।

सभापति महोदय, आज कहीं भी घटना हो चाहे बीकानेर की घटना हो, हमने उसी वक्त एसपी साहब से बात की। अपराधी चाहे कोई भी हो, वह बचना नहीं चाहिए। अपराधी आज जेल में बंद हैं। आज वह पुलिस की गिरफ्त में हैं। अगर हम 200 व्यक्ति यह सोच लें कि इस देश में दलित हमारा भाई है, जो कि अपने आपको हिन्दू धर्म में मानता है, उसने कभी तस्करी का काम नहीं किया, कभी उसने देशद्रोह का काम नहीं किया। एक भी देशद्रोह के काम में आप दलित का नाम नहीं ले सकते। एक भी बड़े अपराध में आप दलित का नाम नहीं ले सकते। पूरे राजस्थान में किसी भी बड़ी घटना, बड़े अपराध की अगर आप लिस्ट उठाकर के देखेंगे तो उसमें आपको एक भी दलित नहीं मिलेगा, फिर भी उसके साथ में मारपीट होती है।

सभापति महोदय, अब बीमारी क्या होती है कि जब डांगावास कांड होता है, उस वक्त भी राजस्थान में हालात खराब थे और आज भी अच्छे नहीं हैं। लेकिन क्या है कि जिस जाति का आदमी मारपीट करता है, उस जाति के नेता चुप हो जाते हैं, क्योंकि वह वोट की धमकी देते हैं। मैं किसी जाति को दोष नहीं देता और न ही किसी नेता को देता हूं। मैं इसलिए नहीं दे रहा हूं कि जब तक देश में जातिवाद रहेगा तब तक यह बीमारी रहेगी। वह कमजोर हैं। वह आर्थिक रूप से बराबरी में नहीं हैं। उनको गांवों में अभी समानता का दर्जा नहीं मिला है। गांव में उसके साथ छुआछूत हो रही है।

सभापति महोदय, मैं इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि हम 200 आदमी यह तय कर लें कि हमें छुआछूत के खिलाफ गांवों में जाकर के भाषण देना है। किसी भी दलित के साथ अगर इस तरह की अमानवीय घटना होगी तो हमारे वोटर को समझाना है। जो वोटर हैं उनमें कोई बीजेपी को देता है, कोई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी को देता है, कोई कांग्रेस को देता है, लेकिन जब तक हम लोग जातिवाद के खिलाफ खुले रूप से नहीं बोलेंगे तब तक यह जहर खतम होने वाला नहीं है।

सभापति महोदय, आपको पता है कि 1947 में तो आजादी मिली और 1948 में महात्मा गांधी जी को गोली मार दी। गोली मारने वालों को आज राष्ट्र भक्त के रूप में पूज रहे हैं।

श्री सभापति: बजट पर भी बोल दो। माननीय सदस्य, बजट पर भी बोल दो। 2-5 लाइन बजट पर भी बोल दीजिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): बोला हूं न सभापति महोदय। वापस आऊंगा। मैं यही कहना चाहता हूं कि निशुल्क दवाई की योजना चलायी, मैं उसी पर वापस आना चाहता हूं। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं अशोक गहलोत जी को.

श्री सभापति: हां, इधर आइये।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): पूरे हिन्दुस्तान में सबसे पहले नि:शुल्क दवा की योजना राजस्थान सरकार ने चलायी लेकिन मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं कि भीड़ पर जाकर कोई गोली चलाता है तो वह भी दिमागी रूप से बीमार है। वह है जाति की और धर्म की बीमारी, इस देश के अंदर, इंसान को इंसान मानने को तैयार नहीं है। पशु को लोग गाय मानने को तैयार, गाय को माता मानने को तैयार है। मैं यह कह रहा हूं कि आपको मानसिक रोग भी मिटाना पड़ेगा। आज जो घटनाएं हो रही हैं जैसे आज करणू में हुई है, ये मानसिक रोगी हैं, यह जातिवाद का जहर है और ऐसा एक करणू में ही नहीं है, यह पूरे देश में आग लगी हुई है। आज जगह-जगह धर्म के नाम पर कत्ल हो रहे हैं, जगह-जगह पर दलितों को मारा जा रहा है, यह जाति और धर्म का जहर है, ये भी रोगी ही हैं। इसलिये मैं चाहता हूं कि खाली इन दवाइयों से इलाज नहीं होगा, उनके इलाक़े के इंजीनियर यहां जो बैठे हैं वे हैं सोशल वर्कर, वे हैं राजनीतिक पार्टियां, वे हैं सामाजिक पार्टियां, सामाजिक कार्यकर्ता वे देश में ऐसा मैसेज दें कि वे हमारे देश पर जो कलंक लगा हुआ है हमारे ऊपर जाति और धर्म के नाम पर लड़ाई का, वह हमारा खतम तभी हो सकता है जब हम सब एक राय के होंगे। ठीक है उधर के लोग हमारे भी खिलाफ बोलेंगे, हम उनके खिलाफ बोलेंगे, पार्टियों के प्रति वफादारी रखनी पड़ेगी, यह बात ठीक है लेकिन हमें नीयत साफ रखनी पड़ेगी आज हमारा संविधान पार्लियामेंट के सामने जलाया गया है, डाक्टर अम्बेडकर के विरुद्ध नारे लगाये गये, महात्मा गांधी के विरुद्ध नारे लगाये गये, एक वो धार्मिक नारे लगाते हैं, यह अच्छी बात नहीं है माननीय सभापति महोदय।

माननीय सभापति महोदय, हमें मन साफ रखना पड़ेगा इसलिए आप ठीक कह रहे हैं। मैं नीरोगी काया के बारे में आपको बताना चाहता हूं कि आज 709 दवाइयां हमने फ्री करने का काम किया है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (चूरू): माननीय सभापति महोदय, इनकी खुद की काया कहां जा रही है? बजट पर भाषण करवा रहे हो माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: नीरोगी काया पर बोल रहे हैं वो।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): राठौड़ साहब, अब यही बीमारी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): राठौड़ साहब, आप बोलते हैं, जैसे मदनजी दिलावर बोलते हैं, कोई बीच में नहीं बोलता है, कोई बीच में नहीं बोले, उन्होंने नहीं बोलने वाली जो बात है वह सारी बोली। हम नहीं बोले बीच में। लेकिन आप लोग इसलिए बोलते हो ताकि ये लोग ट्रैक से चूक जाएं। आप लोग बोलते हो तो हम बीच में नहीं बोलते हैं। बोलना हम भी जानते हैं, हमें पता है कि आप और गुलाबजी, दोनों मुख्य मंत्री पद की दौड़ में हो, फिर भी हम कभी नहीं कहते क्योंकि हम जानते हैं।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): अब मैं यह बात जरूर कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश में एक मंदिर छोड़कर मुख्य मंत्री बन गये तो राजनीतिक कार्यकताओं को मुख्य मंत्री कौन बनाएगा? सारी लड़ाई ही यही है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, इसलिए हम कह रहे हैं कि मंदिर छोडकर लोग मुख्य मंत्री बन रहे हैं, आदित्यनाथ जैसे लोग, राजनीतिक लोग पार्लियामेंट में जाने चाहिये, विधान सभा में आने चाहिये।

श्री सभापति: बजट की कापी निकाल लीजिये, अन्यथा बोलना बंद कीजिये।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, मेरा टाइम तो इन्होंने डिस्टर्ब कर दिया। (व्यवधान)

श्री सभापति: किसी ने नहीं लिया आपका टाइम। आपने अपना टाइम खुद ने कंज्यूम किया है।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, 15 मेडिकल कालेज खोले।

श्री सभापति: आप बोलते-बोलते थक गये तो मैं स्थगित करूं?

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): नहीं, नहीं, थके नहीं।

श्री सभापति: अन्यथा मैं बिलकुल नहीं बोलने दूंगा।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): मैं बोल रहा हूं, उसी पर आ रहा हूं।

श्री सभापति: ये नहीं चलेगा इस तरह से।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 15 मेडिकल कालेज आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने खोले हैं। शिक्षा के सम्बन्ध में कालेज इन्होंने खोले हैं।

श्री सभापति: अब दो मिनट में अपनी बात समाप्त करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि आईजीएनपी नहर के लिये 378 करोड़ रुपये आज इन्होंने आबंटन किये हैं। इसलिये माननीय सभापति महोदय, आज हमारे देश में जो गिरावट आयी है बजट में, इसका मुख्य कारण केन्द्र सरकार है। (व्यवधान) इसका मुख्य कारण क्या है? इसका मुख्य कारण केन्द्र सरकार है, जिसने आर्थिक मंदी कर दी।

श्री सभापति: स्थगित करें?

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): तनाव कर दिया, वातावरण खराब कर दिया, इस बजट से हमें 17 हजार करोड़ रुपये बकाया पड़े हैं, वे हमें नहीं दे रहे हैं, 13 हजार करोड़ रुपये मुख्य मंत्रीजी को इनके जो बकाया थे।

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): वह आने पड़े हैं, इसके बावजूद भी इन्होंने एक से एक काम किये हैं। आज मिलावट है, मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को जिन्होंने मिलावट के ऊपर फांसी तक की सज़ा का प्रावधान किया है। आदरणीय सभापतिजी, आज पूरे प्रदेश में बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर हो रहा है, पीलिया हो रहा है, आज मिलावट इतनी हो चुकी है कि इसके ऊपर हमें सख्त निर्णय लेना पड़ेगा। मैं तो कहना नहीं चाहता, क्यों मेरे से बुलवा रहे हो, नकली घी बनाने वालों को टिकटें दी जाती हैं पार्टियों में, ये हालात हैं हमारे। आज इतनी गिरावट आ चुकी है हमारे राजनीतिक लोगों में इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं ...(व्यवधान) आप बीच में बोलो, मैं जवाब दे देता हूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप समाप्त करें अब।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): माननीय सभापति महोदय, हम बोलना नहीं जानते क्या?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): हम आपकी हर बात का आदर करते हैं। (व्यवधान) मैं मिलावट पर कहना चाह रहा हूं कि मिलावट के अंदर हमारी हालत बहुत खराब है, चाहे मिर्च है, चाहे मसाले हैं, चाहे घी है, चाहे कोई भी चीज ले लें, यूरिया तक लोग नकली देने लग गये हैं इसलिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूं मुख्य मंत्रीजी को कि उन्होंने मिलावट के ऊपर जबर्दस्त कानून लाये हैं, इसलिये धन्यवाद के पात्र हैं।

आज हमारे इन्दिरा गांधी नहर में गंदा पानी आ रहा है, इन्होंने करोड़ों रुपये शुद्ध पानी के लिये दिये हैं, जो जल मिशन योजना है, इसमें फिफ्टी परसेंट या सिक्स्टी परसेंट केन्द्र सरकार देगी, अगर केन्द्र सरकार नहीं देगी फिर भी ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें माननीय सदस्य। श्री अविनाश।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): आदरणीय मुख्य मंत्रीजी ने शुद्ध पेयजल के लिये जो स्कीम बनायी है।

श्री सभापति: समाप्त करें, विराजिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): हर घर में पानी पहुंचाएंगे, इसके लिये मुख्य मंत्रीजी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। (व्यवधान) मैं एक-दो बातें और कहना चाहता हूं।

श्री सभापति: विराजिए।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): मेरी मांग यह है कि छतरगढ़ से बीकानेर तक हमारी सड़क टूट चुकी है। पिछले छह साल में कोई काम उस पर नहीं हुआ है।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): हमारी टेल की जो नहरें हैं, उनके हालात बहुत खराब हैं, नहरें टूट चुकी हैं, पिछले पांच साल में उन पर कोई काम नहीं हुआ है। हमारी सड़कें जर्जर अवस्था में पड़ी हैं। शुद्ध पेयजल की जो स्कीम दी है इन्होंने, पिछले सालों में गांवों में काम नहीं हुआ है।

श्री सभापति: डिमाण्ड पर बोलिये आप।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): शुद्ध पेयजल की स्कीम और हमारे जो डामर सड़कें हैं, वे टूटी हुई हैं। (व्यवधान) यह जो योग वाला मामला है।

श्री अविनाश (जैतारण): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): हम तो सुबह से लगाकर शाम तक योग ही करते हैं।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा।

श्री अविनाश (जैतारण): आपने मुझे बजट 2020-21 पर बोलने का मौका दिया।

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री अविनाश (जैतारण): मैं धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय राजेन्द्र राठौड़ साहब का जिन्होंने मुझे पार्टी की तरफ से बोलने का मौका दिया।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: विराजिए आप।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री सभापति: विराजिए। अंकित नहीं होगा अब।

श्री गोविंद राम (खाजूवाला): 000

श्री अविनाश (जैतारण): बहुत-बहुत धन्यवाद आपका कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर दिया। 20 फरवरी, 2020 को माननीय मुख्य मंत्री महोदय के द्वारा कुल सात संकल्पों के साथ में, 242 बिन्दुओं के साथ में इस बजट को प्रस्तुत किया गया। जिस तरीके से हमने इस बजट को देखा, पढ़ा और समझा, निश्चित रूप से पूरे प्रदेश के लिए यह बजट बेहद खोखला और निराशाजनक है।

श्री सभापति: मैं जो बचे हुए माननीय वक्ता हैं उनसे आग्रह करना चाहूंगा कि माननीय अध्यक्ष महोदय का निर्देश है कि आठ बजे हाउस एडजोर्न होगा। अब आप कृपया दस-दस मिनट में अपनी बात समाप्त करें ताकि सभी माननीय सदस्य बोल सकें अन्यथा कुछ लोग बाकी रह जाएंगे। ठीक है? श्री अविनाश।

श्री अविनाश (जैतारण): धन्यवाद माननीय सभापति महोदय, इस बजट के अंदर आपने बहुत सी ऐसी बातें कहीं और मैं निश्चित रूप से कहना चाहता हूं, इस बजट के अंदर मैं बिन्दुवार इसी बजट के ऊपर बात करूंगा। मुझे पता है कि आपने मुझे दस मिनट का समय दिया है और मैं कोशिश करूंगा कि दस मिनट में मैं राजस्थान प्रदेश के इस बजट पर और मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण की प्रमुख समस्याओं की ओर जो बजट से अछूती रह गई हैं उनके बारे में इस सदन का ध्यान आकर्षित करूंगा। आपने बिन्दु संख्या चार

(श्री अविनाश)

में विकास दर और नोट बंदी का जिक्र किया तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि पिछले एक वर्ष में राजस्थान प्रदेश विकास के रास्ते से बिलकुल हट चुका है। कोई भी नया काम पिछले एक वर्ष में इस राजस्थान प्रदेश में ही नहीं बल्कि अगर देखा जाए तो मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी आपने सैंक्शन नहीं किया।

माननीय सभापति महोदय, नोट बंदी का आपने जिक्र किया, मैं कहना चाहता हूं कि नोट बंदी के बाद में कश्मीर में पत्थरबाजी पूर्ण रूप से बंद हो गई, आतंकवादी हमले बंद हो गये और विदेशों में जमा होने वाले काले धन पर पूर्ण रूप से बैन लग गया।

आपने बिन्दु संख्या सात के अंदर पिछली सरकार के कुप्रबन्धन का जिक्र किया, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जो आपकी सरकार थी पिछली 2008 से 2013 तक की, अगर उसमें भी हम लोग समझें तो वित्तीय कुप्रबन्धन का सबसे बड़ा उदाहरण आपकी वह सरकार थी जिसने वित्तीय कुप्रबन्धन इस प्रकार से किया लेकिन फिर भी हमने बेहतरीन वित्तीय प्रबन्धन करके इस राजस्थान प्रदेश में 2013-18 के बीच में विकास के नये आयाम स्थापित करने में हमने उन पांच साल में बेहतरीन कार्य किया।

आपने बिन्दु संख्या आठ में गत वर्ष के बजट घोषणा पत्र का जिक्र किया, मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि आपका पिछले बजट का जो घोषणा पत्र था वह सिर्फ और सिर्फ घोषणा पत्र ही साबित हुआ और धरातल पर एक भी कार्य नहीं हुआ। हमारी सरकार के जो पिछले जितने भी काम काज थे चाहे सड़क, बिजली, पानी हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे और भी अन्य क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य सेवायें हों, हमारे सम्पूर्ण काम को या तो आपने नाम बदलने का काम किया या उनको बंद करने का काम किया, यह आपकी उपलब्धि हो सकती है। एक भी नया काम इस बजट में नहीं हुआ।

(19.00 बजे)

आपने बिंदु संख्या 9 में नीरोगी राजस्थान की बात की और यह जो बजट की प्रति आपने दी है, इसके ऊपर आपने नीरोगी राजस्थान लिखकर दिया है, मैं निश्चित रूप से यह कहना चाहता हूं कि जिस नीरोगी राजस्थान के लिए आपने 600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है, हमारी पूर्ववर्ती भाजपा सरकार ने भामाशाह योजना के लिए बारह सौ से सोलह सौ करोड़ रुपये खर्च कर हर व्यक्ति को पांच लाख रुपये तक का नि:शुल्क इलाज सुनिश्चित किया था। यह हमारी सरकार की योजना थी। आपने सिर्फ और सिर्फ नाम बदलकर भामाशाह स्वास्थ्य योजना को नीरोगी राजस्थान में परिवर्तित करने का प्रयास

(श्री अविनाश)

किया है। अभी जो मदन दिलावर साहब ने कहा था, मैं निश्चित रूप से उसी बात को दोहराना चाहूंगा कि इस नीरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार करने के लिए गुटखे पर, शराब पर प्रतिबंध लगना चाहिए। जो हमारे शरीर को नासूर बना देने वाली चीजें हैं, जो कि सामाजिक कुरीतियां हैं, इनके ऊपर प्रतिबंध लगाने की जरूरत है। अगर उन्हें हम बंद कर देंगे तो नीरोगी राजस्थान का सपना भी साकार होगा।

मैं बात करना चाहूंगा चिकित्सा और स्वास्थ्य की जो बिंदु संख्या 10 और 11 में आपने कही, सरकार ने भामाशाह स्वास्थ्य योजना को बंद करके दूसरे काम करने का प्रयास किया है। मेरे जैतारण उप खंड मुख्यालय पर एकमात्र चिकित्सालय सीएचसी का है जो कि 50 बैड का है। आपकी सरकार ने 2013 में इसे 50 से 75 बैड में क्रमोन्नत करने की घोषणा की थी, लेकिन आज दिन तक इसे 75 बैड की वित्तीय स्वीकृति नहीं मिल पायी है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि इस बजट सत्र में जब माननीय मुख्य मंत्री महोदय अपना जवाब दें तो मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के सीएचसी को 100 बैड में क्रमोन्नत करने की वित्तीय स्वीकृति की घोषणा भी करें।

उसके साथ में जो बर के अन्दर पीएचसी है, उसे सीएचसी में क्रमोन्नत करें। देवरिया, सैंदड़ा और धनेरिया सहित अन्य सब-सैंटर हैं। बड़े-बड़े कस्बे शामिल हो चुके, लेकिन आज भी जो सब-सैंटर हैं, उन्हें पीएचसी में क्रमोन्नत करें और वर्तमान में जैतारण क्षेत्र में जितने भी सब-सैंटर हों, चाहे पीएचसी हों या सीएचसी हों, खाली पड़े हुए पदों को भी भरने का प्रयास करें ताकि नीरोगी राजस्थान की परिकल्पना को साकार किया जा सके।

आपने बिंदु संख्या 21 में मेडिकल कालेज की घोषणा के बारे में कहा, मैं बताना चाहता हूं कि इस मेडिकल कालेज की पूर्व में केन्द्र सरकार ने घोषणा की है और इस बजट में आपने इसको मैंशन करके सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने का प्रयास किया है। राजस्थान प्रदेश की जनता यह जानती है।

आपने बिंदु संख्या 22 में राज्य के पहले और दूसरे हार्ट ट्रांसप्लांट की बात की। इस प्रदेश की जनता और हम सब लोग निश्चित रूप से बधाई के पात्र हैं कि इस एसएमएस कालेज के प्रिंसिपल हैं डाक्टर सुधीर जी भंडारी, मुझे इस विधान सभा के सदन में कहते हुए फख्र होता है कि वे मेरे विधान सभा क्षेत्र जैतारण के हैं। वे आज एसएमएस का कार्यभार देख रहे हैं। आज उनकी देखरेख में हमारे प्रदेश में पहला और दूसरा हार्ट ट्रांसप्लांट आपरेशन जो हुआ है, निश्चित रूप से हम सभी बधाई के पात्र हैं।

(श्री अविनाश)

आपने दूसरा संकल्प लिया सम्पन्न किसान के बारे में। आपने 1000 करोड़ रुपये का कृषक कल्याण कोष दिया, लेकिन यह तो आपने पिछले बजट में घोषणा कर दी थी। इस कृषक कल्याण कोष से किसानों को टिड्डी हमले के लिए, कर्ज माफी के लिए या फिर मावठ के कारण फसलों को हुए नुकसान के लिए किसी प्रकार की राहत नहीं दी।

आपने तीसरा संकल्प प्रस्तुत किया महिला एवं बाल कल्याण का। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि आज भी हमारे क्षेत्र में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता हों, चाहे आशा सहयोगिनी हों जिन्हें 7500 रुपये मानदेय मिलता है, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का 5,750 रुपये, आंगनबाड़ी सहायकों का 3,500 रुपये से बढ़ाकर 4,250 रुपये किया गया है। एक ही विभाग में कार्य करने वाली आशा सहयोगिनियों का वेतन 2,500 रुपये, ग्राम साथिन का वेतन 3,500 रुपये, शिशु पालना गृह में कार्य करने वाले कार्यकर्ता का वेतन 3 हजार रुपये है। मैं सरकार से मांग करता हूं कि इन सभी का वेतनमान बढ़ाया जाए और उन्हें राहत प्रदान की जाए, जिससे उनका जीवन स्तर ऊपर उठ सके।

आपने बिंदु संख्या 54 में ईडब्ल्यूएस का जिक्र किया। आर्थिक रूप से पिछड़े सामान्य वर्ग को आरक्षण देने का काम सर्वप्रथम केन्द्र की मोदी सरकार ने किया है और इस बजट घोषणा पत्र में भी आपने जिस तरह से यह बात कही है, यह भी कहीं न कहीं एक श्रेय लेने का प्रयास आप लोगों द्वारा किया जा रहा है।

आपने चौथा संकल्प सक्षम मजदूर-युवा-जवान का किया है। मैं निवेदन करना चाहता हूं युवा मामले और खेल मंत्रालय से, आपने 'फिट राजस्थान, हिट राजस्थान' का लक्ष्य रखा, लेकिन यह तब सम्भव होगा जब हमारे प्रदेश में खिलाड़ियों के लिए उत्तम व्यवस्था होगी। क्षेत्र के प्रत्येक वर्ग के लिए हम लोगों को उत्तम व्यवस्था करनी चाहिए। मैं राज्य सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जैतारण में भी जो ग्रामीण परिवेश की जनता है, जो खिलाड़ी हैं, जो युवा हैं, जो नौजवान हैं, उन्हें खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ाने के लिए जैतारण में भी एक खेल एकेडमी की घोषणा करें। कृत्रिम घास के ऊपर बना हुआ एस्ट्रोटर्फ का ग्राउंड हो। उसके ऊपर हमारे जितने भी बेरोजगार युवा हैं, वे वहां आकर खेल की प्रैक्टिस कर सकें और आने वाले समय में खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ सकें।

(श्री अविनाश)

आपने बिंदु संख्या 88 में ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज की बात की। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नई ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन आपने इस वर्ष किया। मैं कहना चाहता हूं कि यह जो पुनर्गठन आपने किया, यह 2011 की जनगणना के आधार पर किया और जितनी भी पंचायतों और पंचायत समितियों का पुनर्गठन आपने किया है, वर्तमान में पूरे राजस्थान प्रदेश की जनता में भारी आक्रोश है इसके लिए, क्योंकि आपने नियमों को ताक पर रखते हुए कहीं पांच सौ, कहीं सात सौ की आबादी को भी ग्राम पंचायत बना दिया। जो नियम था, चार हजार से लेकर साढ़े छह हजार तक की आबादी और दो पंचायत मुख्यालयों के बीच की जो दूरी थी वह 8 किलोमीटर से ज्यादा नहीं हो। कहीं दस और कहीं बारह किलोमीटर। मेरे क्षेत्र में जो बहुत लंबा चौड़ा है, उसमें भी आपने ये ग्राम पंचायतें बनायीं। हम चाहते हैं कि यदि आपकी सरकार 2023 तक रहती है तो 2021 की जनगणना के बाद में आपकी सरकार के द्वारा अगर नयी पंचायतों का पुनर्गठन हो जाता, नई पंचायत समितियों का पुनर्गठन हो जाता तो अच्छा होता, लेकिन आपकी सरकार की नाकामियों के कारण पहली बार प्रशासक अभी कार्यभार देख रहे हैं। यह भी एक बहुत चिंताजनक विषय है। आपने वित्तीय प्रबंधन के अभाव में जिन ग्राम पंचायतों का पुनर्गठन किया है, पंचायत समितियों का पुनर्गठन किया है, उनके लिए नए भवन और कार्यालय आप कब और कैसे बनाएंगे, इसका भी अभी तक कोई फिक्स विजन आपके पास नहीं है।

आपने 89 नंबर के बिंदु में मनरेगा के बारे में कहा। मैं कहना चाहता हूं कि मोदी जी जब 2014 के चुनावों के बाद केन्द्र की सत्ता पर काबिज हुए, उन्होंने मुख्य रूप से दो बातें बतायी थीं। उन्होंने कहा था कि केन्द्र की पूर्ववर्ती मनमोहन सिंह सरकार ने दो ऐसे कार्य किए जिन्होंने हिन्दुस्तान को पीछे धकेलने का काम किया- एक तो आठवीं तक के बच्चों को फेल नहीं करना और एक मनरेगा। मनरेगा कांग्रेस की नाकामियों का स्मारक साबित होगा, इसलिए उन्होंने उसे बंद करने का काम नहीं किया। मैं चाहता हूं कि इस मनरेगा योजना में जितने भी कच्चे कार्य हैं, उन्हें अगर पक्के निर्माण कार्यों से जोड़ दिया जाए तो हिन्दुस्तान की अधिक से अधिक ग्रामीण आबादी को फायदा मिलने वाला है।

(श्री अविनाश)

आपने 90 नंबर बिंदु पर पर्यटन की बात की है, मैं चाहता हूं कि मेरे जैतारण क्षेत्र में ऐतिहासिक मकर मंडी माताजी का मंदिर जो निमाज में है और भक्त शिरोमणि मीराबाई का फोर्ट कुड़की में है, ऐसे ऐतिहासिक मंदिरों और धरोहरों को पर्यटन में शामिल कर उन्हें विकसित करने का काम राजस्थान सरकार करेगी तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्य होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें।

श्री अविनाश (जैतारण): सर, दो मिनट और। खतम कर रहा हूं। मैं बजट पर ही बोल रहा हूं। दस मिनट का समय था साहब दस मिनट बोलने दीजिए।

आपने 94वें बिंदु में पांचवें संकल्प शिक्षा पर कहा कि विवेकानंद माडल स्कूल, यह पूर्ववर्ती भाजपा सरकार का दिया हुआ तोहफा है, जहां प्रत्येक ग्राम पंचायत मुख्यालय पर विवेकानंद माडल स्कूल बन गये हैं और इस बजट में माननीय मुख्य मंत्री जी ने एक भी नया स्कूल और कालेज खोलने की बात नहीं कही। शिक्षा जैसे महत्वपूर्ण सैक्टर को नकारना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और वर्तमान में जिस तरह से विद्यालयों, महाविद्यालयों और छोटे-छोटे स्कूलों में पदों की भर्ती नहीं हो रही है, उससे भी विद्यार्थियों के भविष्य को लेकर बहुत चिंता है। आपने उच्च एवं तकनीकी शिक्षा के बारे में बात की, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि जैतारण का एकमात्र राजकीय पी जी. महाविद्यालय है, उसमें लगभग सात सौ के करीब छात्र-छात्राएं पढ़ते हैं, लेकिन उसमें विज्ञान संकाय नहीं है।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री अविनाश (जैतारण): इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से कि आप जब जवाब दें तो विज्ञान संकाय पर भी बोलने का प्रयास करें।

आपने पेयजल के बारे में बात की, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मेरे जैतारण क्षेत्र में 315 करोड़ रुपये की लागत से जवाई जल योजना के मीठे पानी से हमारे क्षेत्र के 125 गांवों और शहरों को जोड़ा जाना था, लेकिन आपकी सरकार बनने के बाद से वह परियोजना बंद पड़ी है। मेरा माननीय जलदाय मंत्री से भी निवेदन है कि जल्दी से जल्दी इस परियोजना का कार्य पूर्ण करें। माननीय मुख्य मंत्री से निवेदन है कि पाली, जालौर और सिरोही की जो योजना है मीठे पानी की, जवाई पुनर्भरण की योजना है, जिसकी घोषणा हमारी सरकार के समय में हो रखी है, आप उसके लिये बजट देकर उसे भी पूर्ण करने का प्रयास करें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। अंकित नहीं होगा। श्री सुरेश मोदी।

श्री अविनाश (जैतारण): 000

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। बंद करें अब। श्री सुरेश मोदी।

श्री सुरेश मोदी (नीमकाथाना): माननीय सभापति महोदय, सरकार ने जो 2020-21 का बजट पेश किया है, उसमें सभी वर्गों का समुचित ध्यान रखा है। पिछली सरकार के कुशासन के परिणाम इसे विरासत में मिले हैं। ऐसी परिस्थिति में इससे अच्छा बजट हो नहीं सकता। मैं उसे दोहराना नहीं चाहता। बहुत सारे माननीय सदस्यों ने बजट के बारे में हर बिंदु पर चर्चा की है। मैं सीधा अपने विधान सभा क्षेत्र की कुछ समस्याएं जो इस बजट में शामिल होने से रह गयी हैं, उनके लिए सरकार से आग्रह करता हूं कि उन्हें भी बजट घोषणाओं में शामिल करें।

'पहला सुख, नीरोगी काया', इसलिए मैं भी शुरुआत स्वास्थ्य से ही कर रहा हूं। नीमकाथाना के कपिल अस्पताल उप जिला चिकित्सालय को क्रमोन्नत कर जिला अस्पताल बनाया जाए। माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी बैठे हैं, वांछित बैड संख्या भी इसमें बढ़ायी जाए। महोदय, वर्ष 2019 में इस अस्पताल का ओपीडी 4 लाख 12 हजार कुछ रहा है। करीब 16 हजार 800 आईपीडी व दुर्घटना में घायलों की संख्या 3 हजार से ऊपर रही है। प्रसवों की संख्या 5 हजार से ऊपर रही है और गायनी का ओपीडी भी एक लाख से ऊपर रहा है। महोदय, नीमकाथाना खनन क्षेत्र व क्रेशर जोन भी है। चारों ओर हाईवे से जुड़ा हुआ है अत वर्तमान व्यवस्था अपर्याप्त है एवं क्षेत्र के लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के संकल्प को पूरा करने हेतु इसे क्रमोन्नत करना आवश्यक है। पिछले वर्षों में शहर में चालू मातृ एवं शिशु अस्पताल व एक पीएचसी को बन्द किया गया जिससे भी समस्या और बढ़ी है इसलिए इन्हें भी वापस चालू किया जाना आवश्यक है।

महोदय, नीमकाथाना बहुत समय से डार्कजोन घोषित है एवं जल स्तर बहुत नीचे चला गया है। नीचे फ्लोराइडयुक्त खारा पानी निकलता है जो स्वास्थ्य के लिए बहुत हानिकारक है। ऐसे में एकमात्र उपाय कुम्भाराम लिफ्ट परियोजना से पीने का पानी क्षेत्र को मिले। वर्षों से क्षेत्र की जनता पेयजल व सिंचाई जल के लिए निवेदन कर रही है। कांग्रेस सरकार ने अपने पिछले कार्यकाल में इस परियोजना को स्वीकृत किया था एवं लगभग एक हजार करोड़ रुपये व्यय कर झुंझुनूं जिले की कई तहसीलों को पीने का पानी उपलब्ध कराया था। नीमकाथाना को दूसरे फेज में पानी मिलना था लेकिन पिछली सरकार ने इसके लिए पैसा नहीं दिया और समस्या और बढ़ गई। महोदय,

(श्री सुरेश मोदी)

पानी समझौतों में दोनों चरणों को पानी का अलाटमेंट भी हो गया था। मुझे डर है कि अगर इस परियोजना का दूसरा चरण जल्द शुरू नहीं किया गया तो जल समझौते में मिला पानी कहीं और नहीं चला जाए और हम प्यासे न रह जाएं इसलिए इस बजट में सरकार इसके लिए प्रावधान करे और इसे शुरू करवाये, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं।

आपने प्रदेश में शहरों की तर्ज पर ग्रामीण परिवारों को घर में पेयजल उपलब्ध कराने की घोषणा की है। इस योजना के प्रथम चरण में मैं सीकर जिले को भी शामिल किये जाने का निवेदन आपके माध्यम से करना चाहता हूं।

नीमकाथाना को जिला बनाया जाए, यह मांग क्षेत्र की जनता बहुत वर्षों से करती आ रही है। नीमकाथाना रियासतकाल से ही प्रशासनिक क्षेत्र में अपनी अहम भूमिका रखता है। आजादी से पूर्व यहां न केवल छावनी थी, बल्कि निजामत कोर्ट भी थी जिसका न्यायिक क्षेत्र कोटकासिम, बहरोड़, कोटपूतली, शाहपुरा, दांतारामगढ़, खण्डेला व श्रीमाधोपुर तक था। नीमकाथाना चारों ओर से हाईवे मार्ग से जुड़ा हुआ है खनिज क्षेत्र है, क्रेशर जोन है, बड़ी रेल लाइन से जुड़ा है एवं अब डैडिकेटेड फ्रेट कोरिडोर से भी जुड़ गया है अतः नीमकाथाना जिला बनने के सर्वथा उपयुक्त है एवं इसके सभी मापदण्ड पूरे करता है इसलिए इसे चालू बजट में नया जिला बनाने की घोषणा की जाए।

नीमकाथाना में सरकारी क्षेत्र का टैक्निकल शिक्षा का कोई भी संस्थान नहीं है। ऐसे में मैं सरकार से इस बजट में कृषि महाविद्यालय खोलने की मांग करता हूं। इससे क्षेत्र में बेरोजगार युवकों को रोजगार के नये अवसर मिलेंगे, उनका कृषि के प्रति रूझान बढ़ेगा एवं पारम्परिक कृषि को उन्नत कृषि में परिवर्तित कर इस ओर अग्रसर होंगे।

महोदय, नीमकाथाना के गजानन्द मोदी उच्च माध्यमिक विद्यालय में दिसम्बर, 2018 में खेल स्टेडियम की 235 लाख की स्वीकृति सरकार ने जारी की थी। निविदा आमंत्रण के बाद वर्क आर्डर भी जारी कर दिया गया था, परन्तु यह सब भाजपा की थोथी घोषणा थी। इससे यहां के युवाओं को भारी निराशा हुई। शेखावाटी के इस क्षेत्र में युवाओं की पहली पसन्द सेना में भर्ती रही है, खेलों में भी क्षेत्र के युवाओं ने अपनी योग्यता के परचम फहराये हैं। ऐसे में खेल स्टेडियम के निर्माण को बजट देकर युवाओं को आगे बढ़ने का मौका दें एवं ''फिट राजस्थान हिट राजस्थान'' के लक्ष्य की ओर कदम बढाएं।

नीमकाथाना में एवं इसके आसपास बहुत से पर्यटन स्थल हैं। इनमें से प्रमुख हैं बागेश्वर, बलेश्वर, गणेश्वर एवं टपकेश्वर। ये सभी बहुत प्राचीन,

(श्री सुरेश मोदी)

महाभारतकालीन धार्मिक स्थल हैं एवं अरावली की अति मनोरम प्राकृतिक छटा यहां देखते ही बनती है। ऋषि गालव की तपोस्थली यहीं है जहां गर्म पानी का नाला निरन्तर प्रवाहित होता है जिससे स्वत: ही चर्म रोगों का निदान होता है। गूलर के पेड़ के नीचे से लगातार पानी जड़ से प्रवाहित होता है एवं भगवान शिव की प्राचीन मूर्ति पर अर्पित किया जाता है। बरसात के दिनों में इन स्थानों की छटा निहारने हजारों लोग यहां आते हैं परन्तु ऐसे आस्था एवं पौराणिक स्थानों पर उचित व्यवस्था के अभाव में व देखभाल न होने के कारण उन्हें भारी परेशानी होती है। अत: मेरा अनुरोध है कि उक्त चारों स्थानों को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जाए जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिले व सरकार को राजस्व मिले। स्थानीय लोगों को इससे रोजगार मिलेगा व उनकी आमदनी बढ़ेगी।

सरकार ने किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए आवारा पशुओं के लिए नंदीशाला बनाने की घोषणा पिछले बजट में की थी। इनकी स्थापना जल्द से जल्द हो, इसके लिए और बजट दिये जाने की मैं मांग करता हूं।

सरकार ने बजट में घोषणा की कि सरकार किसानों को दिन में दो ब्लाक में बिजली देगी जिससे रात में खेतों में पानी देने के लिए किसानों को परेशान नहीं होना पड़ेगा। मैं सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूं। सरकार ने कुछ जिलों में इसी साल व सीकर में अगले साल से इसे लागू करने की घोषणा की है। मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि सीकर जिले की सर्दी को देखते हुए सीकर जिले की घोषणा का लाभ इसी साल दिया जाए।

महोदय, सरकार किसानों के बिजली के कनेक्शन 2011 की सूची के आधार पर दे रही है। कई लोगों के नाम इस सूची में अधिकारियों की गलतियों की वजह से छूट गये हैं, अत: दुबारा सूची बनवाकर बाकी लोगों को भी, किसानों को बिजली का कनेक्शन दिया जाए, यह मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं।

सरकार ने किसानों के कर्ज माफ किये और अब सरकार नये कर्जे भी किसानों को दे रही है, परन्तु डिफाल्टर किसानों को नया कर्ज नहीं दिया जा रहा है। मैं सरकार से आपके माध्यम से निवेदन करता हूं कि बिना भेदभाव के डिफाल्टर रहे किसानों को भी नया कर्ज दिया जाए। डिफाल्टर किसान अपनी मर्जी से नहीं रहता, कुछ परिस्थितियां ऐसी होती हैं जिनकी वजह से वह कर्ज का भुगतान नहीं कर पाता और डिफाल्टर बन जाता है। उसको बाकी सभी लोगों की तरह से दुबारा कर्ज दिया जाए।

(श्री सुरेश मोदी)

सरकार ने प्रदेश में 200 उच्च माध्यमिक विद्यालयों में अतिरिक्त संकाय और 300 में अतिरिक्त विषय खोले जाने की बजट में घोषणा की है। मैं प्रदेश की आवश्यकताओं को देखते हुए इस संख्या को कम मानता हुआ इसमें बढ़ोतरी करने का आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करता हूं।

अंत में, सभापति महोदय, मैं कहना चाहूंगा कि राजस्थान एक खनिज प्रधान राज्य है और खनिज व्यवसाय ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार देने का बेहतरीन साधन है। सरकार नरेगा के माध्यम से बहुत खर्च करके ग्रामीणों को रोजगार उपलब्ध कराती है। अगर खनन व्यवसाय को संरक्षण दिया जाए और एक ऐसी खनन नीति तैयार की जाए जिससे अवैध खनन पर प्रभावी रोक लगे, वैध खनन की राह आसान हो, उसकी रूकावटें दूर हों तो इसमें कोई शक नहीं कि इससे सरकार का राजस्व बढ़ेगा व ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार मिलेगा, नये उद्योग लगेंगे। आपने मुझे समय दिया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री संजय शर्मा।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा प्रस्तुत 2020-2021 के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपको धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूंगा।

राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट अभिभाषण में सात संकल्पों के साथ इस सदन में बजट को प्रस्तुत किया। जब इस पवित्र सदन में माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा सात संकल्पों के साथ बजट प्रस्तुत किया गया तो राजस्थान की जनता को यह विश्वास हुआ कि जब माननीय मुख्य मंत्री जी संकल्प लेकर बजट को प्रस्तुत कर रहे हैं तो निश्चित रूप से यह बजट जनहित का होगा और आने वाले समय में राजस्थान के हर वर्ग को इस बजट के माध्यम से राहत मिलेगी लेकिन जब राजस्थान की जनता, आम मतदाता माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत पिछले बजट की ओर देखता है और जब वह यह पाता है कि पिछले बजट में जो भी घोषणाएं की गई थीं वे आज तक अमलीजामा भी नहीं पहन पाई हैं तो अपने आपको ठगा-सा और निराश महसूस करता है और विशेष रूप से जब मैं अलवर जिले की बात करूं तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने पिछले बजट में मेडिकल कालेज की डीपीआर बनाने की घोषणा की थी। 2016 में आदरणीय वसुन्धरा राजे जी की सरकार के दौरान उनके नेतृत्व में अलवर में मेडिकल कालेज के लिए जमीन

(श्री संजय शर्मा)

का आबंटन कर दिया गया था और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा हमारे भारत के यशस्वी प्रधान मंत्री आदरणीय नरेन्द्र भाई मोदी को जिन्होंने प्रत्येक जिले में मेडिकल कालेज खुले, उसके लिए नीति में बदलाव किया और 60:40 के रेशो पर प्रत्येक जिले के अंदर मेडिकल कालेज खुले, उसकी उन्होंने घोषणा की। उसी का फलीभूत था कि अलवर शहर के अंदर 60:40 के रेशो में मेडिकल कालेज की घोषणा हुई और 325 करोड़ की राशि मेडिकल कालेज को बनाने के लिए स्वीकृत भी हो गई। माननीय सभापति महोदय, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति यह है कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने यह घोषणा तो की कि 2023 तक राजस्थान में जो 15 मेडिकल कालेज स्वीकृत हुए हैं उनका निर्माण पूर्ण हो जाएगा। माननीय चिकित्सा मंत्री जी अभी लगभग 15-16 दिन पहले अलवर पधारे थे तो आपने अलवर में घोषणा की कि मेडिकल कालेज की शुरुआत अप्रैल माह में हो जायेगी। लेकिन, दो-तीन दिन पहले ही मैंने अख़बार में पढ़ा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने कहा कि जो घोषित मेडिकल कालेज हैं, उनके निर्माण कार्य सितम्बर माह में शुरू हो जाएंगे।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन करना चाहूंगा कि शीघ्र-अतिशीघ्र इन मेडिकल कालेजों का निर्माण काम शुरू हो, जिससे आमजन को राहत मिले। उसके साथ-साथ मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि अलवर में लगभग 15-16 साल से एक शिशु वार्ड को, शिशु चिकित्सालय के रूप में काम में लिया जा रहा है। यह आम जन को भ्रमित किया जा रहा है, भवन बनकर तैयार खड़ा है, उसमें शिशु वार्ड है, लेकिन बाहर एक बोर्ड लगा हुआ है कि ये राजकीय गीतानन्द शिशु चिकित्सालय है और अभी 15-16 दिन पहले जब माननीय चिकित्सा मंत्री जी अलवर पधारे थे तो आमजन की भावनाओं को देखते हुए आपने वहां घोषणा की थी कि शिशु चिकित्सालय पर आने वाले बजट में विचार किया जाएगा। मगर, जब बजट माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने प्रस्तुत किया, उसमें शिशु चिकित्सालय का कहीं भी हवाला नहीं था। मैं आपके माध्यम से माननीय चिकित्सा मंत्री जी यहां मौजूद हैं, माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करूंगा कि बजट भाषण पर जब वे रिप्लाई दें तो उसमें अलवर शहर के अंदर शिशु चिकित्सालय की घोषणा भी करने की कृपा करें। उसके साथ-साथ वैशाली नगर में एक सिटी डिस्पेंसरी देने की कृपा करें। भगवान श्री जगन्नाथ जी के

(श्री संजय शर्मा)

मंदिर के पास जो सिटी डिस्पेंसरी है, उसको सैटेलाइट हास्पिटल में क्रमोन्नत करने की भी माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करें।

माननीय सभापति महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने किसानों की सुरक्षा के लिए, किसानों के हितों की रक्षा के लिए 44 नई स्वतंत्र मण्डियों की घोषणा की। मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा कि वर्ष 2018 में, जब माननीय वसुन्धरा राजे जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया था। उस वक्त तत्कालीन कृषि मंत्री आदरणीय श्री प्रभुलाल जी सैनी ने मांग संख्या 37 पर जो उन्होंने जवाब दिया था उसमें उन्होंने पिड़ावा, डग, मनोहरथाना, पूंगल रोड, नाहरगढ़, चौहटन, धोरीमन्ना, हनुमानगढ़ टाउन, कुम्हेर, भुसावर, सोजत सिटी, अरनोद, मथानियां, जायल, गुलाबपुरा, तिजारा, किशनगढ़बास, बहरोड़, गोविन्दगढ़, अलवर में फूड सब्जी मण्डी और सांगोद, इनकी स्वतंत्र मण्डियों के रूप में घोषणा कर दी थी। उसके साथ-साथ दिनांक 05.04.2018 को मण्डी विभाग द्वारा किशनगढ़ मंडी, बहरोड़ मंडी, तिजारा मंडी के प्रस्ताव मय अधिसूचना के विभाग द्वारा मंगवा लिये गये थे। सरकार परिवर्तन होने के बाद कार्य में थोड़ी धीमी गति हुई लेकिन 03.02.2020 को कृषि उपज मंडी तिजारा, किशनगढ़बास, बहरोड़ को स्थापित करने के आदेश भी वर्तमान सरकार द्वारा जारी कर दिये गये।

मैं आपके माध्यम से सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्री महोदय के श्रीमुख से जायल और 44 स्वतंत्र मंडियों की घोषणा तो करवाई, लेकिन 21 मंडियां तो पूर्व की सरकार द्वारा ही घोषित हो चुकी थीं और अलवर जिले की मैं बात करूं तो तीन मंडियां तो हमारे 3 फरवरी, 2020 को स्थापित भी हो चुकी हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि जिन अधिकारियों ने आपको यह बजट भाषण लिखकर दिया और आपने उनके कहने से यह पढ़ भी दिया, उन अधिकारियों के खिलाफ भी आपको कार्यवाही करनी चाहिए।

माननीय सभापति महोदय, पिछले बजट के दौरान माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने चम्बल का पानी लाने के लिए डीपीआर बनाने की घोषणा की थी और अलवर शहर की जनता के साथ-साथ अलवर जिले की जनता में एक उत्साह का वातावरण आया था कि पानी की जिस समस्या से अलवर जिला जूझ रहा है, निश्चित रूप से चम्बल का पानी आने से, उस समस्या से हमको निजात मिलेगी। लगभग एक साल हो गया है और न तो आज तक डीपीआर

(श्री संजय शर्मा)

बनी है और अगर डीपीआर बनी होगी तो टैक्निकल स्वीकृति भी आई होगी, यदि टैक्निकल स्वीकृत आई होगी तो फाइनेंस की स्वीकृति के लिए भी गई होगी। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री से आग्रह करूंगा कि शीघ्र अतिशीघ्र चम्बल के पानी को अलवर जिले के लिए, अलवर शहर तक लाने के लिए एक समय-सीमा की घोषणा माननीय मुख्य मंत्री जी करें।

माननीय सभापति महोदय, अलवर शहर के अंदर अमृत जलम् योजना के माध्यम से लगभग साढ़े बारह हजार कनेक्शन अप्रैल, 2019 तक जलदाय विभाग को जारी करने थे, लेकिन आज अमृत जलम् योजना का काम पूरा हो चुका है। वह योजना भी विभाग अपनी ओर हैण्डओवर ले चुका है, लेकिन आज तक साढ़े बारह हजार कनेक्शन तो छोड़िये लगभग सौ-डेढ़ सौ कनेक्शन देकर विभाग जान-बूझकर देरी कर रहा है। मैं आपके माध्यम से आग्रह करूंगा कि अमृत जलम् योजना के तहत जो कनेक्शन होने हैं, वे शीघ्र अतिशीघ्र जारी करें क्योंकि सर्दियों में पानी की कमी है तो गर्मियों में किस प्रकार का हाहाकार अलवर शहर में मचेगा। माननीय मुख्य मंत्री जी से आग्रह करूंगा कि आप अपने अधिकारियों को निर्देशित करें कि आमजन को राहत प्रदान करें।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय, यदि हम बिजली की बात करें तो बिजली के दाम बढ़ाने की घोषणा की, दाम नहीं बढ़ाये जाएंगे। कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा पत्र में की थी, लेकिन आपने बिजली के दाम बढ़ाये। बिजली कटौती की बात करें तो मेंटिनेंस के नाम पर आप आये दिन बिजली की कटौती कर रहे हैं, किसानों को प्रताड़ित करने के लिए वीसीआर भरी जा रही है और समझौता समिति में जब वह किसान जाता है तो उसकी कोई सुनवाई नहीं होती। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 72 घंटे के अंदर ट्रांसफार्मर को बदलने की व्यवस्था थी, जले हुए ट्रांसफार्मर को बदलने की व्यवस्था थी, लेकिन आपके शासन में माननीय मुख्य मंत्री महोदय, ट्रांसफार्मर जलने के बाद किसान दर-दर की ठोकरें खाता है और जब तक भ्रष्टाचार के रूप में वह ए.ईएन, जे.ईएन को पैसा नहीं दे दें, तब तक उसको ट्रांसफार्मर नहीं मिलता है। आपने अपनी बजट घोषणा में यह कहा कि किसानों को सुविधा प्रदान करने के लिए तीन चरणों के अंदर दिन में बिजली किसान को मिले, उसकी चिंता राजस्थान सरकार करेगी लेकिन, माननीय सभापति महोदय, अलवर जिले का नवम्बर 2023 में आएगा। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री

(श्री संजय शर्मा)

महोदय से आग्रह करूंगा कि संसाधन आपके पास उपलब्ध हैं, कोई नई लाइन आपको बिछाने की आवश्यकता नहीं है। आप इस प्रकार की व्यवस्था करें कि राजस्थान के सभी किसानों को एक साथ दिन के अंदर बिजली मिले तो निश्चित रूप से राजस्थान का किसान लाभान्वित होगा।

श्री सभापति: समाप्त करें, माननीय सदस्य।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): आपने एक और फिट राजस्थान, हिट राजस्थान की बात की है। बड़ी अच्छी बात है। ओलम्पिक हो, एशियाड हो और साथ-साथ आपके कामनवेल्थ गेम हो, उसमें पदक लाने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहन के रूप में अच्छी राशि मिले, बहुत अच्छी घोषणा है लेकिन गांव में हमारे खिलाड़ियों की प्रतिभा उभरे, उसके लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। शहरों में खिलाड़ियों को अच्छी व्यवस्था मिले, उसके लिए कोई संसाधन उपलब्ध नहीं है। जब हमारी प्रतिभाएं ही नहीं निखरेंगी..

श्री सभापति: समाप्त करें। श्री पदमाराम।

श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): जब खेल नहीं निखरेगा, तो आप किस प्रकार से उनको प्रोत्साहित करेंगे? 'न नौ मन तेल होगा, न राधा नाचेगी'। माननीय सभापति महोदय, मैं आपसे आग्रह करूंगा कि गांव में रहने वाले युवा को, शहर में रहने वाले उस युवा को खेल में आगे बढ़ाने के लिए उसको संसाधन उपलब्ध कराये जाएं। इसके साथ-साथ डीएलसी में जो दस प्रतिशत की कमी आपने की है। इसमें और कमी करने की आवश्यकता है। स्टाम्प ड्यूटी में आपने एक परसेंट बढ़ाया है उसको वापस लीजिए और अलवर के वैशाली नगर में थाना खोलने की माननीय मुख्य मंत्री जी घोषणा करें। पुलिस की जो नफरी है, उसमें 25 प्रतिशत की वृद्धि करें और पुलिस को अत्याधुनिक अस्त्र-शस्त्र से लैस करें। साथ ही साथ अलवर शहर में जो निर्माणाधीन मिनी सचिवालय है, उसके लिए बजट आबंटन की इस बजट में घोषणा करें और मत्स्य विश्वविद्यालय के भवन के निर्माण के लिए भी बजट की स्वीकृति दें, अन्य और अलग बजट दें। आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री पदमाराम।

श्री पदमाराम (चौहटन): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे

(श्री पदमाराम)

2020-21 के बजट भाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए आपको बहुत-बहुत धन्यवाद। सभापति महोदय, राजस्थान के लोक कल्याणकारी मुख्य मंत्री जी ने अल्प संसाधन होते हुए भी सबको साथ में लेकर राजस्थान का विकास कैसे हो, राजस्थान की जनता को खुशहाल कैसे बनाएं, राजस्थान के सभी लोगों की उन्नति कैसे हो, उसको मद्देनजर रखते हुए जो शानदार बजट पेश किया है, इसके लिए मैं इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं।

माननीय सभापति महोदय, पिछले भारतीय जनता पार्टी के कुशासन और आर्थिक कुव्यवस्था के कारण जो हमको विरासत में कर्जा मिला, विरासत में जो पुराना भुगतान करने के लिए मिला उसके कारण आज राजस्थान की आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, उसके उपरांत भी मुख्य मंत्री जी ने शिक्षा हो, चिकित्सा हो, स्वास्थ्य हो, किसान हो, युवा हो, सबको ध्यान में रखते हुए सबको आगे बढ़ाने के लिए जो इस बजट के अंदर प्रावधान किया है, माननीय मुख्य मंत्री जी उसके लिए धन्यवाद के पात्र हैं। माननीय सभापति महोदय, मैं आपकी मार्फत यह बताना चाहूंगा कि नीरोगी राजस्थान के अंदर राजस्थान नीरोगी कैसे हो, राजस्थान का कोई भी व्यक्ति बीमार नहीं हो, उसको सुरक्षित कैसे रखें, इसको मद्देनजर रखते हुए, इन्होंने जो योजना लागू की है, आज जो मिलावटखोरी है, उसको रोकने के लिए हर जिला मुख्यालय पर लैब की स्थापना की है। मिलावटखोर कौन हैं, नकली दवाइयां कौन बना रहा है, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कौन कर रहा है, उनके बारे में मैं माननीय मुख्य मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जांच करें कि ऐसे कौन लोग हैं जो अपने लालच में, अपना धन कमाने के लिए जनता के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। उनके खिलाफ कठोर से कठोर कार्यवाही करने का निवेदन करता हूं। इसके साथ-साथ जो माननीय मुख्य मंत्री जी ने पीएचसी, सीएचसी बढ़ाने की घोषणा की है और बजट में प्रावधान किया है कि जहां भी आवश्यकता होगी, जहां भी मापदंड होंगे वहां पर पीएचसी, सीएचसी बढ़ाई जाएगी। मेरा माननीय चिकित्सा मंत्री जी से निवेदन है कि जहां भी अपनी पीएचसी, सीएचसी है वहां जो डाक्टर हैं, उनको पाबंद करें कि वह समय पर वहां ड्यूटी दे और जो 3 घंटे के बाद में प्राइवेट हास्पिटल में चले जाते हैं और प्राइवेट हास्पिटल वाले लोग, मनुष्य के जीवन के साथ खिलवाड़ करते हैं। अपनी मोटी कमाई कमाने के लिए तरह-तरह की दवाइयां, हलकी क्वालिटी की दवाइयां ज्यादा करके ऐसी दवाइयां देते हैं जिससे जिंदगी भर जब तक वह जीयेगा, तब तक उस दवाई

(श्री पदमाराम)

के नशे का आदी बन जाएगा और जब तक वह दवाई नहीं लेगा तब तक वह स्वस्थ नहीं होगा। इसलिए मेरा निवेदन है कि उनके ऊपर नकेल कसी जाए और जो लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाए। मेरा निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने जो किसानों के लिए, अभी हमारे सामने वाले भाई कह रहे थे किसान विरोधी सरकार है, किसानों के साथ अन्याय कर दिया, नोटबंदी के अंदर 350 किसान खतम हो गए थे, आपका कोई मंत्री, मुख्य मंत्री कभी उसकी सुध लेने के लिए, उसको 5 रुपये भी देने के लिए गया था? लाइन के अंदर कौन खड़ा था? गरीब खड़ा था, मजदूर खड़ा था, किसान खड़ा था कोई उद्योगपति लाइन के अंदर था? (व्यवधान) तकलीफ होगी।

श्री सभापति: बीच में नहीं। माननीय सदस्य।

श्री पदमाराम (चौहटन): राहुल गांधी जी और मोदी जी की माताजी भी खड़े थे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि उद्योगपतियों का जो करोड़ों रुपये काला धन था, वह कैसे सफेद हो गया और जो नोट आए वह नोट कौन -कौनसी क्वालिटी के आए, कहां से आए और नोट आपने कितने छपवाये, उसके अंदर गरीब जनता की गाढ़ी कमाई का कितना धन खर्च हुआ, उसका आज दिन तक कोई हिसाब ही नहीं दे रहा है। क्यों दे हिसाब? कौन पूछने वाला है? हिसाब देने वाला कौन है? जो बात करेंगे, तो आप कहेंगे जो बोलने वाला है वह देशद्रोही है, नहीं बोलने वाला देश भक्त है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री पदमाराम (चौहटन): मेरा आपसे निवेदन है कि किसान हितैषी सरकार में जो पिछले 2016 के अंदर नोटबंदी हुई उस नोटबंदी के अंदर, गुजरात के अंदर, अभी जो माननीय गृह मंत्री हैं और जो पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष थे उन्होंने गुजरात के अंदर 10 दिन तक कोआपरेटिव के बैंक्स खुले रखे और 10 दिन में पूरे नोट चैंज कर दिए। 10 दिन तक उनकी वसूली थी वह जमा करा दी। राजस्थान के किसानों ने ऐसा कौनसा गुनाह किया था कि राजस्थान के एक भी किसान के पुराने नोट जमा नहीं हुए? वह अवधिपार हो गए। (व्यवधान)

श्री चन्द्रभान सिंह आक्या (चित्तौड़गढ़): सभापति महोदय, अमित शाह जी का इस बजट में है क्या?

श्री सभापति: विराजिए।

श्री पदमाराम (चौहटन): अमित शाह जी का इस बजट में नहीं है।

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा। माननीय सदस्य।

श्री पदमाराम (चौहटन): ... पर 8000 करोड़ रुपये का घोटाला हुआ है, गुजरात में। वह कौन थे? (व्यवधान)

श्री सभापति: सदन की कार्यवाही समाप्त करूं? माननीय सदस्य, बोलना है आपको? आप लोगों को बोलना है? बोलना है तो कृपया शांत रहें वर्ना एडजोर्न करता हूं।

श्री पदमाराम (चौहटन): मेरा आपसे निवेदन है कि किसानों के साथ जो अन्याय कर रहे हैं...

श्री सभापति: आप बजट पर बोलिये।

श्री पदमाराम (चौहटन): किसानों पर बोल रहा हूं।

श्री सभापति: बजट पर भी बात कर लीजिए।

श्री पदमाराम (चौहटन): किसानों के लिए पानी की व्यवस्था हो, बिजली की व्यवस्था हो, किसानों को खाद की व्यवस्था हो। अभी जो टिड्डी आई थी, टिड्डी के अंदर जो भारी नुकसान हुआ और अपनी पूरी सरकार ने और किसानों ने मिलकर उनका मुकाबला किया। मेरे क्षेत्र में सात बार आई। यदि हमारे किसान मजबूत खड़े नहीं रहते, हमारे अधिकारी-कर्मचारी खड़े नहीं रहते तो यह पूरे राजस्थान के अंदर फैल जाती और अरबों रुपयों का किसानों का नुकसान होता उसकी कोई सोचने वाला नहीं है। यहां इस सरकार को कोसने के लिए सब तैयार हैं परंतु सेंटर में भी सरकार है। राजस्थान की जनता ने 25 सांसद चुनकर भेजे हैं, एक वर्ड भी किसी ने बोला है? किसान के हित के लिए कोई नयी बात वहां उठी? यहां कौन सा जुल्म हो गया? वह भी करें, सेंटर की बात है तो एक किसान के लिए घड़ियाली आंसू बहाने से कुछ नहीं होता।

दूसरा मेरा निवेदन है कि किसानों को अभी माननीय मुख्य मंत्री जी ने दिन में बिजली देने की योजना की घोषणा की है, वह बहुत सराहनीय है। किसान एक ऐसा है जो देश का पेट भरने के लिए रात-दिन, सर्दी में, गर्मी में मेहनत करता है, उसके उपरांत भी उनको फसल का पूरा मूल्य नहीं मिल रहा है तो मैं आपके मार्फत माननीय मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे यहां कृषि मंडी खोली। अभी माननीय सदस्य कह रहे थे कि कृषि मंडी की घोषणा पहले हो गई थी। पहले उप मंडी की घोषणा थी, अब यह स्वतंत्र

(श्री पदमाराम)

मंडी की घोषणा हो रही है। वहां पर अवार्ड लगेगा, वहां किसानों का माल खरीदा जाएगा, वहां कर्मचारी-अधिकारी की पूरी व्यवस्था होगी इसलिए माननीय मुख्य मंत्री जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं।

सभापति महोदय, दूसरा मेरा आपके मार्फत मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि जो किसानों को आप बिजली दे रहे हो, जिन बीपीएल परिवारों की डिमांड नहीं ली और डिमांड नहीं लेने के कारण वह लोग वंचित रह गए, आज जो कनेक्शन हुए, उसके अंदर घरेलू कनेक्शन के अंदर जो डिमांड भरी हुई है, उनके कनेक्शन हो गए। बीपीएल परिवार के मेरे क्षेत्र में 25000 लोग बाकी रह गए हैं तो माननीय मुख्य मंत्री महोदय और माननीय विद्युत मंत्री महोदय से मेरा निवेदन है कि वंचित परिवारों को बिजली देने के लिए आप नयी योजना लाए और उनको घरेलू कनेक्शन दें। इसके अलावा आवारा पशुओं के लिए पशुपालन केन्द्र, नंदी गौशाला की घोषणा की है और उसके अंदर माननीय मुख्य मंत्री जी ने यह घोषणा की थी कि भामाशाह और सरकार मिलकर करेगी। हमारे बाड़मेर के अंदर हमने नंदी गौशाला घोषित की। आज जो आवारा पशुओं के रूप में अपन सब गौ माता की जय बोल रहे हैं, गौ माता की बात कर रहे हैं, आवारा पशु कहां से आ रहे हैं, कौन आवारा पशु छोड़ रहा है, आवारा पशु की रक्षा क्यों नहीं हो रही है? आवारा पशु के कारण किसानों को कितना फसल का नुकसान हो रहा है, किसानों के साथ अन्याय हो रहा है। कई लोगों की आवारा पशुओं ने हत्या कर दी। इसलिए मेरा निवेदन है...

श्री सभापति: समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): 2 मिनट साहब। आवारा पशुओं के नाम पर जो खिलवाड़ और वोटों की बात करते हैं, यह न करें और सब लोग मिलकर आवारा पशुओं को रोकने की कोशिश करें।

दूसरा मेरा निवेदन है कि अभी दलितों के साथ अत्याचार की बात चली, बिलकुल अन्याय हुआ है और बहुत शर्मसार घटना है अमानवीय घटना है, इनको कड़े से कड़ा दंड दिया जाए। मेरा निवेदन है कि यह करने वाले कौन लोग हैं? अभी जो बड़ी-बड़ी बातें करने वाले लोग कि दलितों के साथ यह हो गया, वह हो गया, बिलकुल सही है, परंतु 2 अप्रैल, 2018 के अंदर किसकी सरकार थी? उस समय दलितों को किस तरह से पशुओं के समान पीट रहे थे। उनके ऊपर गलत मुकदमे लगाए, देशद्रोह के मुकदमे लगाए, उन्होंने कौनसा जुल्म कर दिया?

श्री सभापति: श्री समाराम गरासिया।

श्री पदमाराम (चौहटन): दूसरा मेरा निवेदन है कि इन्होंने जो ऊंट को राज्य पशु घोषित किया, आज ऊंटों की क्या हालत है। आज पूरे प्रदेश में ऊंट फसलों का नुकसान कर रहे हैं। माननीय मुख्य मंत्री जी ने शानदार बजट पेश किया है, सबका ख्याल रखा है। राजस्थान के सभी वर्गों को साथ में लेकर बजट पेश किया है। कम संसाधन होने के बाद भी यह महत्वपूर्ण बजट है, मैं इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं। इनका धंधा है अब चुनाव आने वाले हैं तो लोगों को कैसे गुमराह करें, वोटों को कैसे डाइवर्ट करें। यह वोट की बात करते हैं, यह वोट की राजनीति करते हैं, यह धर्म की राजनीति करते हैं, वह तो अच्छा है लेकिन सामने वाला कोई भी बोले, वह राजनीति कर रहा है।

श्री सभापति: समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री पदमाराम (चौहटन): आपने मुझे समय दिया, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मेरा एक निवेदन है कि मेरे क्षेत्र के अनुसूचित जनजाति के किसानों को कृषि कनेक्शन में प्राथमिकता दें। मैंने यह तीन बार निवेदन किया है, माननीय मुख्य मंत्री जी जब भी रिप्लाई दें, उसमें अनुसूचित जनजाति के कृषि कनेक्शनों का प्रावधान करने की घोषणा करें। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री समाराम गरासिया।

श्री समाराम गरासिया (पिण्डवाड़ा-आबू): सभापति महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने की अनुमति दी, धन्यवाद। सत्ता में बैठे हुए सदस्य अपनी अंतरात्मा से धन्यवाद दे रहे हैं लेकिन आत्मा से तो रो रहे हैं। पहली बार लक्ष्यहीन और दिशाहीन, ऊंट के मुंह में जीरा, इस किताब में क्या लिखा है। अगर पढ़ा हुआ मान लिया जाता तो भी ठीक होता, इस प्रकार से समय खराब नहीं होता। जिस प्रकार से पहला संकल्प नीरोगी राजस्थान, अगर आप गरीबों के लिये चिंता करते, अस्पतालों में भामाशाह कार्ड, सिरोही से आने वाले माननीय सदस्य कह रहे थे कि फोटो लगाया था, फोटो तो अगर आपके मुख्य मंत्री महोदय का लगाया होता तो भी हमें कोई एतराज नहीं था क्योंकि आप सत्ता में हैं और सरकार में हैं। गरीब लोगों के लिये इलाज फ्री हो जाता। बजट में दिया क्या, सिरोही जिले के लिये क्या दिया। सिरोही जिले के जो सदन के सितारे बनकर बैठे हैं और पूरे जिले का ठेका ले रखा है, जबकि दिया क्या है? सिरोही जिले को खजूर, खजूर के लिये वातावरण अनुकूल हो तो खजूर पैदा होते हैं, हमारे तो वैसे भी खजूर खूब हैं। जब आप लोग 2012-13 में सरकार में थे, आप अगर घोषणा करते शहीद स्मारक लिलोरी वर्ली की तो मैं मानता

(श्री समाराम गरासिया)

कि वास्तव में आदिवासियों की हितैषी सरकार है। जिस प्रकार से वहां शहीद स्मारक लिलोरी वर्ली की घोषणा की थी, मुख्य मंत्री अशोक गहलोत जी के साथ में सभी आये थे। वहां पर वोट बैंक की राजनीति करने के लिये आये और शिलालेख लगाया। हमारी पूर्व यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे और जनजाति मंत्री महोदय को धन्यवाद दूंगा कि उसी जगह पर 3 करोड़ 29 लाख का आवासीय जनजाति बालिका छात्रावास बना और उसी जगह पीएचसी अस्पताल 1 करोड़ 85 लाख का बना। ऐसे सरकार काम करती है, घोषणा से मतलब नहीं है। हमारे प्रभारी मंत्री थे राजेन्द्र राठौड साहब, उन्होंने उस समय तीन पीएचसी दी। एक नितोड़ा में 1 करोड़ 85 लाख और झाड़ोली में 1 करोड़ 75 लाख की, आप खाली थोथे वादे करते हैं। इस किताब में जनजाति के लिये कुछ लिखा भी होता तो हम मानते कि वास्तव में दिया है। हमारे कार्यकाल में तीन आवासीय जनजाति बालिका छात्रावास, किसानों की चिंता करने वाली सरकार, अगर किसानों की चिंता करते, किसानों का प्रतिमाह का 833 रुपये का बिल भरते, अगर कम किया होता तो मैं मानता कि वास्तव में किसानों की हितैषी सरकार है। जिस प्रकार से हमारी पूर्ववर्ती सरकार ने बिल नहीं बढ़ाया, आपने यह बिल बढ़ाया और कहते हैं कि हम किसानों की चिंता करने वाले हैं, किसानों की क्या चिंता करोगे। जिस प्रकार से हमारी सरकार ने मेगा हाईवे पर टोल माफ किया, आपने फिर से चालू किया, क्या आप जनता की हितैषी सरकार है?

सिंचाई इर्रिगेशन में देखें तो हमारा बत्तीसा नाला, आपकी घोषणा में लिखा कि हमने किया, वाहवाही लो। अगर सही समय पर काम पूरा नहीं हुआ तो उद्घाटन भी जब हमारी सरकार आयेगी, तब हम करेंगे। हमारी पकी पकाई खिचड़ी पर कम से कम नेम प्लेट तो लिखवाओ, काम तो कम से कम जल्दी करवाओ। सारे आरओबी बन रहे हैं हमारी सरकार में, आपके डेढ़ साल तो गये और अभी दो साल और जाएंगे तब तक हमारी सरकार के काम होने ही मुश्किल हैं। जिस प्रकार से आप कह रहे हो कि हमारा इतना घाटा हुआ किसानों का कर्जा माफ किया और झूठ बोलकर सरकार में आये। झूठ बोला कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे, मैं तो पूर्व यशस्वी मुख्य मंत्री वसुन्धरा जी को धन्यवाद देता हूं, जिन्होंने 50 हजार का कर्ज माफ किया और हर पंचायत मुख्यालय पर जाकर मीटिंग करके सर्टिफिकेट दिया कि आपका कोई कर्ज बाकी नहीं रहेगा। आपने खाली घोषणा की और कहा कि किसानों का कर्ज माफ करने के लिये हम केन्द्र सरकार से मांग करेंगे जब आप कर नहीं सकते

(श्री समाराम गरासिया)
तो फिर कर्ज माफ करने की घोषणा क्यों की कि 1-2 दिन में या 10 दिन में सारा कर्ज माफ करेंगे? मैं तो हमारी पूर्व यशस्वी मुख्य मंत्री और हमारे सभी पूर्व मंत्रियों का धन्यवाद देता हूं जिन्होंने अपने काम इतने जागरूक होकर किये। विधान सभा में बार-बार प्रश्न उठाया जाता है कि पिण्डवाड़ा तहसील में बनास नदी में बजरी खनन होती है, अभी भी कौनसे ट्रक रोके गये हैं, भ्रष्टाचार में बढ़ावा हुआ है। इस प्रकार का भ्रष्टाचार पिण्डवाड़ा तहसील में रेवेन्यू विभाग में मैंने पहली बार देखा है। जमीन तरमीम करनी है तो लाख रुपये लाओ, लोग कहां से पैसा लाये। नगरपालिका में भी एक अधिशासी अधिकारी को हटाने के लिये सभी दलों के लोगों ने बैठकर धरना दिया, तब जाकर वह हटा। इस तरह से धरने देने की आवश्यकता पड़ती है।

सभापति महोदय, मैं निवेदन करना चाहता हूं कि सरकार इस तरह के भ्रष्टाचार को रोके। हम फोन करते हैं कि इनका तरमीम करो, कहते हैं कि देखते हैं, कर लेंगे और बाद में आदमी वहां जाता है तो कहते हैं कि एमएलए के कहने से करेंगे क्या। हमारा तो कोई और एमएलए है, हम तो उनकी बात मानेंगे। इस प्रकार का षड्यंत्र हमारे पिण्डवाड़ा तहसील में हो रहा है। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैं तो हमारे पूर्व मंत्री ओटाराम देवासी को धन्यवाद देना चाहूंगा, जो सिरोही शिवगंज में काम हुआ है, अगर उनके पांच साल की इनके पचास साल से तुलना करो, एक रुपया भी ज्यादा हो तो मैं राजनीति से त्याग पत्र दे दूंगा। मेरे विधान सभा क्षेत्र पिण्डवाड़ा में तुलना करें कि वास्तव में 2003 से 2008 तक जो काम हुए और 2013 से 2019 तक जो काम हुए, मैं दावे के साथ कहता हूं अगर हमारे से ऊपर काम हो जाये, साढ़े सात हजार करोड़ का रतलाम वाला रोड का काम भी प्रगति पर है। इस प्रकार के हमारी सरकार ने काम किये हैं।

दूसरा संकल्प महिला बाल विकास, इसमें क्या दिया है। इन्होंने एक प्रश्न उठाया था कि कालेज में एक ने आत्महत्या की, सरकार ने घोषणा की थी पैराटीचर्स और शिक्षाकर्मियों को हम स्थाई करेंगे, पैसों की तंगी से वह मरा था। सभापति महोदय, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि सरकार कम से कम इस बारे में चिंता करे। अभी तो आत्महत्या करना शुरू हुए हैं, और लोग मरे नहीं, किसान आत्महत्या नहीं करे, इसलिए मैं आपसे निवेदन करता हूं कि आपका यह बजट खाली छपा है, थोथी घोषणा है। इसमें कुछ भी नहीं दिया गया है, मात्र घाटा ही घाटा है, कुछ नहीं है। मैं इसकी पुरजोर निंदा करता हूं। वास्तव में ऐसा बजट हमने कभी देखा नहीं है। मैं इसकी निंदा करता हूं।

श्री सभापति: श्री लाखन सिंह।

श्री लाखन सिंह (करौली): माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा कि ऐसा जोरदार बजट और ऐसा शानदार बजट राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री जी ने पेश किया है। यह बजट महिलाओं, युवाओं, वृद्धजनों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, ओबीसी, अल्पसंख्यक और अति पिछड़े हुए जनरल के भाइयों, किसानों और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को समर्पित बजट है। इस बजट के अंदर उस कमजोर वर्ग को और समाज के उस अंतिम छोर पर बैठे व्यक्ति को फायदा देने की कोशिश की गयी है। वह चाहे मजदूर हो, चाहे खेत में काम कर रहे किसान हों, उन सभी को समर्पित यह बजट है। उस कमजोर आदमी को ताकत देने की दिशा में एक सार्थक कदम है। इसके लिए मैं बार-बार मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

माननीय सभापति महोदय, जिस तरह से चिकित्सा में नीरोगी राजस्थान की बात चल रही है। हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय और चिकित्सा मंत्री जी ने जिस तरह से इसमें जनता क्लीनिक योजना, पीएचसी, सीएचसी, निःशुल्क दवा, निःशुल्क जांच देने की बात की है। जो गरीब, किसान या कमजोर वर्ग का व्यक्ति है, जिसके पास खाने को दाना नहीं है, जिसकी जेब में दवा लेने के लिए दस रुपये नहीं हैं, उनके लिए यह अमृत काम है, इसके लिए उनकी आत्मा हमेशा मुख्य मंत्री जी और चिकित्सा मंत्री जी को धन्यवाद देती है। आयुर्वेद चिकित्सा भी बहुत जरूरी है। हर पंचायत हैडक्वार्टर पर आयुर्वेद चिकित्सालय खोलने के लिए सरकार जो काम करने जा रही है, वह भी एक सराहनीय कार्य है। कुछ जगह आयुर्वेद औषधालय खोल दिये गये हैं। पशु चिकित्सालय भी खोले गये हैं, उप केन्द्र भी खोले गये हैं। यह सरकार का एक सराहनीय कार्य है कि व्यक्ति को अपने गांव और पंचायत हैडक्वार्टर पर पशुओं के लिए निःशुल्क दवा भी मिल सकती है और पशुओं का उपचार भी किया जाता है। भारत कृषि प्रधान देश है, पशुपालन से ही जीवन चलता है।

मैं यह कहना चाहता हूं कि हमारे विधान सभा क्षेत्र करौली में एक नया हास्पिटल मण्डरायल रोड पर संचालित किया गया है, जो कि शहर से काफी दूर है। शहर में जो पुराना हास्पिटल है, उस पुराने हास्पिटल को सैटेलाइट हास्पिटल में तब्दील किया जाए, यह मेरा मुख्य मंत्री जी और मंत्री जी से निवेदन है। ग्राम कोटड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पीएचसी) खोलने की कृपा करें और शेरपुर में पीएचसी से सीएचसी में क्रमोन्नत किया जाए।

(श्री लाखन सिंह)

माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्री महोदय से आग्रह करना चाहता हूं कि किसान व छात्रों के हित में जिला हैडक्वार्टर पर कृषि महाविद्यालय खोला जाए एवं मासलपुर में राजकीय महाविद्यालय स्वीकृत किया जाए। करौली जिले को चंबल का पानी देने के लिए इस बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है, जबकि यहां पर पीने के पानी की विकट समस्या है। चंबल का पानी पांचना बांध जगह तक लाया जाए, क्योंकि यह पथरीला इलाका है एवं डांग क्षेत्र है। जल स्तर नीचे चला गया है। पानी की बहुत समस्या है, इसलिए मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है कि बजट में चंबल के पानी के लिए कुछ दिया जाए।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि करौली जिला मुख्यालय पर 13 दिसम्बर, 2012 को करौली रोडवेज डिपो केन्द्रीय बस स्टैण्ड स्वीकृत हुआ था, उस समय कांग्रेस की सरकार थी। लेकिन जैसे ही बीजेपी की सरकार आयी, इस डिपो को बंद कर दिया और यहां का संचालन भी बंद कर दिया और हिण्डौन से संचालन चालू किया है। इसलिए मंत्री जी और मुख्य मंत्री जी से निवेदन करता हूं कि इसका संचालन करौली से किया जाए। मासलपुर स्टोर मार्केट के बारे में कुछ प्रबंध किया जाए, जिससे इस करौली क्षेत्र को पिछड़ेपन से छुटकारा मिल सके, इसके लिए भी विशेष बजट दिया जाए।

किसानों को खेत के समीप कृषि उपज विपणन की सुविधा प्रदान करने के लिए नयी स्वतंत्र मण्डी करौली में स्थापित की जाएगी।

जल जीवन मिशन योजना के प्रथम चरण में 2020-21 में 16 जिले लिये गये हैं, इन 16 जिलों में करौली भी है। 30 परियोजनाओं के कार्य प्रारम्भ किये जाएंगे। करौली जिले में पेयजल हेतु विशेष पैकेज दिया जाए और इस योजना के लिए भी मुख्य मंत्री जी को भी बहुत-बहुत धन्यवाद। इस कार्य पर लगभग 1 हजार 350 करोड़ रुपये का व्यय संभावित है।

अगले वर्ष में करौली जिला मुख्यालय पर 30 करोड़ रुपये की लागत से टाउनहाल बनाया जाएगा, उसके लिए भी बहुत-बहुत धन्यवाद।

करौली जिला मुख्यालय पर शहीद स्मारक बनाया जाना प्रस्तावित है।

हिण्डौन, करौली में भी औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना की संभावना तलाशी जाएगी एवं इस क्षेत्र में स्थापित होने वाली इकाइयों को विशेष पैकेज दिया जाएगा। अगर ऐसा होता है तो हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, उनके लिए रोजगार मिल जाएगा और यह भी एक बहुत सराहनीय कार्य है।

(श्री लाखन सिंह)

बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जो 66 कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय खोले जा रहे हैं, उसमें करौली जिला हैडक्वार्टर पर खोला जाए, यही मेरा मुख्य मंत्री जी से निवेदन है। प्रत्येक ब्लाक मासलपुर, हिण्डौन और श्रीमहावीर जी में एक-एक इंग्लिश मीडियम महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है। यह जो कार्य किया गया है कि पैसे वालों के बच्चे तो प्राइवेट स्कूलों में इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, लेकिन यह बहुत ही सराहनीय कार्य है, गरीब के लिए है कि उनके बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकते हैं, इसके लिए जो गरीब तबके के लोग हैं, वे मुख्य मंत्री जी को बार-बार धन्यवाद देते हैं।

राजस्थान कृषि क्षेत्र में सोलर पम्पों की स्थापना में देश में प्रथम स्थान पर है। कृषि में सौर ऊर्जा के प्रयोग की अपार संभावनाओं को देखते हुए वर्ष 2020-21 में 25 हजार सोलर पम्प लगाए जाएंगे, जिससे 267 करोड़ रुपये खर्च होंगे। प्रदेश के महाविद्यालयों में विद्यार्थियों को आफलाइन, आनलाइन वीडियो लैक्चर की सुविधा के लिए राजीव गांधी ई-कंटेंट बैंक की स्थापना की जाएगी, जिसमें कालेज शिक्षकों द्वारा दिये गये लैक्चर को रिकार्ड किया जाएगा एवं इसके माध्यम से विद्यार्थियों को भविष्य में निरन्तर क्वालिटी एजुकेशन मुहैया करायी जाएगी। प्रत्येक जिला मुख्यालय पर चिह्नित शहरी क्षेत्र को ग्रीन एनर्जी सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा। इस क्रम में आगामी पांच वर्षों में 300 मेगावाट के रूफ टॉप सोलर सिस्टम स्थापित किये जाएंगे।

सभी जिलों में दिन में दो ब्लाक में कृषि विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित की जाएगी। गांवों में जो किसान हैं, रात को बिजली दी जाती है, कई किसान तो रात को ही मर जाते हैं। इसलिए यह एक बहुत सराहनीय कार्य है कि उनको दिन में बिजली देने का कार्य आदरणीय मुख्य मंत्री जी ने किया है। इसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।

मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि हमारे यहां पर जिस तरह से ईस्टर्न कैनाल प्रोजेक्ट लिया गया है, वह 37,500 करोड़ रुपये का है। इसकी जो डीपीआर बनायी गयी है, वह इस तरह से बनायी गयी है कि ऊपर से पानी नीचे ले जाया जा रहा है और नीचे से फिर ऊपर कैसे आयेगा, इसलिए इसकी डीपीआर में संशोधन करना बहुत जरूरी है।

हमारा युवा बेरोजगार होता जा रहा है। सबसे बड़ा कारण है कि

(श्री लाखन सिंह)

एस.टी., एस.सी., ओ.बी.सी. को जो आरक्षण दिया जा रहा है, उनकी नौकरियों में कमी आने लग गयी है। बेरोजगार बेकार घूमने लग गये हैं। इसका सबसे बड़ा कारण है कि जो गवर्नमेंट सैक्टर हैं, उन्हें प्राइवेट में बेचना शुरू कर दिया है। जब से देश में बीजेपी की सरकार आयी है, सुनने में आ रहा है कि बीएसएनएल बेच दिया, रेलवे को बेचने जा रहे हैं, एयर इंडिया बेच दिया है, एल.आई.सी. बेच दी है। ये सारे बेचने जा रहे हैं। इसलिए मेरा भी यह निवेदन है कि अगर इस तरह से बेच दिया तो सारा युवा बेरोजगार हो जाएगा और देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब हो जाएगी और युवा बेकार घूमने लग जाएगा। बस, समय खतम हो गया, इसलिए धन्यवाद। जय हिन्द। जय भारत।

श्री सभापति: सदन की बैठक मंगलवार, दिनांक 25 फरवरी 2020 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 19.59 बजे मंगलवार, 25 फरवरी 2020 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

फलौदी में धार्मिक स्थलों को पर्यटन स्थल घोषित करने की कार्ययोजना

169. श्री पब्बाराम (फलौदी): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में कौन-कौन से पौराणिक, ऐतिहासिक एवं धार्मिक स्थल हैं तथा इनको पर्यटन स्थल घोषित करने की क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार खींचन एवं जाम्बा को पर्यटन स्थल घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में फलौदी किला, हवेलियां इत्यादि का पर्यटक स्वरूप निखारने तथा धरोहर के संरक्षण व विकास के लिए मास्टर प्लान बनाया गया है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फलौदी में फलौदी फोर्ट, लटियाल माता मंदिर, पार्श्वनाथ जैन मंदिर, जाम्बा ग्राम स्थित जाम्बा जी का मंदिर व तालाब, रानीसर झील व मंदिर, खींचन ग्राम स्थित कुरजा प्रवास स्थली व खींचन तथा फलौदी की हवेलियां आदि ऐतिहासिक एवं धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल हैं।

पर्यटन विभाग में स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है। स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

(2) पर्यटन विभाग में स्थल विशेष को पर्यटक स्थल घोषित करने का प्रावधान नहीं है। स्थल विशेष पर्यटकों की आवाजाही से स्वत: ही पर्यटक स्थल बन जाता है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र फलौदी में फलौदी किला, हवेलियां इत्यादि का पर्यटन मास्टर प्लान नहीं बनाया गया है। परिवर्तित बजट वर्ष 2019-20 में बजट घोषणा संख्या 154 अन्तर्गत प्रदेश स्थित 09 ऐतिहासिक स्मारकों के संरक्षण कार्य करवाये जाने की तीन वर्षीय कार्ययोजना बनाई गई है, जिसमें फलौदी दुर्ग भी सम्मिलित है। फलौदी दुर्ग के संरक्षण कार्यों हेतु पुरातत्व एवं संग्रहालय विभाग द्वारा राशि रुपये 374.00 लाख स्वीकृत कर दिनांक 11.02.2020 को कार्यादेश जारी कर दिये गये हैं।

ब्यावर को जिला बनाने की कार्ययोजना

170. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश मे नये जिले बनाने हेतु सरकार द्वारा गठित कमेटी ने रिपोर्ट दे दी है? यदि हां, तो क्या उक्त कमेटी की रिपोर्ट में ब्यावर भी सम्मिलित है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार ब्यावर को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। समिति अध्यक्ष द्वारा 2018 में सरकार को एक रिपोर्ट प्रस्तुत की है किन्तु केवल समिति के अध्यक्ष के हस्ताक्षर से रिपोर्ट प्राप्त है, अन्य सदस्यों के हस्ताक्षर नहीं हैं।

(2) राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.5(64)सीओआई/सम/डीईएस/2019/पार्ट-1/1160 दिनांक 15.10.2019 द्वारा लेख है कि दिनांक 31.12.2019 के पश्चात् राज्य में जिलों, तहसीलों, कस्बों एवं ग्रामों के प्रशासनिक क्षेत्राधिकार सीमाओं में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं किया जाये, जब तक कि 2021 की जनगणना का कार्य पूर्ण नहीं हो जाता।

उदयपुर जिले में संचालित जनजाति छात्रावासों में रिक्त पद

171. श्री धर्मनारायण जोशी (मावली): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला उदयपुर में अनुसूचित जनजाति के छात्र-छात्राओं हेतु छात्रावास कहां-कहां पर हैं और उनमें छात्र-छात्राओं की संख्या कितनी है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त छात्रावासों के लिये कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं?

(3) क्या उक्त छात्रावासों में भोजन की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता जांच की कोई व्यवस्था है? क्या किसी छात्रावास के भोजन की गुणवत्ता में कोई कमी पाई गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विभाग द्वारा उदयपुर जिले में अनुसूचित जनजाति के छात्र-

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

छात्राओं के छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों व उनमें रहने वाले छात्र-छात्राओं की संख्या का विवरण निम्नानुसार है। छात्रावास एवं आवासीय विद्यालयों की सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग

क्र.सं.	संचालित छात्रावासों एवं आवासीय विद्यालयों की संख्या	प्रवेशित छात्र/छात्राओं की संख्या
1	82	4960
2	6 आवासीय विद्यालय	1487

(2) जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा संचालित उदयपुर जिले के छात्रावासों में स्वीकृत पदों व रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र.सं.	स्वीकृत पद		रिक्त पदों की संख्या	
	वार्डन	कोच	वार्डन	कोच
1.	82	42	14	35

(3) जनजाति विकास विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में नियमित रूप से उच्च अधिकारियों द्वारा व छात्रावास अधीक्षक द्वारा भोजन की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता की जांच की जाती है। छात्रावास में मेस कमेटी का गठन किया हुआ है। मेस कमेटी के अध्यक्ष व सदस्यों द्वारा भी भोजन की पौष्टिकता एवं गुणवत्ता की जांच की जाती है। विभाग द्वारा छात्रावासों हेतु खाद्य सामग्री हेतु उच्च क्वालिटी की सामग्री उपभोक्ता भण्डार से क्रय की जाती है जिनकी गुणवत्ता उच्च क्वालिटी की होती है। किसी छात्रावास की भोजन की गुणवत्ता में कोई कमी प्राप्त होने की शिकायत लिखित में प्राप्त नहीं हुई है। छात्रावासों में शिकायत पेटी भी लगाई गई है। गुणवत्ता सुनिश्चित करने हेतु समय-समय पर निरीक्षण कर यदि तथ्य सामने आते हैं, तो उनका तत्समय निराकरण कराया जाता है। छात्रावासों में उपभोक्ता भण्डार से खाद्य सामग्री खरीदने हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन निम्नानुसार किया गया है:-

(राज्य मंत्री, जनजाति क्षेत्रीय विकास)

जिला कलेक्टर	अध्यक्ष
परियोजना अधिकारी, टीएडी	सदस्य सचिव
कोषाधिकारी कोष कार्यालय	सदस्य
अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी, टीएडी	सदस्य
प्रधानाचार्य, विभागीय आवासीय विद्यालय **(**कोई एक**)**	सदस्य
सचिव, क़षि उपज मण्डी	सदस्य

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

सांगोद के राजकीय महाविद्यालय में शहीद की मूर्ति की स्थापना

172. श्री भरत सिंह कुन्दनपुर (सांगोद): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जिला कोटा के सांगोद राजकीय महाविद्यालय का नाम शहीद हेमराज मीणा के नाम रखा गया है? यदि हां, तो क्या इसकी सूचना प्राचार्य राजकीय महाविद्यालय सांगोद को दे दी गई है?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त महाविद्यालय में शहीद हेमराज मीणा की मूर्ति स्थापित करवाने का प्रस्ताव सरकार के समक्ष विचाराधीन है? यदि हां, तो उक्त में विलम्ब के क्या कारण हैं?

(3) क्या यह भी सही है कि कहीं भी मूर्ति स्थापित करने के लिए सरकार की अनुमति लेना आवश्यक है? यदि हां, तो विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(3) जी हां। राजकीय महाविद्यालयों में मूर्ति/प्रतिमा स्थापना के संबंध में दिशा-निर्देशों का विवरण परिशिष्ट-01 पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

टोंक जिला मुख्यालय पर पंजीकृत औद्योगिक इकाइयां

173. श्री हरीश चन्द्र मीना (देवली-उनियारा): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला मुख्यालय टोंक में कितनी औद्योगिक इकाइयां पंजीकृत हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितनी औद्योगिक इकाइयां कार्यरत हैं व कितनी इकाइयां कब से, किन-किन कारणों से बंद हैं एवं उनमें कितने मजदूर कार्यरत थे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार उक्त बंद इकाइयों को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला टोंक मुख्यालय पर 762 इकाइयां पंजीकृत हैं। सूची परिशिष्ट "अ" पर संलग्न है।

(2) जिला टोंक मुख्यालय पर 712 इकाइयां कार्यरत हैं तथा औद्योगिक क्षेत्र टोंक की 50 इकाइयां बन्द हैं जिनमें 655 मजदूर कार्यरत थे। उक्त इकाइयां आर्थिक कारणों से लगभग 3 से 10 वर्षों से बन्द हैं। सूची परिशिष्ट "ब" पर संलग्न है।

(3) बंद पड़े उद्योगों को चालू करने अथवा नहीं करने का निर्णय स्वयं उद्यमी द्वारा उद्योगों की आर्थिक व्यवहार्यता (Economic viability) के आधार पर लिया जाता है। राज्य में बंद हुए उद्योगों को पुन प्रारम्भ करने के इच्छुक उद्यमियों को राज्य सरकार समय-समय पर घोषित योजनाएं यथा The Rajasthan MSME Policy, 2015 के अन्तर्गत विभिन्न रियायतें/सुविधायें देकर एक मददगार (Facilitator) के रूप में कार्य करती है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सभी उद्योगों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 19.12.2019 को, मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना-2019 लागू की है। इसके माध्यम से सरकार ब्याज में छूट देकर उद्योगों को लाभान्वित करती है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

केन्द्र सरकार से समेकित बाल संरक्षण योजना के अन्तर्गत आबंटित राशि

174. श्री गुलाब चन्द कटारिया (नेता, प्रतिपक्ष): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

(1) समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत राज्य निदेशालय को केन्द्र सरकार के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 से अब तक कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में आबंटित की गई? आबंटित राशि का वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त आबंटित राशि का मदवार व वर्षवार किन-किन मदों में व्यय किया गया? व्यय राशि का वर्षवार व मदवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त आबंटित राशि में से कितनी राशि जिला बाल संरक्षण इकाई को किस-किस मद के लिये कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई तथा किस-किस मद में व्यय की गई? वर्षवार व जिलेवार आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त आबंटित राशि में से कितने जिले बाल संरक्षण इकाई द्वारा कौन-कौन सी गतिविधियां जिले में आयोजित की गयीं तथा कितनी-कितनी राशि किस-किस मद में आबंटित कर व्यय की गई? वर्षवार जिलेवार आबंटित राशि व व्यय राशि का विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त आबंटित राशि में से कितने Shelters homes कहां-कहां खोले गये? इनके लिये किस-किस मद के लिये कितनी-कितनी राशि आबंटित की गई तथा किस-किस मद में व्यय की गई? आबंटित राशि व व्यय राशि का वर्षवार व संस्थावार विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत निदेशालय को केन्द्र सरकार के मंत्रालय द्वारा वर्ष 2012-13 से अब तक प्राप्त राशि का वर्षवार व मदवार विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) उक्त आवंटित राशि का मदवार व वर्षवार व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है।

(3) उक्त आबंटित राशि में से जिला बाल संरक्षण इकाई को आबंटित राशि का मदवार, वर्षवार व जिलेवार विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जिला बाल संरक्षण इकाइयों द्वारा आयोजित की जाने वाली विभिन्न गतिविधियां यथा जिला बाल संरक्षण इकाइयां (डीसीपीयू), राजकीय सम्प्रेक्षण एवं किशोरगृह एवं बालिका गृह, राजकीय दत्तक ग्रहण एजेन्सी, गैर

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

राजकीय संस्थाओं द्वारा संचालित बालगृह, आश्रय गृह तथा दत्तक ग्रहण एजेन्सी, बाल कल्याण समितियां व किशोर न्याय बोर्ड पर व्यय की गई राशि का विवरण परिशिष्ट-स पर वर्षवार व जिलेवार संलग्न है।

(5) भारत सरकार से प्राप्त स्वीकृति के अनुसार वर्ष 2019-20 में जिलेवार संचालित शेल्टर होम का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं.	ओपन शेल्टर का नाम व पता	जिला
1	त्रिमूर्ति सोसायटी यूनिट प्रथम	जयपुर
2	त्रिमूर्ति सोसायटी यूनिट द्वितीय	जयपुर
3	जन कला साहित्य मंच (बालक)	जयपुर
4	इण्डियन इंस्टीट्यूट आफ डाटा इन्टरप्रेटेशन एण्ड एनेलेसिस	जयपुर
5	जन कला साहित्य मंच	बांसवाड़ा
6	सवेरा संस्थान	जैसलमेर
7	श्री आसरा विकास संस्थान	उदयपुर
8	मनु सेवा संस्थान बालक	उदयपुर
9	मनु सेवा संस्थान बालिका	उदयपुर
10	उत्कर्ष संस्थान	कोटा
11	मुस्कान महिला ग्रामीण विकास एवं तकनीकी प्रशिक्षण संस्थान	डूंगरपुर
12	श्री आसरा विकास संस्थान	चित्तौड़गढ़
13	तेजस्विनी महिला एवं जनकल्याण समिति	बूंदी
14	एवरेस्ट शिक्षण समिति	झालावाड़
15	उदित शिक्षण एवं शोध संस्थान	भरतपुर
16	झुंझुनूं जिला पर्यावरण सुधार समिति	झुन्झुनूं
17	दिशा फाउण्डेशन	भरतपुर
18	टैगोर शोध एवं विकास समिति	बूंदी
19	मर्सी रिहेबिलाईटेशन सोसायटी	सवाई माधोपुर
20	बहु उद्देश्य आरोग्य सेवा समिति	प्रतापगढ़
21	एवरेस्ट शिक्षण समिति	भीलवाड़ा

(सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री)

आबंटित राशि व व्यय राशि का वर्षवार संस्थावार विवरण परिशिष्ट द पर संलग्न है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अलवर के राजकीय नर्सिंग कालेज में स्थायी शिक्षकों की नियुक्ति

175. श्री संजय शर्मा (अलवर शहर): क्या चिकित्सा शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में स्थित राजकीय नर्सिंग कालेज में स्थाई शिक्षकों के पद सृजित ही नहीं किए गए हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजकीय नर्सिंग कालेज में स्थाई शिक्षकों के पद सृजित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजकीय नर्सिंग कालेज में जितने भी शिक्षक हैं वो सामान्य चिकित्साल्य से प्रतिनियुक्ति पर लगे हुए हैं? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में स्थित राजकीय नर्सिंग कालेज में सृजित स्थाई शिक्षकों के रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप-3) विभाग के आदेश क्रमांक एफ.25(59)चिस्वा/ग्रुप-3/पार्ट-2009 पार्ट-1 दिनांक 05.07.2012 के द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2009-10 के बिन्दु संख्या 57 की क्रियान्विति हेतु स्ववित्त पोषित योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित नर्सिंग कालेज, अलवर के संचालन की स्वीकृति हेतु राज्य सरकार द्वारा मशीनरी एवं उपकरण, कम्प्यूटराइजेशन एवं निर्माण कार्य हेतु क्रमश: राशि 10.00 लाख, 5.00 लाख एवं 468.62 लाख रुपये एकबारीय इस शर्त के साथ दी गयी थी कि राज्य सरकार द्वारा वर्तमान एवं भविष्य में कोई राशि उपलब्ध नहीं करायी जायेगी। उक्त कालेज के संचालन हेतु आवश्यक प्रति माह होने वाले व्ययों को संबंधित मेडिकल रिलीफ सोसायटी के द्वारा अपने स्वयं के स्रोतों से प्राप्त आय से किया जायेगा। उक्त

(चिकित्सा शिक्षा मंत्री)

नर्सिंग कालेज स्ववित्तपोषित योजना के अन्तर्गत खोला गया था। अत: इसमें स्थायी शिक्षकों के पद सृजित नहीं किये गये हैं।

(2) जी नहीं।

(3) जी हां। विधान सभा क्षेत्र अलवर शहर में स्थित नर्सिंग कालेज में सभी शिक्षक सामान्य चिकित्सालय, अलवर एवं जीएनएम ट्रेनिंग सेन्टर, अलवर से कार्य व्यवस्था के तहत लगाये गये हैं। नर्सिंग शिक्षक लगाने का उद्देश्य संस्था का सुचारु संचालन करना एवं स्ववित्त पोषित योजना में राहत देना है। नर्सिंग कालेज में कार्य व्यवस्था के तहत कार्मिकों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(4) जी नहीं। राज्य सरकार के आदेश एफ/25(59)चिस्वा(ग्रुप-3)/2009 पार्ट-1 दिनांक 05.07.2012 के आदेशानुसार रेकरिंग व्यय हेतु भविष्य में कोई खर्चा राज्य सरकार द्वारा नहीं किया जायेगा, वर्णित किया गया है। अत: पदों का सृजन किया जाना विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

किशनगढ़ के पर्यटन स्थलों का विकास

176. श्री सुरेश टाक (किशनगढ़): क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में विगत तीन वर्षों में पर्यटन विकास की दृष्टि से क्या-क्या कार्य कहां-कहां व कितनी राशि के कराये गये? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में पर्यटन स्थलों के विकास की दृष्टि से किस-किस पर्यटन स्थल को विकसित करने का विचार रखती है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में गत तीन वर्षों में विभाग द्वारा राज्य योजनान्तर्गत राशि रुपये 41.91 लाख व्यय कर सिलोरा स्थित पीताम्बर की गाल के जीर्णोद्धार कार्य एवं राशि रुपये 20.49 लाख व्यय कर दादू दयाल मंदिर, करडला, अजमेर के जीर्णोद्धार एवं विकास कार्य कराये गये हैं।

(2) विधान सभा क्षेत्र किशनगढ़ में पर्यटन स्थलों के विकास हेतु पर्यटन विभाग में वर्तमान कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(पर्यटन मंत्री)

विभाग में बजट उपलब्धता एवं प्राथमिकता के आधार पर विकास कार्यों हेतु युक्तियुक्त निर्णय लिया जाता है।

रतनगढ़ में पट्टे देने की योजना

177. श्री अभिनेश महर्षि (रतनगढ़): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के विभिन्न ग्रामों में लम्बे समय से गोचर भूमि में पक्के निर्माण कर निवास कर रहे लोगों को पट्टे जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

चरागाह भूमि पर अतिक्रमण को हटाने हेतु विभिन्न न्यायालयों द्वारा निर्देश दिए गए हैं किन्तु फिर भी पत्र दिनांक 20.05.2019 एवं 10.07.2019 के द्वारा समस्त जिला कलेक्टरों से चरागाह पर आवासीय प्रयोजनार्थ अतिक्रमण के संबंध में सूचना मंगवाई गई है ताकि समस्या के समाधान हेतु गुणावगुण के आधार पर उचित निर्णय लिया जा सके।

जिला कलेक्टर, चूरू से प्राप्त सूचना अनुसार वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ में अतिक्रमित गोचर भूमि पर आबादी विस्तार हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्रों की सूचना शून्य है।

रेवदर के जनजाति क्षेत्र में कार्यकारी संस्थाओं के माध्यम से आधारभूत कार्य

178. श्री जगसी राम (रेवदर): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रेवदर के जनजाति क्षेत्र में विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं के माध्यम से आधारभूत सुविधाओं यथा सड़क, विद्युतीकरण, पेयजल, छात्रावास भवन निर्माण विद्यालय भवन निर्माण, सामुदायिक भवन निर्माण, जनजाति क्षेत्र में राजकीय विद्यालयों में कक्षा-कक्ष, लेबोरेट्री एवं अन्य आधारभूत सुविधाओं के विकास तथा चिकित्सा संस्थानों के भवन निर्माण एवं सुदृढ़ीकरण इत्यादि के कार्य जनवरी 2019 से जनवरी 2020 की अवधि के दौरान लम्बित हैं? यदि हां, तो क्यों? प्रत्येक कार्यकारी संख्यावार अधूरे लक्ष्यों, अपूर्ण कार्यों की सूची सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र रेवदर में जनजाति क्षेत्रीय विकास विभाग द्वारा वर्ष 2017-18 में राशि रु. 350.12 लाख से सेठ मंगल चन्द्र चौधरी राजकीय महाविद्यालय, आबूरोड में जनजाति कन्या छात्रावास का निर्माण कार्य स्वीकृत किया गया था।

जनवरी, 2019 से जनवरी, 2020 की अवधि के दौरान उक्त स्वीकृत निर्माण कार्य कार्यकारी एजेन्सी सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा पूर्ण कर लिया गया है। कार्यकारी एजेन्सी द्वारा लाइट फिटिंग का कार्य पूर्ण कराये जाने पर विभाग द्वारा हैण्डओवर/टेकन ओवर की कार्यवाही की जायेगी।

इसके अतिरिक्त अन्य कोई कार्य अपूर्ण नहीं है।

खानपुर के बकानी में महाविद्यालय की स्थापना

179. श्री नरेन्द्र नागर (खानपुर): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या सरकार उच्च शिक्षा व बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने हेतु विधान सभा क्षेत्र खानपुर के बकानी तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

खानपुर विधान सभा क्षेत्र में सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय, खानपुर संचालित है।

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर यथासमय खानपुर विधान सभा क्षेत्र के बकानी तहसील मुख्यालय पर राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

बन्द पड़ी औद्योगिक इकाइयों का पुनः संचालन

161. श्रीमती इन्द्रा (बामनवास): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) प्रदेश में वर्तमान में वृहद्, मध्यम एवं लघु श्रेणी की कितनी औद्योगिक इकाइयां संचालित हैं? पृथक्-पृथक् संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्तमान में उक्त इकाइयों में से कितनी इकाइयां चालू हैं और कितनी इकाइयां बंद एवं रुग्ण स्थिति में हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बंद पड़ी एवं रुग्ण औद्योगिक इकाइयों को पुन: प्रारम्भ करवाने के लिए कोई कार्ययोजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) प्रदेश में 390 वृहद् उद्योग एवं 254 मध्यम उद्योग तथा THE MICRO, SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES DEVELOPMENT ACT, 2006 के अन्तर्गत वर्ष 2007-08 से 2018-19 तक 43231 लघु श्रेणी के उद्योग, जिला उद्योग केन्द्रों एवं भारत सरकार के UAM पोर्टल पर आनलाइन दर्ज हैं। संख्यात्मक विवरण परिशिष्ट ए, बी, सी पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में 24 वृहद् उद्योग एवं 20 मध्यम उद्योग बन्द हैं। वर्ष 2007-08 के बाद भारत सरकार द्वारा लघु उद्योग इकाइयों का सर्वेक्षण नहीं कराया गया हैं। अत: लघु उद्योगों में रुग्ण एवं बन्द इकाइयों की वर्तमान स्थिति संधारित नहीं की जाती है।

(3) बंद पड़े उद्योगों को चालू करने अथवा नहीं करने का निर्णय स्वयं उद्यमी द्वारा उद्योगों की आर्थिक व्यवहार्यता (Economic viability) के आधार पर लिया जाता है। राज्य में बंद हुए उद्योगों को पुनः प्रारम्भ करने के इच्छुक उद्यमियों को राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर घोषित योजनाएं यथा The Rajasthan MSME Policy, 2015 के अंतर्गत विभिन्न रियायतें/ सुविधायें देकर एक मददगार (Facilitator) के रूप में कार्य करती है। वर्तमान में राज्य सरकार द्वारा सभी उद्योगों को वित्तीय सुविधा उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 19.12.2019 को मुख्यमंत्री लघु उद्योग प्रोत्साहन योजना-2019 लागू

(उद्योग मंत्री)

की है। इसके माध्यम से सरकार ब्याज में छूट देकर उद्योगों को लाभान्वित करती है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

रामगंज मण्डी में औद्योगिक इकाइयों द्वारा सीएसआर की व्यय राशि

162. श्री मदन दिलावर (रामगंज मण्डी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रत्येक औद्योगिक इकाई को सीएसआर में राशि व्यय करने की अनिवार्यता है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में स्थित औद्योगिक इकाइयों द्वारा गत पांच वर्षों में सीएसआर में राशि व्यय की गई है? यदि हां, तो किस-किस औद्योगिक इकाई द्वारा कितनी-कितनी राशि, किस-किस कार्य हेतु कहां-कहां पर व्यय की गई है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। भारतीय कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा-135 के अनुसार ऐसी कम्पनियां जिनका वार्षिक आधार पर नेटवर्थ 500 करोड़ रुपये या अधिक अथवा टर्नओवर 1000 करोड़ रुपये या अधिक अथवा शुद्ध लाभ 5 करोड़ रुपये या अधिक हो, सीएसआर के दायरे में आती हैं। ऐसी सभी कम्पनियों को उनके विगत 3 वर्षों में अर्जित शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत विभिन्न कारपोरेट सामाजिक दायित्वों में कम्पनी की सीएसआर कमेटी द्वारा निर्धारित नीति अनुसार शिड्यूल-VII में सम्मिलित सीएसआर गतिविधियों पर ही व्यय किये जाने का प्रावधान है।

(2) खण्ड-1 के अनुसार सीएसआर के दायरे में आने वाली कम्पनियों को उनके विगत 3 वर्षों में अर्जित शुद्ध लाभ के औसत का 2 प्रतिशत विभिन्न कारपोरेट सामाजिक दायित्वों में कम्पनी की सीएसआर कमेटी द्वारा निर्धारित नीति अनुसार शिड्यूल-VII में सम्मिलित सीएसआर गतिविधियों पर ही व्यय किये जाने का प्रावधान है।

विधान सभा क्षेत्र रामगंज मण्डी में संचालित 3 सीएसआर कंपनियों द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचनानुसार उनके द्वारा सीएसआर के तहत किये गये व्यय का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(उद्योग मंत्री)

यह उल्लेखनीय है कि सीएसआर व्यय की सूचना सीएसआर कम्पनियों द्वारा कारपोरेट कार्य मंत्रालय, भारत सरकार को ही प्रेषित की जाती है तथा भारत सरकार द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार सीएसआर फण्ड की मानिटरिंग हेतु राज्य सरकार को कोई अधिकार प्राप्त नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

राजकीय छात्रावासों में नवोदय विद्यालयों के समकक्ष सुविधाएं

163. श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में आवासियों को खाद्य सामग्री के लिए प्रतिमाह देय राशि एवं दैनिक उपयोग की अन्य सुविधाएं बढ़ाकर जवाहर नवोदय विद्यालय के आवासियों के समकक्ष करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि उक्त राजकीय छात्रावासों पर होने वाले अन्य व्यय प्रशासनिक व कार्यालय मद से न किये जाकर खाद्य सामग्री मद में किये जाते हैं? यदि हां, तो क्यों? कारण सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नही। वर्तमान में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग द्वारा संचालित राजकीय छात्रावासों में आवासियों के लिये गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री एवं दैनिक उपयोग की अन्य सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। राजकीय अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रावासों में मैस भत्ते की राशि प्रति विद्यार्थी प्रतिमाह 2000 रुपये से बढ़ाकर 2500 रुपये की गई है।

(2) जी नही।

पालनहार योजनान्तर्गत पात्र महिलाओं को नियत राशि का भुगतान

164. श्री फूल सिंह मीणा (उदयपुर ग्रामीण): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत मिलने वाली विधवा पेंशन योजना, वृद्धावस्था पेंशन योजना एवं नि:शक्तजन पेंशन योजना

(श्री फूल सिंह मीणा)

के तहत पेंशन राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उक्त पेंशन का भुगतान समय पर करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा प्रदेश में पालनहार योजना अन्तर्गत पात्र महिलाओं को नियत राशि का भुगतान समय पर नहीं किया जा रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त राशि का भुगतान समय पर करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजनान्तर्गत पात्र पेंशनर्स को सामान्यतः प्रतिमाह नियमित रूप से पेंशन राशि का भुगतान किया जा रहा है।

वर्तमान में अधिकांश पेंशन राशि का भुगतान ई.सी.एस. (Electronic Clearing Service) के माध्यम से पेंशनर्स के बैंक खातों अथवा पोस्ट आफिस खातों में किया जाता है। इस प्रक्रिया में कुछ पेंशनर्स के बैंक खातों की संख्या गलत होने या बैंक शाखा का आईएफएससी कोड गलत होने के कारण आर.बी.आई. पोर्टल द्वारा भुगतान अस्वीकृत कर दिया जाता है। पेंशनर द्वारा राजस्थान जन आधार पोर्टल में बैंक खाता संख्या एवं आईएफएससी कोड सही करवाकर संबंधित कोष/उपकोष कार्यालय में प्रस्तुत करने पर उस पेंशनर की पेंशन का भुगतान उसके सही खाते में ई.सी.एस. (Electronic Clearing Service) द्वारा कर दिया जाता है।

(2) जी नहीं। पालनहार योजना के अन्तर्गत पात्र महिलाओं को नियत राशि का समय पर भुगतान किया जा रहा है। राज्य में 1,47,137 पात्र महिलाओं के 2,64,217 बच्चों को लाभान्वित किया जा रहा है।

शेरगढ़ में ओलावृष्टि से हुए नुकसान का मुआवजा

165. श्रीमती मीना कंवर (शेरगढ़): क्या आपदा प्रबन्धन एवं सहायता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में वर्ष 2019-20 में हुई ओलावृष्टि के कारण काश्तकारों की फसलों को भारी नुकसान पहुंचा है? यदि हां, तो किस-किस जिले में कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार द्वारा ओलावृष्टि से हुए नुकसान का सर्वे करवाया गया है? यदि हां, तो रिपोर्ट की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(श्रीमती मीना कंवर)

(3) क्या यह भी सही है कि विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में भी ओलावृष्टि के कारण काश्तकारों को भारी नुकसान हुआ है? यदि हां, तो कहां-कहां व कितना-कितना? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार ओलावृष्टि से किसानों को हुए नुकसान का सर्वे करवाकर काश्तकारों को मुआवजा राशि देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी एवं कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) प्रारम्भिक आंकलन में दिसम्बर, 2019 में हुई ओलावृष्टि से 07 जिलों में किसानों की फसलों को नुकसान होने की सूचना प्राप्त हुई है जिनमें विशेष गिरदावरी भी करवाई गई है। जिला जोधपुर से प्राप्त गिरदावरी रिपोर्ट (प्रपत्र 7डी) के आधार पर 13 गांवों के 2246 काश्तकार प्रभावित हुए हैं। अन्य 06 जिलों में एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार 33 प्रतिशत से कम फसल खराबा हुआ है। रबी फसल की नियमित गिरदावरी का कार्य प्रक्रियाधीन है। गिरदावरी रिपोर्ट प्राप्त होने के उपरान्त ही वास्तविक आंकलन की स्थिति ज्ञात हो पायेगी।

(2) बिन्दु संख्या 01 के जवाब के अनुसार।

(3) वर्ष 2019-20 में हुई ओलावृष्टि के कारण विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ में किसी भी काश्तकार का नुकसान नही हुआ है।

(4) गिरदावरी (7 डी) रिपोर्ट में 33 प्रतिशत या इससे अधिक फसल खराबा प्राप्त होने पर एसडीआरएफ नोर्म्स के अनुसार सहायता देय है।

देवनारायण योजनान्तर्गत सिवाना में छात्रावास का निर्माण

166. श्री हमीर सिंह भायल (सिवाना): क्या सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि प्रदेश में देवनारायण योजना वर्ष 2010-11 से लागू की गई थी? यदि हां, तो उक्त योजना में कौन-कौनसे जिले सम्मिलित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त योजना में क्या-क्या कार्य कौन-कौनसे जिलों में प्रस्तावित किये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) देवनारायण आदर्श छात्रावास योजनान्तर्गत बाड़मेर जिले में कहां-कहां पर छात्रावास निर्मित हैं एवं संचालित किये जा रहे हैं? क्या सरकार

(श्री हमीर सिंह भायल)

भविष्य में विधान सभा क्षेत्र सिवाना में उक्त योजना के तहत छात्रावास निर्माण करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कहां-कहां व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) देवनारायण योजना वर्ष 2008-09 में पांच जिलों की 13 तहसीलों में प्रारम्भ की गई थी। वर्ष 2010-11 से राज्य के समस्त जिलों में संचालित है।

(2) देवनारायण योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्यों एवं संचालित योजनाओं का विवरण परिशिष्ट-अ पर उपलब्ध है।

(3) देवनारायण योजनान्तर्गत जिला बाड़मेर में निम्न छात्रावास स्वीकृत हैं:

1. देवनारायण आदर्श बालक छात्रावास चौहटन (स्वीकृत क्षमता 50) निर्मित भवन में संचालित।
2. देवनारायण आदर्श बालक छात्रावास गुढ़ामालानी (स्वीकृत क्षमता 50) निर्माण कार्य प्रगति पर है।

योजना के तहत छात्रावास निर्माण क्षेत्र की आवश्यकता एवं बजट की उपलब्धता के अनुसार कराये जाते हैं। वर्तमान में सिवाना में छात्रावास निर्माण का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

दौसा में आयुर्वेद कर्मियों के स्वीकृत पद

167. श्री ओम प्रकाश हुड़ला (महुवा): क्या आयुर्वेद मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

जिला दौसा में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद वर्तमान में कहां-कहां स्वीकृत हैं तथा कितने पद रिक्त हैं? विधान सभा क्षेत्रवार एवं स्थानवार सहित सूची सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

दौसा जिले में स्वीकृत एवं रिक्त पदों की विधान सभा क्षेत्रवार एवं स्थानवार सूची परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(सूची पुस्तकालय में रखी गयी)

फुलेरा के चिकित्सालयों में रिक्त पद

168. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में वर्तमान में किस-किस श्रेणी के कितने -कितने चिकित्सा केन्द्र कहां-कहां पर संचालित हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त चिकित्सा केन्द्रों में कहां-कहां पर वर्तमान में आपरेशन थियेटर बने हुए हैं तथा वहां पर किस प्रकार के आपरेशन किये जाने की सुविधा है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त चिकित्सा केन्द्रों में कितने पद स्वीकृत हैं तथा कितने पद कब से रिक्त हैं? सूची सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में संचालित राजकीय चिकित्सा संस्थानों का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

(2) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र फुलेरा, सांभर एवं किशनगढ़ रेनवाल में आपरेशन थियेटर बने हुए हैं, जिनमें स्त्री रोग संबंधित आपरेशन, नसबन्दी आपरेशन एवं माइनर आपरेशन किये जाते हैं।

(3) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में संचालित चिकित्सा संस्थानों में चिकित्सकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना मय रिक्ति अवधि विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न हैं।

विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग के कार्मिकों के स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों की सूचना मय रिक्ति अवधि विवरण परिशिष्ट-स पर संलग्न है।

(4) जी हां। चिकित्सकों के पदोन्नति के रिक्त पदों को डीएसीपी के अन्तर्गत पदोन्नत चिकित्सकों से/पीजी पूर्ण चिकित्सक उपलब्ध होने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

चिकित्सा अधिकारी के रिक्त पदों को राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय जयपुर से प्रक्रियाधीन भर्ती पूर्ण होने पर भरने के प्रयास किये जायेंगे।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

वर्तमान में नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संवर्ग की भर्ती प्रक्रियाधीन है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने पर विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में चल रहे रिक्त पदों को भरे जाने का प्रयास किया जायेगा।

अराजपत्रित संवर्ग के पदोन्नति वाले रिक्त पदों को विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक उपरान्त भरे जाने के प्रयास किये जायेंगे।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

बाड़मेर के भवन विहीन चिकित्सा केन्द्र

169. श्री मेवाराम जैन (बाड़मेर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में ऐसे कितने प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र हैं जिनके भवन नहीं हैं? क्या सरकार उक्त भवन विहीन केन्द्रों के भवन निर्माण कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त विधान सभा क्षेत्र में कई उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त एएनएम सेन्टर पर स्वास्थ्य कार्मिक कार्यरत नहीं होने से बंद हैं? यदि हां, तो ऐसे कितने उप स्वास्थ्य केन्द्र एवं अतिरिक्त एएनएम सेन्टर हैं जहां पर स्वास्थ्य कार्मिक कार्यरत नहीं हैं? केन्द्रों के नाम सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन सीएचसी, पीएचसी, सब सेन्टर, मोहल्ला क्लिनिक खोलने के प्रस्ताव सरकार में लम्बित हैं? यदि हां, तो कहां-कहां व कब तक स्वीकृत कर दिये जाएंगे? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में एक प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं 9 उप स्वास्थ्य केन्द्रों पर भवन नहीं है।

जी हां। आगामी वित्तीय वर्षों में वित्तीय संसाधनों व भूमि की उपलब्धता के आधार पर भवन निर्माण करवाया जा सकेगा।

(2) विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में 4 उप स्वास्थ्य केन्द्र क्रमश: अबडासर, बालेरा, सुरा चारणान एवं बांकासर में स्वास्थ्य कार्मिकों के पद रिक्त हैं, जिन पर निकटतम उप स्वास्थ्य केन्द्र पर कार्यरत महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को अतिरिक्त भार देकर संचालित किया जा रहा है।

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

(3) जी हां। उक्त विधान सभा क्षेत्र में नवीन सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों एवं उप स्वास्थ्य केन्द्र खोलने/क्रमोन्नत किये जाने के प्राप्त प्रस्तावों/स्वीकृत चिकित्सा संस्थान का विवरण परिशिष्ट-अ पर संलग्न है।

बजट घोषणा वर्ष 2019-20 के तहत मोहल्ला क्लिनिक नहीं अपितु जनता क्लिनिक खोले जाने हैं।

विधान सभा क्षेत्र बाड़मेर में नवीन जनता क्लिनिक खोले जाने हेतु प्राप्त प्रस्तावों का विवरण परिशिष्ट-ब पर संलग्न है। उक्त प्रस्तावों पर चिकित्सा संस्थान खोले जाने के संबंध में गाइड लाइन अनुसार पात्रता होने एवं भूमि व वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा गुणावगुण के आधार पर विचार किया जायेगा।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर के जवाहर लाल नेहरू अस्पताल के भवन का संधारण

170. श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): क्या चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जवाहर लाल नेहरू अस्पताल अजमेर का भवन कितना पुराना है? दिसम्बर, 2018 से जनवरी, 2020 तक उक्त अस्पताल में मरम्मत, नये वार्ड एवं अन्य भवनों के विकास हेतु कितनी-कितनी राशि स्वीकृत हुई तथा किस किस मद पर कितनी-कितनी राशि व्यय की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त मेडिकल कालेज अजमेर को किसी दूसरी स्थान पर ले जाने का कोई प्रस्ताव है? यदि हां, तो कहां तथा इसके लिए कितनी राशि प्रस्तावित है? इसका कब तक निर्माण व स्थानान्तरित कराने की योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या उक्त अस्पताल के नेत्र रोग विभाग में Posterior Vitrectomy machine खराब है? यदि हां, तो क्या सरकार नई मशीन उपलब्ध कराने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जवाहर लाल नेहरू चिकित्सा महाविद्यालय, अजमेर के जवाहर

(चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री)

लाल नेहरू चिकित्सालय का मुख्य भवन लगभग 130 वर्ष पुराना है एवं नया ब्लाक 50 वर्ष पुराना है। दिसम्बर, 2018 से जनवरी 2020 तक मरम्मत, नये वार्ड एवं अन्य भवनों के विकास हेतु स्वीकृत एवं व्यय राशि का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) जी हां। भविष्य की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए मेडिकल कालेज अजमेर को ग्राम कायड, अजमेर में स्थानान्तरित करने का प्रस्ताव विचाराधीन है। इस हेतु भूमि आबंटन के पश्चात्, वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर कार्यवाही की जायेगी।

(3) जी हां। नई मशीन खरीदने हेतु दिनांक 25.11.2019 को जारी की गयी निविदा प्रक्रियाधीन है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

कोटा में कर्णेश्वर महादेव मंदिर की भूमि पर अतिक्रमण

171. श्री संदीप शर्मा (कोटा दक्षिण): क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जिला कोटा में विभाग के पास कितनी भूमि और कितनी सम्पत्ति कहां-कहां पर स्थित है? क्या उक्त भूमि और सम्पत्तियों पर कुछ लोगों ने अवैध कब्जा और अवैध निर्माण करवा लिया है? यदि हां, तो कहां-कहां? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार को कोटा शहर में कर्णेश्वर महादेव मंदिर की जमीन को अवैध तरीके से बेचे जाने और इस पर अवैध निर्माण करवाने की शिकायत प्राप्त हुई है? यदि हां, तो उक्त शिकायत पर क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) उक्त भूमि के अवैध बेचान और अवैध निर्माण होने की जानकारी सरकार को काफी विलम्ब से क्यों प्राप्त हुई? क्या सरकार विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को उत्तरदायी मानती है? यदि हां, तो किन-किन को?

(4) क्या विभाग द्वारा अपने विभाग की भूमि और सम्पत्ति की नियमित रूप से देखरेख की जाती है? क्या इसके लिए विभाग के कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई गई है? यदि हां, तो किन-किन की एवं उक्त भूमि को अतिक्रमण से कब तक मुक्त करवा लिया जायेगा?

उत्तर

(1) कोटा जिले में देवस्थान विभाग द्वारा 24 मंदिर नियंत्रित हैं जिसमें कुल 44 सम्पतियां हैं। इन मंदिरों के अधीन 9.17 हैक्टेयर कृषि भूमि है। भूमि एवं सम्पत्तियों की सूची का विवरण परिशिष्ट-1 पर संलग्न है। जी हां। उक्त भूमि एवं सम्पत्तियों में से कर्णेश्वर महादेव की कृषि भूमि पर कुछ लोगों ने अवैध निर्माण एवं कब्जा कर लिया है। अतिक्रमणों की सूचना परिशिष्ट-2 पर संलग्न है।

(2) जी हां। पूर्व में अतिक्रमणों के बाबत जानकारी प्राप्त होने पर विभाग द्वारा अतिक्रमण के विरुद्ध दिनांक 25.02.2013 को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी में वाद दायर किया गया। वर्तमान में इस मंदिर की भूमि से संबंधित वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी के यहां विचाराधीन है जिस पर उक्त मंदिर की भूमि को खुर्द-बुर्द/बेचान न करने बाबत स्थगन आदेश जारी कर रखा है, जो परिशिष्ट-3 पर संलग्न है। खसरा नं. 263 पर अतिक्रमियों द्वारा अवैध बेचान बाबत ए.एस.आई. उद्योग नगर थाना की लिखित शिकायत पश्चात् विभाग द्वारा स्वत: संज्ञान लिया गया व तहसीलदार, लाडपुरा द्वारा दिनांक 20.12.2019 को सीमाज्ञान करवाया गया व मंदिर की भूमि का एक टुकड़ा जिस पर कोई अतिक्रमण था, पर विभाग का बोर्ड लगवाया गया। साथ ही उक्त भूमि के संबंध में निरीक्षक द्वारा उद्योग नगर थाना को संबंधित के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज करने हेतु प्रार्थना पत्र दिनांक 07.02.2020 पेश किया, जिसकी प्रति परिशिष्ट-4 पर संलग्न है।

(3) समय-समय पर विभाग को अतिक्रमणों की जानकारी होने पर आवश्यक कार्यवाही की जाती रही है, विभाग को वर्तमान में अतिक्रमण बाबत सूचना प्राप्त होने के तुरंत पश्चात् दिनांक 21.10.2019 द्वारा तहसीलदार लाडपुरा को भूमि की पैमाइश बाबत लिखा गया।

जी नहीं। विभाग के अधिकारियों व कर्मचारियों द्वारा नियमित रूप से कार्यवाही की जाती है।

(4) जी हां। विभागीय मंदिरान की व्यवस्था हेतु प्रबन्धक देवस्थान विभाग को नियुक्त किया हुआ है। देवस्थान विभाग के नियमित अधिकारी/ कर्मचारियों द्वारा समय-समय पर इनकी देखरेख की जाती है। उक्त भूमि के संबंध में न्यायालय में लम्बित प्रकरणों के निस्तारण के उपरांत पारित आदेशानुसार अतिक्रमण से मुक्त करवाने की कार्यवाही की जाएगी।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

धरियावद में पटवारियों के रिक्त पद

172. श्री गोतमलाल (धरियावद): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद के पटवार मण्डलों में कितने पद किस-किस श्रेणी के स्वीकृत हैं व कितने रिक्त व कितने कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार पटवारियों के रिक्त पद भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धरियावद में प्रतापगढ़ जिले की धरियावद तहसील व उदयपुर जिले की लसाड़िया एवं सलूम्बर (आंशिक) तहसील आती है। उक्त तहसीलों के पटवार मण्डलों में स्वीकृत, कार्यरत एवं रिक्त पदों का विवरण निम्नानुसार है-

क्र. सं.	तहसील	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1	धरियावद (प्रतापगढ)	पटवारी	31	18	13
2	लसाड़िया (उदयपुर)	पटवारी	21	11	10
3	सलूम्बर (उदयपुर) (आंशिक)	पटवारी	8	5	3

(2) जी हां। प्रदेश में पटवारियों के रिक्त पदों को भरे जाने हेतु राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड, जयपुर द्वारा पटवारी के 4421 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। भर्ती प्रक्रिया पूर्ण हो जाने पश्चात् प्राथमिकता से पदों को भरे जाने की कार्यवाही की जाएगी।

आमेर में जैन मन्दिर के नाम दर्ज भूमि का अवैध विक्रय

173. श्री नारायण सिंह देवल (रानीवाड़ा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) जयपुर शहर की आमेर तहसील में कौन-कौनसे खसरा नं. (पुराने एवं नये) पर कितने-कितने रकबा की भूमि मंदिर माफी के नाम दर्ज है? विवरण सूची में मय नामान्तरण (पुराने एवं नये खसरा नम्बर) की प्रति सहित सदन की मेज पर रखें।

(श्री नारायण सिंह देवल)

(2) तहसील आमेर में मंदिर माफी से संबंधित किन-किन खसरा नम्बर की भूमि के रेफरेंस राजस्व न्यायालयों के निर्णय उपरान्त पुन: मंदिर माफी के नाम से नामान्तरण दर्ज किये गये एवं कितने शेष हैं? राजस्व न्यायालयों में निर्णीत व लम्बित वादों की सूची एवं न्यायालयों के निर्णय की प्रतियों व नामान्तरण की प्रतियों सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि उक्त तहसील में जैन मंदिर के नाम से दर्ज मंदिर माफी की भूमि को अवैध रूप से विक्रय कर दिया गया और उक्त भूमि पर अवैध कब्जे, निर्माण कार्य किये गये? यदि हां, तो मौके की स्थिति की रिपोर्ट सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त तहसील में मंदिर माफी की भूमि पर किये गये अवैध कब्जे, अवैध निर्माण को हटाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण कारण सहित सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जयपुर की आमेर तहसील में कुल 1041.12 है. भूमि विभिन्न मंदिरों के नाम माफी में दर्ज है। सूची परिशिष्ट ए-1 पर संलग्न है। नामान्तरण की प्रतियां परिशिष्ट ए-2 पर संलग्न है।

(2) तहसील आमेर में कुल 611 प्रकरण माफी मंदिर रेफरेंस के किये गये थे जिनमें से 75 प्रकरणों का विभिन्न न्यायालयों से मंदिर के हक में निस्तारण होने से राजस्व रिकार्ड में भूमि मंदिर के नाम दर्ज की जा चुकी है। सूची परिशिष्ट बी-1 पर संलग्न है। 536 प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में लम्बित हैं। विभिन्न न्यायालयों के निर्णय की प्रतियां परिशिष्ट बी-3 पर संलग्न हैं तथा नामान्तरण की प्रतियां परिशिष्ट ए-2 पर संलग्न हैं।

(3) उक्त रेफरेंसों/नामान्तरणकरणों/निर्णयों का जिला कलेक्टर कार्यालय द्वारा विभागीय परिपत्र दिनांक 12.09.2018 एवं डी.बी. एसए नं. 185/2001 तारादेवी तथा अन्य बनाम राज्य सरकार में पारित राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश दिनांक 15.07.2015 के परिप्रेक्ष्य में परीक्षण/समीक्षा नहीं किया है, जिसके कारण इन रेफरेंसों/नामान्तरणकरणों/ निर्णयों से किसी भी निर्णय/नामान्तरणकरण/रेफरेंस की कानूनी वैधता/ विधिमान्यता की पुष्टि की जानी सम्भव नहीं है।

मुताबिक राजस्व रिकार्ड तहसील आमेर में किसी जैन मंदिर की भूमि

(राजस्व मंत्री)

का विक्रय नहीं हुआ है। जैन मंदिर से संबंधित भूमि में कस्बा आमेर में मौके पर आबादी बसी हुई है। (लगभग 100 पक्के मकान) एवं व्यवसायिक गतिविधियां संचालित हैं। इनमें से कितने निर्माण वैध अथवा अवैध हैं, की सूचना जिला कलेक्टर जयपुर से प्राप्त होना शेष है।

(4) राजस्थान भू राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91 के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया जाकर नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अवैध अतिक्रमणों/कब्जों की बेदखली की कार्यवाही की जाती है।

(प्रति पुस्तकालय में रखी गयी)

नोखा में पटवारियों के रिक्त पद

174. श्री बिहारीलाल (नोखा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) विधान सभा क्षेत्र नोखा में पटवारियों के कितने पद रिक्त हैं व कितने पटवारियों को अतिरिक्त चार्ज दिया गया है? रिक्त पदों व अतिरिक्त चार्ज का पंचायतवार व नामवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) सरकार द्वारा सप्ताह में कितने दिन पटवारियों को पंचायत मुख्यालय पर रहने के निर्देश दिये गये हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र नोखा में पटवारी, आर.आई. व अन्य राजस्व कार्मिकों के पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) नोखा विधान सभा क्षेत्र में कुल 57 पटवार मण्डल हैं, जिनमें से 23 पटवार मण्डलों पर पटवारी पदस्थापित हैं तथा 34 पटवार मण्डल रिक्त हैं। रिक्त पदों व अतिरिक्त चार्ज का पंचायतवार व नामवार विवरण परिशिष्ट 'अ' पर संलग्न है।

(2) राजस्थान भू-राजस्व (भू-अभिलेख) नियम, 1957 के नियम 12 (1) में प्रावधान है कि हरेक पटवारी अपने क्षेत्र के उस गांव में निवास रखेगा, जो कि कलेक्टर द्वारा उसका मुख्यालय मुकर्रर किया गया हो, जब तक कि उसने अपने क्षेत्र के बाहर रहने की लिखित अनुमति कलेक्टर से न ले ली हो। पटवारी को अपने पटवार मुख्यालय पर रहने के निर्देश हैं।

(3) जी हां। पटवारियों के 4421 पदों को भरने की विज्ञप्ति जारी की

(राजस्व मंत्री)

जा चुकी है। शीघ्र ही सीधी भर्ती का आयोजन कर पटवारी के रिक्त पदों को भरा जायेगा। आर.आई. व अन्य राजस्व कार्मिकों के पदों को पदोन्नति/सीधी भर्ती के माध्यम से भरा जाता है, जो एक सतत प्रक्रिया है।

(विवरण पुस्तकालय में रखा गया)

मोरीजा (चौमूं) ग्राम पंचायत में सरकारी भूमि

175. श्री रामलाल शर्मा (चौमूं): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है ग्राम पंचायत मोरीजा तहसील चौमूं-जिला जयपुर में सरकार की 1025 बीघा जमीन स्थित है? यदि हां, तो उक्त जमीन की स्वामित्व की स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि ग्राम मोरीजा में सीलिंग भूमि भी मौजूद है? यदि हां, तो कितनी भूमि कहां पर स्थित है तथा उसकी भौतिक स्थिति क्या है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह भी सही है कि तहसीलदार चौमूं द्वारा उक्त भूमि के स्वामित्व को लेकर निर्णय किया गया है? यदि हां, तो क्या एवं निर्णय के उपरान्त प्रशासन द्वारा क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह भी सही है कि प्रशासनिक अधिकारियों ने सरकारी भूमि को खुर्द-बुर्द करने के लिए तथ्यों से बाहर जाकर निर्णय किया है? यदि हां, तो उक्त अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) ग्राम पंचायत मोरीजा में प्रश्नगत भूमि स्थित होकर राजस्थान भू राजस्व (कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण) अधिनियम 1973 के तहत उपखण्ड अधिकारी चौमूं के न्यायालय में सीलिंग अवाप्ति हेतु विचाराधीन है जिसमें तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्तियों को पक्षकार बनाये जाने पर तत्कालीन तहसीलदार चौमूं द्वारा इसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई, जो वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रश्नगत भूमि से संबंधित प्रकरण मा. उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन

(राजस्व मंत्री)

नं. 5129/2005 करणी संयुक्त सहकारी समिति बनाम सरकार में स्थगन आदेश के अन्तर्गत है। अन्य एस.बी. सिविल रिट पिटीशन संख्या 9509/2005 पुनीत कुमार सूद बनाम राजस्थान राज्य मा. राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है। वर्तमान में दोनों रिट याचिकाओं में सम्मिलित होकर मा. उच्च न्यायालय का दिनांक 03.08.2005 से स्थगन है।

(2) ग्राम पंचायत मोरीजा में प्रश्नगत भूमि स्थित होकर राजस्थान भू राजस्व (कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिरोपण) अधिनियम 1973 के तहत उपखण्ड अधिकारी चौमूं के न्यायालय में सीलिंग अवाप्ति हेतु विचाराधीन है जिसमें तत्कालीन उपखण्ड अधिकारी द्वारा संबंधित व्यक्तियों को पक्षकार बनाये जाने पर तत्कालीन तहसीलदार चौमूं द्वारा इसकी अपील माननीय राजस्व मण्डल, राजस्थान अजमेर में प्रस्तुत की गई, जो वर्तमान में राजस्व मण्डल अजमेर में विचाराधीन है। इसके अतिरिक्त उक्त प्रश्नगत भूमि से संबंधित प्रकरण मा. उच्च न्यायालय जयपुर में एस.बी. सिविल रिट पिटीशन नं. 5129/2005 करणी संयुक्त सहकारी समिति बनाम सरकार में स्थगन आदेश के अन्तर्गत है। अन्य एस.बी.सिविल रिट पिटिशन संख्या 9509/2005 पुनीत कुमार सूद बनाम राजस्थान राज्य मा. राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर में विचाराधीन है तथा वर्तमान में दोनों रिट याचिकाओं में सम्मिलित होकर मा. उच्च न्यायालय का दिनांक 03.08.2005 से स्थगन है।

(3) तत्कालीन तहसीलदार, चौमूं द्वारा राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा पत्रावली प्रकरण संख्या 56/82 उनवान करणी सहकारी समिति, मोरीजा बनाम राजस्थान सरकार व अन्य में पारित रिमाण्ड निर्णय दिनांक 08.03.1988 की पालना में आदेश पारित कर दिनांक 24.05.2005 के आदेश द्वारा प्रश्नगत भूमि की 1964 की स्थिति बहाल कर नामान्तरण संख्या 282 द्वारा पूर्व खातेदार अमर सिंह पुत्र श्योजी सिंह के नाम दर्ज किया गया था। इसके बाद तहसीलदार, चौमूं द्वारा अपने पत्र क्रमांक भू.अ./05/885 दिनांक 08.04.2005 तथा क्रमांक 1142 दिनांक 29.04.2005 के द्वारा मार्गदर्शन चाहने पर जिला कलेक्टर जयपुर के पत्र क्रमांक राजस्व/6/5/5841 दिनांक 12.05.2005 द्वारा मार्गदर्शन दिये जाने पर उक्त भूमि का प्रकरण संख्या 135/05 उपखण्ड अधिकारी, चौमूं में सीलिंग घोषित किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया था, जो विचाराधीन है।

(4) प्रकरण वर्तमान में राजस्थान भू राजस्व (कृषि जोतों पर

(राजस्व मंत्री)

अधिकतम सीमा अधिरोपण) अधिनियम 1973 के तहत उपखण्ड अधिकारी चौमूं के न्यायालय में सीलिंग अवाप्ति हेतु विचाराधीन है। साथ ही प्रकरण प्रश्नगत भूमि राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर में विचाराधीन होकर वर्तमान में प्रश्नगत भूमि पर स्थगन है। प्रकरण न्याय निर्णय के अधीन है।

बारां जिले में कृषि विद्युत कनेक्शन में सहरिया जाति को प्राथमिकता

176. श्री रामनारायण मीना (पीपल्दा): क्या जनजाति क्षेत्रीय विकास राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या यह सही है कि बारां जिले में अनुसूचित जनजाति श्रेणी के कृषकों को दिये जाने वाले कृषि विद्युत कनेक्शनों में मात्र सहरिया जनजाति को ही प्राथमिकता दी जाती है तथा भील एवं मीना समाज को सामान्य श्रेणी के समकक्ष माना जाता है? यदि हां, तो किस तारीख से तथा इसके क्या-क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि सरकार द्वारा सहरिया जनजाति के लिए जारी उक्त आदेश मंत्री मंडल की स्वीकृति पश्चात् ही जारी किये गये हैं? यदि हां, तो किस तारीख से? प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त आदेश जारी करने से पूर्व अनुसूचित जनजाति की श्रेणी में आने वाली अन्य जातियों को पृथक मानकर लिये गये निर्णय के संबंध में कोई निर्देश व परिपत्र जारी किये गये हैं? यदि हां, तो उक्त की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(स्थगित)

बीकानेर के डूंगर कालेज में शहीद भगतसिंह छात्रावास का पुनःसंचालन

177. श्री गिरधारीलाल (डूंगरगढ़): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

डूंगर कालेज बीकानेर में स्थित शहीद भगत सिंह छात्रावास के छात्रों के आन्दोलन के मध्यनजर रखते हुए सरकार इसे पुनः संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

वर्तमान में इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जोधपुर के एमबीएम इंजीनियरिंग कालेज को विश्वविद्यालय का दर्जा देने की योजना

178. श्री मदन प्रजापत (पचपदरा): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

क्या यह सही है कि एमबीएम इंजीनियरिंग कालेज जोधपुर द्वारा स्वयं को पेट्रोलियम विश्वविद्यालय का दर्जा देने का प्रस्ताव भिजवाया गया था? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेज को पेट्रोलियम विश्वविद्यालय का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। प्रकरण राज्य सरकार के विचाराधीन है।

चौरासी के चिखली में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना

179. श्री राजकुमार रोत (चौरासी): क्या उच्च शिक्षा राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे:-

(1) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र चौरासी के चिखली ब्लाक में राजकीय महाविद्यालय खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) सरकार की उक्त क्षेत्र में उच्च शिक्षा के संवर्धन हेतु क्या कार्य-योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) वर्तमान में विधान सभा क्षेत्र चौरासी में राजकीय क्षेत्र में सहशिक्षा का राजकीय महाविद्यालय, सीमलवाड़ा संचालित है तथा निजी क्षेत्र में 05 महाविद्यालय संचालित हैं।

संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर यथासमय विधान सभा क्षेत्र चौरासी के चिखली ब्लाक में राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(2) उक्त क्षेत्र में उच्च शिक्षा के संवर्धन हेतु संसाधनों की उपलब्धता एवं गुणावगुण के आधार पर यथासमय राजकीय महाविद्यालय खोले जाने पर विचार किया जा सकेगा।
